खण्ड-371, अंक-2
मंगलवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1907
(30 जुलाई, 1985 ई0)

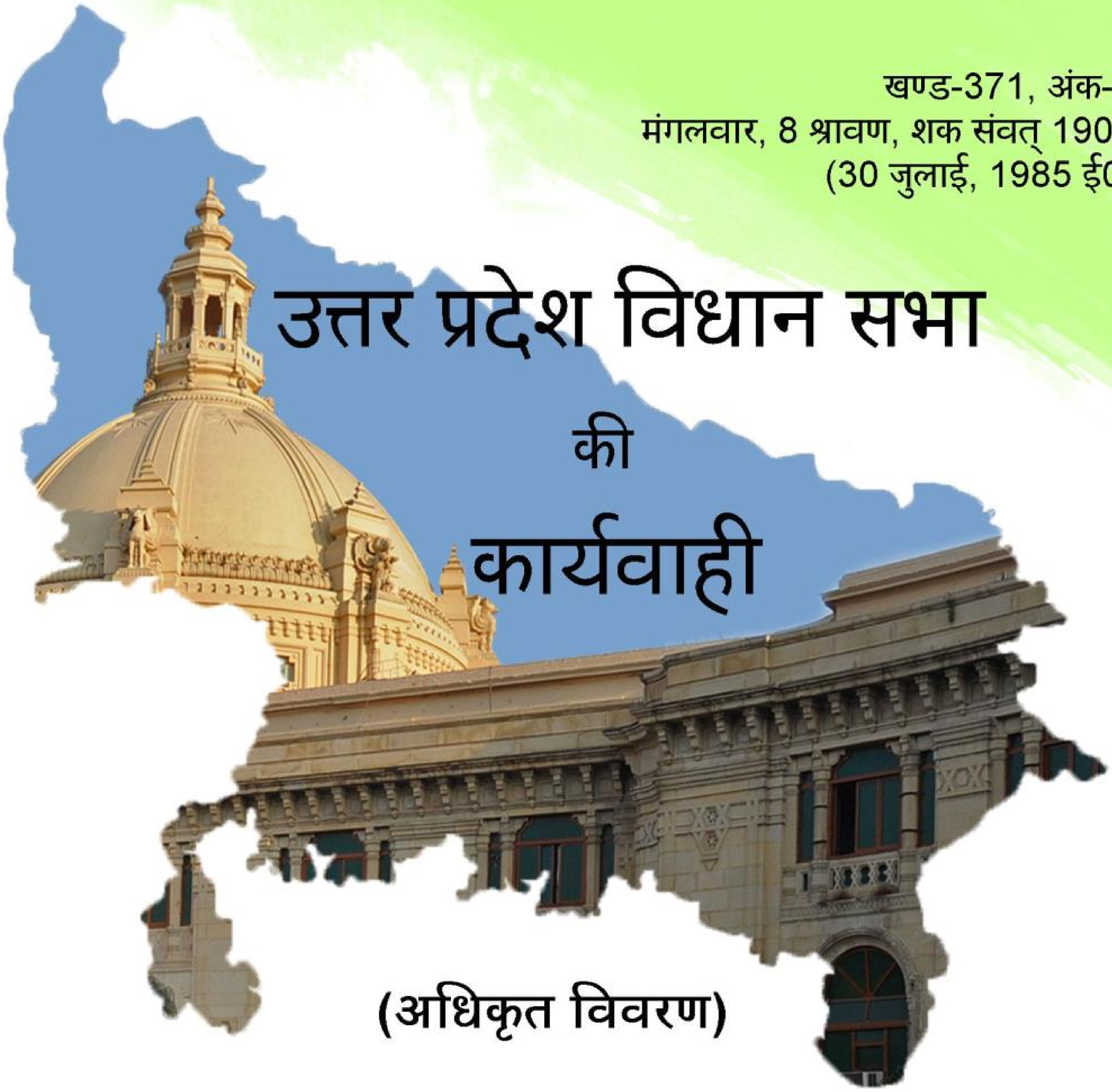

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
श्री अध्यक्ष के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग		3
प्रश्नोत्तर	..	3–96
अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	96–97
अतारांकित प्रश्न संख्या 153 को निरस्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	97
मधुवन, आजमगढ़ में पानी निकास एवं सीवेज की व्यवस्था ठीक न होने से जलभराव एवं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	97–98
डुमरियागंज, बस्ती में राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती नदियों के कटाव से ग्रामवासियों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	98
बिलारी, मुरादाबाद जोन में कृषकों को पौधशाला एवं कीटनाशक दवाइयों के लिये स्वीकृत अनुदान के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	99
थानाध्यक्ष, अलीगंज, लखनऊ द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मड़ियांव थानाक्षेत्र में घुसकर अत्याचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	99–100
ग्राम नरैनी, सनौरा नायकपुर, नगला ब्रांव बछलाई और ककरारा, जसराना, जनपद मैनपुरी में खारे पानी से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	100
भगवानपुर, गाजियाबाद में हरिजन परिवारों को लूटे जाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	100–101
मेजा, इलाहाबाद में भयंकर सूखा तथा नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	101
राजकीय कर्मचारियों को बार्डर जोन के सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से कर्मचारियों में असन्तोष के प्रति संवेदना का प्रस्ताव रखने हेतु अनुज्ञा की मांग		101–102
आबकारी आयुक्त द्वारा बजट की गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	102–103
दारुलशफा, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के दवा आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के बकाये रुपये के भुगतान न होने से रोगग्रस्त विधायकों को दवायें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	103–104

लखनऊ विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपये के घपले की उच्च स्तरीय जांच के अश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 104–105

प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 105–106

मेडिकल कालेजों में आत्महत्याओं के प्रकरण की जांच, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराये जाने की घोषणा के बावजूद भी अन्य अधिकारी द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 106–197

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें .. 107–116

बजट साहित्य समय से न मिलने पर व्यवस्था का प्रश्न .. 116–117

1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 7 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) .. 117–168

दिनांक 2 अगस्त, 1985 को निर्धारित, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को स्थगित करके दूसरे दिन लिये जाने के सम्बन्ध में सदन की सहमति .. 168

प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन .. 168

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. 169

मेरठ मंडल में पायरिला के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 169–178

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में जहरीली दवाओं की बिक्री होने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 178–182

शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षायें खुलवाने की मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 182–183

नत्थियां .. 185–201

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री सिराज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चन्द्र सेन, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (हमीरपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
प्रेमिला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बद्री सिंह, श्री (जालौन)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल पुत्र लल्लू, श्री (सीतापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद विन्द, श्री (वाराणसी)
शिव नारायन मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
समर पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
हरि शंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

विधानसभा सचिवालय

बिहार पंचायत सचिवालय सभा

श्री अध्यक्ष के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक जानकारी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों से पहले ही जानकारी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

हां मान्यवर, इस सदन के सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं और आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं । आप अस्वस्थ हैं, किस प्रकार अस्वस्थ हैं, यह जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं एवं नगरमहापलिकाओं द्वारा किये जा रहे नये असेसमेन्ट

**1--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी) तथा श्री कौशिक रमाशंकर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं आदि स्वायत्तशासी निकायों में प्रशासकों को नये कर आरोपित करने एवं पुराने करों के संबंध में नया असेसमेन्ट करने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 'नो प्रिजेन्टेशन नो टेक्सेशन' के सिद्धांत का अनुपालन कर इस कराधान को आगामी निर्वाचन तक स्थगित रखेगी ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

जी हां ।

कराधान विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में विहित अधिकारों एवं प्रक्रिया के अधीन किया जा रहा है । स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति एवं बढ़ते हुए व्यय तथा दायित्वों को देखते हुए विधिसम्मत कार्यवाही को स्थगित करना जनहित में नहीं होगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबद्ध लोकतंत्र में कराधान का सार्वभौम सिद्धांत यह है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा करारोपण किया जाता है । लोक सभा और विधान सभाओं द्वारा बजट प्रस्तुत होते हैं । इसी को दृष्टि में रखते हुए मेरी जानकारी है कि शासन ने 1984 में एक शासनादेश जारी किया कि जब तक स्वायत्तशासी संस्थायें निर्वाचित नहीं हो जाती हैं, तब तक उनसे सम्बन्धित कराधान रोक दिये जायं और जनप्रतिनिधियों द्वारा ही यह किया जायेगा । इस तरह के आदेश समय-समय पर जारी किये और घोषणाएं भी की गयी हैं कि नगरपालिकाओं, महापलिकाओं आदि के चुनाव शीघ्र ही कराने जा रहे हैं, तो फिर क्या जल्दी आ गयी कि चुनावों में घोषणा करते ही नौकरशाही द्वारा इन निकायों के लिए कराधान कराने का निर्णय लिया गया है तो क्या उसे रोकने की कृपा करेंगी ?

दूसरा यह कि यह कराधान 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई नार्म प्रिस्क्राइब किया गया है या कोई गाइड लाइन उनको भेजी गई है कि किस प्रकार कराधान किया जाय ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न समझ नहीं पाई, कृपया दोहरा दें

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, पहला प्रश्न मेरा यह है....

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके प्रश्न करें। एक दफा एक प्रश्न पूछें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक शासन ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कि कराधान जनप्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए नौकरशाही द्वारा नहीं और शासन ने स्वयं समय-समय पर ऐसे आदेश निर्गत किये हैं, जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि शीघ्र ही नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कराधान की कार्यवाही रोक दी जाय। अब शासन ने निर्णय भी कर लिया है कि 10 सितम्बर से पहले चुनाव करा लेंगे तो इस घोषणा के बाद इस कराधान को रोकने के आदेश जारी करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, माननीय सदस्य फर्रुखाबाद ने वैसे तो जो बिना प्रतिनिधित्व के टैक्सेशन की शक्ति नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को इस सवाल से जोड़कर इस प्रश्न को महत्व दिया है। मैं उनका ध्यान हमारे जो नगरीय क्षेत्र हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की नगरीय आबादी लगभग दो करोड़ हो चुकी है और चारों तरफ संसाधनों की कमी के कारण जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें नगरीय जीवन की हैं उनको भी पूरा करने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही है माननीय सदस्य देखते होंगे कि पिछले वर्षों में शासन की ओर से लगातार विभिन्न प्रकार की सहायता स्थानीय निकायों को दी गई है जैसे सड़क आदि बनाने में। लेकिन जब तक नगर पालिकायें, टाउन एरियाज के अपने साधन न हों तब तक यह संभव नहीं हो पाता कि अपनी जिम्मेदारियों को वह पूरा कर पायेंगे।

श्रीमन्, पिछले वर्ष 1983-84 में केवल वेतन भुगतान में 1,50,00,000 रु0 और 1984-85 में 5,60,94,000 रुपये स्थानीय निकायों को शासन को देना पड़ा और भविष्य में यदि इसी प्रकार रहा तो यह धनराशि और बढ़ जायेगी। प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग चुने हैं तो यहां आप जैसे सशक्त और वाक्य शब्दों के चातुर्य प्रतिनिधि जब मौजूद हैं और राज्य पर बोझा पड़ रहा है तो उसे कम करने के लिए कर रहे हैं और नगर पालिकाओं में तो केवल अभी एसेसमेन्ट की प्रक्रिया पूरी हो चूंकि इसमें समय लगता है। हमारा यह कतई विचार नहीं है कि खामख्वाह टैक्स लगा दिये जायं और चूंकि पिछले वर्षों में हजारों मकान बने और एसेसमेन्ट नहीं हुआ, तो उनको टैक्स से वंचित रखना ठीक नहीं है। इसलिए यह आदेश दिये गये हैं किसी भी नये कर अथवा पुराने करों में वृद्धि के प्रस्ताव में करों का भार उन्हीं पर अधिक पड़े जिनकी आमदनी अपेक्षाकृत अधिक हो और जो इस स्थिति में हों कि सहज इस भार को वहन कर सकें, और यह भी दृष्टिगत रखा जाये कि उसकी वसूलयाबी पर निर्धारित मानक से अधिक व्यय न हो। वसूलयाबी पर व्यय सामान्यतः 10 प्रतिशत होना चाहिए।

श्रीमन्, प्रश्न के दूसरे भाग में कहना है कि मेरा इरादा जैसा वह कह रहे हैं वैसा नहीं है बल्कि हम उनको (प्रतिनिधियों) की सहायता कर रहे हैं चूंकि एसेसमेन्ट की फाइनल प्रक्रिया में विलम्ब होता है। चुनाव के पहले यह कर कुछ ही जगह लग सकेंगे, तो इसमें कोई हानि नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा बहुत बोझा उठाने की आदत रखनी चाहिए वरना सभी का नुकसान होगा। यदि बोझा विकास के लिए

नहीं रखेंगे तो भविष्य में कठिनाई और बढ़ेगी।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि नगर पालिकाओं की स्थिति खराब है और आय बढ़नी चाहिए। प्रश्न तो यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए जब स्वयं ही पिछली सरकार ने यह फैसला लिया और शासनादेश किया कि चुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक कर नहीं लगायेंगे। जब हम लोग यह घोषणा करते हैं कि अक्तूबर में चुनाव होने वाले हैं तो यह अधिकार चुने हुये प्रतिनिधियों को न देकर प्रशासकों को देने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायन दत्त—

मैंने यह बताया कि एसेसमेन्ट की प्रक्रिया चुनाव तक पूरी हो सकेगी और यह तो उनकी (प्रतिनिधियों) सहायता हम कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि शासनादेश संख्या 4392—बी/11—9—82—309—82, दिनांक 9 सितम्बर, 1982 को नये कर लगाने और पुराने करों की वृद्धि को रोक देने का शासनादेश देने का क्या कारण था। उसी के साथ शासनादेश संख्या 1323—बी/11—9—84—7(1)—84, दिनांक 28 मई, 1984 द्वारा पंचवर्षीय कर निर्धारण कार्यवाही रोक देने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

जो श्रीमन्, कारण हैं वह उस आदेश में लिखे हुए हैं और जैसा मैंने बताया है जो असेसमेंट इस समय हो रहा है वह जो चुनाव हो रहे हैं, वह चुनी जाने वाली नगरपालिकाओं की सहायता के लिए है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस चीज को देखते हुए कि सरकार निकट भविष्य में इन स्थानीय निकायों के चुनाव कराने जा रही है, उन्हीं के ऊपर नया असेसमेंट या नया कर बढ़ाने का जिम्मा देगी ? और क्या इसको दृष्टिगत रखते हुए नए असेसमेंट का काल वह स्थगित कर देगी ?

श्री नारायन दत्त—

सम्मानित सदस्य, वाराणसी जानते हैं कि हर निकाय या शासन की सहायता के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी होती है, जो स्थिति को बताती रहती है। हमने भी जैसा बताया भी था डा० पपोला की कमेटी बनायी है, जो देख रही है कि कहां पर टैक्स की गुंजाइश है। तो अभी तो केवल यह किया जा रहा है, इन्हें लागू करने की बात, टैक्स लगाने की बात तो चुनी हुई नगर-पालिकाओं पर ही आयेगी। हजारों ऐसे मकान बने हुए हैं, जिनका कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, तो नई चुनी हुई नगरपालिकाओं को उनसे मदद मिलेगी। अभी नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं है, केवल असेसमेंट करने का प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब एक आखिरी सवाल आप कर लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, उनका आरोप इधर रहता है कि विपक्ष के लोग शासनादेशों की अवहेलना करते हैं और वह उसकी अवहेलना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। यह पहला अवसर है जब मुख्य मंत्री जी ही अपने शासना-देश की स्वयं अवहेलना कर रहे हैं। अपने एक शासनादेश में पहले इन्होंने कहा है कि असेसमेंट नहीं होना चाहिए,

यह उस समय कहा है जब यह तय नहीं हुआ था कि चुनाव कब होंगे, लेकिन अब जब घोषणा हो गयी है कि दिसम्बर में चुनाव हो जायेंगे, वह उस आदेश से दूर भाग रहे हैं, उसके विपरीत चल रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं जब आप यह स्वीकार करते हैं कि यह केवल असेसमेंट कर रहे हैं, कराधान तो आने वाले चुने हुए लोग ही करेंगे, तो फिर यह समय नष्ट करने से क्या लाभ है ? यह क्यों नहीं आनेवाली नगरपालिकाओं पर ही छोड़ दिया जाये ? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार के मन में कुछ और है और चुनाव होने वाला नहीं है। यदि सरकार चुनाव कराने के लिये कटिबद्ध है तो उसको इसे वापस लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री नारायन दत्त—

सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य गोरखपुर को स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने कभी विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का काम नहीं किया है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है न हमारे माननीय सदस्य विपक्ष को कभी ऐसा कहते हैं। वह तो आपस के घात प्रति घात में कभी हो जाता है जो लोकतान्त्रिक पद्धति में आवश्यक है। तो मैं यह कभी नहीं कहता कि आप शासनादेश की अवहेलना करते हैं। यों जहां पर जो बात है, नोकझोंक होती रहती है, वह चलनी चाहिए। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हमने पुराने जी० ओ० के सुपरसेशन में यह नया जी० ओ० निकाला है। सरकार को हमेशा यह अधिकार रहता है कि वह किसी जी० ओ० के किसी भाग, उपभाग, अनुभाग को संशोधित, परिवर्द्धित, परिवर्तित करके उसको एक नया स्वरूप प्रदान करे। उसके अनुरूप यह आदेश है और न चुनाव टालने का हमारा कोई इरादा है। जो चुने जायेंगे उनकी सहायता के लिये यह किया जायेगा।

अतिरिक्त जिला जज सर्वश्री सतीश कुमार, श्री रवीन्द्र नाथ वर्मा, श्री सत्य नारायण सिंह व श्री उपेन्द्र नाथ बंसल की सेवा समाप्ति

**2—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर न्यायिक सेवा 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतियोगिता में चयनित अतिरिक्त जिला जज सर्वश्री सतीश कुमार, रवीन्द्र नाथ वर्मा, सत्य नारायण सिंह और उपेन्द्र नाथ बंसल ने अप्रैल, 1984 में विभिन्न तिथियों से अपने पदों पर कार्य करते हुए जनवरी, 1985 तक कार्य किया और इस बीच सभी ने महत्वपूर्ण निर्णय दिये परन्तु अकस्मात वर्ष 1985 में सभी को सेवा से निकाल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

इन चारों अधिकारियों, जो उ० प्र० न्यायिक सेवा के हैं, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं० 548/80 व रिट याचिका सं० 6346/80, 6351/80 व 728/80 पर पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का सम्मान करते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति को दृष्टि में रखते हुए उक्त सिविल अपील व रिट याचिकाओं पर पारित होने वाले अन्तिम आदेशों की शर्त के अपील उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि उपरोक्त सिविल अपील व रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया अतः उनकी उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के अनुसार निरस्त कर दी गई परन्तु निरस्तीकरण के आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह अधिकारी उ० प्र० न्यायिक सेवा के सदस्य बने रहेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि इन चारों व्यक्तियों को, जो पहले जुडीशियल सर्विस में काम कर रहे थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर परीक्षा में बैठे और सफल हुये और हायर जुडीशियल सर्विस में नियुक्त हो गये। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के संदर्भ में जजमेंट दिया। अनुच्छेद 333 में यह प्राविधान है कि 7 वर्ष का वकालत करना एक न्यूनतम योग्यता समझी गयी। तो मान्यवर, अगर वह तरकारी बेच रहे होते या कहीं अध्यापक होते तो हायर जुडीशियल सर्विस में जा सकते थे लेकिन यह जुडिशियल सर्विस में थे इसलिये हायर जुडिशियल सर्विस में नहीं जा सकते। तो यह जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है यह सर माथे पर। हमारे पी0 सी0 एस0 का अधिकारी आई0 ए0 एस0 में बैठ सकता है और प्रमोशन कोटे से भी जा सकता है। जब उनके लिये खुला हुआ है तो इन पर प्रतिबंध जो अनुच्छेद 233 के इन्टरप्रिटेशन के कारण लगा हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार को ऐसी संस्तुति की जायगी कि संविधान में इस आशय का संशोधन किया जाय जिससे कि यह जो जुडीशियल सर्विस में बैठने के लिये अर्हता प्राप्त कर सकें ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने प्रश्न किया, यह सारे तर्क-वितर्क, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनका परीक्षण किया और माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि यह 4 अधिकारी जो बैठे थे यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुरूप ही बैठे थे। राज्य सरकार की दृष्टि में इनको बैठने का अधिकार नहीं था। आपको जानकारी है कि उच्चतर न्यायिक सेवा में 15 प्रतिशत कोटा वकीलों के लिये फिक्स है, 7 साल की प्रेक्टिस जो कर चुके हैं। यह न्यायिक सेवा में आयें इसलिये हमको बैठने का अधिकार हो गया, इस बात के ऊपर रिट याचिका दायर की थी, वह रिट याचिका खारिज हो गयी। यह अपील में गये और अन्तरिम आदेश हो गया कि इनको परीक्षा में बैठने का अधिकार दे दिया जाय, तो बैठने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा आदेश हुआ कि परीक्षाफल घोषित किया जाय और यदि उत्तीर्ण हैं तो नियुक्ति की जाय तो उनकी नियुक्ति कर दी गयी। अब अन्तिम रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम अनुच्छेदों का परीक्षण किया और यह तय किया कि दो श्रेणी हैं एक तो प्रमोशन के आधार पर और दूसरे नियुक्ति के आधार पर। नियुक्ति के आधार पर क्वालीफाइड नहीं हैं। केवल प्रमोशन का आधार है। तो प्रमोशन के माध्यम से किसी पद पर आने के लिये, कंम्पटीशन में बैठने के लिये अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तिम रूप से निर्णय दिया उसके अनुरूप राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ा। उनकी सेवा यहां से समाप्त की गयी और जो उनकी मूल सेवा थी उसमें उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो सवाल उठाया उसका माननीय मंत्री जी ने विस्तार के साथ उत्तर दिया। लेकिन जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर गोल कर गये। मैंने यह कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस पर बहस नहीं है। संविधान की धारा 233 अपनी जगह पर है। लेकिन मान्यवर, 233 की वजह से एक विसंगति पैदा हो गयी है। पी0 सी0 एस0 का व्यक्ति आई0 ए0 एस0 में बैठ सकता है और प्रमोशन से जा सकता है लेकिन यहां बंधन लगा हुआ है।

तो मैंने यह आश्वासन जानना चाहा कि क्या आप केन्द्रीय सरकार को इस

आशय की संस्तुति करेंगे कि वह संविधान के अनुच्छेद 233 में ऐसा संशोधन करें, जिससे कि जूडिशियल सर्विस में जो हैं, वह हायर जूडिशियल सर्विस में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें ?

दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा है, माननीय मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति के बारे में लिखा है। नियुक्ति उनकी रद्द हो गई। जजमेंट में दो महीने तक देरी हुई, 4 महीने तक ये फैसले देते रहे। उन फैसलों में जो फैसले हो गये, उनकी वैधानिकता क्या है ? इसके पीछे एक वैधानिक मामला उठा। जिला सत्र न्यायालय से जो फैसले दिये हों, हो सकता है किसी को फांसी दिए हों या आजीवन कारावास भी दिए हों, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या टिप्पणी है ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 233 में संशोधन की बात है, उसमें मैं संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता हूं। जो जजमेंट दिए गए हैं, इसका तो परीक्षण कई बार हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग जो डिक्टेटी डाक्टरिन का सिद्धांत है, उसमें दिया हुआ है। लेकिन इस बीच में सभी दिये हुए उनके निर्णय वैधानिक हैं। जय कुमार बनाम राज्य 1968, ए0 एल0 जे0, पेज 877 यह माननीय उच्च न्यायालय पीठ का फैसला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओक राजू बनाम आंध्र प्रदेश, ए0 आई0 आर0 1981 पेज 1473 में यह सब बात तय हो चुकी है। तो इसमें कोई वैधानिकता का प्रश्न नहीं रह जाता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के कुछ भागों में लूट, आगजनी व हत्याओं की घटनाएं

*1—श्री सरदार सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री शारदा प्रताप तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को जानकारी है कि 31 अक्तूबर एवं 1 नवम्बर, 1984 को प्रदेश में सिख समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर सम्पत्ति की लूट, आगजनी व हत्याएं की गयी थीं जिसके कारण सिख सम्प्रदाय के लोग प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपनी सम्पत्ति को बेच कर पंजाब की ओर पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने पलायन को रोकने के लिए तथा सद्भावना बढ़ाने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किए हैं ? इस सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव (नेता विरोधी दल) द्वारा उक्त कांड की न्यायिक जांच कराने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री को लिखे गए पत्र दिनांक 24 जून, 1985 पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रद्धेया श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रियास्वरूप दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 व 1 व 2 नवम्बर, 1984 को उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी लूट, आगजनी व हत्याओं की घटनायें हुईं जिनमें मुख्यतः सिख समुदाय के कुछ लोग प्रभावित हुए। यह सही है कि कुछ सिख परिवार इस प्रदेश से पंजाब गये कुछ दिनों बाद कतिपय शरारती तत्वों व निहित स्वार्थों द्वारा यह अफवाह उड़ाई गई कि अभी पंजाब में उग्रवादियों द्वारा और संगीन घटनायें की जायेंगी और उसकी

प्रतिक्रिया पंजाब के बाहर सिक्खों पर होगी। इन अफवाहों के बहकावे में आकर कतिपय सिख व्यक्तियों व परिवारों ने पंजाब की ओर प्रवर्जन किया, परन्तु प्रदेश में सिखों की संख्या की तुलना में यह संख्या नगण्य थी।

प्रदेश के पूरे सिख समुदाय की सुरक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने, उपर्युक्त दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा दंगे में विस्थापित व्यक्तियों को अपने आवास व रोजगार में पुनः स्थापित करने हेतु भरसक प्रयत्न करने के साथ-साथ प्रदेश के आशंकित सिखों को पंजाब पलायन करने से रोकने तथा साम्प्रदायिक सद्-भावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने तुरन्त सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश जारी किए कि वे सिख समुदाय में सुरक्षा की भावना जागृत करने की दिशा में हर सम्भव प्रयास करें। झूठा प्रचार कर भय उत्पन्न करने वाले और अफवाहें फैलाने वाले शरारती और असामाजिक तत्वों, दंगे के लिए उकसाने वालों और सिख परिवारों को दंगे में जान माल की क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध प्रभावी और कठोर कार्यवाही किए जाने के आदेश दिये गए।

जिला प्रशासन से यह भी कहा गया कि वे दंगे से प्रभावित परिवारों से मिल कर उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयास करें तथा नगर में सभी समुदायों के प्रभावशाली सदस्यों की नागरिक समितियां और मुहल्ला समितियां गठित करें जो सिख समुदाय में सुरक्षा की भावना जागृत करने का प्रयास करें तथा जिन्हें अपने-अपने मुहल्लों में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने की जिम्मेवारी दी जाय ताकि सिख अपने को अलग व असुरक्षित न समझें तथा जिन परिवारों के कुछ सदस्य पंजाब चले गये हों उन्हें यहां सुरक्षा का विश्वास दिलाकर वापस बुलाने का प्रयास करें।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम को भी पंजाब प्रवर्जित परिवारों को प्रदेश में सुरक्षा का विश्वास दिलाने एवं उन्हें वापस आने के लिए अनुरोध करने के लिए भेजा गया।

आशा है, 24 जुलाई, 1985 को हुए पंजाब सम्बन्धी समझौते के बाद स्थिति सामान्य हो जायेगी।

भारत सरकार द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में जो आयोग दिल्ली में इसी समय हुए दंगों की जांच कर रहा है उसके द्वारा कानपुर में हुए दंगों की जांच भी की जाय। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अलग न्यायिक जांच नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहूंगा, जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने दिल्ली में और कानपुर में जांच के आदेश दे दिए हैं, मान्यवर, प्रदेश में केवल कानपुर और दिल्ली में ही दंगे नहीं हुए मथुरा में, मेरठ में लखनऊ में भी दंगे हुए हैं। मथुरा में तो तीन गुरुद्वारे फूंक दिए गए। वहां सरदारों को ऊपर की मंजिल से नीचे डाला गया।

श्री अध्यक्ष--

हम सबका कर्तव्य है कि जहां ऐसा समय है, उन बातों पर पानी पड़ गया है, तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह होना चाहिए था कि आप प्रश्न वापस ले लेते, लेकिन जब आपने प्रश्न वापस नहीं लिया है तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसे वातावरण को बनाए रखने में सहयोग दें।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थप-थपाई)

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह

पूछना चाहता हूं, कि प्रदेश के अन्य भागों में भी दंगे हुए, सम्पत्ति लूटी गई, तो क्या वहां से भी हाईकोर्ट की न्यायायिक जांच बिठाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, कानपुर में जो बड़े पैमाने पर दंगे हुए वहां न्यायायिक जांच के आदेश हो गये हैं और जिलों में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, रंगनाथ आयोग, जो दिल्ली में बिठाया गया था, उसका क्षेत्राधिकार कानपुर के दंगों की वजह से कानपुर तक विस्तृत कर दिया है ? तो क्या उसी के आधार पर माननीय मंत्री जी प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जो मारपीट लूटपाट और आगजनी हुई, जिसमें कुछ अधिकारियों का हाथ भी शामिल था, क्या उन सारी बातों को देखते हुए सी0 आई0 डी0 जांच के नहीं न्यायायिक जांच के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य वाराणसी कैन्ट से आग्रह करूंगा कि यह प्रश्न, जो अखिल भारतीय स्तर पर बहुचर्चित होने के बाद, जिसके निष्कर्ष निकालने के प्रयास हुए हैं, मेरा ख्याल है इसको वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए, इसको ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं ।)

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद में सुखपाल पान्डे जी से तथा आप सब से अनुरोध करूंगा आप सब बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

ओझा जी, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं बुजुर्ग नहीं हूं । मेरा प्रश्न अलग था उसको इसमें जोड़ दिया गया है । आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी एक अच्छे वातावरण को चलने दीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुझे प्रश्न करने दें ।

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी कृपा करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं कृपा करने नहीं आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दूंगा ।

(श्री अजीत सिंह सेठी के खड़े होने पर सदन में व्यवधान ।)

प्रदेश के कार्यालयों में हिन्दी भाषा में कार्य करने सम्बन्धी हिन्दी समिति के गठन की मांग

*2--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की भांति एक प्रदेशीय हिन्दी समिति जो कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी में काम-काज किए जाने को बढ़ावा देने का कार्य करे, गठित न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसी समिति गठित करने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

प्रदेशीय हिन्दी समिति गठित न किये जाने का कारण यह है कि प्र दे

में प्रक्रियागत बाध्यता के अन्दर आने वाले कार्यों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय प्रयोजनों के सम्बन्ध में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है जिसका अनुश्रवण भाषा विभाग द्वारा किया जाता है। अतः प्रदेशीय हिन्दी समिति गठित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि राज्य के समस्त राजकीय प्रयोजनों के सम्बन्ध में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। मैं इस कथन को चुनौती देता हूं। मेरा साफ आरोप है कि आज भी 90 प्रतिशत काम अंग्रेजी में किया जा रहा है। कल ही मैंने अंग्रेजी के कागजात अध्यक्ष पीठ पर भेज कर दिखाया था। इसमें बहस की बात नहीं है, हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। मेरे प्रश्न भेजने की मंशा यह थी कि केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, वह समिति देख रही है कि हिन्दी बढ़ रही है या नहीं। अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा भाषा विभाग है। भाषा विभाग की नियमावली मैंने पढ़ी है और मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा। भाषा विभाग का काम अनुश्रवण का नहीं है। भाषा विभाग ट्रान्सलेशन करता है और राजाज्ञायें जारी करता है। क्रियान्वयन का काम भाषा विभाग का नहीं है। जो शासन की मंशा है, उसमें कोई बहस नहीं है, मुख्य मंत्री जी की भी सदइच्छा है। बार-बार आदेश दिये जाते हैं कि हिन्दी में काम हो, हिन्दी में काम न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, कठोर दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस अपने उत्तर पर पुनर्विचार करके, मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करेंगे, जो इस बात की पायलेटिंग करे, कि हिन्दी में काम हो रहा है, तरक्की हो रही या नहीं। तो क्या इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बात उठायी है, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दी को राजभाषा 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घोषित कर दिया गया था और तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को यह आदेश दिये गये कि हिन्दी में काम पूरी तरह से चल सकें तथा इसके उपाय ढूंढें और साथ ही साथ उनको यह भी कहा गया था कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए जो भी हिन्दी के टंकण या आशुलिपि का प्रयोग करें। मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न उठा दिया है। दूसरे, प्रशासनिक कार्यों में मान्यवर, उत्तर प्रदेश का जो राजभाषा अधिनियम, 1951 है की धारा 2 केअन्तर्गत 1968 में 26 जनवरी को समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के लिये निर्देश दिये गये थे। मान्यवर, इसके साथ यह भी लिखा गया था कि हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में....

श्री राजेन्द्र गुप्त--

आप इस अधिनियम की धारा-3 भी पढ़ दें।

प्रवीण कुमार शर्मा--

यह लिखा गया था कि हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जो भी भूल करेंगे उनको अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी कार्यवाही होगी। साथ ही यह भी प्रबन्ध कर दिया गया कि हर छमाही इसका अनुश्रवण होगा और समय-समय पर अधिकारी जाकर इसको देखेंगे। इसके लिए एक भाषा अधिकारी की नियुक्ति भी हो गयी और सब जिलों को निर्देश हो गये कि भाषा अधिकारी वहां पर जा कर देखेंगे कि हिन्दी में कार्य हो रहा है कि नहीं, भूल तो नहीं हो रही है। समय-समय पर जो शिकायतें आयीं,

उनके बारे में तुरन्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिये गये कि हिन्दी में कार्य करावें। मान्यवर, यह तो आप समझते ही हैं कि गलती हो ही जाती है तो उनके सुधार के लिये, इस अधिनियम का पालन करने के लिये समय-समय पर निर्देश भी दिये गये। शासन इसको महसूस करता है कि विधायिका न्याय-पालिका सभी जगह अधिकतर कार्य हिन्दी में होता है, लेकिन कुछ कार्य अंग्रेजी में भी होता है। इसलिये ऐसे कार्यों के लिये कुछ प्रतिबन्धित अवस्थाओं को छोड़ कर समस्त कार्य हिन्दी भाषा में ही हो रहा है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह उपाय करेंगे क्योंकि राजभाषा हिन्दी है और देवनागरी लिपि है, फिर भी यह शिकायतें मिल रही हैं कि हिन्दी का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या यह उपाय करेंगे कि जहां-जहां भी अंग्रेजी का टाइपराइटर हैं, उनको एकत्र करके बन्द कर देंगे ताकि हिन्दी अपने आप हो जाय ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, सम्मानित वरिष्ठ सदस्य, बलिया जनपद ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे देश में भाषा के प्रयोग के वर्तमान संदर्भ में कृपया अपने प्रश्न पर पुनर्विचार कर लें तो यह व्यवहारिक होगा। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां आती हैं, श्रीमन, मैं बहुत हामी हूं राजभाषा का कि हिन्दी का प्रयोग हर स्तर पर हो, सम्मानित सदस्य इससे अवगत हैं। मेरा भी प्रयास रहा है कि इस दिशा में अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करते रहें। कठिनाई यह है कि आज भी बहुत सी जगह अंग्रेजी में काम होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालय के फैसले हैं, हमारे राज्य के उच्च न्यायालय के फैसले हैं। बहुतेरे केन्द्रीय आदेश अंग्रेजी में होते हैं, तो कठिनाई होती है। केन्द्र में अन्य राज्यों के दूसरे भाषा भाषी अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। यदि ये अधिकारी अपनी भाषा लिखने लगें तो कठिनाई होती है, अतः उन्हें भी अंग्रेजी में लिखने में सुविधा होती है। वे पत्रावलियों में भी अंग्रेजी में नोटिंग और पत्र व्यवहार भी करते हैं। हमारे यहां भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उनमें से बहुत से हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों से नहीं आते। इसलिये अंग्रेजी में उद्धरण देना आवश्यक हो जाता है। प्लानिंग कमीशन का काम भी अधिकांश अंग्रेजी में होता है। इसलिए कभी-कभी अंग्रेजी का उद्धरण देना फाइल में जरूरी हो जाता है। श्रीमन्, मैंने दिल्ली में एक बात देखी कि हम हिन्दी में जो पत्र लिखते हैं, हिन्दी के उन्हीं पत्रों का वहां अंग्रेजी में अनुवाद होता है। उसमें कभी-कभी दो महीने एक महीने लग जाता है। सम्बन्धित विभाग से अनुवाद होकर आने में और कभी-कभी गलत अनुवाद हो जाता है। तो यह परिपाटी निकाली गयी कि अगर हम हिन्दी में पत्र भेजते हैं, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में बनाकर भेजें। इसलिए भी अंग्रेजी टाईपराइटर कुछ तो रखने ही हैं मान्यवर, वैसे इस पर काफी विवाद भी हो चुका है। बिल्कुल ही अंग्रेजी का पलायन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में अब आगे विवाद न बढ़ाया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठिनाइयों का जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगा कि अंग्रेजी को हटाने की दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम काम अंग्रेजी में हो ?

श्री नारायन दत्त—

पुराने जो आदेश हैं, उनका अनुपालन हो जाय वही पर्याप्त है। हमारा पूरा

प्रयास होगा कि जो इस सम्बन्ध में वर्तमान आदेश-निर्देश हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित हो ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल के सवाल के बाद अब क्या बात रह गयी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, तरह-तरह के आदेशों, निर्देशों का उल्लेख किया गया । प्रदेश में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ रहा है । यहां अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है । न्यायपालिका में हिन्दी का इस्तेमाल होता ही नहीं । जिला न्यायालयों के निर्णय भी आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे । यहां तक कि शासन के महत्वपूर्ण आदेश भी आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे । जो आदेश हैं भी उनका अनुपालन नहीं हो रहा है । अतः माननीय गुप्त जी ने जो समिति गठित करने का सुझाव रखा है, उसे गठित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

केन्द्रीय सरकार के यह निदेश हैं कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के इस निर्देश के बावजूद यहां अंग्रेजी पत्रों को क्यों स्वीकार किया जाता है ?

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, अगर कोई अंग्रेजी में पत्र आता है, तो पत्र को तो स्वीकार करना ही पड़ता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या शासकीय कामकाज में उर्दू भाषा के प्रयोग की भी छूट दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

उस से यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, संस्कृत भाषा के प्रयोग के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये यह उसी से जुड़ा हुआ है । यह उर्दू के विरोध की टेन्डेन्सी है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, आप इस पर चर्चा करवा दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

एक ओर तो आप उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ जब मैं यह स्पष्ट सवाल कर रहा हूं तो आप उसका जवाब नहीं दिलवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो केवल हिन्दी भाषा के लिए था । आप दूसरी तरफ उसे मोड़ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात विस्तार से बताई । उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं हिन्दी के अलावा और कोई नाम नहीं लूंगा हिन्दी के अनुपालन में आपकी ओर से करीब-करीब डेढ़ सौ से दो सौ राजाज्ञा गई हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जब यहां से कोई पत्र दिल्ली में हिन्दी में जाता है तो उसका वहां पर अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है, राज्य सरकार की ओर से और भाषा विभाग की ओर से समय-समय पर आदेश जारी होते हैं और उनमें स्पष्ट लिखा होता है कि पत्रावली में टीका टिप्पणी व नोट हिन्दी में लिखे जांय, नाम व पता हिन्दी में लिखे जांय और हम लोगों को जो चिट्ठियां भेजी जांय, वे हिन्दी भाषा के अलावा और कोई भाषा न हो । इसको देखने के लिए शासन की ओर से क्या

प्रयास किया जा रहा है ? दूसरा, जिस प्रकार केन्द्र में श्री राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, उसी प्रकार इस प्रदेश में आप मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हिन्दी कमेटी के गठन न करने के क्या कारण हैं। कल ही मान्यवर, मैंने आपको कुछ पत्र, जो राज्य सड़क परिवहन निगम के थे और अंग्रेजी में लिखे गये थे, आपको दिये थे।

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य सीतापुर ने कहा कि केन्द्र में राज्य भाषा हिन्दी लागू करने के लिए एक भाषा समिति बनी हुई है, सही है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समिति से दो एक बार बात करने का। श्रीमन, जिस प्रदेश में हिन्दी प्रारम्भ से हो और यहां पर हम एक समिति ऐसी बना दें, तो इससे यह होगा कि आज तक हमारे यहां हिन्दी चालू ही नहीं थी। दूसरे प्रदेश भी यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने भी एक ऐसी समिति बनाई है। हमें कोई ऐसा अवसर दूसरों को नहीं देना चाहिए कि हमारी वे आलोचना करें भले ही समिति बनाने का मकसद हमारा दूसरा हो।

जहां तक आदेशों के अनुपालन का प्रश्न है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि उनका पालन अवश्य होना चाहिए।

*3—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

[मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]।

प्रदेश की पेयजल योजनाओं का रख-रखाव

*1—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में पेयजल योजनाओं का रख-रखाव स्वयं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा और किन-किन जनपदों में अन्य संस्थान द्वारा किया जाता है, इन दोनों की योजनाओं के रख-रखाव हेतु धन देने का मापदण्ड क्या है और क्या दोनों ही संस्थानों के अधिकारियों के अधिकार एवं साधन एक ही समान हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार योजनाओं के रख-रखाव के लिए नियुक्त अधिकारियों को एक समान अधिकार और साधन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

ग्रामीण जलापूर्ति:—

जनपद सहारनपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, जौनपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, कानपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं बलिया (18 जनपदों) की ग्रामीण पाइप जलापूर्ति का रख-रखाव उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गढ़वाल, कुमायूं तथा झांसी मण्डल में आने वाले जनपदों के ग्रामीण पाइप जलापूर्ति तथा हैण्डपम्पों का रख-रखाव क्रमशः गढ़वाल, कुमायूं तथा झांसी जल संस्थान द्वारा, जनपद मुरादाबाद, उन्नाव, फतेहपुर तथा प्रतापगढ़ के ग्रामीण के ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैण्डपम्पों का रख-रखाव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तथा शेष जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का रख-रखाव उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता है।

नागर जलापूर्ति:—

कवाल नगरों तथा गढ़वाल, कुमायूं और झांसी मण्डल के जनपदों में जलापूर्ति का रख-रखाव सम्बन्धित जल संस्थान द्वारा तथा शेष जनपदों में स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। नागर जल सम्पूर्ति के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जाती है बल्कि नागर जल सम्पूर्ति का

रख-रखाव सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा आपने संसाधनों से किया जाता है। ग्रामीण पाइप जलापूर्ति के रख-रखाव हेतु धन देने का कोई मानक निर्धारित नहीं है अपितु आय-व्ययक में धन की उपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए धनराशि अनमुक्त की जाती है। वर्ष 1984-85 में कूमायूं गढ़वाल तथा झांसी जल संस्थान और उत्तर प्रदेश जल निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति के रख-रखाव हेतु क्रमशः रु0 82, 80, 58 तथा 80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैन्डपम्पों के रख-रखाव हेतु दी जाने वाली धनराशि का मानक रु0 150 प्रति हैन्डपम्प है। जी नहीं।

दोनों प्रकार के संस्थानों का गठन अलग-अलग है तथा उनके अधिकार व कर्तव्य अलग-अलग हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दोनों संस्थानों का गठन अलग-अलग है तथा नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर देने का कष्ट किया, इसके लिए पहले मैं उन को बधाई देता हूं। साथ ही साथ यह पूछना चाहता हूं कि जैसे अन्य जनपदों में जल निगम और जल संस्थान, अलग-अलग संस्थायें हैं, केवल गढ़वाल, कुमायूं और झांसी मन्डल में अलग-अलग दो विभागों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जल निगम द्वारा योजना बना दी जाती है और जैसे ही योजना बना ली जाती है जल संस्थान को दे दी जाती है और कोई भी योजना पूरी नहीं होती, 97 प्रतिशत योजनायें बिना पानी के चल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य जनपदों की तरह से गढ़वाल, कुमायूं में भी एक ही विभाग को देने का कष्ट करेंगे ताकि उनका उत्तरदायित्व एक ही विभाग पर हो सके ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

अध्यक्ष जी, ऐसा है कि पहले जल निगम द्वारा ये संस्थायें लगायी जाती हैं और 6 महीने तक जल निगम इस को स्वयं देखता है जल संस्थान के अधिकारियों के साथ, उसके बाद जब जल संस्थान के अधिकारियों की समझ में आ जाता है तो संस्थान को स्थानान्तरित कर दी जाती हैं। आगे जल निगम को देने की बात है, खुद देखते हैं सारी संस्थायें।

श्री कौशिक रमा शंकर--

जो नलकूप लगाये हैं, जो कई-कई हजार में लगे हैं, मुरादाबाद जनपद में 80 फीसदी नल खराब हैं और जिनकी लागत बहुत ज्यादा आती है और रख-रखाव के लिए, ठीक करने के लिए, व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उसको, मेरी निश्चित जानकारी को सही मानकर, क्या माननीय मंत्री जी मुरादाबाद जनपद में जहां नल लगे हैं, देहातों में, आठ-आठ, दस-दस, बारह-बारह हजार का खर्चा आता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां 80 फीसदी नल खराब हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि उन नलों का प्रयोग हो सके ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

अवश्य किया जायगा, जहां-जहां खराब हैं, देखा जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, पर्वतीय अंचल की यह सबसे अधिक समस्या है, जल संस्थान के पास साधनों की

पूर्णरूपेण कमी है, न उनके पास गाड़ी है और न रुपया है और जो जल निगम के द्वारा योजनायें बना दी जाती हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6 माह पर परीक्षण करते हैं। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि ऐसी सारी की सारी योजनायें जो जल संस्थान को दे दी गई हैं गढ़वाल और कुमायूं मण्डल में, जल संस्थान उनका रख-रखाव नहीं कर पा रहा है, सारी की सारी योजनायें ठप्प पड़ गयी हैं। मेरी विनम्र आग्रह है कि क्या मा0 मुख्य मंत्री जी कृपापूर्वक निर्णय करने या आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि सारा कार्य किसी एक ही विभाग को सौंप दिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य कर्ण-प्रयाग बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है पहले जल निगम ही सारा कार्य देखता था। जब 1973-74 में विश्व बैंक की योजनायें आयीं, तो बुन्देलखण्ड, पर्वतीय क्षेत्र और जो महानगरपालिकायें हैं, यहां पर विशेष रूप से ऋण दिया कि पेयजल प्रणालियां सुधर सकें। उसमें सुझाव दिया गया कि जैसे दूसरे देशों में होता है कि निर्माण वाली एजेन्सी अलग हो और रखरखाव वाली अलग हो, वैसा ही यहां भी लिया जाय। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। उसके तहत जल संस्थान बनाया गया पर्वतीय क्षेत्रों में, बुन्देलखण्ड में और महानगरपालिकाओं में। जब अनुभव हुआ कि कठिनाइयां बढ़ रही हैं, शासन ने यह प्रयास किया कि उनको एक कर दिया जाय। कठिनाई आ गई कैडर की श्रेणी की, अलग-अलग सेवाओं में अलग-अलग सीनियारिटी है, तो उनको मर्ज करने में एकीकृत करने में इतनी कठिनाइयां आयीं कि सम्भव नहीं हो सका। फिर यह प्रयास किया गया कि जल निगम और जल संस्थान के अध्यक्ष एक हो जायं। अब दोनों के एक अध्यक्ष हैं। भविष्य में भी प्रयास होगा कि जो कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने बतायी हैं, उसके परिपेक्ष्य में इन दोनों विभागों के क्रियाकलापों में तारतम्य लाया जाय। जहां तक धनराशि का प्रश्न है, माननीय सदस्य भी अपनी सूची भेज दें कि कौन सी योजनायें हैं, मैं देखूंगा कि रख-रखाव में धनराशि पर्याप्त होनी चाहिए।

*2--श्री सरदार सिंह--

[7व शुक्रवार, में तारांकित प्र0 सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा के ग्राम मोहम्मदपुर, बिहारीपुर नगला शेख नगला, उसमानपुर आदि में पेय-जल की समस्या

*3--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम मोहम्मदपुर बिहारी पुर, नगलाशेख, नगला, गड्डा नगला दया और अरनाथू मौजा उसमानपुर में पीने के पानी के कुओं के सूख जाने से पीने के पानी की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है ? यदि हां, तो शासन को जिला अधिकारी आगरा द्वारा भेजी गई पेयजल योजना को अब तक न स्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इन ग्रामों में स्थित पीने के पानी के कुओं का जल स्तर गिर गया था। ये कुएं पूर्णतः सूखे नहीं थे। क्षेत्रीय जनता से सहयोग प्राप्त करके इन कुओं की सफाई कराई गई तथा कुओं को गहरा कराकर पेयजलापूर्ति को निरन्तर रखा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि गत वर्ष 1984 में मई और जून में इन गांवों में पानी नहीं गया था तब नगरपालिका के टैंकर से पानी भेजा गया। जिलाधिकारी, आगरा ने 84 में रिपोर्ट भेजी कि इन गांवों में टंकी बनाकर पानी उपलब्ध कराया जाय नहीं तो भीषण संकट उत्पन्न हो जायगा ?

श्रीमती पदमा सेठ--

गांव में जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं, उसमें से दो पम्प उसमानपुर गांव में हैं, जिनको खराब बताया गया है, उनको ठीक करवा दिया जायगा तुरन्त।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मैंने आपसे प्रश्न किया है कि क्या जिलाधिकारी आगरा ने 1984-85 में अपनी रिपोर्ट भेजी है कि इन गांवों में टंकी लगवाकर पानी की व्यवस्था की जाय ?

नम्बर-2 यह कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या टैंकर भेजे गए थे ? आगरा के कलेक्टर ने पानी के टैंकर वहां भिजवाये थे तब जाकर वहां पानी की व्यवस्था हुई थी। फिर आपको उन गांवों में पानी की योजना लागू करने में क्या कठिनाई है ? माननीय मुख्य मंत्री जी यह इतना सेन्सटिव प्रश्न है कि सात गांवों में एक बूंद पानी नहीं है। उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से कुओं की सफाई कराई गई, यह सब झूठ है। तीन सालों से उन गांवों में पानी नहीं है और इस सम्बन्ध में शासन को बराबर लिखा जा रहा है, तो क्या उन गांवों में पानी की योजना लागू करने में आपको कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मैं इसको दिखवाकर, इसकी जांच करवा कर इसे लागू कराने का प्रयत्न करूंगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या जिलाधीश आगरा ने कोई ऐसी रिपोर्ट भेजी है कि उक्त सात गांवों में पानी नहीं है, वहां टंकी लगवायी जाय। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि वहां ऐसी स्थिति है तो हम आश्वासन देते हैं कि उसे किया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

क्या आगरा के जिलाधिकारी का कोई पत्र आपको उपलब्ध हुआ है ? यदि हां, तो किस तारीख का वह पत्र है और किन-किन गांवों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर ही इनके पास नहीं है और न पूरी सूचना है तो मान्यवर, इसको आप स्थगित कर दीजिए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

जिलाधीश आगरा ने शासन को रिपोर्ट भेजी है 30 मार्च को जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेनल भेज कर जांच करवायी है और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। यह इतना गम्भीर मामला है और मंत्री जी कह रही हैं कि इनके पास इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जैसा कि अभी हमारी सम्मानित सहयोगी ने आश्वासन दिया है, जो भी रिपोर्ट आयी होगी उसको देखकर वहां के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

[इस समय 11 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए]

श्री अधिष्ठाता--

अब आश्वासन के बाद हम आगे चलते हैं ।

हरदोई के ग्राम भम्भा पुरवा की श्रीमती विमला की दहेज के सम्बन्ध में हत्या

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बेहटा गोकुल थानान्तर्गत ग्राम भम्भा पुरवा में अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में श्रीमती विमला को उसके पति ऋषिकान्त पाण्डे, जेठ कौशल किशोर, ससुर राम प्रसाद एवं सास द्वारा दहेज की कमी को लेकर जला कर मारने की घटना सामने आई है ? यदि हां, तो मुल्जिमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जफर अली नकवी--

जी हां ।

मृतका के पति, जेठ, श्वसुर एवं सास के विरुद्ध धारा 302/201/498ए भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना बेहटा गोकुल पर अपराध पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, श्रीमती विमला देवी, जिनकी हत्या दहेज की कमी को लेकर हुई है यह हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल थानान्तर्गत ग्राम भम्भा पुरवा की निवासी थीं । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विमला देवी को जला कर मार देने की घटना कब घटी और थाना बेहटा गोकुल में अपराध कब पंजीकृत किया गया ?

श्री जफर अली नकवी--

यह 3-4-85 के 8 बजे की घटना है । इसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र 6-4-85 को दिया गया । सी० ओ० की जांच के बाद सी० ओ०, सांडी ने एफ० आई० आर० नोट की ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, 3-4-85 को घटना घटी और 6-4-85 को सी० ओ० की जांच के बाद अपराध पंजीकृत किया गया ।

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि घटना घटने के बाद थाने पर जब रिपोर्ट लिखाने के लिए जाया गया, उस समय थाने में रिपोर्ट लिखने से मना किया गया और उसके बाद यह पुलिस अधीक्षक के नाम दरख्वास्त दी गई जिस पर इस तरह का आदेश हुआ ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखाई गई जबकि एस० पी० को प्रार्थना-पत्र दिया गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह जो बेहटागोकुल थानान्तर्गत ग्राम भम्भा पुरवा में अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में श्रीमती विमला को उसके पति ऋषिकान्त पांडे, जेठ कौशल किशोर, ससुर राम प्रसाद एवं सास ने दहेज की कमी की वजह से उसको जला दिया उसकी हत्या की । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि श्रीमती विमला के विवाह के कितने वर्ष हुए ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, 2 वर्ष हुए ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, 302 का अपराध दर्ज करने के बाद क्या अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया गया ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

यह कैसे सम्भव है कि सबको एक साथ सुन सकूं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी के उत्तर से दो बड़ी गम्भीर और नीति सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो गई हैं। माननीय मंत्री जी का यह उत्तर कि सी0 ओ0 की जांच के बाद एफ0 आई0 आर0 लिखी गई यह कौन सा नियम है सी0 आर0 पी0 सी0 का या आई0 पी0 सी0 का ? यह कहते हैं कि कोई आदमी जो थाने जायेगा थाने में उसकी एफ0 आई0 आर0 लिखी जायेगी लेकिन लिखेंगे सी0 ओ0 की जांच के बाद। दूसरा माननीय मंत्री जी का यह कहना कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको पकड़ा नहीं जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दो बातें उन्होंने उत्तर में दी हैं यह दो बातें किस नियम के तहत हैं कि 302 में नामजद मुलजिम होने के बाद जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जायेगा तब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और एफ0 आई0 आर0 भी लिखी जायेगी सी0 ओ0 की जांच के बाद।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, मैंने सम्मानित सदस्य से यह बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक....।

(व्यवधान)

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। उसके बाद भी प्रार्थना-पत्र एस0 पी0 को दिया गया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह हो रहा है। मान्यवर, इस मामले को प्रश्न संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

*5--श्री पूरन सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*6--श्री मो0 आजम खां--

[दि0 22-3-83 को अता0 प्र0 संख्या 97 द्वारा उत्तरित]

पंच महानगरियों विशेषकर लखनऊ में आवास-विकास परिषद् द्वारा कालोनियों का निर्माण एवं मूल्यों का वसूली

*7--श्री काशी सिंह ऐरी-- (अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि पंच महानगरियों विशेषकर लखनऊ में आवास-विकास परिषद् द्वारा बनाई जा रही आवास कालोनियों के मूल्य का भुगतान कुछ वर्ष पूर्व की तरह न्यूनतम मासिक रूप में न लेकर हजारों रुपयों की किस्तें इकट्ठी मांगी जा रही है, इस प्रकार अल्प, मध्यम व उच्च वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार जनता

व कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए भवनों की मासिक किस्तें पूर्ववत् रखने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी नहीं । ऐसा किया जाना संभव न होगा क्योंकि परिषद् द्वारा भूमि अर्जन विकास कार्यों तथा निर्माण आदि में बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करनी पड़ती है जो अंशतः ही हुडको आदि से ऋण के रूप में प्राप्त होती है । परिषद् के स्वयं के वित्तीय साधन ऐसे नहीं हैं कि इन अतिरिक्त सभी मदों में हुई वृद्धि को परिषद् स्वयं वहन कर सके । अतः पंच महानगरियों में ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों के सम्पूर्ण मूल्य का एक अंश व प्रथम किस्त दोनों परिषद् विनियमों के अनुरूप लिया जाता है । परिषद् की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

फैजाबाद के ग्राम कौटिया के श्री विश्राम के यहां डकैती तथा श्री रामदीन, ग्राम गोड़वा के यहां कथित डकैती

*8—श्री मित्रसेन यादव (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23/24 अक्तूबर, 1984 विश्राम, निवासी पूरे करिया, ग्राम कौटिया व 16/17 नवम्बर, 1984 रामदीन, निवासी ग्राम गोड़वा, थाना खंडासा, जिला फैजाबाद के घर पर पड़ी डकैती की थाने पर पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट अंकित नहीं किया ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

दिनांक 23/24 अक्तूबर, 1984 को विश्राम, निवासी पुरे करिया, ग्राम कौटिया के यहां वादी की तहरीरी सूचना पर दिनांक 24 अक्तूबर, 1984 को थाना खंडासा में अ० सं० 150/84 धारा 380 भा० दं० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्तों का कोई सुराग नहीं मिल सका । अतः अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई ।

ग्राम गोड़वा, थाना खंडासा (अब थाना कुमारगंज) में कोई व्यक्ति रामदीन नाम का नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर के ग्राम विजाऊ, वादीपुर, हाकिमपुर व गंगा बास खादर के बच्चों एवं महिलाओं की गिरफ्तारी

*9—श्री किरनपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 22-6-1983 व 24-6-1983 को थाना नरोरा, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस ने ग्राम विजाऊ, वादीपुर, हाकिमपुर व गंगा बास खादर के बूढ़े, बच्चे व औरतों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ? यदि हां, तो किस अपराध में ? क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये गये लोगों में तीन वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के अनेक बच्चे तथा 60 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के अनेक बुजुर्ग महिला व पुरुष गिरफ्तार किए गये थे ? यदि हां, तो उन गिरफ्तार हुए लोगों के नाम व उम्र क्या-क्या हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जफर अली नकवी—

जी हां ।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत निवासियों को दन्ड प्रक्रिया संहिता की की धारा 144 के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तार शुदा लोगों में 3 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के लोग सम्मिलित थे, जिनके नाम व आयु

को सूची संलग्न है । इस कार्यवाही के लिये कोई भी दोषी नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 185 पर ।)

श्री किरन पाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 3 वर्ष से 14 वर्ष के अनेकों बच्चे गिरफ्तार किये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कानून है जिसका उल्लंघन उन लोगों ने किया, ऐसा तो इतिहास में भी देखने को नहीं मिला कि इस तरह के बच्चों को जेल में डाला गया हो । इन्होंने स्वयं कहा कि कोई दोषी नहीं है, तो क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है ? इस आयु के बच्चों को जेल में बन्द करना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जफर अली नकवी--

अधिष्ठाता महोदय, इस घटना में 144 का उल्लंघन किया गया है और 188 की कार्यवाही की गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा--

3 साल का बच्चा क्या कानून का उल्लंघन करेगा । 144 का उल्लंघन कैसे कहते हैं कि उन्होंने किया ?

श्री अधिष्ठाता--

पूरा उत्तर तो सुन लीजिये ।

श्री जफर अली नकवी--

तो मैं यह कह रहा था कि 144 का उल्लंघन किया गया और 188 की कार्यवाही की गयी और जो बच्चे थे वह अपनी मां की गोद में थे ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, सरकार ने उन लोगों की जमीन ले ली और उनको मुआवजा नहीं दिया । एस0 डी0 एम0 पहुंचे, उन्होंने लोगों को मारा और उनको जेल में बन्द कर दिया । जो बच्चे गोद में थे, उनको भी जेल में बन्द कर दिया । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे अपनी मां की की गोद में थे, उनको कैदी के रूप में रखा गया अथवा अपनी मां के संरक्षण में रखा गया ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, फिर से कह दें ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे अपनी मां की गोद में थे क्या उनको कैदी के रूप में दर्ज किया गया या वह अपनी मां के संरक्षण में थे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आने दीजिये ।

श्री जफर अली नकवी--

जिन लोगों को 144 के उल्लंघन में पकड़ा गया उन सभी को जेल भेजा गया । उनमें से इन बच्चों को न्यायालय ने दोषमुक्त किया ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह कौन सा उत्तर है ?

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय पीठासीन अधिकारी की आज्ञा से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न का जवाब शासन की तरफ से आया है, उसमें उन्होंने एक पेपर अटैच किया है जिसमें उन अभियुक्तों के नाम दिये हैं जो गिरफ्तार किये गये हैं । श्रीमन्, यह जवाब के दूसरे पृष्ठ पर है । श्रीमन्, आपके जवाब में 22 नम्बर पर कुमारी ममता पुत्री बहोरी, उम्र 3 वर्ष, अभियुक्त नम्बर 27 खुशाल सिंह पुत्र अनोखे, उम्र 6 वर्ष, अभियुक्त नम्बर 45 कुमारी रूपवती

उर्फ मुन्नी, पुत्री शीशराम, उम्र 3 वर्ष, अभियुक्त नम्बर 63—गुड्डू पुत्र सुखराम, उम्र 3 वर्ष। यह अभियुक्तों की सूची में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 4/5 अभियुक्त हैं जिनकी उम्र 3 वर्ष और 4 वर्ष है, इन्होंने शांति भंग करने का कौन सा काम किया था जिससे इनको गिरफ्तार किया गया ?

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अधिष्ठाता—

आप उत्तर सुन लें। समय बरबाद न करें। शांत रहें।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चों की मातायें उन्हें अपने साथ ले गईं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, स्पष्ट उत्तर दें।

श्री विजय सिंह राणा—

अभियुक्तों की सूची में उनका नाम दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका माननीय सदस्य स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और जो सूची उन्होंने दी उससे साबित हो गया कि मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया। दूसरी बात होने यह कही कि मातायें गोदों में बच्चों को ले गई थीं। यह भी साबित हो गया कि वह गई। मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सारा मामला सदन में साबित हो गया, तो क्या जो एस0 डी0 एम0 हैं जिन्होंने इनको गिरफ्तार करके भेजा और गिरफ्तार करने के बाद उनको मारा पीटा, उनको गिरफ्तार करेंगे ? मान्यवर, सवाल यह था कि 3 से 14 साल तक के निर्दोष बच्चे पकड़ लिए गए। आप यह बात मानेंगे कि 3/4 साल के लड़के किसी निषेध आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह भी स्पष्ट हो गया कि मुल्जिम फलां-फलां उम्र के हैं और मंत्री जी ने इस बात को माना कि ये लड़के मां की गोद में गये। जब सारी चीज साबित हो गयी तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, जो नेता विरोधी दल और सम्मानित सदस्य बुलन्दशहर जनपद ने प्रश्न उठाया है वह भावनात्मक है और जजबात से उसका ताल्लुक है। यह बात रखी गयी कि 3 वर्ष के बच्चे जेल चले गये। प्रश्न यह है कि वहां पर नरौरा में प्रख्यात अणु विद्युत् गृह बन रहा है। उसकी चार दिवारी बनने के लिए वहां पर भूमि ली गयी। उस भूमि के लिए जाने पर गांव के लोगों को कुछ पीड़ा हुई होगी, वे कुछ मांग रखे होंगे। तो जब उस पर कार्य प्रारम्भ हुआ तो गांव वालों ने कहा कि हम काम नहीं होने देंगे। उस पर काम होना जरूरी था। वहां के अधिकारियों ने जिला प्रशासन से कहा कि काम रुक रहा है। जब उसकी दीवाल बननी शुरू होने लगी तो उस समय मातायें अपने बच्चों को लेकर और छोटे-बड़े सब आ गये। उस समय प्रशासन में हम सब रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

यह असत्य है ।

श्री त्रिलोक चन्द--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिलोक चन्द जी, आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

यह असत्य है । प्रश्न का जवाब दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं खड़ा इसलिए हुआ था कि माननीय तिवारी जी से हमें कभी उम्मीद नहीं है कि जब वह खड़े होंगे तो सदन में अधिकारियों की रिपोर्ट पढ़ेंगे । हमारे साथियों ने जो प्रश्न किए उनका जवाब नहीं आ रहा है ...

श्री राम औतार दीक्षित--

पूरी बात तो आने दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं पूछ रहा हूं कि यह बात साबित हो गयी कि गलत काम हुआ तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । दफा 144 के भंग करने के आरोप में 3 साल के बच्चों को बन्द कर दिया । मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

किस बारे में ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो तीन साल के बच्चों को अभियुक्त बना कर जेल भेज दिया ।

श्री नारायन दत्त--

मैं अपेक्षा करूंगा आप स्वयं इस मामले को देख लें । इसमें क्या हुआ । तथ्यों को समझने के बाद बात समझ में आ जायेगी । कोई तीन वर्ष के बच्चे को अलग से गिरफ्तार नहीं किया गया है । तीन वर्ष के बच्चों का अभियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं है ।

(व्यवधान)

आप लिख कर भेजें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री विजय सिंह राणा--

प्रश्नों के ऐसे जवाब हम नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

हमें प्रश्न का जवाब दिला दें ।

(व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री गोपाल दास यादव, श्री बालेश्वर, श्री कनक सिंह के सदन के फ्लोर में आकर कर बोलने पर) ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

हमारे प्रश्न का जवाब दिला दें ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ द्वारा सभी सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर वापस ले जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रश्न को सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ।

सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

*10--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के ऐसे कितने पद हैं जो एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष से रिक्त हैं ? ऐसे रिक्त पदों को इतनी लम्बी अवधि तक न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

सचिवालय संवर्ग के निम्नलिखित राजपत्रित पद उनके समक्ष उल्लिखित अवधि से रिक्त हैं :--

1--शोध अधिकारी--प्रलेखीकरण केन्द्र 14-1-1981 ।

2--प्रकाशन अधिकारी--3-9-1983 ।

3--भाषा अधिकारी (हिन्दी)--1-10-1983 ।

4--भाषा अधिकारी (उर्दू)--31-3-1983 ।

पुस्तकालय कर्मियों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में एक क्लेम याचिका लोक सेवा अधिकरण में लम्बित होने के कारण शोध अधिकारी के पद को नहीं भरा जा सका है । कार्मिक तथा वित्त विभाग के परामर्शानुसार प्रकाशन अधिकारी तथा भाषा अधिकारी के पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के ज्येष्ठान्वेषक के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*11--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कोई शिकायती-पत्र अक्तूबर, 1984 में उन्हें मिला है जिसकी स्वीकारोक्ति मंत्री जी द्वारा अपने पत्र संख्या 116/बी0 आई0 पी0/प0 0 एम0/84, दिनांक 30 अक्तूबर, 1984 द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

नियोजन मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

जी हां । माननीय सदस्य का पत्र अक्तूबर, 1984 में प्राप्त हुआ था । उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्न हैं :--

(1) ज्येष्ठान्वेषक के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरना ।

(2) स्थायी सहायक संख्याधिकारियों को ज्येष्ठान्वेषक पद पर तदर्थ अथवा नियमित रूप से पदोन्नति करना तथा जो सहायक संख्याधिकारी पद पर स्थायी नहीं हैं व ज्येष्ठान्वेषक पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, उन्हें प्रत्यावर्तित करना ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को न भेजना । उपरोक्त बिन्दुओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही निम्नानुसार है :--

(1) अर्थ एवं संख्या प्रभाग में ज्येष्ठान्वेषक के जो पद रिक्त थे वे सितम्बर, 1984 में स्थायी सहायक संख्याधिकारियों में से तदर्थ पदोन्नति द्वारा भर दिए गए थे । ज्येष्ठान्वेषक के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु काफी संख्या में पात्र व्यक्ति (स्थायी सहायक संख्याधिकारी), ज्येष्ठान्वेषक से उच्च पद पर केवल तदर्थ रूप से ही पदोन्नत हैं एवं उनका गहन सहायक संख्याधिकारी के पद पर बना हुआ है । स्थायी या अस्थायी रिक्तियों में पहले यही नियमित प्रोन्नति एवं स्थायीकरण के पात्र होंगे ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

दिनांक 4-9-1982 के आदेश द्वारा सहायक संख्याधिकारी पद पर स्थायी व्यक्ति कनिष्ठ होने के कारण उन्हें ज्येष्ठान्वेषक पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु अवसर अपेक्षाकृत बाद में प्राप्त होगा।

ज्येष्ठान्वेषक पद पर नियमित प्रोन्नति की कार्यवाही सेवा नियमों के अनुसार पदनाम परिवर्तन सम्बन्धी आदेशों, जो कि शासन के विचाराधीन हैं, के उपरान्त की जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित 1982 की सेवा नियमावली में ज्येष्ठान्वेषक का नया पदनाम अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी रखा गया है, परन्तु नियमावली में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि ज्येष्ठान्वेषक का नया पदनाम अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी हो गया है। इसीलिए ज्येष्ठान्वेषक के पदनाम को अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी पुनर्नामोदिष्ट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) रिट पीटीशन संख्या, 119/80 से सम्बन्धित श्री नन्द लाल सिंह तथा अन्य, जिसमें "अन्य" में याचीगण व उसी श्रेणी के अन्य जो रिट याची नहीं हैं, भी सम्मिलित हैं जो सहायक संख्याधिकारी पद पर स्थायी न होने के कारण ज्येष्ठान्वेषक पद पर तदर्थ प्रोन्नति हेतु नियमानुसार पात्र नहीं हैं, को प्रत्यावर्तित किए जाने तथा स्थायी सहायक संख्याधिकारियों को ज्येष्ठान्वेषक पद पर तदर्थ प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ की अनुमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 16-5-1984 को राज्य सरकार की ओर से एक प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 13-2-1985 को उक्त याचिका में जो अन्तरिम आदेश पारित किए उसमें याचीगण तथा अन्य में किसी को प्रत्यावर्तित किए जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये बल्कि प्रभाग में पदों की रिक्तियों को देखते हुए उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में कुछ निर्देश अवश्य दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग की भी यही राय थी कि अस्थायी सहायक संख्याधिकारी जो तदर्थ रूप से ज्येष्ठ अन्वेषक पद पर पदोन्नत हैं, को सहायक संख्याधिकारी पद पर न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। यह विचाराधीन है कि माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया जाए कि प्रत्यावर्तन के बिन्दु पर भी आदेश करने की कृपा करें।

जहां तक दिनांक 13 फरवरी, 1985 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रोन्नति करने का प्रश्न है, नियमानुसार विचाराधीन है।

(3) अर्थ एवं संख्या प्रभाग के विभिन्न श्रेणी के 227 अधिकारी/कर्मचारी अप्रैल, 1985 में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इसके उपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के अन्तर्गत प्रोजेक्ट इकोनामिस्ट के पदों पर प्रभाग के 12 अधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 1985 को आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को नाम भेजे गये हैं। प्रभाग के कार्यरत, विभिन्न विभागों की आवश्यकता तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता रहा है एवं वापस भी लिया जाता रहा है। भविष्य में भी इसी नीति का अनुसरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सेतु निगम में सब-इंजीनियरों का साक्षात्कार

*12—श्री बाबू राम यादव, चौधरी महाराज सिंह, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा पाइनियर (रविवार) दिनांक 19 जून, 1983 में विज्ञापित सब-इंजीनियर

(सिविल) एवं मेकेनिकल के क्रमशः 40 एवं 15 पद वेतन मान रु0 400-750 के साक्षात्कार, अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना के अभी तक क्यों लम्बित हैं ? सरकार उपरोक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

साक्षात्कार सम्पन्न हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर लगायी गयी रोक

*13--श्री विष्णु देव--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से मितव्ययता के आधार पर गन्ना पर्यवेक्षकों के 203 पदों पर नियुक्तियां रोकी गयी हैं ? क्या विभाग में किसी अन्य पद की रिक्ति पर भी रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त रोक लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

यह प्रतिबन्ध आयोजनागत पक्ष के रिक्त तकनीकी पदों तथा उन पदों पर जिनमें विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है, लागू नहीं है। उक्त नीति प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के परिपेक्ष्य में बनायी गयी है।

गोरखपुर के श्री राम करन की फर्जी मुठभेड़ में कथित हत्या

*14--श्री हर्षवर्धन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की सिंचाई विभाग कालोनी में 5, 6 मार्च, 1985 की रात में सिंचाई विभाग के कर्मचारी रामशरण के पुत्र राम करन को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर थाना कैन्ट, जनपद गोरखपुर की पुलिस ने हत्या कर दी ? क्या मृतक राम करन के विरुद्ध कोई अपराधिक मामले घटना के पूर्व से दर्ज थे ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

जी नहीं।

रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा वनों के क्षेत्रफल का आकलन

*15--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले सोमवार के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये गये अता0 प्र0 सं0 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रफल के अतिरिक्त उस क्षेत्र के मूल्यांकन में अर्थात् वन आच्छादन की सघनता वन सम्पदा की मात्रा के बारे में क्या-क्या तथ्य सामने आये हैं ? क्या इस मूल्यांकन से वनों की सघनता एवं सम्पदा वन विभाग के अपने आंकलन से प्राप्त आंकड़ों से मेल खाते हैं ? यदि नहीं, तो वास्तविक अन्तर कितना है ?

श्री नारायन दत्त--

रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा तीन क्षेत्रों में वनों के क्षेत्रफल का आकलन उपग्रहीय आंकड़ों के अध्ययन से किया गया था। तकनीक की वर्तमान क्षमता के आधार पर उपग्रहीय आंकड़ों से वन सम्पदा की मात्रा प्राप्त करना सम्भव नहीं है। उपग्रहीय आंकड़ों के निर्वचन से सघनता का केवल गुणात्मक अनुमान मिल पाना ही सम्भव है। वन सघनता के अध्ययन का प्रयास केवल दुधवा प्राणी उद्यान के क्षेत्र में नवम्बर, 1981 के उपग्रहीय आंकड़ों के आधार पर केन्द्र द्वारा किया गया है। इस गुणात्मक अध्ययन द्वारा अधिक सघनता वाले वन क्षेत्रों की न्यूनता सघनता वाले वन क्षेत्रों से अन्तर कर पाना सम्भव हुआ है। केवल सघनता का गुणात्मक अध्ययन होने के कारण इन आंकड़ों का वन विभाग के आंकड़ों से मिलान करना सम्भव नहीं है।

चीनी मिल तिलहर के कर्मचारियों का नियमितीकरण

16--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल तिलहर में माह अप्रैल सन् 1985 में कर्मचारियों को प्रधान प्रबन्धक द्वारा बगैर किसी चयन समिति, अर्हता एवं वरिष्ठता का ध्यान रखे हुए असंवैधानिक रूप से नियुक्ति पत्र क्यों बांटे हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियुक्ति पत्रों को रद्द कराके वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त अर्हता एवं वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति-पत्र दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

अप्रैल, 1985 में तिलहर चीनी मिल के जिन कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र दिये थे, वस्तुतः तदर्थ रूप कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के आदेश थे ।

इन कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण की नीति ज्येष्ठता, अर्हता तथा आरक्षण के मापदण्डों को ध्यान में रखकर निधारित की गयी थी । केवल सहकारी गन्ना समिति, शाहजहांपुर के 48 कर्मचारियों को बिना कोई मापदण्ड अपनाये नियमित रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि उक्त गन्ना समिति का तिलहर चीनी मिल समिति में विलीनीकरण हो गया था । अतः जारी किये गये आदेशों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा की श्रीमती अंजू, बस्ती की श्रीमती मंजू व मैनपुरी की श्रीमती लक्ष्मी का दहेज के सम्बन्ध में हत्या

*17--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1497 दिनांक 8-8-84 को प्रदेश में दहेज सम्बन्धी मौतों के बारे में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पत्र में लिखे तीनों मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा प्रदेश में वर्ष 84-85 में कितनी बहुएं दहेज के कारण मारी गयी ? भविष्य में दहेज सम्बन्धी मौतों को रोकने के बारे में शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 6-8-84 प्राप्त हुआ था । इसमें अंकित तीनों मामलों में प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसका विवरण संलग्न है ।

प्रदेश में दहेज के कारण महिलाओं की मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये अपराधों की संख्या वर्ष 1984 में 232 तथा चालू वर्ष में (31-5-85 तक) 114 है ।

दहेज सम्बन्धी विवाद के कारण महिलाओं की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु/आत्महत्या के मामलों में विवेचना के सम्बन्ध में शासन द्वारा जिला प्रशासन को कतिपय आदेश दिये जा चुके हैं । इस कुप्रथा के निवारण हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राजस्तरीय परामर्श-दात्री समिति का गठन किया गया है, जिसमें हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री/राज्यमंत्री क्रमशः कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य नामित किये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 187 पर ।)

एत्मादपुर--खन्दौली मार्ग के बहरामपुर में करबन नदी पुल निर्माण

*18--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि

मेरे क्षेत्र में एत्मादपुर–खन्दौली मार्ग पर बहरामपुर गांव पर करबन नदी पर पुल का निर्माण होना वर्ष 1979–80 में स्वीकृत हुआ था किन्तु आज तक पुल का निर्माण न होने के कारण जनता को भारी आर्थिक तथा आवागमन सम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? मंत्री जी इस पुल का निर्माण कब तक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त––

जी नहीं। प्रश्नगत पुल की स्वीकृति वर्ष 1984–85 में प्रदान की गयी है।

जी हां।

प्रश्नगत पुल का निर्माण अक्तूबर, 1985 में आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

*19––श्री त्रियुगी नारायण मिश्र––

[6वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 15 पर स्थानान्तरित।]

*20––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, तिलहर द्वारा मकान निर्माण हेतु ली गयी धनराशि

1––डा0 विनोद तिवारी तथा श्री राम औतार मिश्र––

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने आवास के नाम से पालिका से दस हजार रुपये का ऋण वर्ष 1984–85 में निकाल लिया है ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह अधिकारी स्वयं तथा उनकी पत्नी कई एकड़ भूमि व कई मकानों के लखनऊ, मुरादाबाद खास एवं उसकी तहसील ठाकुरद्वारा में मालिक है तथा रिवाल्वर, बन्दूक, स्कूटर, कार, टेलीवीजन आदि विलासिता की वस्तुएं इनके पास उपलब्ध भी हैं ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)––

अधिशासी अधिकारी को नियमानुसार आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के पश्चात्, गृह निर्माण हेतु दस हजार रुपये का ऋण 7–7–84 को प्राप्त हुआ है।

सम्पूर्ण प्रकरण में जांच करायी जा रही है।

नगरपालिका, तिलहर के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

2––श्री राम औतार मिश्र––

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) का दिनांक 27 मार्च, 1985 को अपर आयुक्त, प्रशासन (बरेली) ने निरीक्षण के समय घोर अनियमितताओं की निरीक्षण टिप्पणी अ0 शा0 पत्रांक 114/XXIII-25–(84–85), दिनांक 11 अप्रैल, 1985 के माध्यम से अ0 अधि0 को दंडित करने की सिफारिश जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ––

अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली ने अपने अ0 शा0 पत्रांक 114/XXIII-25(84–85), दिनांक 11 अप्रैल, 1985 द्वारा अनियमितताओं की किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी

अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने की संस्तुति का है ।

तदनुसार जिलाधिकारी द्वारा मामले में जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्तियां

3--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष ने नियमों के विपरीत एवं अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर गत दो वर्षों में कितनी अवैध नियुक्तियां की हैं ? क्या इन सभी अवैध नियुक्तियों को रद्द करके मंत्री जी अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(मुख्य मंत्री) नारायन दत्त--

वस्तुस्थिति की छानबीन की जा रही है एवं निष्कर्षों से माननीय सदन को शीघ्र अवगत कराया जायेगा ।

नगर क्षेत्र शीशगढ़, बरेली की पेयजल की टंकी एवं पाइप लाइन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

4--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र शीशगढ़, जिला बरेली में पेयजल की टंकी कई महीनों से अक्सर खराब रहती है और ईद के समय सिर्फ एक दिन के लिए चलकर फिर बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसे ठीक करा देगी ?

श्री नारायन दत्त--

नगर क्षेत्र शीशगढ़ जनपद बरेली की पानी की टंकी इस समय चालू है ।

5--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र शीशगढ़, जिला बरेली की पेयजल टंकी जब कभी भी चालू होती है, तो पानी सप्लाई लाईन में जगह-जगह लीक होने के कारण नागरिकों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और कस्बे में रास्ते भी खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो कब तक पाइप लाइन की मरम्मत करा दी जायगी ?

श्री नारायन दत्त--

पाइप लाइन की मरम्मत की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है ।

6--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र शीशगढ़, जिला बरेली में वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में कितना जलकर नगर क्षेत्र को देय हुआ और पानी टंकी पर कितना खर्च हुआ ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1983-84 में जल मूल्य का बकाया व वर्तमान मांग रु0 7,971.00 है और पानी की टंकी पर कुल रु0 20,281.00 व्यय हुआ ।

रामपुर-कैमरी मार्ग एवं विलासपुर-मिलक मार्ग की मरम्मत एवं पीलाखार नदी के पुल पर पथकर की वसूली

7--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1983 की भीषण बाढ़ के पश्चात् जनपद रामपुर में अन्तर्जिला और अन्तर्राज्यीय यातायात को चालू रखने के लिए जनपद नैनीताल एवं अन्य पर्वतीय जिलों को आने-जाने वाले भारी वाहनों का यातायात जिला रामपुर के विलासपुर कैमरी, रामपुर

एवं विलासपुर मिलक मार्ग से चालू कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप यह कमजोर सड़कें बहुत बुरी तरह क्षति-ग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

सड़कों का क्षतिग्रस्त होने का कारण उनका कमजोर होना न होकर भारी यातायात की अधिकता थी ।

अब तक रामपुर-कंमरी मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु 4.10 लाख रुपये तथा विलासपुर-मिलक मार्ग की मरम्मत हेतु 0.60 लाख रुपये का अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है ।

8--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में तहसील विलासपुर एवं मिलक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर पीलाखार नदी पर बने हुए पुल पर कितना खर्च हुआ था और 31 मार्च, 1985 तक कुल कितना शुल्क वसूल हुआ ? क्या इस शुल्क की वसूली यह देखते हुए कि पुल का प्रयोग करने वाले अधिकांशतया किसान हैं, तुरन्त समाप्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद रामपुर में विलासपुर-मिलक मार्ग के कि0 मी0 19 पर स्थित पीलाखार सेतु के निर्माण की लागत उस पर ब्याज एवं स्टाफ पर हुए व्यय को मिला कर 13.46 लाख रुपये की वसूली की जानी है जिसके विरुद्ध दिनांक 31 मार्च, 1985 तक 10.68 लाख रुपये की वसूली हुई है ।

अतः नियमानुसार अभी इस पुल पर से पथ कर समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ शादाब सहकारी आवास समिति, इस्लाम बाड़ी के अवैध निर्माण के गिराये जाने का आदेश

9--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् ने दिनांक 29 जुलाई, 1984 को लखनऊ महानगर के खुर्रमनगर में 19 अवैध मकानों को गिराने का आदेश दिया था, परन्तु परिषद् के कतिपय अभियन्ताओं ने शादाब सहकारी आवास समिति इस्लामबाड़ी के 19 घर अवैध रूप से गिरा दिए ? यदि हां, तो इस अवैध कार्यवाही के लिए शासन सम्बन्धित अभियन्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ? और उन मकान मालिकों को जिनके घर अवैध रूप के गिरा दिए गये हैं, को तुरन्त कितनी क्षतिपूर्ति कर रहा है ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं । खुर्रमनगर में 19 अवैध मकानों को गिराने के आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद शादाब सहकारी आवास समिति इस्लाम बाड़ी के अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिये गये थे और उक्त आदेशों के क्रियान्वयन स्वरूप कार्यवाही की गई । चूंकि परिषद् अभियन्ताओं द्वारा कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता । चूंकि अवैध निर्माणों को ही हटाने का प्रयास किया गया अतः उनमें किसी भी क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

उप चीनी आयुक्त, बरेली द्वारा पावर क्रशरों को दिये गये लाइसेंस और उप चीनी आयुक्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10—जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप चीनी आयुक्त, बरेली द्वारा गन्ना क्रय कर आदि के बकाया होते हुए भी पावर क्रशरों के लाइसेंस सत्र 1984-85 में जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? शासकीय आदेशों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

उप चीनी आयुक्त, बरेली ने सत्र 1983-84 में पांच इकाइयों के लाइसेंस गन्ना विकास कमीशन बकाया होते हुए भी नवीकृत कर दिये जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

11—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप चीनी आयुक्त, बरेली के विरुद्ध श्री सेतु कुमार, मोहल्ला साहूकारा, पीलीभीत व श्री अबरार हुसैन, सदस्य, भ्रष्टाचार निरोधक समिति, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र क्रमशः दिनांक 1 सितम्बर, 1983 व 10 मई, 1984 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत दोनों शिकायती पत्र उपलब्ध हुए हैं । श्री सेतु कुमार, मोहल्ला साहूकारा, पीलीभीत के शिकायती-पत्र पर जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है । श्री अबरार हुसैन, सदस्य, भ्रष्टाचार निरोधक समिति, मुरादाबाद की शिकायत की जांच चीनी आयुक्त द्वारा कराई जा रही है । दोनों शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में जांच आख्या के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उप चीनी आयुक्त, बरेली द्वारा श्री सुभाष चन्द अग्रवाल, श्री राम औतार व श्री मनोज कुमार को दिया गया पावर क्रेशर का लाइसेंस

12—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, ग्राम व डाकखाना अमरिया, जिला पीलीभीत को अगस्त, 83 में शासन द्वारा 13′ × 18′ आकार के अतिरिक्त पावर क्रेशर का लाइसेन्स दिया गया था, जो न लगा और न चला परन्तु उप चीनी आयुक्त बरेली द्वारा उक्त पावर क्रेशर को संस्थापित मानकर रीति के विरुद्ध आकार बढ़ा कर 16′ × 24′ का पावर क्रेशर का पुनः लाइसेन्स दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? शासकीय आदेशों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, उप चीनी आयुक्त, बरेली ने नीति के विरुद्ध आकार बढ़ाकर 16′ × 24′ के पावर क्रेशर का लाइसेन्स दिया जिसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

13—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सत्र 83-84 में उप चीनी आयुक्त बरेली द्वारा सर्वश्री राम औतार, मनोज कुमार, ग्राम व पोस्ट नवाबगंज, जिला बरेली के नाम परिवर्तित करते हुए लाइसेन्स इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि लाइसेंस प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर यदि इकाई नहीं चलाते हैं तो लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जायगा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उप

चीनी आयुक्त, बरेली द्वारा इकाई न लगने व न चलने पर भी दिनांक 25-2-84 को पुनः नाम परिवर्तन कर लाइसेंस जारी किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? शासकीय आदेशों के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, सत्र 83-84 में उप चीनी आयुक्त, बरेली द्वारा श्री राम औतार, श्रीमनोज कुमार, ग्राम नवाबगंज, जिला बरेली को नाम परिवर्तन करते हुए इस शर्त के साथ लाइसेंस जारी किया गया था कि यदि वे लाइसेंस प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर इकाई नहीं चलाते हैं तो लाइसेंस स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उप चीनी आयुक्त, बरेली ने पुनः दिनांक 25-2-84 को नाम परिवर्तन करते हुए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

14--श्री सरदार सिंह--

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

15--श्री अफजाल अन्सारी--

[दिनांक 16-7-85 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 द्वारा उत्तरित।]

फजाबाद के असलहा क्लर्क के पास लम्बित बन्दूक, पिस्तौल के लाइसेंस

16--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सन् 1981 से 10-5-85 तक बन्दूक, पिस्तौल तथा अन्य शस्त्रों के लाइसेंस 9 हजार से अधिक की दरखास्तें जिलाधिकारी, फैजाबाद के स्तर पर असलहा क्लर्क के पास अनिर्णीत पड़ी हैं जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी हैं और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि जनपद फैजाबाद में सन् 1981 से 10-5-85 तक बन्दूक, पिस्तौल तथा अन्य शस्त्रों के लाइसेन्स की 9,000 से अधिक दरखास्तें जिलाधिकारी, फैजाबाद के स्तर पर असलहा क्लर्क के पास अनिर्णीत पड़ी हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, थाना गोसाईगंज के उप निरीक्षक, श्री हरिवंश भारती एवं श्री राम अधार सिंह का पुलिस लाइन में स्थानान्तरण

17--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के थाना गोसाईगंज में तैनात सब इंसपेक्टर, श्री हरिवंश भारती कतिपय गम्भीर आरोपों में लाइन हाजिर और सब इंसपेक्टर श्री राम अधार सिंह निलम्बित कर दिये गये थे, लेकिन लगभग एक सप्ताह बाद ही मई, 1985 में दोनों सब इंसपेक्टर पुनः अपनी जगह पर तैनात कर दिये गये ? यदि हां, तो उक्त दोनों सब इंसपेक्टर के विरुद्ध किन आरोपों में उक्त कार्यवाही की गयी थी और किन कारणों से उन्हें पुनः उनकी जगह पर बहाल कर उसी थाने में तैनात कर दिया गया ?

श्री नारायन दत्त--

थाना गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद में तैनात उप निरीक्षक, श्री हरिवंश भारती को माह अप्रैल, 1985 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा अकबरपुर क्षेत्र के समस्त थाना जात के उप निरीक्षकगण का "अर्दली रूम" के समय कई अभियोजन लम्बित रखने एवं कोई पर्चा न काटने के कारण दिनांक 26 अप्रैल,

1985 को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया था । सब इंसपेक्टर श्री राम अधार सिंह, थाना गोसाईगंज के पास भी 6 मामले विवेचनार्थ ऐसे पाये गये जिनमें विवेचक द्वारा एक भी पर्चा नहीं काटा गया था । अतः उन्हें 26-4-85 को निलम्बित कर दिया गया । दोनों उप निरीक्षकों द्वारा अभियोगों की विवेचना में अपेक्षित प्रगति लाने के फलस्वरूप दिनांक 5-5-85 को श्री राम अधार सिंह को बहाल किया जा चुका है, परन्तु यह अभी पुलिस लाइन में ही हैं । श्री हरिवंश भारती को पुनः थाना गोसाईगंज में दिनांक 3-5-85 को वापस कर दिया गया ।

फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे में चोरबाजारी की सील की गयी चीनी सम्बन्धी पंजीकृत मुकदमा

18—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे में चोरबाजारी की 44 बोरा चीनी गोदाम में दिनांक 31-1-1980 को सील की गयी थी और दिनांक 8-4-1982 को गोदाम का ताला खोलने पर चीनी गायब पाई गई थी जिस पर दिनांक 14-4-1982 को थाना अकबरपुर में तहसीलदार, अकबरपुर की तहरीरी सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 159/82 अन्तर्गत धारा 459/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मामले में प्रश्नकर्ता की शिकायत पर दुबारा जांच कराई गई थी जिसमें वृत्ताधिकारी, अकबरपुर, श्री रविशंकर त्रिपाठी ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12-1-1985 में श्री राम कृपाल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, अकबरपुर को अमानत में खयानत तथा सब इंसपेक्टर श्री राम सजीवन सिंह यादव को विवेचना में जान-बूझकर लापरवाही करने का दोषी करार दिया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और दोषी लोगों को दंडित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी हां । दिनांक 8-4-1982 को गोदाम का ताला खोलने पर 34 बोरा खाली तथा 5 कुन्तल 46 कि0 चीनी पायी गयी । तहसीलदार, अकबरपुर की तहरीरी सूचना पर दिनांक 15-4-1982 को मुकदमा अपराध संख्या 159/82 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था ।

जी हां ।

विवेचना पूर्ण हो जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

चिनहट-जैदपुर मार्ग का निर्माण

19—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट-जैदपुर (वाया सतरिख) रोड कितने वर्षों से निर्माणाधीन है ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है और इसके पूर्ण रूप से निर्मित हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

यह मार्ग निर्माणाधीन नहीं है क्योंकि उस पर स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मलमूत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान को प्रोत्साहन देने की योजना

20—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री को ज्ञात है कि सुलभ शौचालय के मलमूत्र

के द्वारा विभिन्न प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने मे सफलता मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका उपयोग प्रदेश के पंच महानगरियों व हिन्दुओं के प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थलों में करने हेतु उपरोक्त संस्था को आमन्त्रित व उत्साहित करने के साथ-साथ इसी मार्ग में और आगे खोज करने को प्रोत्साहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

मलमूत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के कार्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा सकता है । वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल संस्था से सम्पर्क किया गया है किन्तु उक्त संस्था से वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नगर विकास विभाग से परामर्श कर विचार करने को तैयार है ।

21--श्री किरन पाल सिंह--

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों द्वारा हरदोई के दौरे पर व्यय की गयी धनराशि

22--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1985 में किन-किन मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों के कार्यक्रम हरदोई जनपद में लगे ? कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था तथा दौरों पर कुल कितना व्यय भार शासन को उठाना पड़ा ?

श्री नारायन दत्त--

माह अप्रैल, 1985 में मुख्य मंत्री सहित राजस्व मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, ऊर्जा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उद्योग मंत्री, सहकारिता मंत्री, जेल एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री, राजस्व राज्य मंत्री, नगर विकास राज्य मंत्री के कार्यक्रम हरदोई जनपद में लगे थे । इनमें से राजस्व मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री की यात्राएं अशासकीय थीं और उन पर शासन को कोई व्यय भार नहीं उठाना पड़ा । शेष मन्त्रियों का कार्यक्रम शासकीय कार्यवश जनहित में था और उनका कुल यात्रा-व्यय 11,940.68 रु० शासन द्वारा वहन किया गया ।

23--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

राज्य सम्पत्ति विभाग में हरिजन व्यवस्थाधिकारी एवं आरक्षण कोटा और कथित कैन्टीन मैनेजरों की प्रोन्नति की मांग

24--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० स० विभाग में कार्यरत सभी व्यवस्थाधिकारियों में कितने हरिजन हैं ? क्या उक्त पदों पर आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो मंत्री जी उक्त आरक्षण कोटे को अविलम्ब पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारियों के सम्वर्ग में कार्यरत कोई भी व्यवस्थाधिकारी हरिजन नहीं है । अतः व्यवस्थाधिकारी सम्वर्ग में हरिजनों का कोटा पूर्ण नहीं है । भविष्य में निर्धारित अर्हता के हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर कोटा पूरा किया जा सकेगा ।

25--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग

में व्यवस्थाधिकारियों के पद पर नियुक्ति का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार विभाग में कार्यरत कैन्टीन मैनेजरों को व्यवस्थाधिकारी पद पर पदोन्नत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

नियमों में व्यवस्थाधिकारियों के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

चूंकि कैन्टीन मैनेजर का न तो कोई सम्वर्ग है और न ही कोई पद । इसलिये प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम

26—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृक्षारोपण अभियान के सम्बन्ध में उ0 प्र0 में क्या-क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

श्री नारायन दत्त—

वृक्षारोपण अभियान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा निम्न-लिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1—प्रत्येक विकास खंड में पौध-शाला की स्थापना की गई है जहां पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे पर्याप्त संख्या में उगाये गये हैं ।

2—इन पौधशालाओं से थैलीदार 0-20 तथा पिन्डीदार 0-25 पैसा प्रति पौध की दर से वृक्षारोपण के लिए दिये जा रहे हैं ।

3—वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण का तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण समय-समय पर आवश्यकतानुसार ग्रामवासियों को निःशुल्क दिया जा रहा है ।

4—वृक्षारोपण को जन आन्दोलन बनाने के लिए प्रचार के लोकप्रिय माध्यम आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा वृक्षारोपण का उचित समय, वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली सुविधायें, भूमि के अनुसार पौधों का चयन तथा वन प्रबन्ध की नई नीति आदि के बारे में रोचक वार्ताओं का समय-समय पर प्रसारण कराया जाता है ।

5—प्रदेश के प्रमुख दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार पत्रों में लेख, विशेषांक तथा विज्ञापन द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धी जानकारी दी जाती है ।

6—वन विभाग की विभागीय मासिक पत्रिका "आरण्यक" द्वारा भी वृक्षारोपण के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है ।

प्रदेश के प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में वन मंडप लगाकर जनता को वनों एवं वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में माडल, प्रचार साहित्य तथा विभागीय चल चित्र प्रदर्शन द्वारा जानकारी दी जाती है ।

8—लगाये गये वृक्षों की सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में प्रचार माध्यमों से जानकारी दी जा रही है ।

9—युवा वर्ग की वृक्षारोपण में अभिरुचि जगाने के लिए प्रदेश के कई स्कूलों में स्कूली पौधालय लगाये गये हैं । इन पौधालयों की तकनीकी देखभाल भी वन विभाग करता है तथा इनके सारे पौधे विभाग द्वारा क्रय कर वृक्षारोपण हेतु वितरित किये जाते हैं ।

10—वृक्षारोपण कार्यक्रम में युवक मंगल दल तथा अन्य युवक संगठनों का भी पूर्ण सहयोग लिया जा रहा है तथा उनके लिये रोपण कैम्प लगाये जा रहे हैं ।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा वृक्षों की प्रजाति का चुनाव

27—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1947 के बाद फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून या अन्य सम्बन्धित शोध संस्थाओं अथवा स्वयं वन विभाग ने वन महोत्सव अभियान के शुरू होने से लेकर अब तक किन-किन प्रजातियों के वृक्षों को उ0 प्र0 के पहाड़, मैदान व पठारी क्षेत्रों के लिये चुना है ?

श्री नारायन दत्त--

वृक्ष प्रजाति का सही चुनाव मुख्यतः क्षेत्र की मिट्टी, भूमि का ढलान, जलवायु, सिंचाई की व्यवस्था आदि बातों पर निर्भर करता है। प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून व वन विभाग के अनुसंधान वृत्त के परीक्षणों के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र के लिये अधिकांशतः बांस, चीड़, देवदार, सुरई, अंगू, अखरोट, भीमल, खडिक, पुतली, चूरा, तिमला, तुरिपारी, विलो, बाटल, पांगर, रीठा आदि, मैदानी क्षेत्रों के लिये यूकिलिप्टस, हाईब्रिड पापुलर, शीशम, बबूल, आम, जामुन, कंजी-अर्जुन, सागौन, कठ सागौन, खैर, सिरिस, पेल्टाफोरम, सेमल, ढाक आदि तथा पठारी क्षेत्रों के लिये बांस, सिरिस, केसिया, स्यामिया, आंवला, करधई, धौ, शीशम, बबूल, बेल, महुआ, तेन्दू आदि प्रजातियों को चुना गया है।

मैनपुरी में जमा कराये गये आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

28—श्री बाबूराम यादव—

क्या मुख्य मन्त्री की जानकारी में है कि जनपद मैनपुरी में गत विधान सभा चुनावों से पूर्व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स जमा कराए जाने के आदेश शासन ने दिए थे जिसके अनुसार कुछ लाइसेन्स-धारियों के हथियार जमा कराए गये और कुछ के नहीं ? यदि हां, तो इस भेदभाव का आधार क्या था ? कृपया थानेवाइज पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार गत विधान सभा चुनाव के दौरान शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद व करहल के आग्नेयास्त्रों के सभी लाइसेंन्सियों को जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा आदेश दिये गये थे कि वे अपने क्षेत्र के थाने में अपने आग्नेयास्त्र व कारतूस आदि जमा कर दें। यह आदेश बिना किसी भेदभाव के सभी लाइसेंसधारियों के लिये पारित किये गये थे। उपर्युक्त लाइसेंस-धारियों का विवरण प्रस्तुत करना जनहित में न होगा।

बदायूं के सेदपुर-करेंगी मार्ग का निर्माण

29—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्व0 नि0 वि0 जनपद बदायूं द्वारा सेदपुर-करेंगी मार्ग, जनपद बदायूं में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह मार्ग इस विभाग के अधीन कितने वर्षों से है तथा यह मार्ग कब तक पूर्ण हो जायगा ? क्या सरकार इस मार्ग का निर्माण इस वर्ष पूर्ण कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

मार्ग का प्रथम 5 कि0 मी0 भाग वर्ष 1980 से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है जिस पर पुनर्निर्माण का कार्य मई, 1983 में पूर्ण हो चुका है। शेष कि0 मी0 6 से 13 तक का भा

वर्ष 1983 से इस विभाग के अधीन है जिसका निर्माण पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

इस वर्ष सम्भव नहीं है ।

यह मार्ग जिला योजना में आता है जिसमें इस वर्ष इतना धन उपलब्ध नहीं है कि इस कार्य को इस वर्ष पूरा कराया जा सके ।

अलीगढ़, थाना अतरौली के वर्तमान थानाध्यक्ष के कार्यकाल में चोरी, अपहरण, डकैती लूट की घटनाएं

30—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में जिस तिथि से वर्तमान पुलिस इंसपेक्टर (थानाध्यक्ष) ने चार्ज लिया है तब से दिनांक 10 अप्रैल, 1985 तक की अवधि में उक्त थाने की सीमा क्षेत्र में कहां-कहां अपहरण, हत्याओं, डकैतियों आगजनी, लूट तथा चोरियों की कुल कितनी वारदातें हुई हैं और उनमें पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न म उल्लिखित थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 29-5-1984 से थाना अतरौली का चार्ज लेने के उपरान्त दिनांक 10 अप्रैल, 1985 तक की अवधि में अतरौली क्षेत्र के थाने के अन्तर्गत अपहरण, हत्याओं, डकैतियों, आगजनी, लूट एवं चोरी की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा सभी मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न† है ।

31—श्री कल्यान सिंह—

क्या यह सही है कि अपहरण (किडनैपिंग) के एक भी मामले में पुलिस कुछ भी खोज तथा कार्यवाही करने में अक्षम सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर सब इंसपेक्टर, आर्म्स पुलिस, श्री शिव धनी राम की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

32—श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवधनी राम, सब-इंसपेक्टर, आर्म्स पुलिस जिला गाजीपुर दि0 1-6-1982 को सेवामुक्त हो गया है ? यदि हां, तो उसकी पेंशन तथा जी0 पी0 एफ0, सी0 पी0 एफ0 का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । श्री शिवधनी राम, सब-इंसपेक्टर को सेवानिवृति के पश्चात् दिनांक 1-6-1982 से 6 माह का अनन्तिम (प्रोविजनल) पेंशन की धनराशि 351 रु0 प्रतिमाह की दर से, तथा अनन्तिम उपादान (प्रोविजनल ग्रेच्युटी) की धनराशि 10,426.19 का भुगतान दिनांक 23-8-1982 को किया जा चुका है ।

2—इनके संशोधित पेंशन प्रकरण पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा दिनांक 8-7-1985 को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त सब-इंसपेक्टर के पक्ष में भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु अपेक्षित अधिकार-पत्र शीघ्र निर्गत करें ।

33—श्री सुखपाल पाण्डे—

[6ठवें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

†देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 188 पर ।

बलिया के ग्राम रुस्तमपुर के श्री जगतपाल सिंह का राइफल के लिए प्रार्थना-पत्र

34--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री जगत पाल सिंह, ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को जानमाल की रक्षा हेतु एन0 पी0 बोर राइफल का लाइसेन्स दिए जाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1985 गृह (पुलिस) अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सन्दर्भित मामले में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत एन0 पी0 बोर राइफल का लाइसेन्स दिए जाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1985 शासन के गृह विभाग में प्राप्त हुआ । क्योंकि इस प्रकार के आग्नेयास्त्र की लाइसेंसिंग एथारिटी जिला मजिस्ट्रेट हैं और लाइसेन्स के लिए आवेदक जनपद बलिया के निवासी हैं । अतएव यह प्रार्थना-पत्र मूल रूप में शासन के पत्र दिनांक 6-5-1985 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि समुचित जांच करा-कर यथाशीघ्र यथोचित कार्यवाही की जाय ।

बलिया के श्री सत्य नारायण सिंह का बन्दूक के लाइसेंस का निलम्बन

35--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आर्म्स ऐक्ट अपील संख्या 582/81-82 श्री सत्य नारायण सिंह बनाम जिला-धिकारी, लखनऊ व उ0 प्र0 राज्य सरकार न्यायालय आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ में अपर जिलाधिकारी (नगर), लखनऊ के साथ-साथ जिला-धिकारी, बलिया का शस्त्र लाइसेंस निलम्बन आदेश भी दिनांक 14-9-82 के आदेश द्वारा स्थगित किया गया है ? क्या यह सच है कि शान्ति व्यवस्था व जन-सुरक्षा के लिये निलम्बित लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों का पुलिस कब्जे में लिया जाना घोर आवश्यक है ? यदि हां, तो स्थगन आदेश 'वैकेट' कराने व आग्नेयास्त्र जमा करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सत्य नारायण सिंह के शस्त्र लाइसेंसों के निलम्बन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ व जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पारित आदेशों को आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा केवल इस सीमा तक स्थगित किया गया कि अनुज्ञापी से आग्नेयास्त्र जमा न कराये जायें । उप-र्युक्त स्थगन आदेश को समाप्त (वैकेट) कराने की कार्यवाही करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को दिये गये थे । तत्पश्चात् आयुक्त, लखनऊ मंडल ने अपने आदेश दिनांक 18-2-85 द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के आदेश दिनांक 18-5-82 को निरस्त करके मामला पुनर्विचार हेतु संदर्भित कर दिया । जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा बन्दूक के निलम्बित लाइसेंस पर चढ़ा शस्त्र एक शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा है ।

36--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[दिनांक 16-7-85 को अता0 प्र0 सं0 90 द्वारा उत्तरित] ।

गोरखपुर जिले की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

37--श्री हर्षवर्धन--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की चीनी मिलों ने पेराई सत्र 83-84 का भुगतान किस तिथि तक किया तथा आपूर्ति के 15 दिन बाद किये गये भुगतान पर किन मिलों ने सूद गन्ना किसानों को दिया है ? यदि सूद नहीं दिया गया तो

क्या शासन विलम्बित भुगतान की अवधि के सूद का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

गोरखपुर जनपद की चीनी मिलों ने पेराई सत्र 1983-84 में निम्न अंकित तिथि तक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है :--

क्रम-संख्या	चीनी मिलों का नाम	भुगतान की तिथि
1	सरदारनगर	5-4-84
2	पिपराइच	20-4-84
3	घुघली	18-4-84
4	आनन्दनगर	10-4-84
5	सिसवाबाजार	पेराई कार्य नहीं किया ।

विलम्ब से किये गये गन्ना मूल्य भुगतान पर अभी उपरोक्त किसी चीनी मिल ने ब्याज का भुगतान नहीं किया है । यह विवादास्पद है कि सूद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य पर देय होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य पर । इस बिन्दु का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है । विधिक स्थिति के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद के ग्राम शंकरपुर के के श्री कर्मजीत सिंह व ग्राम जोहन के श्री हंसराज तिवारी के बन्दूक के लाइसेंस

38--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम शंकरपुर, थाना बीकापुर, जिला फैजाबाद निवासी श्री कर्मजीत सिंह व श्री हंसराज तिवारी, निवासी ग्राम जोहन, थाना बीकापुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध कई अपराधिक मुकदमें अंकित हैं और जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद ने उनके बन्दूक लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक लाइसेंस निरस्त न किये जाने तथा बन्दूक न जमा किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

श्री कर्मजीत सिंह एवं श्री हंसराज पाण्डेय ने निलम्बन आदेश/कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर आयुक्त, फैजाबाद ने दिनांक 23-5-85 को स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिसके कारण श्री कर्मजीत सिंह एवं हंसराज पाण्डेय की बन्दूक थानाध्यक्ष बीकापुर थाने में जमा नहीं करा सके ।

फैजाबाद के विकास खण्ड, हरिश्टनगंज, मिल्कीपुर, अमानीगंज के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

39--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि0 क्षेत्र हरिश्चनगंज, मिल्कीपुर, अमानीगंज, फैजाबाद में भूमिहीन गारन्टी योजना अन्तर्गत मानक के अनुसार कौन-कौन से मार्ग निर्माणाधीन हैं उनकी लम्बाई क्या है और गत वर्ष वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रगति क्या है ? अनुमन्य वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

सूची निम्न हैं :--

विकास क्षेत्र हरिश्टनगंज--

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई कि० मी०
	जिला ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना--	
1	निगड़ो लिंक मार्ग	2.00
2	हरदोइया लिंक मार्ग	3.50
	योग ..	5.50
	सेक्टोरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना--	
3	रेवना लिंक मार्ग	2.00
4	पलिया लोहानी लिंक मार्ग	2.00
5	धुरेहटा लिंक मार्ग	1.00
6	पाराताज पुर लिंक मार्ग	1.00
7	साल्हीपुर लिंक मार्ग	1.50
	योग ..	7.50
	विकास क्षेत्र मिल्कीपुर--	
	जिला ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना--	
8	अंजरौली लिंक मार्ग	1.00
9	कुचेरा मजनाई लिंक मार्ग	5.00
	योग ..	6.00
	सेक्टोरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना--	
10	गोकुला लिंक मार्ग	3.00
11	देवरिया लिंक मार्ग	1.00
	योग ..	4.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0 मी0
	विकास क्षेत्र अमानीगंज--	
	जिला ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना :	
12	डेली सराय लिंक मार्ग	1.50
13	पालपुर लिंक मार्ग	1.50
	योग ..	3.00
	सेक्टोरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना--	
14	मुहम्मदपुर लिंक मार्ग	1.50
15	कोटिया लिंक मार्ग	1.00
		2.50

गतवर्ष जिला ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 11.10 लाख रुपये एवं सेक्टोरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 6.6 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। 11.10 लाख रुपये के विरुद्ध 6.6 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य और 500 मीटर मे खड़न्जे का कार्य हुआ। रु0 6.6 लाख के विरुद्ध 7.85 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य 1.5 कि0 मी0 में खड़न्जे का कार्य और 500 मीटर लम्बाई में पुलिया का निर्माण कार्य किया गया।

जिला ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 11.10 लाख रुपये का अनुदान अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 9 जनवरी, 1985 को प्राप्त होने के कारण 4 59 लाख रु0 से अधिक व्यय करना सम्भव न हुआ।

40--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खण्डासा--देवगांव--घोड़वल मार्ग, फैजाबाद के निर्माणार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 में वित्तीय स्वीकृति क्या थी और अब तक की प्रगति क्या है? प्रस्तावित कार्य पूर्ति न होने का क्या कारण है? आगामी वर्ष का क्या लक्ष्य है?

श्री नारायन दत्त--

इस मार्ग की 8.00 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य करने के लिए कुल 5.00 लाख रु0 वर्ष 1984-85 में प्राप्त हुए थे जिससे निम्नलिखित कार्य किये गये :

	कि0 मी0
मिट्टी का कार्य	8.00
पुलिया	6.00
खड़ंजा	2.50

अवशेष कार्य अनुदान सीमित होने के कारण न किये जा सके। उनको 1985-86 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

41--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि0 क्षेत्र हरिश्चन्दगंज फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित मार्ग

हरिगटनगंज-मलेथू-कनरवा मार्ग की कार्य प्रगति क्या है ? विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि निर्माण कार्य में उपयोग की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक सम्पूर्ण मार्ग पर रोलिंग एवं पुलिया निर्माण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

इस 12.30 कि0 मी0 लंबे मार्ग पर कार्य की स्थिति इस प्रकार है:

कार्य	लम्बाई स्वीकृत	कि0मी0 पूर्ण
मिट्टी का कार्य	11.75	11.75
पुलिया	11.50	9.00
खड़ंजा	9.25	7.00

जी हां ।

अवशेष स्वीकृत कार्य 1984-85 में अनुदान पर्याप्त न होने के कारण पूरा न कराया जा सका । उसे 1985-86 में पूरा करने का लक्ष्य है ।

42--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुचेरा--तरौली--कुरावन, गद्दीपुर, अमानीगंज फैजाबाद मार्ग की लम्बाई क्या है ? अभी तक वित्तीय वर्ष 1984-85 में विभागीय वित्तीय स्वीकृति क्या थी तदनुसार निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ? उक्त मार्ग के निर्माणार्थ सा0 नि0 वि0, जिला फैजाबाद ने कोई प्रस्ताव मुख्य अभि0 सा0 नि0 वि0 लखनऊ को भेजा है ? यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

21.30 कि0 मी0 ।

कुल 6.25 लाख रु0 का अनुदान प्राप्त हुआ जिससे निम्नलिखित कार्य कराये गये :

	कि0 मी0
मिट्टी का कार्य	3.20
पुलिया	3.00
सोलिंग (केवल एकत्रीकरण)	1.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43--कल्यान सिंह--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

राज्य सरकार के अधीन उपक्रमों निगमों के कर्मचारियों को प्रदान की गयी जन-सेवक की श्रेणी

44--श्री शारदा प्रताप--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों/उपक्रमों जैसे यू0 पी0 स्टेट हार्टिको, एग्रो आदि सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थायें हैं ? यदि यह गैर सरकारी संस्थाएं हैं, तो वे किस आधार पर गैर सरकारी संस्थाएं मानी गयी हैं ? क्या यह सच है कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 507/ब्यूरो-75-42-75, दिनांक 21 मार्च, 1975 में उक्त निगमों के कर्मचारियों को पब्लिक सर्वेन्ट समझा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश में वर्णित आदेश राज्य कर्मचारियों की भांति निगमों के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों/उपक्रमों जैसे यू0 पी0 स्टेट हार्टिको, एग्रो आदि राज्य सरकार के स्वायत्तशासी उद्यम संस्थान हैं, जिनकी स्थापना किसी अधिनियम या भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है । सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-507/ब्यूरो-75-42-75, दिनांक 21 मार्च, 1975 में यह बात स्पष्ट की गयी है कि राज्य निगमों से कर्मचारी जनसेवक हैं । उक्त आदेश का अभिप्राय यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के खंड 12

(बी) के प्राविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थानुसार पब्लिक सर्वेन्ट माने जायेंगे :—

"स्थानीय प्राधिकारी के अथवा केन्द्र प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी की सेवा या वेतन में हों।"

यह शासनादेश प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के लिए जारी किया गया है कि राज्य निगमों के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धारा के अन्तर्गत जनसेवक माने गये हैं।

आजमगढ़ के ग्राम शमशाबाद के श्री चन्द्र भान सिंह की हत्या

45—श्री श्रीप्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम शमसाबाद, थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ निवासी श्री चन्द्रभान सिंह की हत्या दिनांक 4-1-1985 को हुई थी और इस सम्बन्ध में मुकदमा स्थानीय थाने में भी दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

विवेचना के दौरान काफी प्रयास के पश्चात् अपराधियों का पता नही चल सका। इसलिए विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 25-3-1985 को समाप्त कर दी गई।

बांदा जिले के ग्राम गहौरा के श्री प्यारे लाल के घर पर डकती

46—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के थाना रैपुरा के अन्तर्गत ग्राम गहौरा निवासी श्री प्यारेलाल पुत्र बोधन धोबी (हरिजन) ने 18-10-1984 को रैपुरा थाने में रपट लिखाकर उनके ऊपर डकैती पड़ने की सूचना दी थी और जिसमें उसके दो लड़के घायल हुये थे और सामान भी लूटा गया था ? क्या उस डकैती के कुछ मुल्जिम नामजद हुए थे ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या भूतपूर्व विधायक श्री दर्शन राम ने 15-11-1984 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राम सिंह सैनी को और श्री प्यारे लाल ने पुलिस अधीक्षक, बांदा को 23-10-1984 को इस विषय में कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे ? यदि हां, तो अभी तक जांच करके कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्यारे लाल आत्मज बोधन, निवासी ग्राम गहौरा द्वारा दिनांक 18-10-1984 को रैपुरा थाने में रुद्र प्रसाद, शिव प्रताप, रामप्रताप व चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष रैपुरा ने की थी। बाद में श्री दर्शन राम भूतपूर्व विधायक का श्री राम सिंह सैनी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुआ तथा दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 23-10-1984 श्री प्यारे लाल ने जिलाधिकारी बांदा को दिया था जो पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुआ था। इस मामले की पुनः जांच क्षेत्राधिकारी कर्वी को सौंपी गयी। जांच से घटना का घटित होना पाया गया। उपरोक्त घटना की पुनः विवेचना एस0 एच0 ओ0 कर्वी को सुपुर्द की गयी और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वह न्यायालय से विवेचना पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करके निष्पक्ष रूप से विवेचना करें। श्री रुद्र प्रसाद की एस0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक के लाइसेन्स को निरस्त किया जा चुका है।

बांदा जिले के सब-रजिस्ट्रार नरैनी के विरुद्ध श्री हरि शंकर गुप्ता का शिकायती-पत्र

47—श्री राम सजीवन—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के कस्बा अतर्रा निवासी श्री हरीशंकर गुप्ता तथा अतर्रा के ही बेटू पुत्र भवंनिया, कौम कोरी (हरिजन) ने सब रजिस्ट्रार नरैनी श्री के0 पी0 सिंह के विरुद्ध लिखित शिकायतें महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन, इलाहाबाद को रजिस्ट्री डाक द्वारा दिनांक 14-11-1984 को भेजी थीं, जिसकी प्रतिलिपि वित्त मंत्री को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी गयी थीं ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? अभी तक जांच करके कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? कब तक कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी हां ।

शिकायती पत्रों पर जांच की जा रही है । जांच शीघ्र पूर्ण किए जाने के आदेश दे दिए गये हैं ।

48—श्री राम सजीवन—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

बांदा जिले के ग्राम इटखरी के श्री गजोधर प्रसाद यादव का अपनी फसल काटने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

49—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के थाना बदौसा के अन्तर्गत गांव इटखरी निवासी श्री गजोधर प्रसाद यादव ने 13-3-1985 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को एक प्रार्थना-पत्र भेज कर शिकायत की थी कि बांदा जिले की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, शिवरामपुर में 4 हजार रुपये की उसकी फसल जबरदस्ती काट ले जाने की रपट नहीं लिखी गयी और मुल्जिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या प्रार्थी ने शिकायती-पत्र की प्रतियां डी0 आई0 जी0 पुलिस झांसी को भी भेजी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गजोधर प्रसाद यादव का दिनांक 13-3-1985 का प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति डी0आई0 जी0 पुलिस, झांसी को पृष्ठांकित थीं। उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, कर्वी द्वारा की गई । प्रार्थना-पत्र उपरोक्त के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 421/85 के अन्तर्गत धारा 147/148/379/307/504 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत करा दिया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है ।

बांदा वन प्रभाग के झरो चूल्ही वन ठलाक में अवैध उत्खनन एवं अवैध कटान

50—श्री राम सजीवन—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के मानिकपुर निवासी श्री मुन्ना लाल गुप्ता ने कंजरवेटर, झांसी एवं उप वन संरक्षक, बांदा आदि अधिकारियों को दिनांक 22-9-84 को एक शिकायती-पत्र भेजकर मानिकपुर वन रेंज के अन्तर्गत अवैध उत्खनन एवं वृक्ष कटान की शिकायत की थी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी ? क्या इसी आशय का दूसरा शिकायती-पत्र दिनांक 13-3-85 को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अभी तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

श्री मुन्ना लाल गुप्ता, मानिकपुर, बांदा ने दिनांक 22-9-84 तथा

13-3-85 को बांदा वन प्रभाग के झरोचूल्ही वन ब्लाक में अवैध उत्खनन एवं वृक्ष कटान के सम्बन्ध में शिकायती पत्र भेजे थे। उक्त शिकायती पत्र एवं विभाग में प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक वन संरक्षक, कर्वी, बांदा वन प्रभाग द्वारा शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मामले की जांच की गयी। जिसके फलस्वरूप नाजायज मिट्टी कटान एवं खनन कार्यों द्वारा हुई क्षति का मूल्यांकन रुपया 28,218·25 आंका गया जिसमें से रुपया 21,255·90 वसूला जा चुका है। इसके अलावा प्रभागीय वनाधिकारी बांदा द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुंसिफ मजिस्ट्रेट कर्वी के न्यायालय में दो मुकदमें भी दायर किये गये हैं। इस जांच में अवैध वृक्षों का कटान नहीं पाया गया।

मुरादाबाद, बिक्रीकर विभाग के कर्मचारी, श्री फरीद मोहम्मद खां, लिपिक की चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि

51—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र संख्या अन्य/25/83, दिनांक 5-10-83 उपायुक्त (प्रशासन) बिक्री-कर उत्तर प्रदेश को लिखा था? यदि हां, तो उपायुक्त ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और प्रश्नकर्ता को उसकी सूचना दी? उसकी सूचना प्रश्नकर्ता को न देने तथा कार्यवाही न करने क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां।

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 5-10-83 के प्राप्त होने पर छानबीन करके प्रशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश उपायुक्त (शासकीय), बिक्री-कर मुरादाबाद को दिये गये थे।

नियमानुसार जांच पूर्ण करके सम्बन्धित कर्मचारी श्री फरीद मोहम्मद खान, कनिष्ठ लिपिक, मुरादाबाद की चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि दी गयी।

माननीय विधायक से पत्र प्राप्त होने पर की जा रही प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान शासन से प्रश्नकर्ता का विधान सभा के दूसरे सत्र 1984 के 3रे शुक्रवार का अतारांकित प्रश्न संख्या 91 प्राप्त हुआ। अतः अतारांकित प्रश्न के प्राप्त हो जाने पर प्रश्नकर्ता विधायक को उनके पत्र दिनांक 5-10-83 के सन्दर्भ में श्री खान के विरुद्ध कृत प्रतिकूल कार्यवाही से अवगत न करा कर विधान सभा के अतारांकित प्रश्न का उत्तर विधान सभा के माध्यम से ही प्रश्नकर्ता को नियमानुसार अवगत कराने के लिए उत्तर भेजा जा रहा है।

52—श्री जयदीप सिंह बरार—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग के आंकड़े

53—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अलग-अलग प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग के पिछले पांच वर्ष के जिलानुसार आंकड़े एकत्र किये जाते हैं? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो नियोजन के प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करने के निर्देश जारी करेंगे?

श्री जय राम वर्मा—

जी हां।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अलग-अलग कुल विद्युत् उपभोग के आंकड़े वर्ष 1979-80 से एकत्र किये जा रहे हैं जिनके आधार पर वर्ष 1979-80 से वर्ष 1982-83 के

प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग के जिलेवार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अलग-अलग आंकड़े संलग्नक† में हैं। वर्ष 1983-84 के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े मास अक्तूबर, 1985 तक तैयार होने का अनुमान है।

नगर महापालिका, आगरा की नगर पालिका, नरायच, टेढ़ी बगिया, जीवन नगर नगला राम किशन द्वारा व्यय की गयी कथित धनराशि

54—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरायच, टेढ़ी बगिया, जीवन नगर नगला रामकिशन और नगला रामबन जो नगर महापालिका, आगरा में आते हैं, वर्ष 1984-85 में इन पर कितने रुपये की धनराशि व्यय की गयी और किन मदों पर ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

धनाभाव के कारण महापालिका द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

55—श्री बद्री प्रसाद—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

परिवहन मन्त्री द्वारा हेलीकाप्टर से वाराणसी का दौरा

56—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अप्रैल, 1985 को परिवहन मन्त्री जनपद वाराणसी में हेलीकाप्टर से गए थे ? अगर हां, तो उनकी हवाई यात्रा का क्या प्रयोजन था और इस यात्रा में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और इसे किसने वहन किया ?

† छापी नहीं गयी।

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

परिवहन मन्त्री 26 अप्रैल, 1985 को वाराणसी जनपद में भदोही हेलीकाप्टर से गये थे। इस यात्रा का प्रयोजन भदोही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं की वस्तुस्थिति की स्थल पर जानकारी एवं निराकरण करना था। क्षेत्र के कालीन श्रमिकों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस यात्रा में कुल व्यय रु0 4,858.15 हुआ जिसे शासन ने वहन किया।

57—श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खंड, कानपुर के आशुलिपिक का निलम्बन

58—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मन्त्री, सा0 नि0 वि0 ने अपने पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1984 को प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 को आदेश दिया था कि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खंड, कानपुर द्वारा निलम्बित किए गये आशुलिपिक के विरुद्ध चल रही जांच कार्यवाही को पूर्ण करा कर एक सप्ताह में अवगत कराया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

जांच अधिकारी को आख्या भेजने हेतु लिखा गया। उनसे प्राप्त जांच आख्या परीक्षणोपरान्त अधूरी पायी गयी। पूर्ण जांच आख्या भेजने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को पुनः निदेशित किया गया है।

मिर्जापुर रेंज में लेहड़िया, परखौली, अष्टभुजा, बरकछा आदि में पाषाण विभाग द्वारा पत्थर खनन का दिया गया पट्टा

59—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि श्री शशिभूषण दुबे, पत्रकार मिर्जापुर ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 23 जून, 1984 को वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद को दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जुलाई, 1984 में वन संरक्षक ने शिकायत की जांच के लिए प्रभागीय वनाधिकारी पश्चिमी मिर्जापुर को भेजा था ? क्या उसकी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी हां ।

यह सही है कि जुलाई, 1984 में इस शिकायती-पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी मिर्जापुर को वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त द्वारा जांच करने हेतु लिखा गया था ।

जी हां ।

जांच के परिणाम निम्न प्रकार हैं—

प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा इस शिकायती-पत्र में, जो पत्थर खदान से सम्बन्धित है, लगाये गये आरोपों की जांच करने पर पता चला कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित मिर्जापुर रेंज में लेहड़िया, परखौली, अष्टभुजा, कामापुर तथा बरकछा में वन भूमि पर पत्थर खदान के खनन पट्टे मिर्जापुर के पाषाण विभाग द्वारा काफी पहले दिये गये थे । अब भी पाषाण विभाग द्वारा परमिट दिये जाते हैं । इसकी आड़ में उपरोक्त पुरानी खदानों से भी माल चोरी-छिपे निकालने का सम्बन्धित पट्टेदारों द्वारा प्रयास किया जाता है । वन विभाग के सशस्त्र दल की सहायता से कई बार अवैध खनन करने वालों को पकड़ा गया तथा मुआवजा वसूल किया गया । प्रभागीय वनाधिकारी ने इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी तथा द्विपक्षीय वार्ता में यह तय हुआ कि पाषाण विभाग परमिट देने से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें । इस प्रक्रिया के लागू होने से आशा है कि नाजायज खदानों पर नियन्त्रण रखने में सहायता मिलेगी ।

60—श्री यदुनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

टाउन एरिया, लालगंज, आजमगढ़ में पानी निकासी, नालियों तथा सड़कों के निर्माण की योजना

61—श्री श्रीप्रकाश—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया लालगंज, जनपद आजमगढ़ में पानी निकासी, नालियों तथा सड़कों के निर्माण की योजनाएं बनाई गयी हैं ? यदि हां, तो इन योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

योजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं किया जाता है । शासन द्वारा भी सड़क अनुदान दिया जाता है ।

आजमगढ़ के ग्राम चन्द्रभानपुर के श्री फितू राम की हत्या

62—श्री श्रीप्रकाश—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री फितू राम, हरिजन अध्यापक निवासी ग्राम चन्द्रभानपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ की हत्या से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 158, सन् 1982 अन्तर्गा

धारा 302 भा0 द0 वि0 स्टेट बनाम शोयेब आदि में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुकदमें से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 17 दिसम्बर, 1982 को वादी की लिखित सूचना पर थाना देवगांव पर चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 158/82 धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। तीन अभियुक्त सर्वश्री कैलाश, कंचन एवं रामराज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो दिनांक 27 सितम्बर, 1984 को न्यायालय से रिहा किये जा चुके हैं। एक अभियुक्त शोयेब ने दिनांक 10 जून, 1985 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया और दिनांक 17 जून, 1985 को जमानत पर रिहा हो गया। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

आजमगढ़ की न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के मुकदमें

63--श्री विष्णु देव--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में किन-किन न्यायालयों मे वर्ष 1984-85 तक फौजदारी के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और इन पर कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 31 मार्च, 1985 को जनपद आजमगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के वादों की कुल संख्या 27,844थी, जिनके विवरण निम्नवत् हैं--

न्यायालय का नाम	लम्बित फौजदारी के वादों की संख्या
1	2
1--जिला सत्र न्यायाधीश	466
2--विशेष सत्र न्यायाधीश	71
3--प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश	88
4--द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश	102
5--तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश	128
6--चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश	125
7--पंचम अपर सत्र न्यायाधीश	141
8--षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश	251
9--प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश	31
10--द्वितीय सहायक सत्र न्यायाधीश	36
11--मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	2,136
12--विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी	3,249
13--न्यायिक दण्डाधिकारी मोहम्मदाबाद	2,967
14--न्यायिक दण्डाधिकारी, घोसी	3,298
15--न्यायिक दण्डाधिकारी, सगड़ी	1,878
16--न्यायिक दण्डाधिकारी, फूलपुर	1,868
17--न्यायिक दण्डाधिकारी सदर	2,007
18--न्यायिक दण्डाधिकारी, लालगंज	2,019
19--अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, मोहम्मदाबाद	2,170
20--अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, घोसी	2,449
21--अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, सगड़ी	2,354

उक्त लम्बित फौजदारी वादों पर निर्णय होने की निश्चित तिथि बताना

सम्भव नहीं है क्योंकि फौजदारी वादों का निस्तारण अभियोजन पक्ष तथा पुलिस द्वारा साक्षियों एवं अन्य कागजातों को उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है ।

श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी, भूतपूर्व शासकीय आदाता, पंजाब शुगर मिल, घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र और कर्मचारियों की की नियुक्ति

64—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी, भूतपूर्व शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध श्रमिक संगठनों और जन-प्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार अनियमितता आदि के जो आरोप लगाये थे उनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब और किन-किन अधिकारियों द्वारा ? क्या मन्त्री जांच प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी, पी0सी0एस0 भतपूर्व शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल, घुघली गोरखपुर के विरुद्ध श्री आत्म प्रकाश द्विवेदी मन्त्री घुघली चीनी मिल कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, विधायक के शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 5-11-82 तथा 30-11-83 शासन को प्राप्त हुये थे जिनकी जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1983-84 में की गयी । जिलाधिकारी ने श्री द्विवेदी के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 28-5-83 की तथा श्री ओझा के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 20-3-84 को जांच आख्या प्रस्तुत की थी । दोनों मामलों से जिलाधिकारी ने पाया कि आरोपों में कोई तथ्य नहीं हैं । चूंकि जांच के समय शिकायत-कर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था अतः जिलाधिकारी को पुनः जांच हेतु लिखा गया है । अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

65—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि गत वर्ष विधान सभा में प्रश्न संख्या के एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि चतुर्वेदी ने 76 लोगों की अनियमित रूप से नियुक्ति की, जिसमें कोई भी हरिजन या आरक्षण कोटे का नहीं है ? यदि हां, तो शासन की नीतियों की अवहेलना करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्नकर्त्ता के विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में यह कहा गया था कि "वर्तमान शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल घुघली (गोरखपुर) के कार्यकाल में कुल 78 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं । अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया गया है । इन 78 लोगों में 8 अनुसूचित व जनजाति के 5 अल्पसंख्यक समुदाय के 20 पिछड़ी जाति के तथा शेष सामान्य श्रेणी के लोग हैं । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर में पेड़ों की अवैध कटान

66—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर वि0 खं0 शुकुल बाजार जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 1919, 1922, 1554, 1525, 1925, 1926, 1923, 1924, 1926, 1927, 1528, 1523, 1514, 1515, 1947, 1946 पर किस प्रकार के पेड़ मौजूद हैं और कितने पुराने हैं ? क्या यह सत्य है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैधानिक रूप से वर्ष 1983-84 में पेड़ काट दिए गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

गाटा संख्या 1514, 1554, 1919 तथा 1946 में कोई पेड़ नहीं है। गाटा संख्या 1515, 1523, 1525, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1528 तथा 1947 में आम, महुआ, जामुन, कटहल, गूलर, नीम, बांस, बेर तथा बबूल के पेड़ हैं। पेड़ों की आयु का सही आकलन करना कठिन है। वर्ष 1983-84 में गाटा संख्या 1922 में तीन पेड़ आम अवैधानिक रूप से काटे गये थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना शुकुल बाजार जनपद सुल्तानपुर में विभागीय कर्मचारी द्वारा की गयी है।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर, रहमानीपुरा, पूरेलाल की पेयजल योजना

67--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य ग्राम रसूलपुर तथा उसके मजरा रहमानीपुरा, पूरेलाल, वि0 खं0 बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में जल निगम द्वारा जल की व्यवस्था आज तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

मुख्य ग्राम रसूलपुर में पेयजल व्यवस्था वर्ष 1983 से है। स्वीकृत योजना में दो स्टैंड पोस्ट के प्राविधान के अन्तर्गत एक स्टैंड पोस्ट लगाया जा चुका है। दूसरा स्थानीय विवाद के कारण नहीं लग पाया है।

मजरा रहमानीपुरा, पूरेलाल योजना में सम्मिलित नहीं है अतः इनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन, भू-खंड एवं दुकानों का आवंटन

68--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1983-84 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन, भू-खंड दुकान एवं प्लाट के आवंटन के सम्बन्ध में चलाई गयी योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है तथा कितनी धन-राशि जमा हुई है ? आवेदकों को आज तक दुकानें आदि आवंटन न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन, भू-खंड एवं दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में वर्ष 1983-84 में चलायी गयी योजना के अन्तर्गत भवनों हेतु 2,809 व्यक्तियों ने भू-खंडों हेतु 12,001 व्यक्तियों ने तथा दुकानों हेतु 2,542 व्यक्तियों ने (कुल 17,352 व्यक्तियों) पंजीकरण कराया था तथा रु0 60,84,100 की धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा हुई थी। इनमें से 1,415 व्यक्तियों को भवन, 1,522 व्यक्तियों को भू-खंड एवं 43 व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। शहर के अन्दर भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अभी तक शेष दुकानें निर्मित नहीं हो सकी हैं, तदनुसार उनका आवंटन नहीं किया जा सका।

अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी, मंगारी, बाबतपुर, वाराणसी पर बकाया कथित बिक्री-कर

69--श्री राम सजीवन--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी मंगारी बाबतपुर, जिला वाराणसी के ऊपर सेल्स टैक्स का कई लाख रुपया बकाया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त एजेंसी ने खाद खरीदने वालों से सेल्स टैक्स का रुपया नकद भुगतान कैश मेमो के द्वारा वसूल किया है लेकिन जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सन् 1982 से लगायत 1984-85 तक का पूरा हिसाब वसूल करने का आदेश देगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं ।

कोई बकाया नहीं है ।

उक्त एजेन्सी ने बिल व कैश-मेमो से ग्राहकों से सेल्स टैक्स वसूल किया जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तराखंड के खजूर के पेड़ों के रस से काशीपुर में गुड़ का उत्पादन

70—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में लगभग प्रत्येक जनपद में ताड़ व खजूर प्रजाति के अनेक पौधों की प्रचुर मात्रा है ? यदि हां, तो इनके रस रेशे फल से उद्योग विकास करने हेतु अब तक सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में ताड़ के पेड़ नहीं के बराबर हैं । हां खजूर के वृक्ष अवश्य उपलब्ध हैं । खजूर के वृक्षों के रस से गुड़ बनाने का काम नैनीताल जनपद के काशीपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । खजूर के वृक्ष की पत्ती से पंखा टोकरी व डलिया इत्यादि बनाने का काम भी इस क्षेत्र में किया जा रहा है । सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से इस उद्योग में लोगों को आर्थिक सहायता दी है व तकनीकी मार्ग दर्शन कराया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र देहरादून, कौसानी, चौकोड़ी में चाय का उत्पादन

71—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में चाय व काफी के उत्पादन के लिए अनेक क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं (जैसे देहरादून, कौसानी, चौकोड़ी) ? क्या सरकार वर्तमान में अन्तर-राष्ट्रीय चाय व काफी के बाजार में इनके उच्च मूल्य को देखते हुए उपरोक्त स्थानों में चाय व काफी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

पर्वतीय क्षेत्र में देहरादून, कौसानी, चौकोड़ी आदि क्षेत्रों में चाय का उत्पादन का कार्य बहुत पहले से किया जा रहा है परन्तु व्यवसायिक रूप से अधिक लाभ-प्रदान होने के कारण शनैः शनैः इन क्षेत्रों में चाय की खेती कम होती गयी। चाय की खेती के योग्य अच्छी भूमि की कमी होने के कारण उस पर होने वाले व्यय एवं मिलने वाले प्रतिलाभ को देखते हुये सार्वजनिक क्षेत्र में चाय की खेती की कोई योजना नहीं है । निजी क्षेत्र के मौजूदा चाय बागान के पुनरुद्धार हेतु चाय बोर्ड आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों में हवादार मकानों के निर्माण की मांग

72—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) के पर्वतीय विशेष कर सीमान्त भाग में निवास भवन वैज्ञानिक विधि से निवासियों के लिए अस्वास्थ्यकर हैं ? हवा, सूर्य के प्रबन्ध न होने, लकड़ी जलाने के कारण होने वाले धुएं के कारण इन भवनों के निवासियों को विविध रोग प्रकोप होते हैं ? इस सन्दर्भ में क्या सरकार वहां की विशिष्ट भौगोलिक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुये उत्तम भवन प्रारूप तैयार कर यहां प्रचलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

पर्वतीय क्षेत्र में अथवा उसके सीमान्त भाग में, स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, पानी,

सूर्य का प्रकाश तथा आर्थिक क्षमता आदि बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुये परम्परागत रूप से उस क्षेत्र में आवास भवनों का निर्माण उस क्षेत्र के ग्रामों व नगरों में बसने वाली जनता द्वारा किया जाता रहा है। परम्परागत रूप से बने हुये निजी आवासों में शासन द्वारा कोई परिवर्तन किया जाना व्यवहारिक नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम से स्थानीय जनता को साफ हवा, पानी व सूर्य के प्रकाश के महत्व से अवगत कराया ही जाता है और यह आशा की जाती है कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ वहां के निवासी परम्परागत आवासों के बजाय अच्छे हवादार आवासों का अधिक से अधिक निर्माण करने के लिये प्रेरित हो सकेंगे।

पिथौरागढ़ में शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहन देने की मांग

73—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में शीतकालीन खेलों, पर्वतारोहण की अति उत्तम प्राकृतिक सुविधायें मौजूद हैं? यदि हां, तो इस जनपद में अतिशीघ्र इन्हें विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर ठोस निर्णय लेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

पर्वतीय क्षेत्र में मंडलीय पर्यटन सलाहकार समितियां मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित हैं। पर्यटन सम्बन्धी योजनाओं के बनाने का कार्य इन सलाहकार समितियों को दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में शीतकालीन खेलों, पर्वतारोहरण आदि के सम्बन्ध में समिति से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जा सकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में 'रोप वे' रज्जु मार्ग हेतु 'रज्जु मार्ग अनुसंधान संस्थान' खोलने की मांग

74—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय पर्यावरण को स्थायी रूप से बनाए रखते हुए यातायात के लिए गांव से गांव व गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु मात्र विकल्प 'रोप वे' रज्जु मार्ग है? यदि हां, तो रज्जु मार्ग की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये उसके भार, यांत्रिक खर्च कम करते हुए अधिक भार वाहक बनाने के लिए शीघ्र विशेष रज्जु मार्ग अनुसंधान संस्थान खोलने के आदेश देंगे यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

तराई एवं सीमान्त जिलों में कंकरीट कोलतार मार्गों के निर्माण का औसत खर्च

75—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई, तराई से लगे पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में मोटर मार्ग बनाने उनमें कंकरीट, कोलतार करने का औसत खर्चा क्रमशः कितना रुपया प्रति कि0 मी0 आता है? इन्हीं मार्गों पर रज्जु मार्ग (रोप वे) लगाने का प्रति कि0 मी0 औसत खर्चा कितना अनुमानित है?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मंसूरी के 'रोप वे' रज्जु मार्ग की निर्माण लागत एवं आय

76--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंसूरी में लगे रज्जु मार्ग (रोप वे) का निर्माण कितनी धनराशि से कब सम्पन्न हुआ था ? इसमें विगत 5 वर्षों में कितना रुपया आय-व्यय हुआ ? इसमें प्रति व्यक्ति का औसत यात्रा खर्चा दर क्या आता है व क्या लिया जाता है ? इसकी व्यापक सफलता को देखते हुए क्या सरकार इसको व्यापक स्थलों में लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त --

मंसूरी में लगे रज्जू मार्ग (रोप वे) का निर्माण रुपये 4,50,000 की धनराशि से वर्ष 1969 में सम्पन्न हुआ था। विगत 5 वर्षों में उक्त रोप वे से नगरपालिका को रुपये 11,00,000 की आय हुई है। उक्त रोपवे पर महापालिका द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता क्योंकि उक्त रोप वे नगरपालिका द्वारा रुपये 2,20,000 वार्षिक किराये पर ठेके पर दे दिया गया है। जिसके अनुसार रख-रखाव का दायित्व ठेकेदार का है। एक ट्राली में एक समय में केवल 12 व्यक्ति बैठते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति से रु0 3/ किराया लिया जाता है जिसमें ट्राली से आना व जाना सम्मिलित है।

सम्यक् प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा संसाधनों की स्थिति को देखते हुए अन्य उपयुक्त स्थलों पर इसे लगाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

घुघली, गोरखपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

77--श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामाक्षय जायसवाल, घुघली, गोरखपुर ने अपने शिकायती-पत्र दि0, 4-4-85 द्वारा वर्तमान थानाध्यक्ष (घुघली), गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं संगीन अपराधों को छिपाने के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

जी हां। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आनन्द शुगर मिल, खलीलाबाद, बस्ती पर बकाया गन्ना मूल्य

78--श्री द्वारिका प्रसाद--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैपुरिया आनन्द शुगर मिल, खलीलाबाद (बस्ती) पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना का मूल्य बकाया है ? उसे किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

आनन्द शुगर मिल, खलीलाबाद, (बस्ती) पर गन्ना किसानों का कुल गन्ना मूल्य 30.68 लाख रु0 बकाया है जिसमें से वर्ष 1984-85 का 30.19 लाख रु0 तथा इसके पूर्व वर्षों का 0.49 लाख रु0 है।

0.49 लाख रु0 गन्ना विकास समिति लि0, खलीलाबाद, बढ़नी तथा चीनी मिल के बीच विवादग्रस्त है। वर्ष 1984-85 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बांदा, बदौसा के थानाध्यक्ष, श्री बी0 बी0 सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

79--डाक्टर सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना बदौसा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्त, सदस्य, बी0 डी0 सी0 के शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र पुलिस महा निदेशक को 22 मार्च, 1985 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक ने एंटी करप्शन विभाग के द्वारा जांच तथा स्थानान्तरण के आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। उक्त शिकायती-पत्र में उल्लेख किया गया था कि थानाध्यक्ष, बदौसा श्री बी0 बी0 सिंह द्वारा क्षेत्र में भीषण आतंक व्याप्त है और भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी के माध्यम से जनता को परेशान किये हैं। श्री गुप्त उनके भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करते हैं, इसलिए उनको थानाध्यक्ष से खतरा है। पत्र में यह भी कहा गया था कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से पूर्व उनका स्थानान्तरण किया जाय। पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 25-3-85 को ही भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच सौंप दी गयी थी। यह जांच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही है। थानाध्यक्ष, बदौसा श्री बी0 बी0 सिंह को जनपद बांदा से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका, तिलहर, शाहजहांपुर में सड़कों के निर्माण कार्य का सत्यापन

80--श्री राम औतार मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में विगत दो वर्षों में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनमें से कौन-कौन से तथा कितनी-कितनी धनराशि के कार्यों का भौतिक सत्यापन नियमानुसार पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से कराया गया तथा कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी धनराशि के कार्यों का भौतिक सत्यापन किस नियम के अन्तर्गत जलकल विभाग द्वारा कराया गया ? क्या यह सच है कि जलकल विभाग से उन्हीं कार्यों का सत्यापन कराया गया जो अत्यन्त ही निकृष्ट स्तर के हैं तथा जिनका सत्यापन पी0 डब्लू0 डी0 विभाग ने करने से टाल दिया था ?

श्री नारायन दत्त--

सड़क निर्माण के अन्तर्गत सम्पन्न कराये गये पी0 डब्लू डी0 द्वारा सत्यापित कार्यों तथा शासनादेश संख्या 2172-ए/11-7-503 (सड़क अनुदान)-80, दिनांक 29 मई, 1980 में निहित निदेशों के अन्तर्गत जलकल विभाग द्वारा सत्यापित कार्यों की सूची संलग्न है। जी नहीं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 189 पर)

फैजाबाद, उप निदेशक, सूचना के कार्यालय के रिक्त पद

81--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सूचना मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में उपनिदेशक क्षेत्रीय सूचना का कार्यालय सन् 1984 से ही खुल गया है लेकिन अभी तक वहां पर न तो किसी उप निदेशक की नियुक्ति हुई है और न टेक्नीशियन्स की ही नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो इन रिक्तियों को कब तक भर दिया जायगा ताकि यूरी यूनिट सुचारुरूप से कार्य कर सके ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां।

क्षेत्रीय उप निदेशक के कार्यालय हेतु टेक्नीशियन नामक कोई पद सृजित नहीं है।

सम्यक् विचारोपरान्त पदों को भरने पर विचार किया जायगा ।

82—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

[दिनांक 29 जुलाई, 1985 को अता० प्र० सं० 64 द्वारा उत्तरित ।]

निदेशक, अन्वेषणालय तथा निदेशक, क्वालिटी प्रमोशन सेल के दैनिक वेतन भोगी कथित कर्मचारी

83—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, म० क्षे०, प्रमुख अभियन्ता, निदेशक, अन्वेषणालय एवं क्वालिटी कन्ट्रोल प्रमोशन सेल के कार्यालय में एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कितने दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा क्या उनकी वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कुछ कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है तथा उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में रखा गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री नारायन दत्त—

निदेशक, अन्वेषणालय के कार्यालय में 26 तथा निदेशक, क्वालिटी प्रमोशन सेल के कार्यालय में 21 ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं परन्तु मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र तथा प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में ऐसा एक भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची उनके कार्यालय/विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है क्योंकि तद हेतु कोई आदेश विद्यमान नहीं हैं । यह सत्य नहीं है कि उक्त चार कार्यालयों में एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कुछ कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया तथा उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग की कर्मचारी कु० फातिमा की सेवा समाप्ति

84—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्रांक 13-सी एम/सी० बी०/85, दिनांक 20 मार्च, 1985 तथा मा० राज्य मन्त्री, उद्योग के पत्रांक 159/एस० एम० आई० 85, दि० 30 मार्च, 1985, माननीय राज्य मन्त्री, सा० नि० विभाग ने अपने पत्र सं० 43 बी० आई० पी०/एस० एम० पी० डब्लू० डी०/85, दिनांक 6 अप्रैल, 1985, मा० राज्य मन्त्री, वन के पत्रांक 232 एस० एम० एफ०/85, दि० 26 अप्रैल, 1985 तथा शासन के पत्रांक 13 सी एम/सी० बी०/85-23 सा० नि० अनु०-8-15 डब्लू० सी०/85, दि० 15 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, सा० नि० वि० को मस्टर रोल/वर्कचार्ज पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान तथा उन्हें सेवा में पुनः रखने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्नगत पत्रों/पृष्ठांकनों द्वारा मस्टर रोल की मात्र एक भूतपूर्व कर्मचारी कु० तनवीर फातिमा को मस्टर रोल पर नियुक्त किये जाने के प्रश्न पर पुनः विचार करने एवं 25 फरवरी, 1985 की बाद की अवधि के उनके तथाकथित बकाया वेतन का भुगतान करने की स्थिति से अवगत कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, सा० नि० वि० से कहा गया था । उन्होंने कु० फातिमा की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं पाई और न ही उनका कोई वेतन बकाया पाया ।

85—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों, आशुलिपिकों, लिपिकों का समयबद्ध वेतनमान

86--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधि अधिकारियों, आशुलिपिकों/लिपिकों को शासन द्वारा अब तक समयबद्ध वेतनमान क्यों स्वीकृत नहीं किया गया जबकि विभाग के अन्य संवर्गों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किया गया है ?

श्री नारायन दत्त--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विधि अधिकारियों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किए जाने के औचित्य पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक आशुलिपिकों एवं लिपिकों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने का प्रश्न है, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के समयबद्ध वेतनमान के सामान्य शासनादेशों संख्या-वे0-आ0-2-210/दस-83-सं-व्य(सा)/82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 एवं संख्या-वे0 आ0-2-808/दस-83-सं-व्य(सा)/82, दिनांक 20 अक्तूबर, 1983, जिनके द्वारा अन्य पदों के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आशुलिपिकों, लिपिकों को समयबद्ध वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1982 से स्वीकृत किए गये हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों एवं लिपिकों (जिनके संवर्ग की पुनः संरचना नहीं हुई है) को भी उक्त शासनादेशों में निहित प्रतिबन्धों के अधीन, समयबद्ध वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1982 अथवा उसके बाद की उस तिथि से, जब वे संबंधित शासनादेशों में निहित प्रतिबन्धों पूरा कर लेंगे, अनुमन्य हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय के टाइपराइटर एवं फोटोस्टेट मशीन

87--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के कार्यालय में कितने हिन्दी व अंग्रेजी टाइपराइटर एवं फोटो स्टेट की मशीनें हैं तथा उनको आपरेट करने के लिए कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मध्य क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1983-84 व 84-85 के प्रत्येक माह में कितनी धनराशि का टाईप व फोटोस्टेट का कार्य बाजार से कराया गया ? इस प्रकार की गयी धनराशि की अपव्यय के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में 65 हिन्दी की, 38 अंग्रेजी की टाइप मशीन तथा 3 फोटोस्टेट मशीनें हैं एवं मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के कार्यालय में 5 हिन्दी की बड़ी तथा 2 छोटी व 1 अंग्रेजी की बड़ी तथा 2 छोटी टाइप मशीनें हैं । मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के कार्यालय में फोटोस्टेट की कोई मशीन नहीं है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में 3 फोटोस्टेट मशीनों को आपरेट करने के लिये 3 कर्मचारी हैं ।

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के कार्यालय में टंकण के कार्य हेतु 5 कर्मचारी हैं ।

†विवरण संलग्न है ।

जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

†[देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ 194 पर ।]

88—श्री यदुनाथ सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

लखनऊ, ऐशबाग रेलवे क्रासिंग पर ओवर हेड ब्रिज बनाने की योजना

89—श्री नरेश चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित ऐशबाग रेलवे क्रासिंग पर ओवरहेड ब्रिज बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह सम्बन्धित रेलवे की सहमति से सड़क उपरिगामी सेतु के निर्माण का आगणन तैयार कर शासन के विचारार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध कराये ।

देवरिया की सदर तहसील के ग्रामों में हैण्ड पम्पों के निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

90—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के तह0 सदर के कुल कितने ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्ड पम्पों का निर्माण करा दिया गया है तथा कुल कितने ग्रामों में लगाया जाना प्रस्तावित है तथा उनमें कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद देवरिया के तहसील सदर के कुल 361 समस्याग्रस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

1972 की सूची के अनुसार सदर तहसील देवरिया के 361 समस्या ग्रस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित था, जो लगा दिये गये हैं ।

जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 1984 में नये समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची बनाई गई । जिसका सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जा रहा है । इन ग्रामों को सप्तम पंचवर्षीय योजना काल में धन की उपलब्धता के अनुसार पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

91—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कार्यरत उ0 प्र0 जल निगम की किन-किन शाखाओं के विरुद्ध हैण्ड पम्पों के निर्माण में अनियमितताओं की जांच की गयी ? अनियमितताएं व जांच रिपोर्ट क्या हैं ? क्या मन्त्री जी पूर्व विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

देवरिया जनपद में कार्यरत दो शाखाओं में से अस्थायी प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, देवरिया द्वारा हैण्ड पम्पों के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतों की प्रारम्भिक जांच की गई ।

प्रारम्भिक जांच के अनुसार हैण्ड पम्प अधिष्ठान के कार्य एवं निर्माण सामग्री क्रय हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार किये बिना दरें प्राप्त कर अनुबन्ध निष्पादित करना तथा अन्य गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं ।

जी नहीं । जांच आख्या गोपनीय होने के कारण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ के लालगंज–तरवा मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

92––श्री श्रीप्रकाश––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में लालगंज–तरवा मार्ग बने 8 वर्ष बीतने के बाद भी उसमे सम्बन्धित काश्तकारों की अर्जित भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

आजमगढ़ जनपद में लालगंज तरवा मार्ग का निर्माण कार्य जून, 1983 में पूर्ण हुआ था और इसमें प्रयुक्त हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को अभी नहीं दिया जा सका है क्योंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

मुहम्मदाबाद गोहना की सुल्तानी–मऊनाथ भंजन सड़क एवं खुरहट–सरसेना सड़क की मरम्मत की मांग

93––श्री राम बदन एडवोकेट––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 219 विधान सभा सुरक्षित मुहम्मदाबाद गोहना की सुल्तानी मऊनाथ भंजन और खुरहट सरसेना सड़कें जो 1930 ई0 की बनी हुई हैं आज तक मरम्मत क्यों नहीं हुई ? सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच कराकर सरकार यह जानकारी हासिल करेगी कि उपरोक्त सड़कों का बजट किस उपयोग में लगाया गया ?

श्री नारायन दत्त––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् शवदाह गृह के निर्माण की मांग

94––श्री यदुनाथ सिंह––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 5वें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 116 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित विद्युत् शवदाह गृह चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके चालू न होने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायन दत्त––

जी नहीं ।

चालू न होने के निम्न कारण हैं :––

(1) विद्युत् शवदाह गृह की भट्ठी को लगाने के लिए विशेष प्रकार की फायर प्रूफ ईंटें बड़ौदा से आनी हैं जो कि फर्म ने अभी तक सप्लाई नहीं की है ।

(2) सम्पूर्ण कार्य पर लगभग 45·233 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता है जिसमें से अभी तक विकास प्राधिकरण द्वारा केवल 22 लाख रु0 की व्यवस्था की जा सकी है ।

(3) विद्युत् शवदाह गृह के लिए 75 किलोवाट बिजली की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था लखनऊ विद्युत् सप्लाई अन्डरटेकिंग ने अभी नहीं की है ।

इसके लिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता ।

95––श्री यदुनाथ सिंह––

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

96––श्री सुखपाल पाण्डे––

[दिनांक 23–7–85 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित ।]

मिर्जापुर, रेनूकूट वन प्रभाग में वन भूमि का अतिक्रमण एवं अवैध कटान

97—श्री विजय सिंह—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण हेतु जनपद मिर्जापुर के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत जुलाई, 1982 से मार्च, 1985 तक वन भूमि अतिक्रमण व अवैध कटान के जुर्म में कितने लोगों के ऊपर एच–2 केस हटाये गये तथा कितनों से जुर्माना वसूला गया और कितने के ऊपर मुकदमा कायम किया गया तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1980 से जून, 1982 तक उक्त वन प्रभाग में कितने एच–2 केस जुर्माना, वसूली तथा मुकदमे कायम किये गये ?

श्री नारायन दत्त—

रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत जुलाई, 1982 से मार्च, 1985 तक वन भूमि अतिकमण व अवैध कटाव के जुर्म में 2,814 व्यक्तियों के विरुद्ध 2,193 एच–2 केस काटे गये। 1,458 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया तथा 417 व्यक्तियों के मामले न्यायालय भेजे गये।

जुलाई, 1980 से जून, 1982 तक 932 जुर्म केस काटे गये, 690 केसों में जुर्माना वसूला गया और 45 केस न्यायालय भेजे गये।

मिर्जापुर, ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज की तेन्दू पत्ता के ठेकेदार श्री मु0 हफीज द्वारा वन संरक्षक के यहां दाखिल किया गया कथित मामला

98—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के श्री मु0 हफीज, तेंदू पत्ता ठेकेदार, दुद्धी में ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत यूनिट नं0 14 वसुधा जंगल की तेंदू पत्ती की तोड़ाई का ठेका टेंडर पर 16 फरवरी, 1982 को जो लिया था, उस पर उन्होंने पत्ती तोड़ाई का काम पूर्व निर्धारित सीमा के अन्दर शुरू कर दिया था किन्तु 29 मई, 1983 को चार फड़ों पर पत्ती न तोड़ने की नोटिस देकर वन विभाग द्वारा 3 जून, 1982 को उनमें चारों फड़ों की पत्ती जब्त कर ली गई जिससे ठेकेदार को लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ा ? यदि हां, तो ऐसा मनमानी करने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

श्री मु0 हफीज ने जनपद मिर्जापुर के ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज की तेंदू पत्ता यूनिट सं0 14/1982 वसुधा जंगल की तेन्दू पत्ती की तोड़ाई का ठेका टेंडर पर 16 फरवरी, 1982 को लिया था। उस पर उन्होंने मई, 1982 में पत्ती तोड़ाई का कार्य प्रारम्भ किया। इस कार्य की आड़ में श्री मु0 हफीज ने अपने बगल की यूनिट नं0 13/1982 की सीमा में अवैध रूप से चार फड़ लगा लिये, जिसे दूसरे ठेकेदार श्री अजय कुमार टंडन ने खरीदा था। श्री मु0 हफीज के द्वारा अपनी यूनिट के बाहर की सीमा में बनाये गये चारों फड़ों की पत्ती वन विभाग द्वारा 3 जून, 1982 को सीज कर कब्जे में ले ली गई। इस कार्यवाही से श्री मु0 हफीज को कोई घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

99—श्री विजय सिंह—

क्या यह सही है कि उक्त मामला आर्बिट्रेटर (कंजरवेटर, इलाहाबाद, दक्षिणी वृत्त) को निर्णयार्थ सुपुर्द है किन्तु 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आर्बिट्रेटर ने उक्त मामले पर कोई फैसला नहीं किया है जिससे श्री हफीज परेशानी व आर्थिक संकट में फंस गए हैं ? क्या सरकार आर्बिट्रेटर से जल्द फैसला करवाने की दिशा में कोई कदम उठाएगा ? क्या सरकार उक्त मामले की पूरी जांच कराकर श्री हफीज को शीघ्र न्याय दिलायेगी ?

श्री नारायन दत्त--

तेंदू पत्ती यूनिट संख्या 14 के सम्बन्ध में श्री मु0 हफीज ने कोई मामला वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त को आर्बिट्रेशन के लिए प्रेषित नहीं किया है

गोरखपुर के जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर विद्यालय, महराजगंज के छात्रों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

100--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना महराजगंज के थानाध्यक्ष ने दिनांक 23-3-85 को जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर विद्यालय, महराजगंज के छात्राध्यक्ष एवं अन्य छात्रों एवं नेताओं आदि की पिटाई एवं स्वयं पुलिस द्वारा फायर करके धारा 307 भा0 दं0 वि0 में छात्रों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने सम्बन्धी भू0 पू0 विधायक महराजगंज, गोरखपुर (श्री फिरंगी प्रसाद विशारद) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, डी0 आई0 जी0, गोरखपुर व डी0 जी0 (पुलिस) को माह अप्रैल, 1985 में शिकायती-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की भी मांग है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जायेगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

जांच से आरोप निराधार पाये गये । घटना की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

वाराणसी-भदोही मार्ग में मोरवा नदी पर पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

101--श्री मूल चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परसोपुर, जिला वाराणसी में लखनपुर उर्फ अबहनपुर में मोरवा नदी पर परलुतफुल हक आदि की लगभग 11 बीघा भूमि पर सरकार के पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा बाईपास सड़क बनवायी जा रही है, जिससे आराजी के मालिकान का फसल आदि का भारी नुकसान हो चुका है और सरकार ने अभी तक भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

वाराणसी-भदोही मुख्य जिला मार्ग में मोरवा नदी पर निर्माणाधीन नये पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण में श्री शाहिद जमाल एवं श्री दुर्गेश नारायन वल्द श्री परलुतफुल हक की जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है उसमें कोई फसल नहीं बोयी गयी थी, अतः फसल के नुकसान होने का प्रश्न नहीं है । उक्त भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है तथा मुआवजे का नियमानुसार भुगतान यथासमय कर दिया जायेगा ।

पिथौरागढ़ में मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

102--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली उपयोगी या कृषि/बागवानी उद्योग के रूप में पहले से लगातार उपयोग में लाई जा रही भूमि का मुआवजा दिये जाने वाले धन का मानक क्या है ? इसे कितने समय में भुगतान किया जाता है ? पिथौरागढ़ जनपद में किन-किन मार्गों पर क्रमशः कितनी धन-राशि देय है ? इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेमरा–खांडा मार्ग पर करबन नदी पर पुल निर्माण की मांग

103––श्री चन्द्रभान मौर्य––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेमरा–खांडा मार्ग पर करबन नदी में बरसात में प्रति वर्ष पुल के अभाव में बीसों व्यक्तियों तथा सैकड़ों पशुओं की पानी में डूब जाने व बह जाने के कारण मृत्यु हो जाती है तथा जनता को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है ? क्या मन्त्री जी वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त मार्ग पर पैसई गांव पर जहां करबन नदी गुजरती है पुल निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

सेमरा–खांडा मार्ग पर करबन नदी में डूब जाने या बह जाने से विगत तीन वर्षों में किसी व्यक्ति अथवा पशुओं की मृत्यु नहीं हुई है। अतः जनता को आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़ा।

ग्राम पैसई के पास करबन नदी पर पुल निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण।

कप्तानगंज, जिला देवरिया के पायल टाकीज में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती–पत्र

104––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मैनेजर सिंह––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कप्तानगंज, जिला देवरिया में चलने वाली पायल टाकीज में व्याप्त वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में उन्हें जो पत्र दिया था जिसे उन्होंने 16–3–85 को संस्थागत वित्त विभाग को भेज दिया है पर किसी प्रकार की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया––

जी हां।

शिकायती–पत्र पर जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 194 पर।)

थानाध्यक्ष, घुघली, गोरखपुर द्वारा नाजायज औरत रखने के आरोपों की जांच

105––श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मैनेजर सिंह––

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष, घुघली, गोरखपुर के सम्बन्ध में बस्ती जनपद के कार्यकाल में नाजायज औरत रखने के सम्बन्ध में विभागीय जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त––

वर्तमान थानाध्यक्ष, घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध जनपद बस्ती में उनकी तैनाती के समय, एक नाजायज औरत रखने के आरोपों की विस्तृत विभागीय जांच अभी चल रही है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, बैरिया, बलिया के विरुद्ध पंजीकृत कथित मुकदमा

106––श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी

सहकारिता, वि0 खं0, बैरिया, जिला बलिया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी, लूट आदि से सम्बन्धित कोई पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14-12-82 को बैरिया थाने में दर्ज हुआ था जिसके सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी के दिनांक 28-12-82 के पत्र द्वारा थानाध्यक्ष, बलिया से कार्यवाही की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

सहकारी चीनी मिल, बागपत, मेरठ की चीनी उत्पादन क्षमता

107--श्री जयदीप सिंह दरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल बागपत, जिला मेरठ ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का क्या परता रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मं0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मं0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1960-61	11·09	1250	1065·8	9·43
1961-62	13·41	1250	1187·7	9·30
1962-63	12·85	1250	1202·7	9·03
1963-64	15·16	1250	1118·1	8·50
1964-65	15·06	1250	1145·1	8·91
1965-66	22·35	1250	1377·6	9·36
1966-67	3·73	1250	1164·0	8·48
1967-68	10·87	1250	1210·6	9·06
1968-69	14·26	1250	887·0	6·90
1969-70	25·84	1250	1205·4	9·18
1970-71	16·77	1250	1193·8	9·56
1971-72	13·76	1250	1226·1	9·75

1	2	3	4	5
1972–73	18·25	1250	1145·9	9·66
1973–74	21·96	1250	1165·4	8·82
1974–75	20·61	1250	1167·7	9·70
1975–76	17·28	1250	1159·5	9·64
1976–77	18·07	1250	1207·7	9·67
1977–78	24·66	1250	1094·6	9·10
1978–79	15·31	1250	1120·7	9·05
1979–80	10·14	1250	1283·9	10·73
1980–81	13·73	1250	1264·9	9·46
1981–82	20·54	1250	1206·6	9·80
1982–83	15·48	1250	1208·9	10·68
1983–84	22·12	1800	1543·2	10·32
1984–85	19·37	1800	1636·9	10·03

सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर की चीनी उत्पादन की क्षमता

108—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई का और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पिराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1983–84	0·90	1250	199·3	6·55
1984–85	3·07	1250	409·3	8·87

सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर की चीनी उत्पादन क्षमता

109--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, जिला सीतापुर ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1982-83	0·77	1250	277·1	5·54
1983-84	5·72	1250	578·0	8·55
1984-85	7·73	1250	709·2	9·31

सहकारी चीनी मिल, गजरौला, मुरादाबाद की चीनी उत्पादन की क्षमता

110--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला मुरादाबाद ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 85 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 टन)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 टन)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1983-84	9·12	1250	730·0	8·40
1984-85	13·20	1250	1039·4	8·82

सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर की चीनी उत्पादन की क्षमता

111—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 85 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1981–82	19·69	1250	689·6	8·01
1982–83	10·40	1250	874·3	9·43
1983–84	8·94	1250	761·8	8·35
1984–85	8·79	1250	976·7	9·16

सहकारी चीनी मिल, बिलरायां, खीरी की उत्पादन क्षमता

112—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल बिलराया, जिला खीरी ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितन गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 टन)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1980–81	3·47	1250	392·8	9·00
1981–82	23·15	1250	914·9	8·38
1982–83	21·82	1250	991·4	9·12
1983–84	14·77	1250	1179·5	8·89
1984–85	15·40	1250	1184·6	9·76

सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर की चीनी उत्पादन क्षमता

113—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल ननौता, जिला सहारनपुर ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने का मात्रा (ला० कु०)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै० टन)	वास्तविक दैनिक पेराई (म० टन)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1979–80	1·26	1250	448·52	8·81
1980–81	10·48	1250	867·41	8·91
1981–82	26·05	1250	1180·26	9·30
1982–83	25·39	1250	1118·44	9·52
1983–84	23·70	1250	1250·09	9·52
1984–85	20·68	1250	1276·05	9·51

सहकारी चीनी मिल, रमाला, मेरठ की चीनी उत्पादन की क्षमता

114—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल रमाला, जिला मेरठ ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने का पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठा—

पित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पिराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला० कु०)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै० टन)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै० टन)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1978–79	0·69	1250	284·08	7·77
1979–80	6·13	1250	606·2	9·66
1980–81	10·81	1250	776·4	8·75
1981–82	21·50	1250	946·7	8·70
1982–83	19·55	1250	1119·1	9·80
1983–84	21·27	1250	1249·6	9·37
1984–85	18·15	1250	1278·9	9·02

सहकारी चीनी मिल, नादेही, नैनीताल की चीनी उत्पादन की क्षमता

115—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, नादेही, जिला नैनीताल ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक पेराई सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला० कु०)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै० ट०)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै० ट०)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1976–77	0·55	1250	177·4	6·34
1977–78	16·83	1250	695·3	8·44
1978–79	14·81	1250	744·1	8·71
1979–80	7·62	1250	876·5	9·37
1980–81	12·73	1250	821·3	9·42
1981–82	21·56	1250	945·7	8·68
1982–83	20·76	1250	1038·2	9·49
1983–84	20·69	1250	1073·7	9·01
1984–85	16·50	2000	1122·4	9·46

सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, रामपुर की चीनी उत्पादन की क्षमता

116--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला रामपुर ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक पिराई सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1977-78	3'67	1250	455'5	6'97
1978-79	13'00	1250	722'8	8'48
1979-80	13'11	1250	953'2	9'35
1980-81	14'11	1250	941'6	9'15
1981-82	22'04	1250	949'4	7'95
1982-83	17'57	1250	927'2	8'82
1983-84	15'89	1250	1148'5	9'00
1984-85	13'25	2000	1172'6	9'14

सहकारी चीनी मिल, बदायूं की चीनी उत्पादन की क्षमता

117--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल बदायूं, जिला बदायूं में पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन

में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता वास्तविक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1977–78	10·89	1250	672·0	8·42
1978–79	13·49	1250	894·8	8·95
1979–80	5·62	1250	730·2	9·38
1980–81	9·35	1250	773·0	8·90
1981–82	19·72	1250	861·1	8·62
1982–83	13·00	1250	942·2	10·03
1983–84	12·88	1250	1150·4	9·56
1984–85	10·43	1250	1032·7	10·13

सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, पीलीभीत की चीनी उत्पादन की क्षमता

118—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर, जिला पीलीभीत की पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1977–78	11·20	1250	747·6	8·74
1978–79	13·90	1250	891·1	8·90
1979–80	7·01	1250	876·8	9·57
1980–81	12·57	1250	952·6	9·35
1981–82	22·63	1250	931·4	8·80
1982–83	17·08	1250	954·1	9·38
1983–84	15·50	1250	1017·7	9·03
1984–85	12·74	1250	1117·5	9·05

सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर, बुलन्दशहर की चीनी उत्पादन की क्षमता

119—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने-कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला० कु०)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै० ट०)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै० ट०)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1977-78	16·77	1250	759·0	9·58
1978-79	14·07	1250	950·6	9·9
1979-80	8·31	1250	866·0	10.70
1980-81	8·96	1250	648 9	9·27
1981-82	26·94	1250	1139·3	9.64
1982-83	21·50	1250	1208·3	10·31
1983-84	17·87	1250	1190·9	9·14
1984-85	19·43	2000	1494·6	10·36

इलाहाबाद, कुम्हरगढ़वा, अल्लापुर के मार्ग के निर्माण की मांग

120—श्री किरन पाल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कुम्हरगढ़वा तिलकनगर, अल्लापुर, जिला इलाहाबाद के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-8-84 को क्षेत्रीय विधायक के द्वारा दिनांक 24-8-84 को उनके पत्र के साथ प्रशासक, नगर महापालिका, इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उल्लिखित पत्र में किन-किन कार्यों को पूर्ण कराए जाने की मांग की गयी है तथा सम्पूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कराए जाने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रशासक को तत्कालीन विधायक के पत्र दिनांक 24-8-84 के साथ मोहल्ला कुम्हरगढ़वा (तिलकनगर), अल्लापुर के निवासियों का दिनांक 24-8-84 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

पत्र में अल्लापुर डाकखाने से बख्शी बांध पम्पिंग स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर तिलक शिक्षण संस्थान, तिलक नगर के पास छूटी हुई अधूरी सड़क का निर्माण पूरा कराने की मांग की गयी थी ।

प्रशासक की आख्या के अनुसार जहां सड़क अधूरी है वहां पर तालाब है । तालाब को पाटने की कार्यवाही की जा रही है । तालाब पट जाने के बाद ही सड़क का निर्माण किया जा सकेगा ।

मार्च, 1986 तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल, साधा, अलीगढ़ की चीनी उत्पादन क्षमता

121--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, साधा, जिला अलीगढ़ ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीज में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का क्या परता रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (मै0 ट0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1976-77	0.53	1250	213.7	7.94
1977-78	11.38	1250	490.4	7.86
1978-79	8.30	1250	553.6	8.60
1979-80	2.88	1250	472.6	8.36
1980-81	6.51	1250	638.0	9.21
1981-82	15.42	1250	676.3	8.06
1982-83	11.06	1250	864.0	10.12
1983-84	10.50	1250	847.0	9.03
1984-85	9.22	1250	886.5	9.56

सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ की चीनी उत्पादन की क्षमता

122—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, सठियांव, जिला आजमगढ़ ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का क्या परता रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1975–76	2.54	1250	1250	317.5	7.65
1976–77	8.16	1250	1250	840.8	9.40
1977–78	9.80	1250	1250	924.7	9.43
1978–79	7.50	1250	1250	728.3	9.48
1979–80	2.47	1250	1250	397.9	8.67
1980–81	3.63	1250	1250	505.9	8.85
1981–82	11.11	1250	1250	695.7	8.80
1982–83	7.67	1250	1250	717.1	9.06
1983–84	7.66	1250	1250	833.0	9.40
1984–85	4.45	1250	1250	675.0	8.83

सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया की चीनी उत्पादन की क्षमता

123—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जिला बलिया ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठा—

पित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का क्या परता पड़ा ?

[श्री नारायन दत्त--]

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पिराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1975-76	3.17	1250	356.5	8.23
1976-77	9.13	1250	829.7	9.34
1977-78	10.95	1250	835.0	9.25
1978-79	9.85	1250	827.5	9.00
1979-80	4.40	1250	628.2	8.83
1980-81	3.52	1250	502.2	8.85
1981-82	9.23	1250	710.0	8.73
1982-83	9.17	1250	831.1	9.00
1983-84	8.55	1250	902.7	9.17
1984-85	2.91	1250	538.9	8.65

सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद की चीनी उत्पादन की क्षमता

124—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर मई, 1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पिराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1975-76	7.34	1250	908.6	9.32
1976-77	12.46	1250	1049.9	10.08
1977-78	18.63	1250	961.3	8.81
1978-79	9.84	1250	1067.8	9.40
1979-80	4.23	1250	889.1	10.17
1980-81	7.38	1250	939.5	9.50
1981-82	17.83	1250	969.6	9.32
1982-83	13.47	1250	1049.8	9.58
1983-84	11.23	1250	1129.6	9.30
1984-85	7.40	1250	936.7	9.41

सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी की चीनी उत्पादन की क्षमता

125--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल औराई, जिला वाराणसी ने पिराई प्रारम्भ करने के वर्ष से लेकर 15 मई, 1985 तक प्रत्येक सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1971-72	0.37	1250	133.8	8.48
1972-73	6.02	1250	668.7	9.42
1973-74	4.91	1250	430.4	8.75

1	2	3	4	5
1974-75	7.46	1250	746.0	8.89
1975-76	6.71	1250	670.8	9.00
1976-77	8.71	1250	675.0	8.57
1977-78	10.18	1250	754.2	9.14
1978-79	5.12	1250	501.5	8.86
1979-80	0.81	1250	176.1	7.51
1980-81	1.02	1250	261.6	7.83
1981-82	10.20	1250	766.9	9.48
1982-83	7.68	1250	783.6	9.70
1983-84	7.12	1250	749.4	9.48
1984-85	3.85	1250	592.3	9.60

सहकारी चीनी मिल, मझौला, पीलीभीत की चीनी उत्पादन क्षमता

126--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल मझौला, जिला पीलीभीत ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पिराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पिराई तथा चीनी का क्या परता रहा ?

श्री नारायन दत्त--

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दैनिक पेराई (मै0टन)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1965-66	13.76	1250	1150.3	9.57
1966-67	11.61	1250	1359.2	9.79

1	2	3	4	5
1967-68	9.05	1250	1250.1	9.71
1968-69	14.59	1250	1312.7	10.22
1969-70	26.05	1250	1255.7	9.39
1970-71	22.19	1250	1285.0	9.44
1971-72	14.01	1250	1327.0	9.90
1972-73	22.24	1250	1320.0	10.05
1973-74	23.32	1250	1306.8	8.91
1974-75	22.60	1250	1332.3	9.28
1975-76	22.73	1250	1377.1	10.41
1976-77	22.47	1250	1476.5	10.12
1977-78	30.00	1250	1466.5	9.14
1978-79	25.23	1250	1513.4	9.40
1979-80	18.46	1250	1541.8	10.03
1980-81	19.36	1450	1542.5	9.95
1981-82	27.76	1450	1447.4	9.06
1982-83	25.59	1450	1483.5	9.14
1983-84	22.73	1800	1822.3	8.85
1984-85	17.95	2000	2001.5	9.20

सहकारी चीनी मिल, सरसांवा, सहारनपुर की चीनी उत्पादन की क्षमता

127--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, सरसांवा, जिला सहारनपुर ने पेराई प्रारम्भ करने के वर्ष से मई, 1985 तक प्रत्येक पेराई सीजन में कितने गन्ने की पेराई की और प्रत्येक सीजन में अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता, वास्तविक दैनिक पेराई तथा चीनी का क्या परता रहा ?

श्री नारायन दत्त—

पेराई सत्र	पेरे गये गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	अधिष्ठापित दैनिक पेराई क्षमता (मै0 ट0)	वास्तविक दनिक पेराई (मै0 ट0)	चीनी का परता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1961-62	0.20	1000	157.0	3.79
1962-63	3.64	1000	395.1	7.98
1963-64	10.30	1000	635.7	8.76
1964-65	12.40	1000	751.3	8.29
1965-66	14.14	1000	817.2	8.72
1966-67	4.78	1000	683.5	9.25
1967-68	9.47	1000	776.6	9.32
1668-69	11.57	1000	776.3	8.63
1969-70	17.50	1000	758.4	9.09
1970-71	12.98	1000	701.7	8.64
1971-72	9.47	1000	751.3	9.00
1972-73	13.41	1000	783.8	8.75
1973-74	14.97	1000	783.7	8.57
1974-75	14.94	1000	758.5	9.51
1975-76	14.02	1000	870.5	9.36
1976-77	15.84	1000	880.0	9.68
1977-78	18.99	1000	784.9	8.57
1978-79	14.78	1000	876.0	9.32
1979-80	12.99	1000	733.8	8.80
1980-81	13.44	1000	903.2	9.06
1981-82	27.51	1500	1368.6	9.02
1982-83	31.42	1500	1517.9	9.88
1983-84	29.63	1500	1519.3	9.33
1984-85	27.27	1500	1567.4	9.36

1	2	3	4	5
1974-75	33.47	1600	1366.0	9.27
1975-76	26.44	1600	1592.8	10.40
1976-77	29.12	1600	1654.3	10.37
1977-78	41.37	1600	1585.0	9.35
1978-79	33.64	1600	1536.3	9.76
1979-80	28.01	1600	1667.2	10.41
1980-81	28.97	1600	1777.0	10.39
1981-82	44.61	3000	2287.8	9.20
1982-83	53.18	3000	2544.3	9.54
1983-84	47.41	3000	2508.4	8.96
1984-85	41.22	3000	2642.2	9.61

विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

129--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि असुरक्षा की बढ़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुये विधायकों की सुरक्षा हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री नारायन दत्त--

सामान्यता विधायकगण में असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है। विशिष्ट मामलों में आवश्यकतानुसार सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता

130--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कितने अधिकारी इस समय प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में दो अधिशासी अभियन्ता एवं पांच सहायक अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

हरदोई नगर में मलिन बस्ती की पाइप लाइन

131--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई नगर में वर्ष 1984 में मलिन बस्तियों में बिछाई गई पाइप लाइनों को पानी दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तुरन्त पानी देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

हरदोई नगर की जिन मलिन बस्तियों में पाइप लाइनें पूर्ण रूप से बिछा दी गई हैं उनमें पानी दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून, कृष्ण स्टील्स फर्म पर आरोपित अर्थदण्ड

132--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1485, दिनांक 16-1-85 बिक्री-कर अधिकारी, देहरादून द्वारा फर्म कृष्ण स्टील्स में अर्थदण्ड का नोटिस गलत क्लाज में देने के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र मिलने पर क्या कार्यवाही की गयी ? कितना अर्थदण्ड लगाया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से रद्द हुआ ? राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ? दिनांक 31-3-85 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां ।

मामले में जांच कराई गई । श्री एच0 सी0 सक्सेना, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रश्नगत फर्म पर वर्ष 1974-75 के मामले में रु0 16,373·00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया था जो बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । श्री एच0 सी0 सक्सेना, सहायक आयुक्त, मुजफ्फरनगर के पद से दिनांक 31-7-82 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

133--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

134--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

135--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

136--श्री यदुनाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

137--श्री यदुनाथ सिंह--

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

लखनऊ, मीराबाई मार्ग स्थित बिक्री-कर कार्यालय का निरीक्षण

138--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1544, दिनांक 22-8-84 लखनऊ, मीरा बाई मार्ग पर स्थित बिक्री-कर कार्यालय का आयुक्त बिक्री-कर के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 22-8-84 का नहीं बल्कि दिनांक 21-8-84 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

आयुक्त बिक्री-कर के प्रश्नगत निरीक्षण के समय 7 अधिकारी एवं 13 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये थे । इनमें से 2 अधिकारियों तथा 2 कर्मचारियों का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया । शेष को भविष्य में ऐसी त्रुटि पाये जाने पर कठोर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी देते हुए अपनी प्रवृत्ति में सुधार लाने के लिये आगाह कर दिया गया । निरीक्षण के समय कोई हाजिरी रजिस्टर अपूर्ण नहीं पाया गया था । प्रश्नगत पत्र के क्रमांक 3 पर उल्लिखित चपरासियों के अधिकारियों के घरों पर काम करने के विषय में कोई सूचना नहीं है । अन्य बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

139-141--श्री यदुनाथ सिंह--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

आयुक्त, बिक्री-कर (अपील्स) कार्यालय में लम्बित अपीलें

142—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1450, दिनांक 26-7-84 मुख्यालय में आयुक्त, बिक्री-कर (अपील्स) धारा 10-बी, 35 व 36 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों व धारा 13-ए के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो क्या पत्र में लिखे सुझावों के अनुसार आयुक्त, बिक्री-कर (अपील्स) के पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी नहीं । पत्र में उल्लिखित सुझावों पर समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तथा जिसकी सूचना शासन के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या बि0 क0 1-124/दस-9/85, दिनांक 15 जुलाई, 1985 द्वारा माननीय सदस्य को भी दी जा चुकी है ।

143—श्री यदुनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

144—श्री बेनी प्रसाद वर्मा.—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

चीनी मिल क्षेत्र, नन्दगंज, गाजीपुर की सादात-माधिया मार्ग का निर्माण

145—श्री रामनाथ मुन्शी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल नन्दगंज, गाजीपुर के द्वारा निर्माणाधीन सड़क सादात से मौधियापार अब तक किस प्रकार का और कितनी लागत का कार्य पूरा हो गया है ? उक्त सड़क पर 85-86 में क्या-क्या कार्य होना प्रस्तावित है । उक्त सड़क पिच करके कब तक बन जायगी ? क्या उक्त सड़क को सार्व0 नि0 वि0 द्वारा बनवाने की योजना है ?

श्री नारायन दत्त—

चीनी मिल क्षेत्र नन्दगंज, गाजीपुर में सादात से माधिया तक 5 कि0 मी0 लम्बी सड़क पर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अधीन मिट्टी, सीलिंग और पुलिया का निर्माण का कार्य वर्ष 1983-84 में प्रस्तावित किया गया । जिसमें से 4, 5 कि0 मी0 सड़क पर किये गये मिट्टी के कार्य पर अब तक 48,384 रु0 का व्यय हुआ है । वर्ष 1985-86 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर से धन प्राप्त होने पर अवशेष मिट्टी, सीलिंग और पुलिया का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है । उक्त सड़क को पिच करने अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनवाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

गाजीपुर-जंगीपुर शादियाबाद—बटरियाबाद मार्ग का निर्माण

146—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे गाजीपुर से जंगीपुर शादियाबाद होते हुए बटरियाबाद जाने वाले राजमार्ग पर किस-किस प्रकार का कितना कार्य होना अभी शेष है ? उक्त राजमार्ग पर कितने किलोमीटर पर पिच करने का कार्य कब-कब पूरा किया गया है ? तथा जो कार्य शेष है उसे पूरा कराने के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक उसे पूरा करा दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य लेखाकार, चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा बदले गये कटे-फटे नोट

147—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुख्य लेखाकार चीनी मिल तिलहर द्वारा माह जुलाई 84 एवं माह सितम्बर, 84 में सोआइल्ड नोट (कटे, फटे नोट) रिजर्व बैंक, दिल्ली में बदली किये जाने हेतु ले जाये गए थे ? यह नोट रिजर्व बैंक से कब बदले गये तथा चीनी मिल कोष में कब जमा किए गये ? क्या मुख्य लेखाकार ने उपरोक्त नोट एक लम्बी अवधि तक अपने पास रखकर सहकारी धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो मुख्य लेखाकार के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

तिलहर चीनी मिल के कोष से 45,600 रु0 के कटे-फटे नोट रिजर्व बैंक से बदली करने के लिये जुलाई, 1984 में तथा रुपये 34,230 के नोट इसी प्रयोजन हेतु सितम्बर, 1984 में छांट कर निकाले गये थे। मिल के मुख्य लेखाकार जब-जब दिल्ली गये खजांची की कस्टडी में रखे इन नोटों में से, रिजर्व बैंक से बदली करने के लिये, ले जाते रहे। इनमें से जो नोट बदल जाते थे उनके बदले में मिली धनराशि दिल्ली से वापस आकर मिल के कोष में जमा कर देते थे तथा शेष खराब नोट भी खजांची के पास जमा कर देते थे।

इन कट-फट नोटों के रिजर्व बैंक से बदलने तथा मिल के कोष में जमा करने की तिथियां निम्न प्रकार हैं—

नोटों को बदली करने का दिनांक	बदली में प्राप्त धन कोष में जमा करने का दिनांक	धनराशि (रु0 में)
10 व 11 अगस्त, 1984	23 अगस्त, 1984	17,570
28 व 29 अगस्त, 1984	6 सितम्बर, 1984	14,230
15 अक्तूबर, 1984	18 अक्तूबर, 1984	22,850
20 व 23 नवम्बर, 1984	24 नवम्बर, 1984	15,500
	7 जनवरी, 1985	9,680
(वाउचर के रूप में)	योग ..	79,830

सहकारी धन का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, रेलवे मेन्स गृह निर्माण समिति, सारनाथ, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 मई, 1985 को वाराणसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने कोई ऐसा शिकायती-पत्र भेजा है जिसमें कि उन्होंने सचिव, रेलवे मेन्स गृह निर्माण समिति, सारनाथ वाराणसी के ऊपर सोसायटी ऐक्ट के नियमों का उल्लंघन का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सोसायटी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती, हरैया, मनोरमा नदी पर पुल निर्माण

149--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती, हरैया में मनोरमा नदी पर सेतु निर्माण निगम द्वारा 25 लाख रुपए का पुल बना है जो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद बस्ती, हरैया में मनोरमा नदी पर पुल राज्य सेतु निगम द्वारा 16.20 लाख रुपये की लागत पर बनाया गया है ।

इस पुल के डेक स्लैब में कुछ स्थानों पर बारीक दरारें पड़ गयी हैं, जिसकी जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त ही जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकेगी ।

थाना, रौनाही, फैजाबाद के आरक्षी, श्री मो0 शरी फारूख के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

150--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित रौनाही थाना में तैनात सिपाही मो0 सलीम खां के विरुद्ध दिनांक 20/21 मार्च, 1985 को अपराध संख्या 81/85 भा0 दं0 वि0 की धारा 307 व आर्म्स ऐक्ट धारा 25 का अभियोग थाना रौहानी में दर्ज हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायन दत्त--

थाना रौनाही में तैनात आरक्षी मो0 शरी फारुख के विरुद्ध दिनांक 20/21 मार्च, 1985 को मु0 अ0 सं0 81/85 धारा 307 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ । मामले में विवेचना प्रचलित है ।

आगरा के ग्राम अंगूठी पर गुण्डों द्वारा किया गया हमला एवं थाना हरी पर्वत में अंकित रिपोर्ट

151--श्री विजय सिंह राणा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-9-83 को आगरा में बिछपुरी विद्यापीठ के परिसर में अंगूठी ग्राम के कुछ नागरिकों पर कुछ गुण्डों द्वारा हमला किए जाने और नागरिकों को घायल कर देने की कोई रिपोर्ट थाना हरीपर्वत में दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अपराधी पकड़े गये या नहीं ? यदि पकड़े गए तो कब और नहीं पकड़े गए तो क्यों ? क्या रिपोर्ट में कुछ लोग नामजद किए गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध और कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना दिनांक 11-9-83 के स्थान पर दिनांक 12-9-83 को घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में वादी श्री धवल सिंह द्वारा थाना हरीपर्वत पर दिनांक 13-9-83, समय 0-10 बजे रात को दी गई लिखित सूचना पर अपराध संख्या 537, अन्तर्गत धारा 395, भा0 दं0 वि0 (1) शिवेन्द्र पाल उर्फ शिशु, (2) अक्षय गौतम, (3) सतीश कुमार, (4) के0 के0 राघव, (5) शैलेन्द्र, (6) हरी ओम, (7) हरी विलास तथा 20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह मामला मार-पीट का, धारा 147/148/149/307 भा0दं0वि0 का पाया गया। नामजद उपरोक्त अभियुक्तों में से क्रमांक 1 से 4 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और इनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद निम्नलिखित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों की संख्या उनके नाम के सम्मुख अंकित है :--

1--शिवेन्द्र पाल सिंह उर्फ शिशु	17
2--अक्षय गौतम	12
3--सतीश कुमार सिंह	3
4--के0 के0 राघव	4

152--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

153--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[उच्च-न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

न्याय विभाग को धनराशि का आवंटन एवं व्यपगत धनराशि

154--श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में न्याय विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गयी ? व्यपगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा, यमुना नदी पर शेरगढ़ एवं बृन्दावन पर पुल निर्माण की मांग

155--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या सरकार मथुरा जनपद में यमुना नदी पर शेरगढ़ व बृन्दावन में पुल निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं आरक्षण कोटा और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन

156--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर विभाग में वेतनमान

430–685 में 940 या इससे अधिक पद स्थायी/अस्थायी रूप से स्वीकृत हैं और क्या इन सभी पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो नियमित/तदर्थ रूप से प्रमोट कर्मचारियों की संख्या अलग–अलग कितनी–कितनी है ? क्या तदर्थ रूप से प्रमोट कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि कोटा पूर्ण नहीं है, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

बिक्रीकर विभाग में शासनादेश दिनांक 21–3–84 द्वारा प्रतिशत वेतन–मान पद्धति लागू होने से पूर्व विभाग में वेतनमान 430–685 के स्थायी तथा अस्थायी कुल 940 पद स्वीकृत थे। इन पदों के विरुद्ध 811 कर्मचारी नियमित एवं 99 तदर्थ रूप से कार्यरत थे। पदोन्नति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कोटा शासन देश दिनांक 20 मार्च, 1974 से आरक्षित किया गया है। आरक्षण लागू होने के बाद 430–685 में 698 पद पदोन्नति से भरे गये हैं जिनमें से 125 पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी नियमित/तदर्थ रूप से कार्यरत रहे। इस प्रकार आरक्षण कोटा पूर्ण रहा।

शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 1984 द्वारा प्रतिशत वेतनमान पद्धति के लागू होने के बाद 1500 पद वेतनमान 430–685 में और परिवर्तित हुए हैं जिनमें से 435 पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किये हैं। 435 पदों में 84 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है।

157--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 131 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान 430–685 में अनुसूचित जाति के कर्म–चारियों की संख्या 125 बताई गयी है जबकि इस वेतनमान में 940 या इससे अधिक पद स्थायी/अस्थायी रूप से स्वीकृत हैं और 18 प्रतिशत के हिसाब से उपरोक्त संख्या 125 के स्थान पर 170 होना चाहिये फिर भी कतिपय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां। बिक्रीकर विभाग में वेतनमान 430–685 में स्थायी/अस्थायी रूप से 940 पद स्वीकृत थे। इनमें से अनुसूचित जाति के 125 कर्मचारी नियमित/तदर्थ रूप से कार्यरत थे। दिनांक 21 मार्च, 1984 के बाद प्रतिशत वेतनमान पद्धति लागू होने पर इस वेतनमान में 1500 और पद परिवर्तित हुए।

इस वेतनमान के सभी पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। पदोन्नति पर अनु–सूचित जाति का आरक्षण कोटा शासनादेश दिनांक 20 मई, 1974 से लागू है। 940 पदों में से आरक्षण लागू होने के बाद इस वेतनमान में 698 पद पदोन्नति से भरे गये हैं। अतः इन्हीं पदों पर 18 प्रतिशत की दर से आरक्षण कोटा किया गया है, जिसके अनुसार कोटा पूर्ण है। स्थायी/अस्थायी रूप से स्वीकृत 940 पदों पर 18 प्रतिशत की दर से आरक्षण कोटा देने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1982 में पात्रता क्षेत्र में आने वाले योग्य एवं वरिष्ठ कर्म–चारियों का नियमित रूप से चयन किया गया था। तदर्थ रूप से पदोन्नत कनिष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के स्थान पर वरिष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को ही नियमित रूप से पदोन्नत दिये जाने के कारण तदर्थ रूप से पदोन्नत अनुसूचित जाति के कर्म–चारियों को शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावर्तित किया गया था। इस शासनादेश के अनुसार तदर्थ रूप से पदोन्नत अनुसूचित जाति

का कर्मचारी यदि नियमित चयन में चयनित नहीं हो पाता तो उसे किसी प्रकार का संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा और प्रत्यावर्तित होना पड़ेगा ।

तदर्थ रूप से पदोन्नत जिन अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया था, उनमें से पात्रता में आने वाले वरिष्ठ, योग्य तथा चयन समिति द्वारा संस्तुत पदोन्नति योग्य अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को वेतनमान 430-685 में पदोन्नत कर दिया गया है ।

राजकीय कोषाध्यक्ष तहवीलदार, स्टाम्प वेण्डर, मनी टेस्टर एवं चपरासी का वेतनमान

158--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कोषाध्यक्ष और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य जो सेवा शर्तें 1952 में या उससे पूर्व थीं, वही सेवा शर्तें अब भी विद्यमान हैं ? यदि हां, तो कोषाध्यक्ष तहवीलदार, स्टाम्प वेंडर, मनीटेस्टर एवं चपरासी पदों का वेतनमान 1952 में क्या था और इस समय क्या है ? कोषाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच वेतनमान में इस अन्तर का औचित्य क्या है ?

श्री नारायन दत्त --

जी हां ।

राजकीय कोषाध्यक्षों को वर्ष 1952 से वर्तमान तक नियत वेतन दिया जाता रहा है । वर्ष 1952 में तथा इस समय उनको अनुमन्य नियत वेतन तथा तहवीलदार (न कि तहसीलदार) स्टाम्प वेंडर, मनीटेस्टर एवं चपरासी को अनुमन्य वर्ष 1952 का नियत वेतन तथा वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं ।

चूंकि राजकीय कोषाध्यक्षों को वेतनमान अनुमन्य नहीं है अतः उनके एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच वेतनमान में अन्तर का प्रश्न नहीं होता है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 197 पर) ।

बांदा कर्वी लौगिंग प्रभाग में तेंदू पत्ता के बोरों पर लगायी गयी स्टेन्सिल की धनराशि का अनियमित भुगतान

159--श्री देवकुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, कर्वी, बांदा द्वारा मई, 1983-84 में तेंदू पत्तों के बोरों में स्टेन्सिल लगाने में ठेकेदार (श्री मतलूब अली खां) को विभाग द्वारा स्वीकृत रेट पर भुगतान न किए जाने के कारण उन्होंने दिनांक 30-7-1983, 10-8-1983, 16-8-1983, 5-9-1983, 13-9-1983, 22-4-1985 आदि को शासन को, शिकायती प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

1983 तेंदू पत्ता सीजन में कर्वी लौगिंग प्रभाग में तेंदू पत्ता के बोरों पर स्टेन्सिल लगाने के कार्य हेतु बकाये धनराशि के भुगतान के लिए श्री मतलूब अली खां के प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-8-1983, 5-9-1983, 13-9-1983 तथा 22-4-1985 वन निगम में प्राप्त हुए थे । इसके अलावा श्री खां का सी० पी० सी० के अन्तर्गत एक नोटिस भी वन निगम में प्राप्त हुआ था । स्टेन्सिल काटने की कोई भी दर निगम द्वारा स्वीकृत नहीं थी बल्कि लौगिंग प्रबन्धक कर्वी बांदा ने अपने स्तर से ही उक्त कार्य दे दिया था और ऊंची दर पर धनराशि की अदायगी भी ठेकेदार को कर दी थी । यह कार्यवाही अनियमित थी । उक्त नोटिस के उत्तर में श्री मतलूब अली खां

को वन निगम द्वारा लिखा जा चुका है कि चूंकि उन्हें पहले ही अधिक भुगतान किया जा चुका है अतः और भुगतान किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सम्बन्धित लीगिंग प्रबन्धक, जिससे कि श्री खां को उक्त कार्य अपने स्तर से, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए हुए, दे दिया था, के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगदम्बा सहकारी गृह निर्माण समिति, सहारनपुर द्वारा भूमि का अधिग्रहण

160—श्री राम सरन—

क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि श्री जगदम्बा सहकारी गृह निर्माण समिति, सहारनपुर जिसके अधिकांश सदस्य राजकीय कर्मचारी हैं, के लिए शासन द्वारा दिनांक 11-3-1981 को धारा 6 का नोटिस जारी करने तथा एग्रीमेन्ट करने के उपरान्त तथा जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा दिनांक 3-2-1982 को धारा 9 के अन्तर्गत अवार्ड जारी करने के उपरान्त भी अब तक समिति को उक्त भूमि का कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ?

श्री नारायन दत्त—

श्री जगदम्बा सहकारी गृह निर्माण समिति, सहारनपुर के लिए शासन द्वारा दिनांक 11-3-1981 को धारा 6 की अधिसूचना प्रकाशित करने एवं दिनांक 11-3-1981 को अनुबन्ध करने तथा जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक 2-2-1982 को अभिनिर्णय स्वीकृत करने के उपरान्त भी अब तक समिति को अर्जित भूमि का कब्जा इस कारण से नहीं दिलाया जा सका है क्योंकि उक्त भूमि पर धारा-4 की अधिसूचना के बाद एक मस्जिद, 32 पक्के मकानात तथा 9 कच्चे मकानात का निर्माण हो गया है, जिनके हटाने में शान्ति व्यवस्था को देखते हुए एग्रीमेन्ट में उल्लिखित शर्तों के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कान्डई (घाट) चमोली की मान्यता

161—श्री राज किशोर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली क्षेत्र की जनता द्वारा मांग करने पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कान्डई (घाट), चमोली को मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि मान्यता नहीं दी है तो क्यों और कब तक दी जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार छात्र संख्या एवं कक्षा-11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या कम होने के कारण सम्प्रति इसका इंटर स्तर पर उच्चीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

सुल्तानपुर, पूरे बबुइन-पूरे लाल-पूरे छोटा मार्ग के निर्माण की मांग

162—श्री राम गोविंद चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड शुकुलपुर बाजार, जिला सुल्तानपुर में ग्राम पूरे बबुइन से पूरे लाल होते हुये ग्राम पूरे छोटा तक पक्की सड़क बनाए जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल, ग्राम बागी को सिंचाई सुविधा हेतु स्वीकृत बागी नहर योजना

163—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल

के वि0 खंड द्वारीखाल के अन्तर्गत हरिजन ग्राम बागो में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराए जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हां, तो हरिजन ग्रामवासियों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है और कब तक ग्रामवासियों को सिंचाई सुविधाएं मिलने की सम्भावना है ।

श्री नारायन दत्त—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारीखाल के अन्तर्गत हरिजन ग्राम बागो को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पर्वतीय बागो नहर के निर्माण की योजना वर्ष 1985–86 की जिला योजना में शामिल कर ली गयी है । वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने और परीक्षणोपरान्त स्वीकृति के पश्चात् इस नहर का निर्माण तीन वर्ष में पूर्ण हो जायेगा और तत्पश्चात् सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

भूतपूर्व विधायकों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा एवं सहवर्ती ले जाने की मांग

164—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 46 के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भू0 पू0 विधायक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने की पेंशन पा रहे हैं उनके साथ सरकारी बसों में एक सहवर्ती निःशुल्क ले जाने की सुविधा देना अव्यवहारिक माना गया है ? क्या सरकार उसे व्यवहारिक मानने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम रतन सिंह—

जी हां ।

भूतपूर्व विधायकों को, जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने की पेंशन पा रहे हैं, अपने साथ सरकारी बसों में एक सहवर्ती निःशुल्क ले जाने की सुविधा दिये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में पुलों पर पथकर की वसूली

165—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में कौन–कौन से मोटर यातायात पुल ऐसे हैं जिन पर विगत वर्षों से टोल कर लिया जाता था इन पुलों में क्रमशः कितनी लागत आई ? कितना रुपया वसूल हो चुका है ? किन–किन पुलों से लागत वसूली के बाद से भी कर वसूल किया जा रहा है और क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत की जा रही है । तालिका के क्रमांक 7 पर उल्लिखित पुल को जुलाई 1984 से पथकर से मुक्त घो[illegible] किया जा चुका है । अन्य [illegible] की लागत अभी तक व[illegible] है । अतः इन पुलों पर [illegible] पथकर की वसूली की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ [illegible] पर ।)

पौड़ीगढ़वाल के मार्गों के लिये मंगाए गये आइल स्टोन

166—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह

सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1977 से 1979 तक मोटर मार्गों पर लगने वाले माइल स्टोन आगरा से मंगाए गये हैं ? यदि हां, तो कितने मूल्य के कितने माइल स्टोन आगरा से मंगाए गए हैं और इन माइल स्टोन को आगरा से ही मंगाने का क्या कारण है ? क्या जनपद पौड़ी में ही माइल स्टोन उपलब्ध नहीं थे ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में उक्त प्रकार के माइल स्टोन उपलब्ध नहीं हैं ।

पौड़ी गढ़वाल की नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना

167--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना के सम्पूर्ण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किए जाने का आश्वासन गत विधान सभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है और तक इस योजना से ग्रामवासियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

श्री नारायण दत्त--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अल्प सिंचाई विभाग द्वारा व्यय में वृद्धि के कारण प्राक्कलनों को पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप योजना के निर्माण को पूरा करने में विलम्ब हुआ । योजना पर कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है और इस योजना से सिंचाई सुविधायें माह अक्तूबर, 1985 के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

जोलिया-बनारस-देवगांव मार्ग, बाराबंकी के ग्राम माधोगंज में भूमि का अतिक्रमण

168--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जोलिया बनारस-देवगांव मार्ग ग्राम माधोगंज के निकट पुराने गलियारे की जमीन छोड़कर किसानों के खेतों में बढ़कर बनाया गया है जिससे किसानों की काफी क्षति हुई है ? क्या यह सही है कि यह काम ठेकेदार के द्वारा करवाया गया है, जिसने नक्शे के विपरीत मार्ग की पटाई की है ? क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को प्रश्नकर्ता समेत अनेक शिकायती-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त--

यह मार्ग ठेकेदार से नहीं बल्कि विभागीय एजेंसी से पुराने गलियारे से होकर बनाया जा रहा था । गलियारे में किसानों के अतिक्रमण के कारण सही संरेखन निर्धारित करने में तहसील-दार नवाबगंज की सहायता भी ली गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-4-85 प्राप्त हुआ था जिस पर इस मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका ।

पौड़ी, कलजीखाल–मण्डनेश्वर मार्ग के ग्रेडिएन्ट का सुधार

169––डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड पौड़ी के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा कलजीखाल–मण्डनेश्वर मोटर मार्ग के ग्रेडिएन्ट में सुधार करने हेतु कार्यवाही किये जाने की जानकारी अपने पत्रांक 541/13 सी दि0 12–2–81 के द्वारा तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दी गयी थी ? यदि हां, तो तब से अब तक इस सड़क के ग्रेडिएन्ट में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक इस सड़क के ग्रेडिएन्ट में सुधार किये जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त––

जी हां ।

इस मार्ग का कलजीखाल की ओर से लगभग 150 मी0 भाग के ग्रेडिएन्ट का सुधार स्थानीय मुस्लिम जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए नहीं किया गया, क्योंकि वह भाग कब्रिस्तान से घिरा है । शेष मार्ग का ग्रेडिएन्ट ठीक है और पूरे मार्ग पर यातायात चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के ग्राम तारा खुर्द में बाबा राम सुफलदास महन्त एवं गार्द थाना मालीपुर द्वारा मेले का आयोजन

170––श्री सुखपाल पाण्डे

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद के थाना मालीपुर के अन्तर्गत ग्राम तारा खुर्द में क्या कोई मेला मकर संक्रान्ति के दिन लगता है ? यदि हां, तो यह मेला कब से किस भूमि पर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1983 को पत्रांक अ0 शा0 पत्र संख्या एस0 टी0 सी–37/83 द्वारा कोई जानकारी श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक, अकबरपुर को दी गयी थी ? यदि हां, तो वह मूल पत्र क्या है ?

श्री नारायन दत्त––

जी हां ।

यह मेला पिछले कई वर्षों से बाबा राम सुफल दास महन्त द्वारा गार्द थाना मालीपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा आयोजित किया जाता है ।

यह मेला भूमि गाटा संख्या 317 पर लगता है, जहां पर बाबा सुफल दास की कुटी है ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 199 पर)

इटावा, रठगांव सम्पर्क मार्ग, मल्हौसी सम्पर्क मार्ग, धुपकरीपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण

171––श्री औसान सिंह––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रठगांव मल्हौसी धुपकरीपुरा ओरों–मड़हादसपुर जीवासर–सनी प्रख्यजैन चन्द्रपुर–बमरौलिया विधूना (जनपद इटावा) सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराया गया है ?

श्री नारायन दत्त––

ग्राम रठगांव सम्पर्क मार्ग के द्वारा पहले से ही जुड़ा है । मल्हौसी नाम का कोई गांव नहीं है लेकिन ग्राम मल्हौसी का सम्पर्क मार्ग "प्रदेश में 1550 कि0 मी0 ग्रामीण मार्गों का

निर्माण (मिट्टी से खड़ंजास्तर तक)" तथा घुपकरीपुरा के लिये सम्पर्क मार्ग "खाद्यान्न योजना 5" में खड़ंजास्तर तक स्वीकृत है। अरो मडंहाबासपुर जीवासरसानी, चन्द्रपुर बमरौलिया ग्रामों के लिये कोई सम्पर्क मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। प्रश्नजन नाम का कोई ग्राम नहीं है। विधूना बेला-विधूना पक्के मार्ग से पूर्व से ही जुड़ा हुआ है।

लखनऊ, आलमबाग क्षेत्र, भिलावां वार्ड, कनौसी वार्ड, चन्दर नगर वार्ड गली, सड़क सुधार, मिट्टी भराई का कार्य एवं आमंत्रित टेन्डर

172— श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में वार्ड भिलावां, वार्ड कनौसी तथा वार्ड चन्दर नगर के विभिन्न मोहल्लों में वित्तीय वर्ष 1979-80 व 1980-81 में गली, खंड़जे-सड़क, सुधार, मिट्टी भराई, नई सड़क बनाने में क्या-क्या कार्य महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुए तथा कौन-कौन कार्य पूर्ण कराए गये तथा कितने कार्य अभी भी अपूर्ण हैं? इनका प्रत्येक वार्ड का वर्षवार ब्योरा क्या है?

श्री नारायन दत्त—

लखनऊ नगर महापालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षत्र में वर्ष 1979-80 में 51 कार्य और वर्ष में 46 कार्य स्वीकृत किये

सूचना

मी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

हीं उठता।

वार्ड का वर्षवार कार्य का ब्योरा महापालिका के कार्यालय में देखा जा सकता है।

173—श्री सरदार सिंह—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कार्यों के लिए टेंडर कब-कब आमंत्रित किए गये? इनमें निम्नतम एवं अधिकतम टेंडर कितनी-कितनी धनराशि के थे तथा किस-किस ठेकेदार को कितनी धनराशि का कार्य स्वीकृत हुआ तथा कब-कब कार्य पूर्ण कराया गया? समय के अन्दर कार्य न पूरा कराये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

उपरोक्त 97 कार्यों के लिये टेन्डर आदि का विवरण महापालिका कार्यालय में देखा जा सकता है।

ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया जिसमें किसी अधिकारी के कारण, कार्य समय से पूरा न हुआ हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

174—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में वार्ड कनौसी तथा वार्ड चन्दर नगर के विभिन्न मोहल्लों में वित्तीय वर्ष 81-82 व 82-83 में गली, खड़ंजे, सड़क सुधार, मिट्टी भराई, नई सड़क बनाने के क्या-क्या कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुए तथा कौन-कौन कार्य पूर्ण कराए गये तथा कितने कार्य अभी भी अपूर्ण हैं? इनका प्रत्येक वार्ड का वर्षवार ब्योरा क्या है?

श्री नारायन दत्त—

लखनऊ नगर महापालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में 57 कार्य और वर्ष 1982-83 में 73 कार्य स्वीकृत किये गये।

उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।]

प्रत्येक वार्ड का वर्षवार कार्य का ब्यौरा महापालिका के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

175—श्री सरदार सिंह—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कार्यों के लिए टेंडर कब-कब आमंत्रित किए गये ? इसमें निम्नतम एवं अधिकतम टेंडर कितनी-कितनी धनराशि के थे तथा किस-किस ठेकेदार को कितनी धनराशि का कार्य स्वीकृत हुआ तथा कब-कब कार्य पूर्ण कराया गया ? समय के अन्दर कार्य न पूरा कराये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उपरोक्त 130 कार्यों के लिये टेन्डर आदि का विवरण महापालिका कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया जिस में किसी अधिकारी के कारण, कार्य समय से पूरा न हुआ हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

176—श्री पूरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, जनपद पिथौरागढ़ में सन् 1980 से सन् 1985 तक कितने मोटर मार्गों में कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा कितने मोटर मार्ग यातायात के लिए जारी कर दिए गये हैं, कितने मार्गों में कार्य रुका पड़ा है और कब तक पूरे कर यातायात के लिए जारी कर दिए जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद अल्मोड़ा में 28 व जनपद पिथौरागढ़ में 26 मोटर मार्गों पर कार्य आरम्भ किया गया और जनपद अल्मोड़ा में 4 तथा जनपद पिथौरागढ़ में 11 मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोल दिया गया है ।

जनपद अल्मोड़ा में 4 मार्गों व जनपद पिथौरागढ़ में 6 मार्गों का कार्य अंशतः पूर्ण है, इन मार्गों में जनपद अल्मोड़ा के एक मार्ग को पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर उसे पूरा किया जायेगा और दोनों जनपदों के अन्य 9 मार्गों में कुछ के 3/86 तक तथा कुछ के 3/87 तक पूर्ण होने के लक्ष्य हैं ।

इनके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा में 20 मार्गों एवं जनपद पिथौरागढ़ में 9 मार्गों पर कार्य, वन भूमि के स0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण न होने के कारण बीच-बीच में रुका पड़ा है । वन भूमि के प्राप्त होने पर इन मार्गों के पूर्ण होने का समय बताना सम्भव होगा ।

आगरा, बिचपुरी-अछनेरा मार्ग का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

177—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में जिला परिषद् के आगरा बिचपुरी-अछनेरा मार्ग का कोई भाग सा0 नि0 विभाग को हस्तान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो शेष भाग का हस्तान्तरण क्यों नहीं हो सका ? क्या उसे भी सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी, हाँ ।

दूसरे विभागों के मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की जाती है ।

बस्ती में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत कथित धनराशि

178--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना में बस्ती जनपद के लिए वर्ष 83-84 में स र्व0 नि0 विभाग को कुल धनराशि 304 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था, जिसमें से चालू योजना पर स्वीकृत धनराशि 167.35 लाख तथा नई योजना ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि 136.65 लाख रुपया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी वर्ष 83-84 के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची और उनकी प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सत्य है कि नई योजना में 210 कि0 मी0 नए कार्यों पर मिट्टी डालने तथा 144 कि0 मी0 पर सोलिंग का कार्य किया जाना था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इसकी भी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा के ग्राम रिरवाड़ी में प्राइमरी पाठशाला एवं क्रीड़ांगन का निर्माण

179--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिक्यासैण में ग्राम रिरवाड़ी में बन रहे प्राइमरी पाठशाला भवन तथा उसके क्रीड़ांगन का निर्माण कार्य विगत पांच वर्षों से भी पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? इस कार्य को तुरन्त पूरा कराने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण कार्य 30 जनवरी, 1985 को तथा क्रीड़ांगन का निर्माण कार्य 23 फरवरी, 1985 को पूर्ण हो चुका है ।

180--श्री काशी सिंह ऐरी--

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनौली के भवन का निर्माण

181--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ग्राम सभा तरस्ताड़, पत्रालय पिलखोली, वि0 खं0 ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा के द्वारा दिनांक 12-9-84 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनौली के भवन निर्माण में स्थान की कमी विषयक वैकल्पिक प्रस्ताव जिलाधिकारी, अल्मोड़ा या जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा द्वारा प्राप्त हुए ? यदि हां, तो इन बिन्दुओं पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

पूर्व में प्रश्नगत विषयक प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ । अब जिला-

धिकारी के पत्र, दिनांक 11 जुलाई, 1985 के साथ प्रस्ताव की प्रति प्राप्त हुई है ।

उक्त प्रस्ताव के अनुरूप जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा दो प्राइमरी पाठशालाओं तथा एक क्रमोत्तर विद्यालय को क्रमशः एकीकृत एवं स्थानान्तरित करके कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन को रा० उ० मा० वि० जनौली को अस्थायी रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

अल्मोड़ा, नैनीताल में वीडियो सेटों से प्राप्त मनोरंजन कर एवं राजस्व

182—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा तथा नैनीताल में पिछले 5 वर्षों से वर्षवार कुल कितने निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से कुल कितनी मनोरंजन-कर व अन्य राजस्व उ० प्र० सरकार को प्राप्त हुए ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सूचना निम्न प्रकार है—

अल्मोड़ा

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुए। वर्ष 1983-84 में 11 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 39,230.57 मनोरंजन-कर के रूप में तथा रुपये 3,255.00 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई। वर्ष 1984-85 में 3 वीडियों सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 3,930.00 मनोरंजन-कर के रूप में तथा रुपये 225.00 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई ।

नैनीताल

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुए। वर्ष 1983-84 में 70 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 88,544.33 मनोरंजन-कर के रूप में तथा रुपये 7,425.00 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई । वर्ष 1984-85 में 89 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 1,01,233.30 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 6,150.00 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई ।

183—श्री काशी सिंह ऐरी—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

पिथौरागढ़ बरडगाड़—स्टेशन मार्ग का निर्माण

184—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में बरडगाड़ से स्टेशन तक की सड़क का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो इससे पूर्व इस सड़क को किस संस्था ने कब और किसके माध्यम से बनाया ? क्या उपरोक्त व्यक्ति को उसके कार्य का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सन्दर्भ में निवर्तमान विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 1 मई, 1984 का पत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, मार्ग का निर्माण सन् 1984 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । स्थानीय व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व यह मार्ग वर्ष 1960-61 में श्रमदान द्वारा बनाया गया था । जिला परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर उनके अभिलेखों के अनुसार श्री गोपाल दत्त पाठक जिनका उल्लेख निवर्तमान विधायक श्री बिष्ट द्वारा अपने सन्दर्भाधीन पत्र दिनांक 1 मई, 1984 में किया गया था के

नाम बरडगाड़ से स्टेशन तक कोई मार्ग निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं न उन्होंने जिला परिषद में कोई दावा ही प्रस्तुत किया है ।

जहां तक स्टेशन के चारों ओर अनधिकृत कब्जे करके पक्के भवन बना लेने का प्रश्न है, निर्माणाधीन मार्ग में जितनी भी भूमि पड़ती है, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है ।

पिथौरागढ़, लोहाघाट--बाराकोट मार्ग का निर्माण एवं मुआवजा

185--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट-बाराकोट मोटर मार्ग के 12वें किलोमीटर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान जिला उद्यान अधिकारी, राजस्व रिकार्ड की खतौनी व नक्शा समेत पूर्ण आख्या प्राप्त होने पर भी 1976-77 निर्माण के दौरान हुई क्षति रु0 86055.60 (छियासी हजार पचपन रुपये तथा साठ पैसे) क्षतिपूर्ति तय की गई थी ? यदि हां, तो इसमें से कितनी धनराशि दे दी गई है व कितना मलवा उठाया जा चुका है ? शेष कार्य अतिशीघ्र पूर्ति हेतु क्या-क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट-बाराकोट मोटर मार्ग निर्माण के दौरान हुई क्षतिपूर्ति के लिए कुल रु043077.80 स्वीकृत हुआ है । इसमें से प्रश्नगत 12वें कि0 मी0 की क्षति के लिये रु0 2,721.60 का मुआवजा स्वीकृत किया गया है न कि प्रश्न में उल्लिखित रु086,055.60 । इस रु0 2,721.60 में से रु0 2,229.12 जनवरी 1985 तक वितरित कर दिया गया है । मलवा उठाने के लिये उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि काश्तकारों को दी गई है । अतः मलवा सफाई का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाना है ।

पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली के निवासियों हेतु शीतकाल में पूर्ण रोजगार दिलाने हेतु किए गये प्रयास

186--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, उत्तकाशी तथा चमोली के किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव की जनता पूर्ण या अपूर्ण रूप से जाड़ों में अपने मूल आवास छोड़कर प्रोष्म स्थलों में चले जाते हैं ? सरकार ने इन परिवारों के स्थायी आवास व परम्परागत कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़, तवाघाट--नारायण आश्रम मार्ग का निर्माण

187--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट-नारायण नगर मोटर मार्ग (38.023 कि0 मी0 लम्बा) शासन द्वारा कब कितनी धनराशि में स्वीकृत किया गया ? इस मार्ग में अब तक कितनी धनराशि क्रमशः किन-किन मदों में खर्च की गई है ? सरकार ने इस मार्ग का प्राथमिकतानुसार अतिशीघ्र बनाने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट-नारायण आश्रम मोटर मार्ग की स्वीकृति 38.025 कि० मी0 की लम्बाई के लिए दिनांक 30 मार्च, 1979 को 145.00 लाख रु0 की लागत पर दी

गई थी। इस स्वीकृति को दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 को 240.29 लाख रु0 की लागत पर पुनरीक्षित किया गया। इस मार्ग के निर्माण में मई, 1985 तक निम्न मदों पर कुल 116.39 लाख रु0 की धनराशि व्यय हो चुकी है:

	रु0
1—पहाड़ कटान	70.19
2—दीवार व स्क्रेपर का कार्य	16.60
3—सेतु निर्माण	12.68
4—अन्य कार्य जैसे मुआवजा, भूमि अध्याप्ति सर्वेक्षण सोलिंग, पैरापिट नाली, रखरखाव व मशीनों का ढुलान व मरम्मत व्यय	16.92
	116.39

इस मार्ग को प्राथमिकता से अति-शीघ्र बनाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इस कार्य के लिए विशेष रूप से धारचूला में एक उपखंड अधिकारी कार्यालय खोला गया है जिससे कार्य में तेजी आ सके। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन व ट्रैक्टर

188—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा सा0 नि0 वि0 के कुल ऐसे कितने वाहन व संयन्त्र हैं जो एक ही स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़े हैं? ऐसे वाहनों को ठीक करने या अतिशीघ्र नीलाम करने की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई? क्या सरकार ऐसे वाहनों को ठीक या नीलाम करने के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कर्तव्यहीनता की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

जनपद पिथौरागढ़ में कुल 17 वाहन तथा जनपद अल्मोड़ा में कुल 2 वाहन व एक ट्रैक्टर एक ही स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय से संचित हैं।

उक्त वाहनों व ट्रैक्टर की मरम्मत तथा नियमानुसार निष्प्रयोज्य घोषित कराने एवं तत्पश्चात उनकी नीलामी करने की दशा में कार्यवाही की जाती रही है। तथापि, तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बाबू राम यादव—

सवालों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने एक सवाल पूछा था कि प्रश्न संख्या 28 अतारांकित उसका माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब आया है। प्रश्न किया था कि जिला मैनपुरी में गत विधान सभा चुनावों से पूर्व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लाइसेन्सधारियों के लाइसेंस जमा कराये गये थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका आधार क्या था क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि शिकोहाबाद व करहल के आग्नेयास्त्रों के सभी लाइसेंसियों के अस्त्र जमा कराये गये। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्षी दलों के लोगों के हथियार जमा कराये गये, सत्तारूढ़ दल के लोगों के नहीं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मेरे खुद के जमा हुए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यदि प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो अलग से सूचित करें जिस पर हम विचार करेंगे। आज नियम 301 के अन्तर्गत..

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 का निरस्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, प्रश्नों के संदर्भ में व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मैंने एक प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 153 दिया था। इस प्रश्न को केवल इस आधार पर कि "उच्च न्यायालय से संबंधित होने के कारण निरस्त" कर दिया गया है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 (9) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 28 (9) में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि यदि कोई प्रश्न उच्च न्यायालय से संबंधित हो, मात्र उच्च न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाये। नियम को मैं पढ़ रहा हूं—"उसमें किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के, जिसको भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निदेश नहीं होगा जो उसके न्यायिक कृत्यों से संबद्ध हो।" तो मेरे प्रश्न में न्याय पालिका या उच्च न्यायालय के न्यायधीश के आचरण के संबंध में कोई प्रश्न नहीं था और न ऐसा प्रश्न था जिससे उच्च न्यायालय के प्रति अवमानना होती। मैंने प्रश्न किया था कि उच्च न्यायालय में कितने आज तक मुकदमें 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं और ऐसे कितने मुकदमें हैं जिनमें 6 महीने से अधिक बहस सुने हुये हो गया किन्तु निर्णय नहीं दिये गये। यह प्रश्न नियमावली के नियम 28 (9) में जो प्राविधान है उसमें नहीं आता है।

इसलिए केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता और जब कि ऐसे उत्तर हमेशा दिये जाते हैं, कल ही मैंने पढ़ा था, संसद में प्रश्न किया गया कि कितने केसेज पेंडिंग हैं, तो मंत्री ने पूरी सूची दिया है कि इलाहाबाद और पटना में इतने-इतने पेंडिंग हैं, इसलिए मान्यवर, माननीय सदस्यों का जो अधिकार है प्रश्न करने और जानने का यदि ऐसे उत्तर दिये गये, तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारों का हनन होगा। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, इसलिए आप इसमें व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

इस विषय में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने विचारोपरान्त संविधान के अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत इस पृष्ठ भूमि में अपना निर्णय दिया है, इसलिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

मधुवन, आजमगढ़ में पानी निकास एवं सीवेज की व्यवस्था ठीक न होने से जल भराव एवं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 39 सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे हैं 1—श्री सत्यपाल सिंह, 2—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, 3—श्री राम गोविन्द चौधरी, 4—डाक्टर दिनेश जौहरी, 5—श्री शिवेन्द्र सिंह, 6—श्री मोहम्मद मसूद खां, 7—श्री अकबर हुसैन बाबर, 8—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, 9—श्री बदन सिंह, 10—कर्नल केसरी सिंह, 11—श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया प्रसाद वर्मा, 12--श्री अनुग्रह नारायण सिंह 13--श्री मयंकर सिंह (अहस्ताक्षरित), 14--श्री शारदा नन्द अंचल, 15--श्री रणजीत सिंह, 16--श्री पारस नाथ, 17--श्री राम सजीवन, 18--श्री अवनीश कुमार सिंह, 19--श्री गया प्रसाद वर्मा, 20--श्री कुशल पाल सिंह, 21--श्री शारदा प्रताप, 22--श्री हरिश्चन्द हरीश जी 23--श्री सूर्य प्रताप शाही, 24--श्री राम अंसरे वर्मा, 25--श्री किशोरी लाल, 26--श्री विनोद कुमार, 27--श्री सरदार सिंह, 28--श्री सुखराज पान्डे 29--श्री मनोहर लाल, 30--श्री हृदय नारायण दीक्षित, 31--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, 32- श्री राज किशोर सिंह, 33--श्री विष्णु देव, 34--श्री माता प्रसाद पांडेय, 35--श्री शफीकुर्रहमान बर्क, 36--श्री राजेन्द्र गुप्त, 37--श्री राम नरेश, 38--श्री कनक सिंह, 39--कुंवर रेवती रमण सिंह, इन सूचनाओं में पहले 32 सूचनाओं को अस्वीकार किया और बाद की 7 सूचनाएं जो श्री विष्णु देव, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री राम नरेश, श्री कनक सिंह और कुंवर रेवती रमण सिंह की हैं, इनको स्वीकार किया है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठ जायें । श्री विष्णु देव आप पढ़ें ।

*श्री विष्णु देव--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में जनपद आजमगढ़ के कस्बा मधुबन में गंदे व वर्षा के पानी का नाला, सीवेज न होने के कारण विगत 4 दिन की वर्षा से भयानक स्थिति पैदा हो गयी है । सड़कें गलियां पानी कीचड़ से भरी हैं । चारों तरफ गंदगी, बदबू फैल गयी है । आवागमन में भारी परेशानी पैदा हो गयी है । जनमानस हिल उठा है और जनता में शासन के प्रति घोर असंतोष व्याप्त है ।

अस्तु माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि कस्बा मधुबन में नाला और सीवेज बनाने का निर्देश दें ताकि जनजीवन की रक्षा हो सके ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डुमरियागंज, बस्ती में राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती नदियों के कटान से ग्रामवासियों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से में राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती बह रही है । इसके अपने किनारे के गांव इस समय जोरों पर काट कर धारा में विलीन कर रही हैं । डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत बूढ़ी राप्ती के किनारे नवंल, सोनबरसा, मुड़िलिया इस समय जोरों पर कट रहे हैं । अशोकवां, मदरहवा बांध भी अब कटकर नदी में चला जा रहा है । अशोकवा मदरहवा बांध में खोढ़ो नाले पर एक रेगुलेटर बनाया गया था जिसकी लागत साढ़े सात लाख रुपया है । अभी उसके बने एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि वह नदी की धारा से टूट गया है और पानी गांवों में घुसता जा रहा है । राप्ती के किनारे के गांव कटया, पल्टा, पल्टा एकडेगवा पर भी कटान हो रहा है । उल्लेखनीय है कि इन सभी गांवों को बचाने के लिए शासन के स्तर पर धन स्वीकृत है, योजनायें भी स्वीकृत हैं फिर भी गांव कट रहे हैं । रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इन सभी गांवों को बचाने की वह व्यवस्था करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बिलारी, मुरादाबाद जोन में कृषकों को पौधशाला एवं कीटनाशक दवाइयों के लिए स्वीकृत अनुदान के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

सरकार ने जो पैसा गन्ना विकास विभाग को वर्ष 1984–85 में बिलारी (मुरादाबाद) जोन के कृषकों को पौधशाला एवं कीटनाशक दवाईयों के लिए अनुदान के रूप में दिया था, का वितरण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक श्री आर० डी० पाठक ने आज तक कृषकों में किसी भी रूप में नहीं वितरित कराया है जब कि यह धन 31 मार्च, 1985 तक कृषकों में वितरण हो जाना चाहिये था । वितरण न होने के कारण वहां के हजारों कृषकों में असंतोष व्याप्त है ।

इसी प्रकार पायरिला कीट नियंत्रण अभियान में भी बिलारी जोन के किसी भी छोटे तथा हरिजन जाति के कृषकों को गन्ने की फसल पर छिड़काव नहीं कराया गया जिससे यहां की गन्ने की फसल तबाह हो गयी है और फर्जी छिड़काव दिखाकर दवाइयां बेची गयीं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में भी लाखों रुपयों की हेरफेर श्री पाठक द्वारा की गयी, इससे बिलारी क्षेत्र के कृषकों में घोर असन्तोष व्याप्त है । इस प्रकार इन्होंने शासन से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा किसानों को अविलम्ब राहत ल ायी जाये ।

थानाध्यक्ष, अलीगंज, लखनऊ द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मड़ियांव थाना क्षेत्र में घुसकर अत्याचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता जी, अलीगंज लखनऊ थ न अध्यक्ष तथा 10 सिपाहियों ने मड़ियांव के मोहिबुल्लापुर ग्राम प्रधान जिला भाजपा उपाध्यक्ष पहाड़ीलाल के घर में 24/25 जुलाई की रात घुस कर नृशंस अत्याचार किया । थानाध्यक्ष अपने मित्र का मकान खाली कराने में इनसे अनुचित सहायता चाहते थे । असमर्थता प्रकट करने पर दरोगा ने परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी ।

बदला लेने रात ग्यारह पुलिसमैनों सहित पहाड़ी लाल के घर में घुसे । वह घर पर नहीं थे । पुलिस ने महिलाओं को मारा पीटा और उनके साथ अमानुषिक अत्याचार किया । आलमारी से 14455 रुपये तथा जेवरात लेकर चले गये । पहाड़ीलाल घर से बाहर चक्की पर सो रहे थे, चिल्लाहट सुनकर सैकड़ों आदमी एकत्र होकर मड़ियांव थाने गये वहां उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी । भारी भीड़ रात में तुरन्त जिलाधिकारी के बंगले आयी किन्तु वह भी नहीं मिले और प्रातः एक हजार आदमी एस० एस० पी० से मिले, तब पता चला कि पहाड़ीलाल के खिलाफ कोई कहीं रिपोर्ट नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फिर पुलिस ने घर में घुसकर डकैती क्यों डाली । अभी तक दोषी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने से भीषण असंतोष है । दरोगा इनका इन काउन्टर करने की धमकी देता है ।

दोषी पुलिस के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा पहाड़ीलाल की प्राण रक्षा करने की मैं मांग करता हूं ।

ग्राम नरैनी, सनौरा नायकपुर, नगला बांध बछलई और ककरारा, जसराना, जनपद मैनपुरी में खारे पानी से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राममरेश--

मान्यवर, जनपद मैनपुरी, तहसील जसराना के ग्राम नैरनी, सनौरा नायकपुर, नगला बांध, बछलई, हुसैनपुर और ककरारा आदि गांव के कुओं का पानी इतना खारा है कि इन गांवों में विशेष रूप से हुसेनपुर गांव में गेहूं फसल के अलावा अन्य कोई फसल किसान नहीं उगा पाता, क्योंकि अन्य फसलें जल जाती हैं, और इस कारण निजी ट्यूबवेल भी दूसरी फसलों के लिये नहीं चल पाते । इसीलिये वहां पीने के पानी का संकट भी बहुत जबरदस्त रहता है । केवल तालाब के किनारे कुओं में कुछ गहराई तक पीने लायक पानी मिलता है । इन गांवों के निवासियों की आजीविका के लिये एक भीषण संकट पिछले कई दशकों से बना हुआ है । आज तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है । यदि इन गांवों में नहर भोगनीपुर के जाजूमई पुल से नई नहर की शाखा, जो वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, निकाल दी जाय तो यह समस्या हल हो सकती है ।

मैं सदन और सरकार के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाकर चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही इस समस्या को हल करने के लिये कदम उठाये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री को नियम 301 में सवाल उठाना पड़ा । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

भगवानपुर, गाजियाबाद में हरिजन परिवारों को लूटे जाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़ के ग्राम भगवानपुर के 40 हरिजन परिवारों को, कमल सिंह, किशन लाल, जयप्रकाश, श्यामसिंह आदि को दिनांक 25-6-1985 की रात्रि के 12 बजे लूटा गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिभावली, जिला गाजियाबाद को उसी रात में दे दी गयी । थाना केवल 4 किलोमीटर पर है । लूट मुतवातिर 4 घंटे तक की गयी किन्तु पुलिस दिन के 12 बज गांव में पहुंची । प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिभावली ने कम करके लिखी है ।

हरिजन महिलाओं व गांव के चौकीदार का कथन है कि लूट में पुलिस वाले भी सम्मिलित थे । अनेकों लोगों को गम्भीर चोटें आयी हैं । महिलाओं के कान काट कर बाले लूटे गये, सन्तो नाम की महिला के दोनों कान काटे गये । इस कांड से पूरी बस्ती भयभीत है तथा धीरे-धीरे लोगबाग गांव छोड़ रहे हैं । पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है । गांव वालों ने अपराधियों के नाम बताये परन्तु अभी तक कोई भी

अपराधी गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनको अदालत में पेश होने का मौका दिया गया जिससे वास्तविकता सामने न आ सके। नाममात्र की कुर्की दिखायी गयी है। यह कांड पुलिस की सांठ-गांठ व मिली भगत का परिणाम है। कुछ दिन पूर्व ग्राम फुलइहरा, तहसील गढ़, जिला गाजियाबाद में इसी प्रकार का कांड हो चुका है जिसमें एक युवक की हत्या की गयी थी।

अतः मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में तुरन्त कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे हरिजनों में व्याप्त असंतोष, भय व डर की भावना दूर हो सके तथा जो प्रभावित लोग गांव छोड़ रहे हैं वह रुक जायें।

मेजा, इलाहाबाद में भयंकर सूखा तथा नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मेजा तहसील जो कि मिर्जापुर जिले से लगा हुआ है सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। इस वर्ष अभी तक जबकि खरीफ की बुवाई का काम प्रारम्भ हो गया है और धानों की रोपाई का काम चल रहा है। मेजा तहसील में वर्षा न होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। नहरों में पानी नहीं है क्योंकि बंधों में पानी नहीं है।

अतः लाखों की संख्या में किसानों का जन-जीवन संकट में फंस गया है। ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

राजकीय कर्मचारियों को बगैर जांच के सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से कर्मचारियों में असन्तोष के प्रति संवेदना का प्रस्ताव रखने हेतु अनुज्ञा की मांग

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने नियम 110 (1) में एक प्रस्ताव आपके पास भेजा है। मेरा तथा श्री हरिश्चन्द्र, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री राम सरन, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शिवानन्द नौटियाल का यह प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव आप देख लें। हमारी नियमावली के नियम 110 (1) में यह व्यवस्था है कि हम बिना सूचना के कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। आप हमारी बात सुन लें और अपनी ग्राह्यता दे दें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, 301 की सूचना स्वीकार हो जाय। इसका कौन सा तरीका है। मैं 4 दिनों से दे रहा हूं रोज ही रिजेक्ट हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्त जी बोल रहे हैं, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

नियम 110 (1) में यह व्यवस्था है कि यह प्रस्ताव बिना किसी सूचना के आ सकता है। मैंने आपको यह प्रस्ताव भेज दिया है। इसके ऊपर मेरे तथा श्री हरिश्चन्द्र, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री राम सरन,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शिवानन्द नौटियाल के हस्ताक्षर हैं।

मान्यवर, प्रस्ताव यह है कि "राज्य कर्मचारियों को बिना किसी जांच के सेवा से निवृत्त कर सकने सम्बन्धी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कर्मचारियों में उत्पन्न असहमति एवं असंतोष के प्रति यह सदन अपनी संवेदना प्रकट करता है।" मान्यवर, एक जजमेंट हो गया, उस जजमेंट के प्रति हमें टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन जो यह जजमेंट हुआ है वह राज्य कर्मचारियों के प्रति भी लागू होता है। अब सम्पूर्ण राज्य कर्मचारियों को एक जिज्ञासा है कि क्या यह सरकार सर्वोच्च न्यायालय में रिवीजन के लिए याचिका दायर करेगी।

इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों के प्रति, उनके दुःख, उनके इस जजमेंट की असहमति के प्रति यह सदन अपनी असहमति प्रकट करता है। मान्यवर, यह नियम 110 (1) में यह सूचना देने का प्राविधान है, इसलिए मैंने यह सूचना दिया है। मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह ने बताया कि मैंने संवेदना नहीं कहा, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को पुनः दोहरा देता हूं।

"राज्य कर्मचारियों को बिना किसी जांच के सेवा से निवृत्त कर सकने सम्बन्धी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कर्मचारियों में उत्पन्न असहमति एवं असंतोष के प्रति यह सदन अपनी संवेदना प्रकट करता है।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी, मैं आपका ध्यान नियम 110 (1) की तरफ पुनः आकर्षित करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर औचित्य का प्रश्न दिनांक 29-7-85 को उठाने का प्रयास किया गया था। आज भी इस तरह का प्रश्न उठाया गया है। चूंकि उस दिन उठाने की अनुमति नहीं दी गयी थी। अतः माननीय सदस्य नियम 110 (1) के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं। नियम 110 (1) के अन्तर्गत कोई प्रश्न तभी उठाया जा सकता है, जब माननीय अध्यक्ष अनुज्ञा दें। इसलिए इसकी अनुज्ञा देना उचित न होगा, क्योंकि यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

आबकारी आयुक्त द्वारा बजट की गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अशोक बाजपेयी, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री पूरन सिंह, श्री बदन सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री फजलुल बारी, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राम असरे वर्मा, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री गौरी शंकर भइया, श्री सत्य पाल सिंह, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री शतरुद्र प्रकाश।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, बड़ी संवेदना के साथ मुझे यह औचित्य का प्रस्ताव रखना पड़ रहा है। मान्यवर, बजट की गोपनीयता की रक्षा करना इस सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैंने सदन का ध्यान बजट की गोपनीयता भंग करने के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश का बजट रखते समय अपने भाषण में यह चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश में आबकारी की ड्यूटी कम की जायगी। मान्यवर, पूर्वाभास के आधार पर आयुक्त (आबकारी) ने इलाहाबाद में आबकारी विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में आबकारी ड्यूटी कम होने जा रही है। इस तरह से इससे पूर्व इसकी जानकारी प्रदेश के डिस्टिलरी मालिकों को हो गयी, डिस्टिलरी शराब बिक्री बन्द हो गयी। आज डिस्टिलरी

को शराब नहीं मिल रही है। इससे आबकारी ड्यूटी की हानि हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि लगभग 30 लाख रुपये इन डिस्टिलरी मालिकों ने आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों एवं आबकारी मंत्री को आबकारी ड्यूटी कम करने के लिये दिये हैं और इस तरह से मान्यवर, बजट की गोपनीयता भंग की गई है। यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इसी प्रश्न पर लार्ड ऐटली की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मान्यवर, बजट की गोपनीयता भंग हो गयी है इसलिए मेरा आरोप है कि आप प्रदेश की डिस्टिलरी यूनिटों को दिखवा लें। 4 जुलाई के बाद शराब बिक्री नहीं हुई। मान्यवर, आबकारी अधिकारियों ने यह सूचना बजट के पहले कैसे दे दी। मान्यवर, जब उनको पता लगा कि 133·60 रु0 बिक्री ड्यूटी प्रति पेटी कम करने जा रहे हैं, तो बिक्री पर उन्होंने रोक लगा दी। बाहर से मंगाकर शराब बेची जा रही है। इस तरह से शराब की बिक्री बन्द होने से 70 लाख रु0 राजस्व एवं आबकारी ड्यूटी की कमी हुई है। मान्यवर, क्योंकि सरकार अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ रही है इसलिए इस सरकार को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहूंगा कि शासन इस तरफ ध्यान दे।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, जहां तक बजट की गोपनीयता को भंग करने की बात की जा रही है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई है, जिससे गोपनीयता भंग हुई हो। जहां तक बिक्री ड्यूटी कम करने का प्रश्न है। इस पर हमारे यहां बहुत दिनों से विचार चल रहा था। जहां तक यह कहा गया है कि 11 तारीख को आयुक्त ने मीटिंग की तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। इसके अलावा यह कहा गया कि बिक्री ड्यूटी कम की गई है। तो उससे गोपनीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, 22-7-85 को विज्ञप्ति जारी हुई। 24-7-85 को हाउस में लाया गया। जो लिट्रेचर आपको मिलता है, उसको कृपया देख लिया करें। वैसे जो अंग्रेजी शराब आपको नहीं मिल पा रही है उससे हम भी चिन्तित हैं।

(हंसी)

दारुलशफा, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के दवा आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के बकाये, रुपये के भुगतान न होने से रोगग्रस्त विधायकों को दवायें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय विधायकों के लिए दारुलशफा में एक एलोपैथिक अस्पताल की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस अस्पताल से करीब 15 दिनों से माननीय विधायकों के अस्वस्थ होने पर, माननीय विधायकों के परिवार के अस्वस्थ होने पर, भी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन कुछ विधायकों ने इसका कारण पूछा तो यह बताया गया कि ठेकेदार को लाखों रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए दवाएं नहीं मिल रही हैं। मान्यवर, बहुत से माननीय विधायक अपनी अस्वस्थता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि वह इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। मान्यवर, माननीय विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सकें तो यह साफ औचित्य का प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनता है। मैं इसको उठाने के लिए आपकी अनुज्ञा मांगता हूं।

(व्यवधान)

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

आदेश दे दिये गये हैं कि जो दवा देता है उसका भुगतान करके, दवा की व्यवस्था दारुलशफा चिकित्सालय में कर दी जाय।

श्री सुखपाल पाण्डे—

न मिलने का कारण क्या था?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कारण रुपया का न देना था।

श्री बदन सिंह—

दवा नहीं मिल रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपये के घपले की उच्च स्तरीय जांच के आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भद्रय—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से औचित्य का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, इसी 25 तारीख को कामरोको प्रस्ताव के जरिये लखनऊ विकास प्राधिकरण का 5 करोड़ रुपये का हेराफेरी करने का मामला उठाया था। श्रीमन्, उसके कुछ देर में माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने कमरे में चले गये। हाउस स्थगित हुआ इस मामले पर 45 मिनट तक। उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये, उच्च स्तरीय जांच की जायेगी।

उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी। आज कई दिन बीत गये। जो मैंने 20 सूत्रीय प्वाइन्ट्स दिये थे, उनसे सम्बन्धित फाइलों का सील नहीं किया गया, जो एल0डी0ए0 में हैं। जांच अधिकारी नियुक्त न किये जाने से, फाइलों को जब्त न किये जाने से, जिन फाइलों का विपरीत प्रभाव है, अधिकारी लाइट बुझा देते हैं, लेकिन लैम्प जलाकर उनमें सुधार किया जा रहा है, उन फाइलों को गायब किया जा रहा है, जो तमाम बातों पर जांच को प्रभावित कर सकती हैं। यह काम वहां किया जा रहा है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद मात्र इसलिए देना चाहूंगा कि यह मामला आया और 20 में से 3 चीजों पर जांच के आदेश दे दिया। हमने 20 सूत्रों पर जांच की मांग की थी। 17 की जांच नहीं कराई जा रही है। जो फाइलें गायब की गई हैं, जो सुधार किया जा रहा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। लाप्लस प्रोजेक्ट, ट्रान्सपोर्ट नगर, बलरामपुर टावर्स, कैलाशकुंज, कानपुर रोड योजना, बटलर पैलेस तथा कुछ मशीनें सीवर पाइप, सीमेंट और लोहे के खनिज सम्बन्धी फाइलों में व्यापक गड़बड़ी की जा रही है।

यह मामला माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है क्योंकि वह अधिकारी बाबूराम अपने को मुख्य मंत्री का नजदीकी बताता है और कहता है विधान सभा में एक वर्ष से 5 वर्ष तक कहें, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा इस अधिकारी के कारण खतरे में पड़ गई है। मेरी मांग है कि इस मामले को रफादफा न किया जाय, उस भ्रष्ट अधिकारी को अविलम्ब वहां से हटा दिया जाय और हाई कोर्ट के जज से या विजीलेंस से जांच कराने की घोषणा की जाय तथा उन फाइलों को तुरन्त जब्त करने के आदेश दिये जायं। यह मामला भ्रष्टाचार का प्रत्यक्षदर्शी मामला बनता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी के चरित्र को यह मामला सन्दिग्धता में डाल रहा है।

इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे तीन के जांच के आदेश दिये गये, जांच अधिकारी के नाम की घोषणा कर दें और फाइलों को जब्त करने के आदेश दे दें। ताकि मुख्य मंत्री जी की छवि प्रदेश में बन रहे। विधान सभा में मामला उठने के बाद और सरकार द्वारा जांच का आश्वासन देने के बाद मामले को रफादफा किया जा रहा है। इससे सारा प्रकरण समाप्त हो जायेगा। अगर जल्दी नहीं किया जायेगा तो प्रदेश की जनता यह समझेगी कि उत्तर प्रदेश शासन जानबूझकर देरी कर रहा है। ताकि वह भ्रष्ट अधिकारी फाइलों को गायब कर सकें, अवैध निर्माण को पूरा करा सकें और सबूतों को मिटा सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर स्पष्ट व्यवस्था दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, माननीय गौरी भइया ने जो चिंता व्यक्त की है और जैसा यहां पर आरोप लगाया, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए यहां घोषणा की गई थी की जांच कराई जायेगी। उन्होंने आज भी जानकारी की होती तो उन्हें पता चलता कि पहले ही जांच के लिए राजस्व परिषद् के अध्यक्ष को, जो इस कैडर के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनको जांच के लिए काम सौंप दिया गया है। वे जांच कर रहे हैं। जहां तक फाइलों के गुम होने की बात है, माननीय सदस्य फाइलों के पीछे-पीछे तो स्वयं ही लगे हैं, तो उनके गुम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जांच चल रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायगी।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य, बलिया ने सुनी-सुनाई बातों में आ कर ये बातें कहीं। मुख्य मंत्री के लिए सभी अधिकारी बराबर होते हैं। कोई किसी का नाम लेकर सड़कों पर क्या कह रहा है, माननीय सदस्य को इसका ध्यान देना चाहिये था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसी जगह है जिसमें कुछ का काम होता है कुछ का नहीं। जो संतुष्ट नहीं होता वहीं शिकायत करने लगता है। बहुत जगह ऐसा होता है। कई जगह गलत काम होता है तो हम देखते हैं, कार्यवाही करते हैं लेकिन हमारे जो अधिकारी ईमानदार हैं, तो हमें सुनी सुनाई बातों से न आकर उनका भी ध्यान रखना होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह इसलिए है कि आजकल लगभग हर जिले से दूषित पेयजल व्यवस्था की शिकायतें आ रही हैं और मान्यवर, आपने देखा कि इसके कारण इस सदन के अन्दर भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शीशियों में भरकर माननीय सदस्यगण नल का गंदा पानी लाए और सदन के कार्यों में रुकावट आई, क्योंकि इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आया। श्रीमन्, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी 27 तारीख को शाहजहांपुर के एक पत्रकार हैं श्री प्रताप नारायण रायजादा, उनके घर में पानी की टोटी से सांप निकला।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आज ऊर्जा जैसे विषय का बजट है, उस पर चर्चा होनी है लेकिन औचित्य के प्रश्नों पर ही समय निकल जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यपाल सिंह --

श्री मान्यवर, उन्होंने उस सांप को बोतल में बन्द कर दिया और विधायकगण और सारे पत्रकारों के सामने उन्होंने दिखाया । मान्यवर, यह चर्चा का विषय बनता है । कल फैजाबाद का भी यही रिपोर्ट था । सारे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का कार्य व्यवस्थित रूप से चले, इसलिए इस पर चर्चा करा कर यह व्यवस्था दें कि सरकार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे ।

मेडिकल कालेजों में आत्महत्याओं के प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराये जाने की घोषणा के बावजूद भी अन्य अधिकारी द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि जिस औचित्य के प्रश्न की सूचना मैंने मान्यवर, दी थी उसकी प्रतिलिपि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जरूर दे दी गई होगी, लेकिन अफसोस है कि....

(स्वास्थ्य मंत्री के सदन में आने पर ।)

आप आ गये, पहले आप दिखे नहीं थे । तो मान्यवर, इस आदरणीय सदन में गम्भीर रूप से इस बात की चर्चा की गई थी कि जो मेडिकल कालेज में आत्महत्याएं हो रही हैं, उन आत्म-हत्याओं के बारे में जिस समय बजट भाषण हो रहा था, उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम इस मामले को पहले ही लिखकर दे चुके हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पूरन सिंह--

मान्यवर, इस माननीय सदन की परम्परा रही है कि जिस बिन्दु पर माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो जाता है, उसे पुनः उसी उपवेशन में या सत्र में नहीं उठाया जाता । मेरे सुयोग्य साथी माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जिस मामले को उठा रहे हैं जैसे मेडिकल कालेज में आत्महत्या का मामला आदि इसे अध्यक्ष पीठ से वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया गया है । अतः नियमानुसार इसे दोबारा उठाना नियमों का उल्लंघन और स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन है । अतः यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिसकी मैं अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कथन तो सही है । माननीय गुप्त जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं । बजट के समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि वे इसकी जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान जज से करायेंगे । विधान सभा में सवाल किया, तो उस सवाल का स्वयं माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उसकी जांच मेडिकल शिक्षा के डायरेक्टर से करायेंगे । फिर बाद में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इसकी जांच अवकाश प्राप्त जज से कराई जायेगी ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेडिकल शिक्षा के डायरेक्टर श्री मिश्रा जब जांच के लिए वहां गये, तो जूनियर डाक्टर्स ने उनका घेराव किया । उन्होंने डा0 मिश्रा से कहा कि आप जांच करने के लिए यहां आये हैं क्या आपने उस लड़की के भाई या मां, किसी को बुलाया है । उन जूनियर डाक्टर्स ने उनका विरोध किया और कहा कि वे उनको

जांच नहीं करने देंगे । यह भी कहा कि आगरा में प्रिंसिपल के पद पर उनका कार्यकाल संदिग्ध था । मेरी जानकारी है कि डा0 मिश्रा ने प्रशासन को लिखकर भेज दिया है कि वे जांच करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

मान्यवर, इस स्थिति में भ्रांति पैदा हो गयी है । कभी तो कहा जाता है कि अवकाश प्राप्त जज से और कभी वर्तमान जज या कभी मेडिकल शिक्षा के डायरेक्टर से जांच कराने की बात कही जाती है । इसके बाद मंत्री जी ने टर्म्स आफ रेफरेंस में सभी मेडिकल कालेजों को लपेट दिया है । 4 दिनों में चार स्थितियां आ गयी हैं । मिश्रा जी ने जांच करने से मना कर दिया है ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट के समय कहा था कि मंत्रिपरिषद् से अनुमति लेकर इन्क्वायरी आफ कमीशन के अन्तर्गत एक जज की नियुक्ति करेंगे जो इसकी जांच करेंगे ।

लेकिन, 25 जुलाई को डा0 एस0 एस0 मिश्रा, डायरेक्टर मेडिकल एजूकेशन को वहां जांच करने के लिए भेज दिया । उन्होंने वहां लड़कों को धमकी दी कि जिन्दगी बरबाद कर देंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सदन को गुमराह किया जाता है कभी कहा जाता है किसी जज से फिर किसी अवकाश प्राप्त जज से, उसके बाद कहा जाता है डायरेक्टर से इसकी जांच करायेंगे । आप शासन को निर्देश दें कि किसी जज से इसकी जांच करायी जाय ।

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)-

मान्यवर, इसमें कोई भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

मान्यवर, मैं सदस्यों से विशेष रूप से माननीय गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि मैंने एक ही बात कही और पुनः कह रहा हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सदन को गुमराह न किया जाय ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया शान्ति से सुनें ।

मैंने आपके माध्यम से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज से इस सारे प्रकरण की जांच करायी जायेगी । जिसमें उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ही मेडिकल कालेज में किसी छात्र के द्वारा आत्महत्या, मृत्यु, जिसमें किसी को सन्देह ही नहीं, बल्कि विगत 10 वर्षों में सभी मेडिकल कालेजों में जो इस तरह की घटनायें घटी हैं, सबकी जांच करायेंगे ।

जहां तक डाइरेक्टर मेडिकल एजूकेशन का सवाल है, वह तो मान्यवर, प्रशासकीय जांच करने गये थे । हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है, जिसमें कहा गया हो कि जांच नहीं करेंगे ।

न्यायाधीश के द्वारा की जाने वाली जांच और डाइरेक्टर द्वारा की जाने वाली जांच उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

औचित्य के सभी प्रश्नों को मैंने सुना, कोई भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर ।)

शतरुद्र प्रकाश जी कृपया बैठ जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । सबसे पहले मैंने श्री सुखपाल पाण्डे जी को बुलाया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मैंने भूतपूर्व विधायक श्री मसरूर जाफरी की हत्या की साजिश के सम्बन्ध में उठाया है ।

श्री विजय सिंह राणा—

नियम 56 के अन्तर्गत मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री सुखपाल पाण्डे जी, आप बैठ जायं ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा । जो तेज बोलेगा, उसे आप बोलने के लिए नहीं कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था न फैलायें । आज ऊर्जा का महत्वपूर्ण बजट है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन्, मैं दो दिन से आपको एक औचित्य का प्रश्न दे रहा हूं, लेकिन उसे आप अस्वीकार कर दे रहे हैं जबकि वैसे ही दूसरे प्रश्नों को आप स्वीकार कर ले रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राम गोविन्द चौधरी जी, आप बैठ जायं । आपका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा। इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आज ऊर्जा का बजट है, ...

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री सुख पाल पाण्डे, श्री विजय सिंह राणा, श्री राम आसरे वर्मा, श्री फजलुलबारी आदि कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे) ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जब तक आप हमारी पूरी बात नहीं सुनेंगे मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

सुनाइये ।

श्री रामगोबिन्द चौधरी—

स्पष्ट आश्वासन था इस हाउस में आपकी पीठ से निर्देश भी दिये गये थे कि चाहे आमरण अनशन पर बैठे...

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

यह किस नियम में बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह आपकी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपको सुन लिया, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है..

(व्यवधान)

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है..

(व्यवधान)

जैसे आपने चौधरी साहब को सुना उसी तरह से मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता—

आप व्यवस्था का प्रश्न किस विषय में उठाना चाहते हैं ?

श्री फजलुलबारी—

जैसा राम गोबिन्द चौधरी ने उठाया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में उठा रहा हूं...

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो चुका है...

(व्यवधान)

(श्री सुखपाल पान्डे को पुकारे जाने पर ।)

[1·20 बजे]

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 में आज 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं...

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

औचित्य के प्रश्न आपने लिये हैं, उनके बारे में व्यवस्था उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है । मैंने पाण्डे जी को बुला लिया है, उन्हें बोलना है, आप बैठें ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री बदन सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा एक साथ खड़े होकर बोलने लगे,

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी का यह अंश लिखा नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आपने माननीय सुखपाल पाण्डे जी को पुकारा, वे खड़े हो गये, उन्होंने बोलना प्रारम्भ किया । उसके बाद बीच में कई माननीय सदस्यों को आपने सुनने की कृपा की । क्या इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे, उन्हीं को सुनते रहेंगे ? कैसे हाउस चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजर सिंह जी, मैं आपके सहयोग का आभारी हूं जो आपने

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

दिया है । जिन माननीय सदस्यों को बीच में बोलने के लिये कहा गया, ऐसा लगा शोरगुल में कि वे नियम 56 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, किन्तु सुनने के बाद समझ में आया कि नियम 56 में नहीं है, तो उनको बैठा दिया गया । जब नियम 56 ले लिया तो नियम 56 के अन्तर्गत ही बात सुनी जा सकती है ।

*श्री किरन पाल सिंह--

नियम 56 के अन्तर्गत ही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 के अन्तर्गत मैंने और मेरे कुछ साथियों ने एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सूचना सदन के संज्ञान में लाने के लिये लिख कर दी है कि श्री मसरूर जाफरी, जो कि गोंडा जनपद के हैं...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय किरनपाल सिंह जी, मैंने श्री सुखपाल पाण्डे को इस पर बोलने का मौका दिया था, आप उन्हें बोलने दीजिये और थोड़ा सहयोग कीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

श्री मसरूर जाफरी, भूतपूर्व विधायक, जो इस सदन के रह चुके हैं, उतरौला में उनकी हत्या करने की साजिश की गयी, कई बार उनकी हत्या करने की साजिश की जा चुकी है । वहां की एक बैठक में शान्ति रखने का प्रयास करने पर उनका योगदान था, तो वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या करने का कई बार प्रयास किया । 17-11-84 को श्री मसरूर जाफरी पर हमला हुआ जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी । अभी मामले की छानबीन पूरी भी नहीं हुई थी कि 22-11-84 को जाफरी साहेब पर एक सभा में हमला किया गया । 25-6-85 को फिर उन पर हमला किया गया । अगर यही रवैया रहा, तो एक दिन यहां के भू0 पू0 विधायक श्री जाफरी की हत्या हो जायेगी क्योंकि जो उनको धमकी दी जा रही है उसमें वहां का स्थानीय थानेदार भी शामिल है ।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अभी 2-7-85 को श्री मसरूर जाफरी के घर पर हमला हुआ, गोलियों की बौछार हुई जिसकी फोटो स्टेट कापी मैं आपके माध्यम से सरकार को दिखाना चाहता हूं (फोटो स्टेट कापी की प्रति को दिखाते हुए) । यदि श्री मसरूर जाफरी के सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो तय है कि उनकी हत्या कर दी जायेगी और तब इसी सदन में उनके शोक का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि सारे मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच करवा कर आप सरकार को निर्देश दें कि जिससे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके और उनकी सुरक्षा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, क्या यह सम्भव है कि अभी ऊर्जा जैसे बजट पर चर्चा करनी है और दूसरी तरफ आप सब खड़े हो कर एक ही मामले पर बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय कमाल यूसुफ जी, कृपया आप मेरे निवेदन को सुन लें । अभी ऊर्जा का बजट विचाराधीन है, इसलिये यह सम्भव नहीं है कि मैं हर एक को सुनूं । श्री मुलायम सिंह यादव जी, आप कृपया सबको शान्त करें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, श्री मसरूर जाफरी के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जैसा कि अभी माननीय सुखपाल पांडेय जी ने कहा, माननीय मसरूर जाफरी इस सम्मानित सदन के सदस्य रह चुके हैं। हमें आम नागरिक की सुरक्षा की चिन्ता है, श्री मसरूर जाफरी की भी सुरक्षा की चिन्ता है। उनका अंग रक्षक वापस किया गया था, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको फिर अंगरक्षक दे दिया जाय। उनकी सुरक्षा के लिये हम जागरुक हैं, उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा की जायेगी।

उनकी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, उनके मामले की सी0आई0 डी0 से जांच करायें।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला था और लिखकर भी दिया था और सभी सदस्यों की यह भावना है कि सी0 आई0 डी0 से जांच करवाई जाये इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

इस मामले में आपने उल्लेख किया है कि आपने लिखकर दे दिया है, तो उसको देख लिया जायेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमान्, सम्मानित सदस्य बस्ती जनपद ने जो प्रस्ताव दिया है नियम 56 के अन्तर्गत उसमें सी0 आई0 डी0 जांच का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन नेता विरोधी दल ने जो बात कही तो उसके आदेश कल ही दे दिये गये हैं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, काशी विद्यापीठ एक ऐतिहासिक संस्था है और स्वतंत्रता संग्राम में उसका अभूतपूर्व योगदान रहा है। स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और न जाने कितने ऐसे देश के महान नेता इस शिक्षण संस्था से सम्बद्ध रहे हैं और उसकी जो परम्परा रही है वह भी एक आदर्श अपने आप में रही है। लेकिन आज की जो स्थिति है वह बहुत चिन्तनीय है और उसकी स्थिति को जानकर किसी भी जनतांत्रिक और किसी भी राष्ट्रीय व्यक्ति को अफसोस हो सकता है।

अभी कुछ दिनों पहले वहां पर अध्यापकों पर कातिलाना हमला किया गया जिससे अध्यापकों में काफी असंतोष हो गया। इस समय नया सत्र शुरू होने वाला है और छात्रों में भी काफी असंतोष व्याप्त है। मान्यवर, वहां पर इस तरह की शिकायतें हो रही हैं जो कि वित्तीय प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। करीब 6 हजार से ज्यादा विद्यार्थी वहां पर अध्ययन करते हैं और सैकड़ों अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं। मैं समझता हूं कि इतने बड़े विश्वविद्यालय की आज जो स्थिति है जो कि निश्चित-तौर पर देश की संस्था से सम्बद्ध रहा है उस पर सब लोगों की चिन्ता स्वाभाविक है। मुझे जहां तक जानकारी है कुछ दिन पूर्व सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया था लेकिन आज तक वह जांच समिति अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जो घोषणा की थी वहां के वित्तीय मामलों को लेकर, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर है। फिर वहां पर जो आज का हाल चल रहा है। उसको देखते हुए जल्दी ही अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जांच समिति अपना कार्य शुरू कर दे वरना वहां की स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तो मैं इस कार्य-स्थगन प्रश्न के जरिये चाहता हूं कि सदन इस पर समुचित ध्यान देकर इस विषय पर विचार करे।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, बड़ी जबरदस्त अनियमितताओं का मामला है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की जितनी भी सिफारिशें हैं उन सारी सिफारिशों को वहां के मौजूदा कुलपति श्री दूधनाथ चतुर्वेदी जी ने खतम कर दिया है। श्री चतुर्वेदी ने सरकार के जितने भी आदेश हैं, उनको मानने से इन्कार कर दिया। टेलेक्स जाता है कि जितनी नियुक्तियां की गई हैं, वह गलत हैं और सरकार के आदेश के विरुद्ध की गयी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, उनको खतम किया जाये। नये विभाग अपनी मर्जी से खोल रहे हैं। लेकिन जब तक शासन का आदेश न हो, नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि वहां घोर अनियमिततायें की गयी हैं। हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक सादे कागज पर लिख दिया जाता है कि विभागाध्यक्ष, फलां व्यक्ति आये हैं, उनको पढ़ाने दिया जाये, उनको दो सौ-चार सौ रुपये पर रख लिया जाता है।

मान्यवर, 1973 का ऐक्ट है, उसमें सारी बातें साफ लिखी हुई हैं कि विभिन्न संकायों में नियुक्तियां, पदों का सृजन आदि जब तक सरकार की अनुमति न हो, नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, बी0 एड0 के लिये कानून है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की संस्तुति है कि सरकार का नोटीफिकेशन होना आवश्यक है कि कितनी सीटें रखी गयी हैं, लेकिन कोई ऐसा नोटीफिकेशन नहीं है, लेकिन 600 लड़कों की भरती की गयी।

मान्यवर, काशी विद्यापीठ का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तर प्रदेश की जो महान् विभूतियां हुई हैं, उनका इसमें योगदान रहा है, इसको बनाने में उनका हाथ रहा है और काशी विद्यापीठ में इस तरह की बातें हो रही हैं, कातिलाने हमले हो रहे हैं, अध्यापक परिषद् के मंत्री पर कातिलाना हमला हुआ, वह जान से मर जाते, लेकिन किसी तरह से बच गये।

मान्यवर, इसीलिये इसकी तात्कालिकता और बढ़ गयी है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने संस्तुति की है कि अगर कोई विश्वविद्यालय इस तरह का कार्य करता है, उसकी एड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, यह सैकड़ों विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप देखें ....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप सुन लें। ग्राह्यता का प्रश्न है, इसमें लम्बे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

तो मैं कह रहा था कि यह तात्कालिकता का प्रश्न है, हजारों छात्रों के जीवन का सवाल है, जिनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा? आप इसको देख लें। श्री दूध नाथ चतुर्वेदी ने 18 लड़कों से कम्प्यूटर साइंस विभाग खोला। उसमें भरती 10 विद्यार्थियों ने कहा कि गुरूजी हमें नौकरी मिल गयी है, डिग्री दे दीजिये और उन्होंने डिग्री दे दी बाकी 8 लड़कों में से 2 फेल हो गये और 6 पास हो गये।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्थान ग्रहण करें।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठात --

आप बैठें । मैंने शिक्षा मंत्री जी को बुला लिया है ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)---

मान्यवर, जहां तक काशी विश्व-विद्यालय की स्थिति का सवाल है, शासन इस मामले में पूर्ण रूप से सजग है । मान्यवर, इससे पहले कुलपति महोदय ने शासन को पत्र लिखा है कि अध्यापकों ने उनके साथ मार-पीट की है । स्थिति पर कन्ट्रोल है और उसकी जांच हो रही है । आप जानते हैं कि इस मामले में जांच समिति बनी है और उसका समय 31-12-1985 तक बढ़ाया जा चुका है । उनसे भी विशेषरूप से अनुरोध किया जायेगा कि उसकी पूरी तरह से जांच शीघ्रातिशीघ्र करके रिपोर्ट दें । माननीय कौशिक जी ने वहां पर जो नये विभागों और संकायों के खोलने की बात कही है, उसमें परिनियमावली के अन्तर्गत संशोधन कर दिया गया है और वांछित पदों के सृजन के ऊपर शासन विचार कर रहा है ।

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

इस विषय को सुन लिया गया है और शिक्षा मन्त्री जी ने भी अपनी बात कह दी है । आप लोग कृपया बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह जो काशी विद्यापीठ है, जिसके सम्बन्ध में माननीय कौशिक जी ने और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अपनी बात कही और भी माननीय सदस्य कहना चाहते थे किन्तु समयाभाव के कारण नहीं कह सके । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस काशी विद्यापीठ का सीधा सम्बन्ध स्वतंत्रता संग्राम से रहा है । उसके इतने महत्व को देखते हुये वहां पर जो जबरदस्त अनियमिततायें हुई हैं जो कि सरकार की जानकारी में ला दी गई हैं उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री उसका टालू जवाब दे रहे हैं । तो मान्यवर, उससे हम लोगों को संतोष होने वाला नहीं है । वहां पर इतनी अनियमिततायें हो रही हैं कि अमान्य डिग्रियां दी जा रही हैं किसी को दो रुपये और किसी को 500 रुपये में दी जा रही हैं और इन सब अनियमितताओं को दूर करने के लिये शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब हमें मिलना चाहिए ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मामले को वे गम्भीरता से लें । क्योंकि इसमें हजारों विद्यार्थियों का जीवन अन्धकार में डाला जा रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप दो घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

(उपवधान)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी--)

हमें जब बोलना होगा हम भी कहेंगे ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, काशी विद्यापीठ का यह मामला बहुत गम्भीर है । जितने तथ्य हमारे पास इसके सम्बन्ध में उपलब्ध हैं उन सबको कहने के लिये तो आप हमें अनुमति नहीं देंगे और जब मंत्री जी बोल लेंगे तब आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे । मान्यवर, इसमें लाखों रुपये के घटाले का प्रश्न है । बहुत अनियमिततायें हुई हैं । जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने मांग की है, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते । यदि आप इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं करते तो इसमें दो घंटे की चर्चा करा दें । हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि नेता विरोधी दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है इसकी गम्भीरता को देखते हुये जो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है वह संतोषप्रद नहीं है । मान्यवर, हम भी इसी बात पर बल देते हैं कि इस पर आप दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाय और सबको अपनी बात कहने का मौका मिल जाय ।

(श्री गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय बाद में लिया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय पीठासीन अधिकारी जी, आपके माध्यम से मैं प्रदेश में जो खेतिहर मजदूर हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, यह संयोग की बात है कि माननीय कृषि मन्त्री जी भी बैठे हैं और स्वास्थ्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हमारे यहां कोई बीमारी नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

श्रीमन्, धान की बुआई का समय चल रहा है और उसके लिये यह जरूरी है कि किसान जिसे हमारे यहां लेऊ कहते हैं धान की अच्छी बुआई के लिए और अच्छी उपज के लिए रासायनिक खादों का उपयोग बहुत जरूरी है..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गौरी शंकर जी, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं आज ऊर्जा का बजट है । आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

रासायनिक कीटनाशक दवाओं का और खाद का इस समय जो प्रयोग हो रहा है, उससे पूरे प्रदेश का लेबर जो धान की बुआई में काम करता है, उसके घुटनों से नीचे का चमड़ा गल गया है और कट कर गिरता जा रहा है । किसान और मजदूर को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन-सी दवा का उसमें प्रयोग किया जाय । वे सिर्फ स्याही और तूतिये का घोल लगा लेते हैं । तो इससे उसके घुटनों से नीचे का चमड़ा सड़ कर गिर रहा है । जिससे पूरे प्रदेश का मजदूर आतंकित है और उसने खेत में धान करना बंद कर दिया है, जिससे धान की उपज खतरे में पड़ गयी है ।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे और जो मजदूरों तथा किसानों के पांव बेकार हो रहे हैं उसके लिए कौन-सी उपयुक्त दवा है उसकी किसानों को जानकारी दें । यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह उनकी जिंदगी का सवाल है । इस प्रकार कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से किसान और मजदूर दोनों को खतरा पैदा हो गया है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस संदर्भ में किसानों को सूचित करें कि जो रासायनिक खाद से बोआई हो रही है उसके लिए कौन-सी दवा का उपयोग उनको करना चाहिये । उन्नत कृषि के लिए रासायनिक खाद का उपयोग भी आवश्यक है ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 के अन्तर्गत कुछ सूचनाओं को मैंने पढ़ा और कुछ को मैंने सुना भी। श्री विजय सिंह राणा आदि को भूतपूर्व विधायक श्री मसरूर जाफरी की हत्या की साजिश की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

दूसरी काशी विद्यापीठ के अध्यापकों पर कातिलाना हमला के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया है उसमें एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है।

तीसरी ललितपुर के जंगलों से करोड़ों रुपये की तेंदू पत्ते की चोरी की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है बाकी सब सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, हमारा विषय भी सुन लें उसे क्यों अस्वीकार कर दिया ?

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सुन लें...

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, नियम 56 में हमारा प्रस्ताव था उसे आपने क्यों अस्वीकार कर दिया ? कोई तरीका होना चाहिए..

श्री राम सरन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव—

इस तरह हम सदन नहीं चलने देंगे। हमारी बात सुन लें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव—

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह मामला है

(व्यवधान)

मान्यवर, आप क्या चाहते हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज....

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य बैठ जायं, शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 300, 301, 56 में आपके पास ध्यान आकर्षण के लिए सूचनाएं दी जाती हैं, तो जो जरूरी सूचनाएं और कार्य-स्थगन प्रस्ताव होते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं और नहीं लेते हैं किन्तु जो गैर जरूरी सूचनायें और प्रस्ताव होते हैं उनको आप यहां लेते हैं। ऐसे ही औचित्य के प्रश्न पर करते हैं, तो झगड़ा होता है और शोर-शराबा होता है। इसलिए आप अपनी रूलिंग और कार्य को व्यवस्थित करें तब काम चलेगा वरना यहां असंतोष बढ़ता जायेगा। यह

425 माननीय सदस्यों का हाउस है, इसलिए सभी को समान दृष्टि से आप देखें । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

बजट साहित्य समय से न मिलने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांत रहें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं व्यवस्था आपकी चाहता हूं कि बिजली का आज महत्वपूर्ण बजट है लेकिन उसका साहित्य अभी तक नहीं मिला है । मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण, षष्ठ संस्करण के नियम 211(1) में साफ लिखा है कि जिस बजट को पेश किया जाता है उसका साहित्य 4 दिन पहले विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिए लेकिन मेरी जानकारी है कि आज तक, अभी तक, ऊर्जा मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं, माननीय सदस्यों को विधान सभा सचिवालय की ओर से कोई भी बजट साहित्य नहीं मिला है ।

मान्यवर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट की धारा 61 में जो प्राविधान है उसका आशय है कि प्रत्येक वर्ष का जो आय-व्ययक है विद्युत परिषद् का उसको विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा और माननीय सदस्य उस पर विचार एवं बहस करेंगे, मतदान नहीं होगा लेकिन विचार किया जायेगा किन्तु उत्तर प्रदेश का विद्युत का 1985-86 का बजट हमारे सामने नहीं आया है । मान्यवर, यह भी नियम है कि यदि नियमों का सरकार पालन नहीं करेगी तो विधान सभा के अन्दर विद्युत परिषद् का लेखा-जोखा नहीं प्रस्तुत किया जायेगा । तो विधान सभा सचिवालय के जरिये साहित्य आज नहीं मिला है, इस पर आप कोई तत्काल अपनी व्यवस्था करा दें, ताकि जनहित के सवाल पर चर्चा हो और बिना नियमावली के आप कोई भी कार्य स्वीकार न करें ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जहां तक मैटेरियल का सवाल है, वह बंटा है । उसमें कुछ विलम्ब हुआ है, उसके लिए खेद है । हमारा प्रयास था कि समय से उसको वितरित करा दिया जाये ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

अभी बजट नहीं मिला है, केवल प्रचार की सामग्री मिली है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि हमारे सदन के 3 माननीय सदस्य रासुका में नजरबन्द हैं

(व्यवधान)

आप इसको उठाने की हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता--

जो बजट साहित्य नहीं मिला है, उसके सम्बन्ध में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री जी, इसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री सुनील शास्त्री--

बजट के सम्बन्ध में जो साहित्य है, वह हम लोगों ने बांट दिया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों को । जिन सदस्यों को नहीं मिला है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं । लेकिन बजट साहित्य न देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर किसी भी माननीय सदस्य को इधर बजट साहित्य नहीं मिला है ।

(कुछ सदस्य खड़े होकर बजट साहित्य न मिलने की शिकायत करने लगे)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में ऊर्जा के बारे में काफी कुछ कह चुके हैं ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी भविष्य में इसका ध्यान रखें । अब चूंकि मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया है, अब आप इसको छोड़ दीजिये और आगे की मद होने दीजिये । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आपकी क्या व्यवस्था हुई ?

श्री अधिष्ठाता--

खेद प्रकट कर दिया है ।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 7-- ऊर्जा विभाग

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,71,71,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि अगर हमें विकास की ओर बढ़ना है, तो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है विद्युत की । चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात करें, चाहे हम कृषि क्षेत्र के विकास की बात करें या किसी अन्य क्षेत्र के विकास की बात करें, विद्युत् की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है उसकी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी है । मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारी नई सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, उसके पश्चात् हमने जो विद्युत आपूर्ति की है, उसका पुनरीक्षण किया । उसमें हमने इस बात को देखा कि विद्युत् की जो मांग है, वह निरन्तर बढ़ती जा रही है और विद्युत् की उपलब्धता हमारे पास उतनी अधिक नहीं है, जितनी मांग है । लेकिन फिर भी श्रीमन्, हमारी नयी सरकार ने तुरन्त कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् जो ग्रामीण अंचलों में 5 घंटे विद्युत् आपूर्ति की जा रही थी, उसको बढ़ाकर 7 घंटे कर दी ।

श्रीमन्, जो छोटे उद्योग थ, जो 100 हार्स पावर के नीचे के थे उन पर पूर्ण रूप से कटौती को समाप्त कर दिया गया है । यह हमारा पहला कदम था जिस पर हम चले और उसके पश्चात् निरंतर हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि किस तरह से विद्युत् उत्पादन को बढ़ायें । मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष, हमारे जो तापीय विद्युत् गृह हैं, ओबरा, हरदुआगंज और पनकी उनमें जो हमारी क्षमता थी जिसे हम प्लांट लोड फैक्टर के रूप में आंकते हैं वह 42 प्रतिशत थी । इस वर्ष के प्रारम्भ होने पर,

*वक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले जो 3 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून में इसमें वृद्धि हुई है। श्रीमन्, 42 प्रतिशत से बढ़कर यह 42.5 प्रतिशत हो गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अभी बहुत अधिक सुधार इसमें नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो हमारी मशीनें हैं, उनके रख रखाव की कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आयीं। क्योंकि अक्तूबर, 1983 में एक बहुत बड़ा अग्निकांड ओबरा पावर हाउस में हुआ जिसमें दो-दो सौ मेगावाट की दो मशीनें क्षतिग्रस्त हुयीं। इसके पश्चात् मई 1984 में हरदुआगंज में 60-60 मेगावाट की दो मशीनें क्षतिग्रस्त हुयीं। तो अक्तूबर, 1983 और मई 1984 में हुये अग्नि-कांडों के कारण हमारी जो विद्युत् उत्पादन की क्षमता थी वह कम हुई और इसी कारण जो मशीनों का वार्षिक रख रखाव होता है, विद्युत् की मांग को देखते हुए और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जो रख-रखाव का कार्य-क्रम था उसको स्थगित किया।

मैं कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत् का जो हमारा उत्पादन हो रहा था तो हमने प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ हमने इस बात का प्रयास किया है कि किस तरह से हम अपने उपभोक्ताओं को राहत दें। मैं बताना चाहता हूं कि जून के महीने में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनकी विद्युत् कटौती में कमी की। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बड़े उद्योगों में 50 प्रतिशत की जगह पर 20 प्रतिशत कटौती की गयी और उनको 70 प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति हमने की। जहां तक हमारे जो खाद के, फर्टीलाइजर के जो कारखाने हैं उनके महत्व को देखते हुए, किसानों की उर्वरक की आवश्यकता को देखते हुए उनकी कटौती को कम किया और उनको 80 प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति देना प्रारम्भ किया।

श्रीमन्, शहरों में एक घंटे कटौती में कमी की। तो हमको अभी विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति करनी है। मैं नहीं कहता कि अभी कोई हमारे सामने कार्य नहीं है। हमें अपने विद्युत् गृहों का नवीनीकरण करना है। जो मशीनें पुरानी हो गयी हैं उनको बदलना है जिससे कि प्लांट लोड फैक्टर बढ़ सके और विद्युत् उत्पादन में वृद्धि हो सके। श्रीमन्, वर्षा हो जाने से जो हमारे जल विद्युत् गृह थे उनमें पानी उपलब्ध होने लगा है और हमारे जल विद्युत् गृहों का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए विद्युत् उत्पादन को देखकर 8 जुलाई, 1985 को, जो हमारे बड़े उद्योग थे उन पर पूर्णरूप से कटौती को समाप्त कर दिया है। श्रीमन्, इसी तरह से शहरों में जो निर्धारित कटौतियां थीं उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया है। इसके साथ ही साथ जो उद्योग थे उनकी विद्युत् कटौती 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया है। इसी तरह से जो हमारी आर्क फरनेस, इंडक्शन फरनेस और रोलिंग मिले हैं उनको 8 घंटे के स्थान पर साढ़े 12 घंटे विद्युत् आपूर्ति देना शुरू किया है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस बात का भी प्रयास किया कि किस तरह से जो हमारी मशीनें बहुत समय से खराब हैं, जैसे हमारी ओबरा की यूनिट नं0 11 और हरदुआगंज की यूनिट नं0 6, एक 30 अक्तूबर, 1983 से खराब थीं, जिसे हमने प्रयास करके 22 जून, 1985 को चालू कर दिया और दूसरी 23 मई, 1983 से खराब थी, जिसे हमने 16 जून, 1985 को चालू कर दिया। यही नहीं मातृटोला में हमारी सभी मशीनें खराब हो गयी थीं, उनमें से दो मशीनों को जो सितम्बर, 1983 को खराब हो गयी थी, उनको 26 और 27 जुलाई, 1985 को चालू कर दिया।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए।)

हरदुआगंज की एक मशीन जो कि जनवरी, 1985 से खराब हो गयी थी, उसे हमने 21 जून, 1985 को चालू कर दिया। ओबरा की दूसरी मशीन यूनिट नं0 5 की जो 27 जुलाई, 1984 को खराब हो गयी थी, उसे हमने 14 जून, 1985 को चालू कर दिया है। वह 50 मेगावाट की मशीन है। एक परीक्षा में यूनिट नं0 2 की मशीन जो 26 फरवरी, 1985 को खराब हो गयी थी, उसे 25 जून, 1985 को चालू कर दिया गया है।

मान्यवर, इन सबको देखते हुए जो हम उत्पादन करते हैं, उसके अतिरिक्त कभी आवश्यकता पड़ती है, तो हम अतिरिक्त बिजली आयात करते हैं। इस सदन में इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि जो कटौती 20 प्रतिशत की हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योगों में थी, वह पूर्ण रूप से आज से समाप्त की जा रही है और ग्रामीण अंचलों में श्रीमन्, जो 7 घंटे की विद्युत् आपूर्ति थी, उसको बढ़ा कर हम लोग 10 घंटे कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारी अधिष्ठापित क्षमता है, वह 4084 मेगावाट की है। तापीय 2662 की, जल विद्युत् की 1422 की है। जो हम लोगों की विद्युत् की मांग है, उसको देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने जो धनराशि की मांग की है, वह 900 करोड़ की है। हमने 594 करोड़, 86 लाख रुपया दिया। इसमें हमारा 20 करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्र में विद्युतीकरण के विकास के लिए रखा गया है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस धनराशि में से 407.9 करोड़ रुपया उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 145 करोड़ रुपया पारेषण के लिए, 40.17 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, 2,6 करोड़ अन्य कार्यों के लिये है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश सरकार ने विद्युत् को बढ़ाने के लिए, बिजली की कमी को दूर करने के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस बात से प्रतीत होता है, जो हमारा ड्राफ्ट प्लान 5008.15 करोड़ का था, भारत सरकार ने पूरी धनराशि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित की है। तो हमारा हिस्सा इसमें विद्युत् को जो मिला वह 3,440 करोड़ का मिला, इसके कारण जो हमारा लक्ष्य 2,466 मेगावाट का निर्धारित किया गया था कि अगले पांच वर्षों में हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ायेंगे, साधनों की कमी के कारण हम 1,638 मेगावाट तक बढ़ा पायेंगे। लेकिन मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो हमारी राज्य तापीय परियोजनायें हैं, उसके भी पावर-हाउसेज उत्तर प्रदेश में बनाने का निर्णय लिया गया है और इस सम्बन्ध में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उसमें हमारा हिस्सा भी होगा, क्योंकि जब हमारे उत्तर प्रदेश को, देश में जब कोई निर्माण कार्य होगा तापीय विद्युत् गृह का, जल विद्युत् गृह का, तो उसमें से एक परसेन्टज होता है, जो प्रदेश सरकार को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि सीमित धनराशि के कारण एक हमारी बहुत बड़ी योजना, जो एक हजार मेगावाट की है आनपारा-बी, में विलम्ब हुआ है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया जाए। इसके अलावा दो तापीय विद्युत् गृह हैं एक तापीय विद्युत् गृह श्रीनगर में, तथा एक तापीय विद्युत् गृह मवेदा भाली-2 है इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी की प्रदेश सरकार इस बात का प्रयास कर रही है, हम केन्द्र सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अधिक धनराशि मिले। ताकि हम इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर सकें, और विद्युत् की मांगों को, जो बढ़ती जा रही है, उनको पूरा कर सकें।

श्रीमन्, यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में जो उत्तरदायित्व अधिकारियों के ऊपर सौंपा जाता था, उसकी सीमा ज्यादातर राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय तक ही सीमित थी। श्रीमन्, जो नीचे के अधिकारी थे, जो

क्षत्र में, फील्ड में कार्य करते थे उनके ऊपर जो जिम्मेदारी हम डालते थे, उसमें अगर कोई कमी रह जाती थी, तो उनको हम जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। मान्यवर, जब इसका अध्ययन किया गया तो हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इसमें उत्पादन एवं मुख्य पारेषण को ट्रांसमीशन के अन्तर्गत किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन आफ कामर्शियल को उसका पूरा दायित्व सौंपा है। इसको हमने क्यों किया इसके बारे में बताना चाहूंगा। श्रीमन्, हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर कि जो विद्युत् का उत्पादन होगा, उसको हम विद्युत् को वितरण शाखा में बेचेंगे। वितरण शाखा की एक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने उपभोक्ताओं से वसूली करके अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाएंगे, तो यह बहुत बड़ा निर्णय है।

हम उत्पादन करके जो बिजली पैदा करेंगे उसको वितरण शाखा को भेजेंगे। वितरण शाखा की जिम्मेदारी होगी कि उपभोक्ता को विद्युत् की आपूर्ति करे। और उससे जो राजस्व की वसूली करे उसको अपनी वितरण प्रणाली के मजबूत बनाने के लिए प्रयोग करे। श्रीमन्, असिसटेन्ट इंजीनियर को भी इसका कार्य सौंपा जाएगा कि वह देखे कि विद्युत् आपूर्ति की उसके क्षेत्र में कितनी आवश्यकता है और जो विद्युत् उसको उपलब्ध कराई जाएगी उसका हिसाब लिखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि राजस्व की वसूली ठीक हो रही है या नहीं। अगर अन्तर होगा तो देखा जाएगा कि वह अधिकारी उसमें कार्य करने में सक्षम है या नहीं, यदि वह सक्षम नहीं है तो राज्य विद्युत् परिषद् उसमें तुरन्त कार्यवाही कर सकती है। हमने यह कदम बढ़ाए हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि वितरण शाखा में कार्यरत हरेक अधिकारी अच्छी तरह से समझ जाएगा। उससे न केवल राज्य विद्युत् परिषद् का कार्य सम्भलेगा बल्कि उससे सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

अब तक जो बिलों में गलती हो जाती थी, रांग बिलिंग हो जाती थी, उसको ठीक कराने के लिये कई जगह जाना पड़ता था। अब सहायक अभियन्ता के पास जाकर उसको ठीक कराया जा सकता है। यह बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश शासन ने लिया है। वितरण प्रणाली और सुदृढ़ बना सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक मुख्य अभियन्ता वितरण की नियुक्ति की जायेगी। मुख्य अभियन्ता वितरण का यह कार्य होगा कि किसी प्रकार से विद्युत् आपूर्ति में कठिनाई न हो। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने प्रशिक्षण शाखा को भी मजबूत करने की चेष्टा की है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो फील्ड में हैं, पावर हाउसेज में हैं, उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण दे सकें। उनको नई तकनीक से अवगत करा सकें, ताकि हम विकास के रास्ते पर बढ़ें।

हमारे यहां 4 सौ के0 वी0 के 7 सबस्टेशन हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये, हमने प्रशिक्षण शाखा को मजबूत किया है। उसमें मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाकर मुख्यालय पर रखने का निर्णय लिया है। ओबरा, देहरादून में एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के तहत प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सुधार लाने की चेष्टा की है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर देंगे तो बहुत सुधार रूप होगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि किसी तरह से जल विद्युत् परियोजनाओं को समय के अन्दर पूरा करके जल विद्युत के माध्यम से विद्युत् उत्पादन बढ़ाये। टेहरी डैम

परियोजना हमारी मल्टीपरपज योजना है। उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत अधिक प्रयास किया और इस बात का लगभग फैसला हो गया है कि केन्द्र सरकार हमें इस परियोजना को पूरा करने के लिये पूरी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त मनेरी-भाली, जो 304 मेगावाट क्षमता की परियोजना है, उस पर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से धनराशि अपने साधनों से मौजूद करके, जो राजस्व की वसूली है, जो बकाया धनराशि है वह 20 करोड़ रुपये हैं 31 मार्च, 1985 तक। अब हमारा प्रयास हो रहा है कि हम किसी तरह अपने वसूली के कार्यक्रम को तेजी से बढ़ायें और अधिक से अधिक धनराशि की वसूली करें। जो हमारे पास उपलब्ध इन्टरनल रिसोर्सेज है, इस वर्ष के लिये जो निर्धारित किया गया है 85 के लिये 71 करोड़ रुपये हैं। इससे जो परियोजनाओं में कठिनाई उत्पन्न हुई है, उनको दूर कर सकेंगे और समय के अन्दर परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी लखवार व्यासी बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें 100 मेगावाट की दो तीन मशीन और 60 मेगावाट की 2 मशीन लगाने की योजना है। श्रीनगर में 50 मेगावाट की 4 मशीनें, पाला मनेरी में 47.3 मेगावाट की 3 मशीनें, लोहरीनाग पाला में 94 मेगावाट की 3 मशीनें लगाई जा रही हैं। खारा में 24 मेगावाट की तीन मशीनें लगाई जा रही हैं। कटा पत्थर में 9.5 मेगावाट की दो मशीनें लगाने का प्लान है। साथ ही टेहरी स्टेट में, जो योजना होती है कि पानी बढ़ जाय तो फिर प्रयोग में ले लिया जाता है, टेहरी परियोजना में इसको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आन्ध्र प्रदेश में है कि पानी डैम से छोड़ कर विद्युत् उत्पादन कर पुनः वापस भेजा जा सकता है तो जिस समय पानी की आवश्यकता होगी, उस वापस भेजे गये पानी का यही उपयोग पुनः हो जायगा। इसमें केन्द्र सरकार से पूरी तरह सम्पर्क बना हुआ है। सी० ए० के माध्यम से कुछ योजनाओं की स्वीकृति मिल गयी थी।

कुछ प्रोजेक्ट का हमारे सी० ए० और सी० डब्लू० सी० के तहत सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेकिन हमें आशा है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में हम लोगों को काफी उपलब्धि जल विद्युत् गृहों के निर्माण में प्राप्त हो गयी होगी। जल विद्युत् के माध्यम से काफी हद तक प्रदेश के विद्युत् संकट को दूर किया जा सकेगा और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जो संकट होता है उसे खत्म कर सकेंगे। लेकिन श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस बात को पूरी तरह से अपने सामने रखा है कि हम इस तरह से अपना जो वार्षिक रख-रखाव का काम होता है, उसको इस तरह से प्लान किया है, योजना तैयार की है कि हम धीरे-धीरे आगे आने वाले समय में अक्तूबर, नवम्बर के बाद ऐसी स्थिति बना लेंगे, इस तरह से हमारी स्थिति हो जायेगी कि विद्युत कटौती अधिक मात्रा में नहीं लगानी पड़ेगी।

हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले मार्च के पश्चात यानी इस वित्तीय वर्ष के मार्च 1986 में समाप्त होने तक इस बात को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कटौती आगे आने वाले समय में न लगे। जिससे औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन का विकास हो सके और घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कमी न हो। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस माननीय सदन में बहुत से विद्वान और सक्षम सदस्यगण बैठे हैं, मैं उनके सुझावों का पूरा-पूरा उपयोग लेना चाहता हूं कि उसे अपने कार्य में किस तरह से

प्रयोग करूं । श्रीमन्, हमें आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव देंगे जिससे राज्य विद्युत् परिषद् को कार्य प्रणाली में सुधार हो सके और उत्तर प्रदेश से विद्युत् संकट समाप्त हो सके ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करके अपनी बात कहूं, मैं सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग मांगता हूं । इस बात में विरोध की कतई गुंजाइश नहीं है कि प्रदेश का विकास औद्योगिक क्षेत्र का, आर्थिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का बिजली पर ही आधारित है । अगर बिजली नहीं मिल पाएगी तो सिंचाई का काम नहीं हो पाएगा, औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो जायेगा और घरेलू सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा और सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था अपने आप भंग हो जायगी । इसलिये अगर इस प्रदेश की विकास दर को बढ़ाना है, इसकी तरक्की करनी है तो बिजली का जिम्मा जिन लोगों को मिला है उन्हें खास तौर पर वसूली ठीक करनी पड़ेगी । लापरवाही, लफ्फाजी और फिजूलखर्ची से यह जिम्मेदारी का काम नहीं हो पाएगा ।

मैं समझता हूं कि मान्यवर, इसके पहले कि इस प्रदेश की बिजली की स्थिति के बारे में यहां पर विचार विमर्श हो, यह समझ लेना जरूरी है कि पूरे देश में अधिष्ठापित क्षमता जो है, वह 40 हजार मेगावाट की है और इसमें बकौल केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के 50 से 55 सैकड़ा तक विद्युत् का उत्पादन हो पाता है । 30 हजार मेगावाट से ज्यादा पूरे देश के अन्दर विद्युत् का उत्पादन नहीं हो पाता है और उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता पर अगर हम गौर करें तो 4 हजार मेगावाट है, अधिष्ठापित क्षमता । मैं नहीं कहता हूं केन्द्रीय विद्युत् मंत्री श्री अरुण नेहरू ने बयान दिया है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता से ज्यादा विद्युत् का उत्पादन नहीं हो पाता । 30-31 अधिक से अधिक 35 । यानि 4084 में 1300 से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता । एन० टी० पी० सी० और सिंगरौली वाले यदि बिजली न दें तो बिजली के पूरे बल्ब भी न जल पायें । 11 करोड़ का सूबा उसमें 57 जिले-इतना ही बड़ा रकबा जापान का है, जहां 1 लाख 7 हजार मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है, 65 सैकड़ा से वहां बिजली उत्पादन की जाती है और अकेले टोकियो शहर में 7 हजार मेगावाट की आपूर्ति होती है । अगर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने सूबे से और देश से बाहर झांककर देखिये कि कितनी प्रगति हो रही है ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने छठीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, यह आपके आंकड़े हैं । 1980 से लेकर 1985 तक जो छठीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें विद्युत् के सम्बन्ध में 2144 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य था स्थापित करने का और 5 साल में जो स्थापित की है वह 974 मेगावाट । उस पर यदि आपको फख्र है, तो आप ही को मुबारकबाद । मुख्य पारेषण लाइनों का लक्ष्य था 7191 और उपलब्धियां हैं 3799 की । सहायक पारेषण लाइनों के बारे में गौर करें । 4966 का लक्ष्य है और उपलब्धि है 2660 की । आपने छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा कि इतने गांवों का, विद्युतीकरण करेंगे वह था 28050 गांवों का लेकिन आप कर पाये 24498 गांव । पूरा लक्ष्य नहीं कर पाये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह ग्रामीण विद्युतीकरण की धारणा है, वह अपने आप में एकदम ऐसी है—ऐसी कहीं परिभाषा पूरे देश में नहीं मिलती है। बिजली के खंभे लग गये, तो मान लिया कि विद्युतीकरण कर दिया गया। आंकड़े दिये कि 24498 गांवों का विद्युतीकरण कर पाये, आप गांवों में झांककर देखें बिजली के बल्ब आपके पेपर में लग गये, जबकि वहां लगने की तैयारी हो रही होगी। निजी नलकूपों व पम्पिंग सेटों के बारे में आप देख लें। आप लक्ष्य रखते हैं 2 लाख 77 हजार 870, परन्तु आपकी पूर्ति है 1 लाख 40 हजार 374 की। कहने का मतलब यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में आपका काम बिलकुल निराशाजनक रहा। एलान भले ही आप कर दें। ये सारी बातें आपके आंकड़े स्वयं कह रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर आप देखें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी बताया। 5 हजार करोड़ रुपये के आस-पास आपने योजना आयोग से धनराशि मांगी थी और मिला है आपको केवल 3 हजार 440 करोड़ रुपये। इतने में आपको 5 साल का गुजारा करना है। आप कैसे गुजारा करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है।

छठी पंचवर्षीय योजना में 2144 मेगावाट विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता बनाने के लिए आपने 2153 करोड़ रुपये मांगा था और 1638 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता, जो 1985 से 1990 तक के लिए है, के लिए आपने मांगा है 3442 करोड़ रुपये। विद्युत् का उत्पादन कम हो रहा है और पैसा ज्यादा लग रहा है। विद्युत् बनायेंगे कम और धनराशि लेंगे ज्यादा। होना यह चाहिये था कि आप विद्युत् उत्पादन करते ज्यादा और पैसा लेते कम। अगर प्लांट लोड फैक्टर कम हो जायेगा तो बिजली की कीमत बढ़ती जायेगी। यदि आपकी विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ती जायेगी तो बिजली का मूल्य भी कम होता जायेगा। लेकिन हो रहा है ठीक इसका उल्टा।

बिजली का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले घटता जा रहा है। इसके बारे में स्वयं केन्द्रीय प्राधिकरण की रिपोर्ट है। मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत व मेरे दल की कोई रिपोर्ट नहीं है। 2144 मेगावाट के लिए आपने जितना धन मांगा है, उससे ज्यादा धन आपने 1638 मेगावाट के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में मांगा है। 2100 मेगावाट में विद्युत् उत्पादन के लिए आपने 1270 करोड़ रुपए का प्राविधान किया था और इस योजना में 2105 करोड़ रुपये का प्राविधान आपका है।

अब आप पारेषण और वितरण के सम्बन्ध में देखें। 630 करोड़ रुपये आपने खर्च किया छठीं पंचवर्षीय योजना में। 1 हजार 43 करोड़ रुपये अब आप इन 5 सालों में खर्च करने जा रहे हैं। अब आप हिसाब लगायें। पिछले 5 सालों में आपने जितनी पारेषण लाइनें खींची, उससे कम पारेषण लाइनें अब आप खींचने जा रहे हैं इन आने वाले 5 सालों के अन्दर।

मान्यवर, अब आप ग्रामीण विद्युतीकरण को देख लें। छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी संख्या थी 28050 और इस समय है 26435 गांव। गांवों में आप बिजली देने जा रहे हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप कम गांवों को बिजली दे रहे हैं। साफ तौर से निष्कर्ष निकलता है कि आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं और विद्युत् उत्पादन कम कर रहे हैं। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी ही इसको स्पष्ट कर सकते हैं।

मान्यवर, अब जो वार्षिक आय-व्यय है, उसकी तरफ आप देख लें। 1984-85 में आपने 200 मेगावाट विद्युत् उत्पादन करने के लिए 349 करोड़ रुपए खर्च किए। यह आपके आंकड़े कहते हैं और 85-86 में 210 मेगावाट

विद्युत उत्पादित करने के लिए 607 करोड़ रुपया, 5 हजार 4 सौ 46 गांवों का विद्युतीकरण किया गया 84-85 में और 4 हजार 95 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे 85-86 में। 18 सौ कि0मी0 पारेषण लाइनों वाली उनका 1.368 करोड़ रुपया और 1550 लाइन ले जायेंगे और 145 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। सर्वेक्षण के लिए किस तरह से यहां विद्युत उत्पादन की क्षमता, रख-रखाव को ठीक किया जाय जो पैसा मिला पिछले साल उसी का पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। जो पैसा इस सदन ने, धनराशि स्वीकृत की थी और निजी नलकूपों को बिजली देना, विद्युतीकरण, 33 हजार 5 सौ को करने का लक्ष्य था और 31 हजार पम्पिंग सेट में बिजली दे पायेंगे। 6ठी 7वीं योजना, 1984-85 और 85-86 के लेखा-जोखा को देखने से कोई भी समझदार आदमी जो पढ़ा लिखा होगा, साफ तौर पर नतीजा निकाल लेगा और जिस सफलता का आप दावा कर रहे हैं वह अपने आप में ठीक नहीं है। साफ तौर पर निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके बाद भी अगर कोई इतराये, गौरवान्वित हो जाये, किसी का सीना गर्व से फूल जाय कि हमहूं राज कुमारी हुईं

(हंसी)

कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर

(हंसी)

तुलनात्मक अध्ययन करके आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, अपने से कमजोर से तुलना न कीजिये, जो लोग आगे बढ़ गये हैं, उनका चेहरा देखिये, 1980 में महाराष्ट्र 38 पैसे, 38.25 है, 38 मान लीजिए, प्रति यूनिट, घरेलू की बात मैं कर रहा हूं, गुजरात में 42, हरियाणा में 40, पंजाब में 41 और यहां उत्तर प्रदेश में 47 पैसे प्रति यूनिट, सबसे ज्यादा आपके यहां। 81 में महाराष्ट्र 38, गुजराज में 42, हरियाणा में 46 और उत्तर प्रदेश में 50 पैसे, 84 में 37 पैसे महाराष्ट्र में, 58 पैसे गुजरात में, अपवाद समझ लीजिए, 28 पैसे हरियाणा, पंजाब में 13, साढ़े 13 पैसे और आपके यहां उत्तर प्रदेश में 57 पैसे प्रति यूनिट। उसके बाद भी अगर आप उत्तर प्रदेश में बिजली का दाम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश की जनता की चमड़ी के अन्दर सुई भोंक कर खून निकालना चाहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं है, उपभोक्ताओं की दर बढ़ा कर बिजली के दाम बढ़ा दिये जाय। यह सरकार की नालायकी, निकम्मापन होगा, यह उसका सबूत होगा अगर उत्तर प्रदेश में बिजली का दाम बढ़ाया जाता है। इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा बल्कि टैक्स के जरिये उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करेंगे और देख लें कृषि के क्षेत्र में। 1984 में महाराष्ट्र में 19.5 पैसे प्रति यूनिट, गुजरात में 33 पैसे प्रति यूनिट, हरियाणा में 28 पैसे प्रति यूनिट, पंजाब में 13 पैसे प्रति यूनिट और उत्तर प्रदेश में 41 पैसे प्रति यूनिट की दर थी। ये किसानों की तरक्की करना चाहते हैं सबसे ज्यादा मंहगा बिजली देकर किसानों का खून चूस रहे हैं।

लघु उद्योग बढ़ाने की बात करते हैं। लघु उद्योगों के मामले में बिजली की दर सुन लें। महाराष्ट्र में 42 पैसे, गुजरात में 55 पैसे, हरियाणा में 36 पैसे, पंजाब में 37 पैसे प्रति यूनिट हैं, जब कि 56 पैसे प्रति यूनिट लघु उद्योगों के मामले में उत्तर प्रदेश में। कहां से बढ़ेंगे उद्योग ?

औसत खपत देख लें, आपने कहा कहीं कटौती नहीं लागू होगी। ऐसा लगता है कि 24 घण्टे में 25 घन्टे बिजली देंगे। औसत खपत महाराष्ट्र की है 251 के0 वी0 एच0, गुजरात की 252 के0 वी0 एच0, हरियाणा की 257 के0 वी0 एच0, पंजाब की 337

के0 वी0 एच0 और 107 के0 वी0 एच0 है उत्तर प्रदेश की, सबसे कम। कृषि में सबसे ज्यादा दाम, लघु उद्योग में सबसे ज्यादा दाम। उसके बाद भी अगर तारीफ की जाय, तो यह काम सिर्फ उधर के लोग ही कर सकते हैं।

परियोजनाओं को देख लें। जब माननीय विद्युत् मन्त्री बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था।

(व्यवधान)

टांडा तापीय विद्युत् गृह के बारे में दिसम्बर, 83 में 110 मेगावाट की एक इकाई उसको अधिष्ठापित क्षमता लगाकर तैयार करके शुरू कर देनी चाहिये थी। यह शायद पूरी हो जाय, अगस्त, 1986 में। मुझे नहीं मालूम तब तक आप रहेंगे या नहीं। इसके अलावा 110 मेगावाट की दो टरबाइन अगस्त, 84 और दिसम्बर, 84 में पूरी हो जानी चाहिये थीं, लेकिन लगेंगी दिसम्बर, 85 और अगस्त, 1987 में।

परीक्षा तापीय परियोजना के बारे में देख लें। आठवें महीने 1982 में लग जानी चाहिये थी, 110 मेगावाट की इकाई लगी थी, बैठ गयी है, अब कब लगेगी, पता नहीं। आनपारा को देख लें, ये योजनाएं 10-15 साल पीछे चली गयीं। टेहरी परियोजना के बारे में कह रहे थे। एक बात के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल में 30 हजार मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की शक्ति छिपी हुई है। अगर प्रदेश की सरकार ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, प्रदेश की विद्युत् उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में 30 हजार मेगावाट की विद्युत् शक्ति का आधार छिपा हुआ है। टेहरी योजना तैयार हुई 72 में स्वीकृति मिली। ढाई अरब रुपये धनराशि का लक्ष्य था और इसमें पहले एक हजार मेगावाट का 83 में पूरा करना था। बाद में एक हजार मेगावाट और करना था। आज तक यह परियोजना शुरू नहीं हो पायी है और 12 अरब रु0 से ज्यादा धनराशि इसमें लगेगी। केन्द्र सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो आप इस परियोजना को चालू नहीं कर पायेंगे। यह परियोजना का चालू होना उत्तर प्रदेश सरकार पर या यहां के ऊर्जा मंत्री पर निर्भर नहीं करता है।

इसी तरह से लखवार व्यासी परियोजना, जो कि 420 मेगावाट की है, इसे 1982-83 में पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन वह नहीं पूरी हो पायी। ऐसे ही विष्णु प्रयाग में जल विद्युत् परियोजना, जो कि 440 मेगावाट की है उसे 1983-84 में पूरा होना था लेकिन दोनों परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण आपको 175 प्रतिशत से ज्यादा की धनराशि व्यय करनी पड़ रही है जितनी की इसमें लागत लगी थी।

इसी तरह से आनपारा 'ए' और आनपारा 'बी' जिसकी अनुमानित लागत करीब ढाई अरब रुपए की थी, वह अब बढ़ कर 6 अरब रु0 की हो गयी है। प्रदेश की जो विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में परियोजनाएं हैं उनका कार्य भी प्रदेश की सरकार सुचारु रूप से नहीं कर पायेगी यदि केन्द्र सरकार आपको धनराशि नहीं देगी। आपको इसके लिये केन्द्रम् शरणम् गच्छामि होना पड़ेगा। अगर अरुण नेहरू नहीं देंगे, राजीव गांधी नहीं देंगे तो यह परियोजना कागज पर ही धरी रह जायेंगी और आने वाले सालों में उनका निस्तारण नहीं हो पायेगा।

अन्त में राज्य विद्युत् परिषद् के बारे में दो शब्द और कहना चाहता हूं कि इसके बारे में मान्यवर, कुछ कहना इस समय अपनी ताकत को ही जाया करना है क्योंकि इसके बारे में जितना भी लिखा जाय, कलम की स्याही सूख

जायेगी, वर्णन करते समय वाणी रुक जायेगी लेकिन विद्युत् परिषद् की कहानी का अन्त नहीं होगा । यह सुरसा राक्षसी की तरह है, आप चाहे जितनी कोशिश करें, यह आपके नियंत्रण के बाहर हो गया है । 1984-85 तक प्रदेश की सरकार को परिषद् को दिया गया ऋण है 3,197.32 करोड़ रु0 और बाजार का ऋण है 825.39 करोड़ । इसी तरह से 1983-84 तक की देय ब्याज की धनराशि 9.24 करोड़ रु0 थी, जो कि प्राप्त करनी है वह है 202 करोड़ के आस पास । कुल घाटा 1,677.60 करोड़ रु0 का है । इसको किस तरह से आप पूरा करेंगे, यह मैं नहीं जानता हूं ।

आपके जो योग्यतम अध्यक्ष हैं जो कि बनारस से सम्बन्धित हैं श्री के0 के0 शाह, वह अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, उन्होंने बताया है कि 265 करोड़ रु0 हर साल परिषद् का ब्याज दिया जाता है । अन्य संसाधनों पर प्रति वर्ष ब्याज देना पड़ता है 54 करोड़ रु0 । आपका 319 करोड़ रु0 केवल ब्याज देने में ही जाता है राज्य विद्युत परिषद् को ।

लेकिन एक गलत अवधारणा उत्पन्न हो रही है विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में कि काम को और बढ़ा दें । और अधीनस्थ कर्मचारियों को बढ़ा दें । यह किसी भी मायने में विकेन्द्रीकरण की परिभाषा में नहीं आता है । एक व्यक्ति सारे अधिकारों को केन्द्रित करके कार्य का विभाजन कर दे, इससे विकेन्द्रीकरण नहीं हो पायेगा । मैं समझता हूं कि विद्युत् परिषद् का आपने विकेन्द्रीकरण नहीं किया है । कार्य का बंटवारा या कार्य-विभाजन कर दिया है । लेकिन एक बात मैं साफ बता दूं कि इस समय लोगों की यह धारणा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् आज एक अवकाश गृह बन गया है, एक शरण का स्थान बन गया है । शरण अगर कहीं मिलनी है बिजली से सम्बन्धित है तो माननीय सुनील शास्त्री के पास आप प्रार्थना-पत्र दे दीजिए और विद्युत् परिषद् में आपको काम मिल जायेगा ।

1959 में आपके विद्युत् परिषद् का गठन किया गया है, आप श्रम मंत्री भी रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है । उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों का ख्याल भी रखती है । मान्यवर, 1959 से लेकर 1985 तक परिषद् में आज तक सेवा नियमावली का गठन नहीं किया गया । यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेजा गया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि आज 1959 से लेकर 1985 तक सेवा नियमावली का गठन नहीं किया गया है ।

बिजली की चोरी के बारे में जहां तक प्रश्न है, स्वयं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष श्री शाह यह स्वीकारोक्ति करते हैं आपकी मौजूदगी में कि उत्तर प्रदेश में 40 से 50 प्रतिशत तक विद्युत् चोरी हो रही है । आप सोचिये जहां विद्युत् की इतनी सख्त जरूरत है वहां 40 से 50 प्रतिशत की विद्युत् की चोरी हो रही है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा । मान्यवर, 15 प्रतिशत लाइन की क्षति हो रही है । इस प्रकार पूरी बिजली की क्षति 65 प्रतिशत हो रही है । जितनी आप विद्युत् पैदा करते हैं वह केवल आपकी चोरी में और नुकसान में चली जाती है । जितनी मेहनत करके इंजीनियर उसको पैदा करते हैं वह तो उपभोक्ता तक पहुंच ही नहीं पाती है ।

एक और बहुत ही नाजुक मसले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक मुझे जानकारी है और नवभारत टाइम्स में भी छपा है कि 22 पैसे प्रति यूनिट प्रति माह आप विद्युत् कर्मचारियों को, अधिकारियों को मुफ्त विद्युत् देते

हैं। 35 सैकड़ा या 30 सैकड़ा यह विद्युत् आपूर्ति करते हैं उत्पादन क्षमता के मुकाबले उत्तर प्रदेश के अन्दर और आपने आज एलान किया है कि शहरों में शायद हम 12 घंटे बिजली देंगे या 10 घंटे देंगे और गांवों में 7 घंटे या साढ़े 7 घंटे ।

एक सदस्य--

7 घन्टे नहीं, 10 घंटे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

10 घंटे मान लीजिए 2 घंटे और बढ़ा लीजिए । 1978 में उपभोक्ता की संख्या 2071, कनेक्टेड लोड 2015 और बिजली यूनिट आपको दी हुई है मिलियन यूनिट बिजली वह है 18.254, प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से 754.92 और घंटे दिखाये हैं कि 25 घंटे बिजली हमको दी गयी है । लोड फैक्टर आता है 103 प्रतिशत और 1981-82 में यह लोड फैक्टर 152 प्रतिशत तक चला गया और 37 घंटे ।

यह आंकड़ा में नहीं लगा सकता हूं, 24 घंटे में 35 घंटे बिजली वहां के काम करने वालों को दी जाती है । यह जो कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि विद्युत् की जो मांग है, जो उसका उत्पादन है और जो उसकी आपूर्ति है, उसको देखना चाहिये मान्यवर, सातवीं परियोजना के प्रारूप में लिखा हुआ है कि 2,000 तक जो 1989-90 तक बिजली का उत्पादन होगा उसका तीन गुना कर दिया जाय, तो हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, अभी तक हम आंकड़ों के बाजार में थे, एक संयोग की बात देखें । माननीय मंत्री जी, सुनील जी और राज्य मंत्री सुखदा जी और कटौती पेश करने वाले शतरुद्र जी हैं और पहले नम्बर पर बोलने वाला मैं, सुरेन्द्र प्रसाद ।

(व्यवधान)

और मान्यवर, बगल में संजय जी हैं और कुम्भ राशि बैठे हैं । यह संयोग की ही बात है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप देखें कि माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव को पेश किया है, मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि कटौती का उद्देश्य है आलोचना और सुझाव देना । तो मान्यवर, आलोचना सुनते-सुनते समय हो गया, सुझाव का समय आया ही नहीं । एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि 1975 में उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन 1676 मेगावाट था और आज 4084 मेगावाट की क्षमता है । बीच में जनता पार्टी की सरकार आयी थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ढाई वर्ष में उन्होंने बिजली की कितनी क्षमता बढ़ाई ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप उत्तर दे दीजियेगा । आपको भी मौका मिलेगा । साथ-साथ बोलने से कोई लाभ नहीं है ।

मान्यवर, इस समय 7वीं योजना के प्रथम वर्ष में 200 मेगावाट बिजली की वृद्धि पर विचार हो रहा है और इसको हमारे मंत्री जी ने पेश किया है, तो इस पर उनको धन्यवाद नहीं दिया जायेगा तो क्यों नहीं दिया जायेगा ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप यह मानते हैं कि विकास के लिए बिजली अति आवश्यक है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, अगर बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो विकास होगा, या कटौती करके समाप्त कर दिया जाये तब विकास होगा इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस सरकार को और मंत्री जी को हर प्रकार से शतरुद्र जी धन्यवाद दें कि आपने प्रगति की और दो सौ मेगावाट बढ़ाने का प्रयास हमारी हुकूमत ने किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1700 मेगावाट बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल पहले जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए आप हमको धन्यवाद नहीं देंगे, मंत्री जी को धन्यवाद नहीं देंगे, इस सरकार को नहीं देंगे। यह आपकी अदूरदर्शिता है। आपने एक सवाल किया कि 1959 से 1985 तक नियमावली नहीं बनी मगर जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा कार्य कर दिया, संविद सरकार ने क्या कार्य किया। आप तो उसमें मंत्री रह चुके हैं। कुछ भी तो किया होगा। हम तो बहुत कुछ करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह —

श्रीमन, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य बार-बार पूछते हैं कि जनता शासन ने क्या किया। मैं बता दूं कि उस समय 15 रुपये प्रति हार्स पावर किसानों को बिजली दी जाती थी हमने उसको 12 रुपये किया और किसानों को लाभ पहुंचाया।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

हम यह कहेंगे कि विद्युत् परिषद् के दो उद्देश्य हैं। एक उत्पादन और दूसरा वितरण। उत्पादन के क्षेत्र में हमने हर साल प्रगति की है। इसके आधार पर हमें विश्वास है कि मंत्री जी ने और सरकार ने जो निर्णय लिया है उसे वह पूरा करेगी और विकास कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन वितरण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि हमको समय से बिजली नहीं मिल रही है। उसमें कुछ गड़बड़ी है।

(व्यवधान)

मैं आपका कथन कर रहा हूं। जो सुझाव आपको देने चाहिये थे, वह मैं दे रहा हूं।

बिजली के वितरण में हमारी तरफ से कुछ त्रुटि है। आप घोषणा तो जरूर करते हैं कि 5-7 घंटे हम बिजली दे रहे हैं लेकिन हमारे जनपद में जो साल भर के आंकड़े आये हैं उस हिसाब से सरकारी नलकूपों को सवा दो घंटे बिजली मिल रही है। इससे पता चलता है कि वितरण में कहीं न कहीं कमजोरी है। इस दिशा में सुधार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस दिशा में सुधार करें तो हमारा प्रदेश निश्चित रूप से विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त बिजली के बिलों में भी गड़बड़ी चल रही है जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इस सम्बन्ध में दीवानी मुकदमें भी लम्बित हैं। वसूली में भी दिक्कत होती है। यह बात आपको कहनी चाहिए थी। आप नहीं कहे तो मैं क्या करूं।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में तीन नगरपालिकायें हैं। इनमें से पडरौना और देवरिया नगरपालिका को शहरी क्षेत्र की तरह बिजली दी जाती है लेकिन बरहज नगरपालिका, जो कि सन् 1949 से नगरपालिका है, उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, संयोग से उस क्षेत्र से जब लोकदल के मुख्य सचेतक मोहन सिंह जी मन्त्री थे तो उन्होंने उसको देहाती क्षेत्र घोषित कर दिया था। मैं चाहूंगा कि कम से कम

कांग्रेसी सरकार और सुनील जैसे सुयोग्य मन्त्री बरहज नगरपालिका को शहरी क्षेत्र की तरह सुविधा देने की योजना करेंगे क्योंकि वहां के सब कारखाने बन्द हो गये हैं और वहां के मजदूर दूसरी जगह जा रहे हैं। वह नगर धीरे-धीरे उजड़ रहा है। इन शब्दों के साथ में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जो आपने प्रस्ताव रखा है वह हर माने में सराहनीय है, हर माने में आपको धन्यवाद मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

(एक शोर हो जाय की आवाजें आने पर)

कभी तो बर्क वे मेरा मुकाम समझेंगे,

कि जिनकी गालियां खाकर न कुछ कहा मैंने।

अधिष्ठाता महोदय, बिजली के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसकी ताईद करता हूं। जहां तक बिजली के उत्पादन का ताल्लुक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जरूरी सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहूंगा और उम्मीद है कि उनकी तरफ वह तवज्जह देंगे। बिजली के तामीरी कामों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट मुकम्मिल हो चुके हैं या होने वाले हैं उनकी मेन्टीनेंस पर अंधाधुन्ध खर्च हो रहा है और मेरी जानकारी है कि 10 गुना ज्यादा पैसा उन पर खर्च किया जा रहा है इस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसकी मिसाल में कालागढ़ के राम गंगा प्रोजेक्ट के पावर हाउस में जो खर्च हो रहा है, उससे देता हूं। इस पर जो खर्च किया जा रहा है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और गलत तरीके से पैसा खर्च हुआ है। इस पर अभी तक दो करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ है, उसमें एक करोड़ सिर्फ स्टाक एसटोब्लेशमेन्ट पर खर्च किया है। मेरी निजी जानकारी है कि यू0 पी0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टाक में काफी सामान मौजूद है। उसके बावजूद सामान खरीदा गया है जो सिर्फ एक फिजूलखर्ची है और यह जरूरी है कि वह सब उसमें इस्तेमाल हो जायेगा। उसकी वजह यह है कि जो इंजीनियर वहां काम कर रहे हैं वे उस पैसे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी निजी जानकारी है कि वहां पर जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सि0 वृन्दावन लाल हैं, वह फर्जी और गैर-जरूरी कामों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट और बेईमान इंजीनियर को वहां से हटाया जाना चाहिये। आपको इस सिलसिले में इन्क्वायरी बैठानी चाहिये और मालूम करना चाहिये कि इस तरह से गलत काम क्यों हो रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि बिजली कर्मचारियों के लिए जो वेज बोर्ड की सिफारिश है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी है उसका असर आपके बिजली के जनरेशन पर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि वेज बोर्ड की सिफारिशें फौरन लागू की जांय ताकि बिजली जनरेशन में जो कमी हो रही है वह न हो। एक बात और है कि जो बिजली कर्मचारी मर चुके हैं उनके क्लेम अभी तक पड़े हुए हैं उनके वारिसान परेशान हैं मैं चाहूंगा कि इसका फैसला जल्द करें ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके।

मान्यवर, बिजली विभाग के अधिकारियों की यदि ड्यूटी पर मौत हो जाती है तो आप उनको एक लाख रुपया देते हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों

की मौत पर 15/20 हजार रुपये ही देते हैं, तो यह अन्तर मुनासिब नहीं है, मैं चाहूंगा इस अन्तर को कम किया जाये ।

मान्यवर, जितने आपके पावर हाउसेज हैं उनकी मशीनें या तो मरम्मत में हैं या खराब हैं, इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ठीक से काम चल सके । पनकी, हरदुआगंज और जो अंडर ग्राउन्ड पावर हाउस हैं, उनकी मशीनें खुली पड़ी हैं जिससे काम खराब हो रहा है । मान्यवर, कालागढ़ के बारे में जैसा बताया, मंत्री जी मौजूद हैं, उसके बारे में एक पत्र भी मैंने दिया था लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसलिये मैं चाहूंगा कि उसको देखकर कार्यवाही करें ।

मान्यवर, 5 वर्ष पहले बिजली में जो नुकसान हो रहा था वह 22 प्रतिशत था, आज 18 प्रतिशत है, इसके बावजूद अब भी यह ज्यादा है इसलिये इसको और घटायें और यदि नहीं घटायेंगे तो उपभोक्ता को मुनासिब रेट पर बिजली नहीं मिल सकेगी ।

मान्यवर, 40 करोड़ रुपये की बकाया के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसको आप यदि वसूल नहीं कर पाते हैं तो आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसको बतायें ।

मान्यवर, टांडा, फैजाबाद और ऊंचाहार, रायबरेली में बिजली घर बन रहे हैं । टांडा में 65 प्रतिशत काम हो चुका है किन्तु अब उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि ऊंचाहार में इतना काम नहीं हुआ है फिर भी, चूंकि वह श्री अरुण नेहरू, मन्त्री जी, का क्षेत्र है इसलिये उसको अधिक पैसा दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि टांडा को नजरन्दाज न करें और पैसा दें ।

मान्यवर, अब मैं जनरेशन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड में दस्तूर है कि ज्यादातर बिजली हाइड्रो से पैदा करते हैं यानी 60 प्रतिशत हाइड्रो से और 40 प्रतिशत थरमल से, लेकिन हमारे यहां इसका उल्टा हो रहा है चूंकि हाइड्रो से बिजली पैदा होती है उसकी कास्ट 5 पैसे प्रति यूनिट और थरमल का कास्ट लगभग 30 पैसे प्रति यूनिट आती है, इसलिये कीमत ज्यादा हमको अदा करना पड़ती है । लिहाजा मन्त्री जी से गुजारिश है कि अमेरिका और इंग्लैंड की पालिसी को अपनायें और उत्तर प्रदेश में हाइड्रो से बिजली ज्यादा पैदा करवायें इससे ज्यादा फायदा होगा । और सब का फायदा होगा और जो भ्रष्टाचार इस बिजली विभाग में फैला हुआ है, जिससे आवाम और किसानों को परेशानी हो रही है, इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि किसानों को दी जाने वाली बिजली का आप कोई एक वक्त मुकर्रर करें और उसके मुताबिक समय पर उन्हें पूरी बिजली देने का इन्तजाम करें । जाड़ों में किसान सारी-सारी रात अपने खेतों में खड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि रात में कब बिजली आयेगी । इसलिए उसकी रोस्टरिंग होनी चाहिए । आप किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं, पर आप उनको समय पर बिजली देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं । बिजली के मामले में आपकी सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

आप इस पर ध्यान दें और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसको आप मान लें और दूसरे माननीय विधायक भी कटौती के प्रस्ताव को ताईद करेंगे । मैं इन अल्फाज के साथ उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री प्रदीप माथुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे ऊर्जा मंत्रालय की बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए

में आपका आभारी हूं। हमारे माननीय विद्युत् मन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश को विद्युत् संकट से उबारने का प्रयत्न किया है और इस दिशा में यह पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। विद्युत् आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के लिए और विद्युत् व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए विद्युत् परिषद् का जो पुनर्गठन किया गया है, उससे वास्तव में काफी सुधार आ गया है और विद्युत् आपूर्ति और उसकी व्यवस्था में अच्छी प्रगति हुई है। इसके साथ ही 10 शहरों में अंडरटेकिंग का सृजन करके, अधिक प्रभावी और सक्रिय निर्णयों हेतु कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करने का और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु ब्लाक स्तर पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया गया है, वह हमारे मन्त्री जी के और विद्युत् परिषद् के बहुत सराहनीय कार्य हैं और इससे निश्चित तौर पर कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, उपभोक्ताओं की परेशानियां दूर होंगी, विद्युत् की आपूर्ति बढ़ेगी और वितरण व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। विद्युत् इकाइयों के नवीनीकरण की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उनसे भी विद्युत् उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक से अधिक विद्युत् का उत्पादन होगा। मान्यवर, इस प्रगति का एक जीता जागता उदाहरण माताटीला पावर स्टेशन है जहां पर बाढ़ के कारण से तीन मशीनें खराब हो गई थीं और उसके फलस्वरूप उनसे विद्युत् उत्पादन बन्द हो गया था। आपको जानकर खुशी होगी कि उसकी दो मशीनें पुनः ठीक करके लगाई जा चुकी हैं और शेष तीसरी मशीन भी अक्तूबर या नवम्बर माह तक दुरुस्त करके लगा दी जायेगी।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश के इंजीनियरों के लिए यह एक बहुत कठिन कार्य था और इन मशीनों को उसकी निर्माता कम्पनी मेसर्स हिटैची लि० ने ठीक करने के लिए कई करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन उस कार्य को हमारे परिषद् के इंजीनियरों ने कुछ करोड़ रुपये के खर्च में ही बिलकुल ठीक कर दिया। हमारे इंजीनियरों ने कई करोड़ रुपये की बचत करके उसकी पुनः स्थापना की है, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे मन्त्री जी का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1490 मेगावाट की तापीय और 148 मेगावाट की जलीय विद्युत् की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाना है, जिससे कि हमारे प्रदेश की काफी प्रगति होगी और हमारा प्रदेश विद्युत् संकट के उबर जायेगा।

मान्यवर, मैं अब आपके माध्यम से अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और इसलिए वहां पर लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं, किंतु वहां पर बिजली की अव्यवस्था रहती है। हमारे यहां मथुरा आयल रिफाइनरी है जहां पर एक पावर हाउस लगा है, पर उससे हमारे क्षेत्र को बिजली देने के मामले में वंचित रखा जाता है। हमारे यहां क्षेत्र में अत्यधिक बिजली कटौतियां होती हैं, जिससे वहां के निवासियों को और बाहर से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मन्त्री जी से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र को या तो मथुरा रिफाइनरी से बिजली दिलाने की वह व्यवस्था करें या फिर करोसी में गैस टरबाइन 100 मेगावाट का अथवा डीजल विद्युत् गृह वहां पर लगाया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां ताजमहल की वजह से जेनरेटर्स के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसके कारण

वहां पर उद्योग बराबर बन्द रहते हैं और बिजली की कटौती रहती है, जिससे उद्योग-धन्धे चौपट हो गये हैं। अतः इस प्रतिबन्ध को खोला जाये या बिजली की कटौती को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। इसके साथ ही मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र को मन्त्री जी मथुरा रिफाइनरी से पूरी बिजली दिलवाने का कष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में वर्षों पुरानी बिजली की लाइनें हैं जो खराब हो चुकी हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। इनको बदलने की कोशिश की जाय। इसी तरह से जो ट्रान्सफारमर्स लगे हुए हैं, वह भी बहुत पुराने हो गए हैं तो उनको रिप्लेस किया जाय, जिससे कि तीर्थ स्थल की विद्युत् व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक की जा सके और आने वाले लोगों को आराम मिल सके। मैं विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव की आलोचना करता हूं, विरोध करता हूं और माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

(धन्यवाद)

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ऊर्जा मन्त्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, वह कोरा कागज है। बहुत लम्बी-लम्बी छलांगे मारने की उन्होंने कोशिश की है और यह कहा है कि प्रदेश को अगले वर्ष में विद्युत्मय कर देंगे। मेरा कहना यह है कि ऊर्जा मन्त्री स्वयं अंधेरे में हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास होना सम्भव नहीं है। खासतौर से हमारे मुख्य मन्त्री के समाजवाद के लिए तो बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी भी मुल्क के लिये, बिजली अगर वहां नहीं है तो समाजवाद की तरफ नहीं बढ़ सकता और न उस देश और प्रदेश का विकास ही हो सकता है। इसलिये जरूरी है कि बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक होना चाहिये।

हमारी जो गति है और हमारा जो तरीका है, उसकी वजह से हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आपने कहा कि हमने बिजली के इंतजाम में परिवर्तन किया है। हमने प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा है और तीन मुख्य अभियन्ताओं के जिम्मे एक-एक क्षेत्र दिया है और एक डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया है। यह जो पद सृजित हो रहे हैं और जो बहुत ही आकर्षक पद बनाये जा रहे हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे प्रदेश में एक पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री वी० एन० चतुर्वेदी साहब हो गये हैं जबसे हुये हैं, तबसे पुलिस वालों का मन इतना बढ़ गया है जो चाहे करें, सलाम है। अब एक डाइरेक्टर जनरल इलेक्ट्रिसिटी में भी बना दिए गए हैं और बोर्ड में एक शाह साहब आ गए हैं अब सोचते हैं कि इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम हो जायेगा। आपने कहा कि आप 85-86 में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे। अगर आप गौर फरमायें तो 82-83 से, जो गांवों के विद्युतीकरण की रफ्तार है, वह बहुत ही मंद है और इसी रफ्तार से अगर आप चले तो जो आपका लक्ष्य बिन्दु है, वह कभी पूरा नहीं होगा।

आपने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के बारे में कहा है। आप 85-86 तक कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे, यह नहीं बता पा रहे हैं। स्थिति यह है कि न तो जनरल आबादी का विद्युतीकरण ठीक से हो रहा है और न हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ठीक से हो रहा है। आज आपने बड़े जोर से कहा है कि हम शहरों की कटौती को समाप्त कर रहे हैं और देहात को 10 घंटे बिजली देंगे। आप तो एलान यहां पर कर देते हैं, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं, वह आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मन्त्री जी के कहने के मुताबिक बिजली की व्यवस्था

की जायेगी और कटौती नहीं होने देंगे। वहां अधिकारियों से कहा जाता है कि मन्त्री साहब ने बयान दिया है कि बिजली 10 घंटे मिलेगी तो अधिकारी कहते हैं कि जा कर मन्त्री जी से 10 घंटे बिजली ले लो। आप यहां कुछ कहते हैं और आपके अधिकारी इतने छुट्टे सांड़ हो गये हैं कि चाहे जो कुछ करें कोई रोकने वाला है नहीं। यह हालत कर रखी है और भ्रष्टाचार....

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने छुट्टा सांड़ का शब्द प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, हमारे बनारस में मीटिंग हुई थी, वहां पर श्याम लाल यादव जी बैठे हुए थे, उन्होंने यह कहा कि यह बिजली के अधिकारी लोग बिना पैसा लिये काम नहीं करते हैं। तो मान्यवर, आपके बिजली विभाग की यह हालत है, आपके अधिकारी किसानों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और जो उपभोक्ता हैं, उनके साथ जो व्यवहार है और जो बिजली के खम्भे गाड़ रहे हैं, इससे किसानों को बहुत कष्ट है। यह जो भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर, हर जिले के अन्दर फैला हुआ है, इसको कैसे रोका जाय ?

(व्यवधान)

मान्यवर, जिस तरह से हर विभाग की जिले में सलाहकार समितियां बनाई गयी हैं, उसी तरह से जनप्रतिनिधियों को लेकर बिजली की सलाहकार समिति अधिकारियों को लेकर गठित की जाय, ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर नकेल डाली जा सके। यह भी बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ में आपके बजट का सख्त विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करते हुए इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश अधिकांशतः कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारी 85 प्रतिशत जनता लगभग गांवों में निवास करती है। मान्यवर, हमारे विद्युत विभाग ने, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया है, चाहे वह हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण हो या सामान्य बस्ती का या कृषि से सम्बन्धित जो उद्योग हो। विद्युत के इस संकटकाल में बहुत कम कटौती किया है।

मान्यवर, हमारे विद्युत विभाग ने एक विशेष योगदान दिया है, कोल्ड स्टोरेज, शुगर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री आदि में अधिकतम विद्युत की सप्लाई की गई है, जिससे किसानों को क्षति न होने पाये। मान्यवर, पिछले तीन वर्ष के अन्दर जलीय विद्युत (हाइड्रो एलेक्ट्रीसिटी) की क्षमता बढ़ी है। यह जल पर आधारित होती है। मान्यवर, पिछली बार अग्निकाण्ड हुए तथा दैवी प्रकोप भी हुए। अक्तूबर 30, 1983 में ओबरा प्लांट में अग्निकाण्ड हुआ, जिसमें हमारी पांच मशीनें जो 200 मैगावाट की थीं, वह नष्ट हो गयीं, जिसमें से दो मशीनें दिसम्बर, 84 में चालू कर ली गयीं और दो अन्य मशीनें जून, 1984 एवं 1985 में चालू कर ली गयीं। पांचवीं मशीन सितम्बर, 1985 तक आ जायेगी। मान्यवर, दूसरा अग्निकाण्ड हर्दुआगंज थर्मल में 23-5-84 को हुआ जिसमें दो मशीनें 60 मेंगावाट की नष्ट हुईं। एक मशीन जून, 1985 में, एक साल के अन्दर ही आ गयी और दूसरी मशीन

सितम्बर, 85 तक आ जायेगी। लेकिन इस पर विशेष ध्यान हमारे विद्युत विभाग ने दिया है, जो एग्रीकल्चर से सम्बन्धित थे कोल्ड स्टोरेज, शुगर फैक्ट्री एवं फर्टीलाइजर फैक्ट्री इन में अधिकतम विद्युत की सप्लाई की गई है। वहां नहीं के बराबर कटौती की गई थी। विद्युत की वजह से कहीं विशेष नुकसान नहीं हो पाया है। एक विशेष बात यह रही कि कभी विद्युत की कटौती हुई भी तो उसकी घोषणा की गई जबकि पहले विद्युत की कटौती होती थी, तो घोषणा नहीं होती थी इस तरह कोई कटौती नहीं की गई जिसमें हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य या उधर के माननीय सदस्य यह कह सकें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती ऐसे की गई है जिसकी घोषणा नहीं की गई है। देहात में तो पर्चे बांटे गये, रेडियो पर कहा गया।

श्रीमन्, कभी तो यह कहा जाता था कि 6 बजे कटौती की जायगी, तो किसान थ्रेसिंग या सिंचाई के लिए जाता था, तो उसे मालूम नहीं रहता था कि बत्ती नहीं आएगी, इस दफा ऐसा दुर्भाग्य किसान के साथ नहीं आने पाया कि कटौती की जानकारी उसे न रही हो। दूसरी बात मान्यवर, कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों ने विशेष बल इस बात पर दिया था कि बिजली के क्षेत्र में कोई प्रगति हमारी सरकार ने नहीं की। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। तीन वर्षों के अन्दर जलीय विद्युत (हाइड्रोएलेक्ट्रीसिटी) की क्षमता बढ़ी है। गंगा नदी पर मनेरी भाली तथा बिल्ला जमुना नदी पर खोदरी पावर हाउस से जलीय उत्पादन में वृद्धि हुई है।

मान्यवर, 1-4-1959 को राज्य विद्युत परिषद् का गठन हुआ। मान्यवर, मैं दो मिनट में संक्षिप्त रूप से उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। सन् 1959 से जो आज तक की वर्तमान स्थिति है। मान्यवर, 1959 में 263.5 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता थी वह वर्तमान समय में 4084 मेगावाट है, जिसमें 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1959 में विद्युत की उपलब्धता 8,648 मिली0 यूनिट थी, जो वर्तमान समय में 14,830 मिली0 यूनिट है। इसमें 17 गुना वृद्धि हुई है। पहले पारेषण लाइन सर्किट लाइन में 5,169 सर्किट किलोमीटर थी, अब वर्तमान समय में 39,909 सर्किट किलोमीटर है, इसमें आठ गुना की वृद्धि हुई है। 1959 में विद्युतीकृत ग्राम संख्या 836 थी, जो वर्तमान समय में 63,075 ग्राम हैं, इसमें 75 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह से निजी नलकूप पम्पसेट की संख्या 2,810 थी जो वर्तमान समय में 4,84,509 है, इसमें 172 गुना की वृद्धि हुई है। राजकीय नलकूप की संख्या 1959 में 2,000 थी वह वर्तमान समय में 24,415 है, इसमें 12 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह से श्रीमन्, 1959 में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या शून्य थी। यह 1971-72 में शुरू हुई और आज विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या 29,601 है राजस्व के रूप में 6.76 करोड़ धनराशि थी 1959 में आज यह राजस्व 618.3 करोड़ हो गया यानी 91 गुना की वृद्धि हुई है। यह हमारे राज्य विद्युत् परिषद् की उपलब्धि है।

सुझाव के रूप में केवल यह निवेदन है कि हमारे जनपद में और हर जनपद में विपक्ष के भाइयों ने जो कहा उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि हरिजन बस्तियों का जो विद्युतीकरण हो रहा है, उसमें इतनी कम धनराशि दी जा रही है कि हरिजन बस्ती जहां शुरू होती है एक लट्टू लटका दिया जाता है जिससे पूरी बस्ती को लाभ नहीं हो पाता है। साथ ही एक अनुरोध और करना चाहूंगा, हमारे यहां बलरामपुर स्टेट का एक थर्मलपावर स्टेशन था, प्लान्ट के बारे में माननीय बहादुर जी ने पब्लिक मीटिंग में घोषणा थी कि इसको ठीक करा देंगे। उस

हमारे पूरे जनपद को बिजली दी जाती थी। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से उस थर्मल पावर स्टेशन की मशीन ठीक करा दें। मैं माननीय मंत्री जी की कार्यक्षमता और दक्षता को तथा राज्यमंत्री के कार्यों को देखते हुये, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, ताकि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ऊर्जा मंत्री सुनील शास्त्री ने बड़ी खूबी से विद्युत् उपलब्धता के बारे में तथा आज जो स्थिति है विद्युत की उसके बारे में बताया। मैं याद दिलाना चाहूंगा सुनील शास्त्री जी को जब ब्रह्म दत्त जी विद्युत मंत्री थे, उन्होंने 80-81 का बजट पेश करते हुये एलान किया था कि 85-90 के बीच में विद्युत की कमी सातवीं योजना के अन्त तक खत्म हो जायेगी। कोई कमी नहीं रहेगी। जो प्रारूप आया है और जो स्वयं शास्त्री जी ने बताया कि सातवीं योजना के बाद इस प्रदेश में कटौती होगी। आज प्रदेश में कोई कटौती नहीं है। न उद्योग में है, न घरेलू बिजली में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली दी जा रही है। यह कटौती आपकी कार्य कुशलता या क्षमता की वजह से नहीं खत्म हुई है, बल्कि जो पानी बरसा है और जलाशय में पानी आ गया है, भगवान की कृपा से जलीय विद्युत् मिल रही है, उसकी वजह से हुई है। 6 सौ, 8 सौ या एक हजार के बीच में आपकी विद्युत् का उत्पादन रहता है। ज्यादातर 6 सौ से 8 सौ विद्युत् उत्पादन है।

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी उल्लेख कर रहे थे। भारत सरकार के राज्य मंत्री अरुण नेहरू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय प्लान्ट लोड फैक्टर 31·6 प्रतिशत है जब कि भारत में 50 प्रतिशत है। अगर आज आप अपना प्लान्ट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत कर दें, तो न तो बिजली आयात करनी पड़ेगी, न कटौती करनी पड़ेगी, न नये विद्युत् गृहों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अफसोस है कि आप उसे कर नहीं पायेंगे। कारण जो भी हो उसे आप अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि आज आप उसका संचालन कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जो घोषणायें करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में उसे लागू नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, आपने कहा कि गांवों में 5 घंटे बिजली दे रहे हैं। माननीय सदस्य, उधर के बैठे हैं, तो यह कोई विरोध की या सत्ता की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 घंटे बिजली कहीं दी गयी, कहीं दी गयी तो आधा घंटा, एक घंटा वह भी अविरल गति से नहीं दी गयी। हरदेव राम जी के यहां तो अविरल गति से बिजली मिलती ही रहती है। आज आप सदन में जो घोषणा करें वह नतीजे के रूप में परिलक्षित होना चाहिये।

मान्यवर, आप कहते हैं कि 7 घंटे बिजली मिली, लेकिन सही में नहीं मिल पाती है। यदि नहीं मिल पाती है तो जिम्मेदारी फिक्स कीजिये कि क्यों नहीं मिली, किसकी वजह से नहीं मिली। जब उन्हें पता लगेगा कि इस तरह की गलतियां होने पर दण्ड मिलेगा तो गलती नहीं होगी। इमरजेंसी रोस्टरिंग हो सकती है लेकिन इमरजेंसी रोस्टरिंग सामान्य रोस्टरिंग से ज्यादा होने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने श्री ए0 के0 शाह को चेयरमैन बनाया। उनको मैं सन् 80 में लाया था लेकिन मेरे जाने के बाद आपने उन्हें मेम्बर जेनरेशन भी

नहीं रहने दिया। तब वे एन0 टी0 पी0 सी0 के चेयरमैन हो गये। वहीं से आप उन्हें लाये हैं।

मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने बोर्ड के पुनर्गठन का दावा किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा और तीन अलग-अलग बोर्ड बन जायेंगे, ट्रान्समिशन बोर्ड, उत्पादन बोर्ड और जलाय बोर्ड, ये तीन अलग-अलग बोर्ड बन जायेंगे और उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी की जायगी। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। केवल हेर-फेर करके 29-30 अफसर और बना दिये और 5-6 डायरेक्टर और बना दिये और कहते हैं कि पारेषण को अलग कर दिया। यह तो पहले भी था। उसमें कोई फर्क नहीं है। केवल नाम की हेराफेरी कर दी। पदों का सृजन कर देने से उत्पादन नहीं बढ़ जाता है।

सम्भवतः आपको याद होगा कि विद्युत् उत्पादन निगम की स्थापना के समय यह आशा की गयी थी कि उसके द्वारा नयी इकाइयां जो आ रही हैं, उनका उत्पादन उनके द्वारा कराया जायेगा और अलग से विद्युत उत्पादन कैडर बनाया जाय। आज स्थिति यह है कि किसी भी तापीय विद्युत् गृह में कोई भी इंजीनियर खुशी से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसका मन वहां पर नहीं लगता। वहां उसे कोई फायदा नहीं है। उसका कोई कैडर नहीं है। आपने यह बात 1980 में कही थी। आप अपनी किसी भी बात को लागू नहीं कर पा रहे हैं। तापीय विद्युत् के लोगों का एक अलग कैडर नहीं बना पाए हैं। आप ट्रान्समिशन का अलग बना दीजिये और सबको अलग बना दीजिये लेकिन नाम को एक वित्त मेम्बर बना दिया। कामों में जरूर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। फिर 29 एडीशनल चीफ इंजीनियर और पांच और नये चीफ इंजीनियर बना देने से बात समझ में नहीं आती है कि क्यों बढ़ा दिया।

आज तापीय विद्युत् गृहों में ज्यादातर कर्मचारी महसूस करते हैं कि मानो सजा दे दी गयी है। उनके लिए अलग से कैडर बनाकर फैसिलिटीज दे दीजिये। इन्सेन्टिव दीजिये लेकिन आप आज तक कोई भी कैडर नहीं बना पाए और अपनी घोषणा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। महंगाई आयी है, ठीक है, लेकिन इतनी अधिक नहीं आयी है। जनता शासन में हमने 15 रुपये से 12 रुपया कर दिया था। हमको घाटा था लेकिन उसे पूरा करने के लिये हम तैयार थे। आज आपने 12 रुपये से साढ़े 22 रुपया कर दिया है और बिजली पांच घन्टा दे रहे हैं और वह भी अविरल रूप से नहीं दे रहे हैं। साढ़े 22 रुपये प्रति हार्स पावर लेंगे। आप इंडस्ट्री में घाटा हो जाय तो उसे पूरा कर देंगे लेकिन किसान के घाटे को पूरा नहीं करेंगे। आप किसान के बड़े हमदर्द हैं और बताते हैं कि किसान के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। साढ़े 22 रुपये में पांच घंटे बिजली भी नहीं मिलती। बी0 एम0 ई0 एल0 की मशीनें ठीक नहीं हैं तो उनको हर्जाना देने को कहिये, हर्जाना किसानों को दिलाइये, आप किसानों को दण्ड क्यों दे रहे हैं। उन किसानों का हाल पूछिये जो बेचारे अपने खेत में पानी की आस लगाए हुये हैं। कभी-कभी तो 4 दिन में एक बीघा भी सिंचाई नहीं हो पाती है।

मान्यवर, आप तो देहात से सम्बन्धित हैं, गांवों में घूमिये तो स्थिति सामने आ जायेगी। अभी कटौती नहीं होगी, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में कटौती इनको करनी पड़ेगी। अभी तो पानी बरस गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी डिमांड नहीं है। बिना कटौती किये, पूरा नहीं कर पायेंगे। यह कहा गया था कि 1985

से 1990 के बीच 30 हजार गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे। लेकिन, आप देखें और प्रदेशों की तुलना में हम कहां खड़े हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस सदी के अंत तक हम सभी गांवों को बिजली नहीं दे पायेंगे। पंजाब, हरियाणा, केरल—इन प्रदेशों में आज से दस साल पहले सब जगह बिजली पहुंचा दी। तामिलनाडु ने 99·6 प्रतिशत कर ली है। हिमांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र—इन सब प्रदेशों की तुलना करें तो हमारा प्रदेश कहां खड़ा है? लेनिन ने कहा था "इलेक्ट्रिक इज ए सोर्स टू सोशलिज्म"। पूरा जन-जीवन आज बिजली से जुड़ा हुआ है। चाहे वह घरेलू काम हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो। बिजली नहीं आती तो पानी नहीं आता।

मैं कहना चाहता हूं कि दो योजनायें पांचवीं योजना में चालू हुई थीं, लेकिन आज तक वह पूरी नहीं कर पाये हैं। कास्ट एस्कलेशन कितना बढ़ गया है, टांडा की परियोजना क्यों नहीं पूरी हो पायी, पारीछा की क्यों नहीं पूरी हो पायी, अंधाहार को क्यों नहीं पूरी हो पायी? मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड का पुनर्गठन की शाह की राय ले कीजिये। ट्रांसमीशन का अलग कैडर बनाइये, जलीय विद्युत का अलग कैडर बनाइये। जिस गति से यहां काम हो रहा है, प्रदेश निरंतर पीछे ही होता जा रहा है। कुछ ऐसा ठोस कार्य करें जिससे परिलक्षित हो कि आने वाले दिनों में इनकी मंशा कुछ ऐसी है कि प्रदेश को नया रूप देंगे।

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री नरेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सुनील शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, कुछ उपलब्धियों की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ माह पूर्व हरदुआगंज और ओबरा में आग लग जाने से प्रदेश ऐसे विद्युत संकट में आ गया था, मैं माननीय सुनील शास्त्री जी और उनके समस्त राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत थोड़े समय में और निश्चित समय में कुछ दिन पूर्व उन मशीनों को ठीक करके, जो उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से विद्युत का संकट आ गया था तथा पावर में जो कटौती हो गई थी, एक बहुत बड़ा काम किया और जनता को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके लिए मैं माननीय श्री सुनील शास्त्री जी, ऊर्जा मन्त्री को बधाई देता हूं। मान्यवर, लाइन लासेस का सिलसिला बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि इस सरकार का कोई एचीवमेंट नहीं है, इस सम्बन्ध में मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि वे पहले के आंकड़ों को देख लें और आज के आंकड़ों को देख लें, लाइन लासेस में बहुत कमी हुई है। बकाया भुगतान का जो मामला था, जो एरियर शेष रह गये थे, अगर वे पीछे के साल को देख लें, तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि इसमें भी काफी उपलब्धियां हुई हैं। बड़े लोगों के ऊपर विद्युत का जो बकाया था, उनसे वसूल करने में विद्युत विभाग कामयाब रहा है।

मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धि विद्युत विभाग की यह रही है कि आज तक हमारे सब-स्टेशनों पर जो ट्रान्सफारमर्स लगे होते थे, अगर एक लाइन या ट्रान्सफारमर खराब हो जाता था, तो पूरी लाइन बन्द करना पड़ती थी और उस लोकलिटी के सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब वहां पर यह व्यवस्था कर दी गई है कि गैंग आपरेटेड स्विच लगा दिये गये हैं। अगर कोई एक स्विच खराब होता है

तो उसे बन्द करके उसकी मरम्मत शुरू कर दी जायेगी और शेष 6 ट्रान्सफार्मर अपने आप काम करते रहेंगे। इससे यह होगा कि इन स्विचों से जो जो एरिया कवर होता था उसमें लाइन बन्द नहीं होगी और बिजली की कोई परेशानी नहीं होगी।

मान्यवर, एक किसान हित सेल बनाया गया है। शायद पहली बार इस सरकार ने इसे बनाया है। इसमें किसानों और अधिकारियों के बीच में सीधे बात होती है। इसमें किसानों को लाभ होता है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, लखनऊ में इस समय 2-3 योजनाओं के लिए घोषणा हुई है। विशेषकर लखनऊ में डी0 सी0 लाइनें ज्यादा बिछी हुई हैं उन्हें ए0 सी0 में बदलना और जो सिंगल फेसेज की लाइनें थीं उन्हें थ्री फेसेस में करना। लखनऊ नगर में इस समय 33 के0 वी0 के चार उप केन्द्र खोलने की योजना है, जिसमें हजरतगंज, आलमबाग, चौक आदि शामिल हैं। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जो हमारे अधिक दूर के क्षेत्र जैसे राजा जी पुरम आदि काफी ऐसे इलाके हैं, मैं चाहूंगा कि वहां पर भी एक-दो सब-स्टेशन खोले जायं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लेसू और नगर महापालिका के बीच कोआरडिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेसू का कार्य है पोल गाड़ना, तार खींचना आदि। नगरपालिका का जो विद्युत सेक्शन है, उसका कार्य लाइट राड लगाना सोडियम राड लगाना और बल्ब लगाना। कभी-कभी किसी क्षेत्र में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विभाग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। यह परेशानी और नगरों में भी होगी।

एक बात बिलिंग के बारे में कहना चाहता हूं। उसमें होता यह है कि कभी-कभी बिल इनकरेक्ट बन कर के आते हैं। और कभी-कभी यह होता है कि पैसा जमा हो जाता है, लेकिन रजिस्टर में उसकी इन्ट्री नहीं होती है, जिससे उन लोगों के मीटर कट जाते हैं। फिर उससे हमारे नागरिकों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मोबाइल कनेक्शन योजना है, बहुत अच्छी योजना है लेकिन वहां के क्षेत्रीय लोगों को यह पता नहीं रहता कि किस दिन, किस समय, कब वहां आयेगी, तो उन्हें सूचना मिल जाय तो अच्छा होगा। (लाल बत्ती होने पर) आधा मिनट मान्यवर, मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेना चाहता हूं। जो पावर कट होता है तो उसकी सूचना ग्रामवासियों को नहीं होती है। इसका नतीजा यह होता है कि चौबीसों घन्टे अपने आदमियों को बिठाये रखते हैं कि न जाने किस समय, कब बिजली आ जाय। तो उन्हें ब्लाक से या किसी अन्य माध्यम से सूचना किसानों को होनी चाहिए कि अमुक समय से अमुक समय तक बिजली नहीं आ रही है तो उन्हें सुविधा होगी। अन्त में एक बार फिर मैं सुनील शास्त्री जी को बधाई देता हूं और उनके द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अवनीश कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन और वितरण करना यहां के शासन और विद्युत परिषद् के बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है और वास्तविकता भी यही है कि 7 करोड़ यूनिट प्रति दिन की मांग है और यहां शासन और विद्युत परिषद् के माध्यम से केवल 4 करोड़ यूनिट का उत्पादन करता है। इसका मतलब यह है कि लगभग 45 प्रतिशत यहां शासन बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है। यहां पर विद्युतगृहों की जो हालत है उसका कोई जवाब नहीं है। कभी टरबाइन खराब होती

है तो कभी बायलर खराब होता है और कभी-कभी तो इकाई की इकाई ही खराब हो जाती है। जो शासन सचिवालय का जनरेटर ही ठीक नहीं रख सकता वह इतने बड़े प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था को कैसे ठीक रख सकता है।

तकनीकी खामियां और नियोजन संबंधी खामियों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जितना भी ध्यान दिया जाता है वह सब प्रशासनिक उपायों को ओर प्रशासनिक इकाइयों में रोजाना भर्ती की जाती है, नये-नये लोगों को रखा जाता है तो इससे विद्युत् उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। और शासन के पास धन नहीं है, जैसा कि बताया गया है कि धन का अभाव है तो इसको निजी क्षेत्र में दे देने से क्या नुकसान है। पूंजीपति इसमें अपना पैसा लगायेंगे और बिजली का उत्पादन करें, लोगों को बिजली दें तो काफी हद तक उसकी कमी पूरी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अव्यवस्था है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

पहले मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 7 घन्टे बिजली आयेगी लेकिन वह कभी नहीं मिली। बल्कि 15-15 दिन लगातार ऐसे इलाकों में बिजली नहीं मिली तो किस प्रकार से यह जो बिजली की अव्यवस्था फैली हुई है, इसको दूर किया जाय, इसको सोचना पड़ेगा। 10 घन्टे की घोषणा की जाती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि 10 घण्टे की घोषणा तो करी जाती है तो इसका प्रबन्ध भी करें, आवश्यक रूप से बिजली दें, क्योंकि इससे पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर्स जले रहते हैं और काश्तकारों को बिजली का बिल देना पड़ता है। विद्युत् परिषद् के कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। आवश्यकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का सही वितरण किया जाय। इसके लिये जिले-जिले में सख्त आदेश पारित कर देने चाहिये।

ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर यह शासन धोखा देता है। आंकड़े लम्बे चौड़े बताये गये हैं, उनके हिसाब से देखा जाय विद्युतीकरण कितने गांवों का हुआ है, तो बहुत थोड़े से गांव मिलेंगे, जिसमें पूरा विद्युतीकरण है नहीं तो किसी में एक गली में खम्भा लगा दिया और कहीं पर एक बल्ब लगा हुआ है। यह जरूरी है कि पूरी तरह से विद्युतीकरण करें और उसके बाद बिजली देनी भी आवश्यक है। पहले घोषणा की गई थी कि तीन घन्टे शाम को बिजली दी जायेगी, 6 से 9 बजे तक या 7 से 10 बजे तक घोषणा की थी, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। घोषणाओं पर अमल भी आवश्यक है, यह बात शासन को सोचनी चाहिये।

शहरी क्षेत्रों में बड़ा आवश्यक है कि यहां पर बिजली सही तरीके से पहुंचे नहीं तो छोटे-छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पानी की भी किल्लत हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अवनीश कुमार सिंह--

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की 4 मुख्य इकाइयां हैं--ओबरा, पनकी, सिंगरौली और हरदुआगंज। ओबरा में 1150 कि0 वाट के स्थान पर 440 किलो वाट का उत्पादन हो रहा है। यह बहुत कम है। इस ओर ध्यान देना चाहिये। पनकी पावर स्टेशन की 4 इकाइयां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जर्जर हालत में हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

विद्युत् परिषद् 1440 करोड़ के घाटे में चल रहा है। यह एक सफेद हाथी है, इस पर 3,200 करोड़ रु0 का कर्जा है और यह 265 करोड़ रु0 का ब्याज प्रति वर्ष देता है। माननीय ऊर्जा मन्त्री ने घोषणा की है कि इसका सुधार करना चाहते हैं, किन्तु इसका सुधार करना असम्भव है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

हमारे प्रदेश में 35 प्रतिशत की चोरी होती है, चोरी को रोकना आवश्यक है। यह चोरी कर्मचारियों और अधिकारियों की सांठ-गांठ से होती है। विशेष रूप से ध्यान दें करोड़ों रुपया उपभोक्ताओं पर बकाया है, शासन उनसे वसूलने की कार्यवाही भी नहीं करता क्योंकि वे शासन के अधिकारियों से मिले हुए हैं।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के बहुत बड़े-बड़े भण्डार हैं। उससे परमाणु बिजली घर बनाने की कोशिश करें। सौर ऊर्जा से भी बिजली बनाने की कोशिश होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मैं आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। माननीय ऊर्जा मन्त्री ने अपना बजट प्रस्तुत किया, ऐसा बजट जिस पर इस प्रदेश की प्रगति निर्भर है और यहां पर कुछ देर से सुन भी रहा हूं पक्ष और विपक्ष की बातें, तर्क और वितर्क। यह जानकर खुशी हुई कि हर आदमी ने अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया। यहां पर एक बात उठी, बिजली की कमी है, कटौती की जाती है। इसके अगर बुनियादी मसले पर जायें और महसूस होगा कि कमी क्यों महसूस होती है। हम लोग महसूस करते हैं कि हमारा प्रदेश सिंचाई के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में प्रगति करता चला जा रहा है। हमारे प्रदेश के विकास की प्रगति की मांग को पूरा करने के लिए हम महसूस करते हैं कि ऊर्जा की कमी है। हालांकि ऊर्जा मन्त्री ने अथक प्रयास करके बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया है, यह उनका संकल्प है, भावना है, उनकी मंशा है। इससे उनकी रूचि जाहिर होती है कि वे अपनी पूरी कर्त्तव्य निष्ठा के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमको भी यह देखना होगा कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सिंचन क्षमता पहले के मुकाबिले में आज कहीं ज्यादा है, इसलिए लगता है कि बिजली का उत्पादन कम हो रहा है।

मैं बधाई देता हूं श्री सुनील शास्त्री जी को कि उन्होंने इतने सुन्दर ढंग से अपने प्रयास के माध्यम से इतने बड़े प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने में अपनी दक्षता व निपुणता का सहारा लेकर अथक प्रयास किये हैं इस लिये वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सुनील शास्त्री जी का ध्यान अपने पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मैं उनको कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि व उसकी विषमताओं के सम्बन्ध में आप सभी भलीभांति परिचित ही हैं वहां पर जो बिजली के खम्भों की सप्लाई होती है वह खम्भे लकड़ी के होते हैं जिसकी लाइफ केवल 5 वर्ष की ही होती है और पांच साल के बाद वे खम्भे या तो सड़ जाते हैं या फिर गल जाते हैं जिसके कारण सदैव आशंका बनी रहती है कि कहीं उनके टूटने व गिरने के कारण कोई दुर्घटना घटित न हो जाय। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि लकड़ी के खम्भों के स्थान पर वहां आइरन के पोल्स भेजे जाने चाहिये। इससे एक तो हर पांच साल की अवधि में खम्भों के प्रति बजट में व्यय भार कम होगा और वहां पर सदैव बना रहने

वाला खतरा भी समाप्त हो जायेगा जिसकी कि आशंका हमेशा बनी रहती है।

एक बात और देखी गयी है कि पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामों में जब विद्युतीकरण किया जाता है तो उस स्थान के उस गांव के पांच सात घरों में बिजली तो लगायी जाती है। किन्तु मोटरों की कमी के कारण या तारों या पोल की कमी के कारण से वहां के अन्य घरों में यदि बिजली नहीं लग पाती है तो भी उस गांव को एलेक्ट्रीफाइड घोषित कर दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि गांव को एलेक्ट्रीफाइड घोषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करवा लें कि उस गांव में पूर्ण रूप से बिजली लग गयी है या नहीं उसके बाद ही उस ग्राम को एलेक्ट्रीफाइड घोषित करायें।

पर्वतीय क्षेत्र में अग्रिम धनराशि के रूप में 25-25 रुपये जमा हो जाने के बावजूद भी मेरे क्षेत्रों में कई सालों तक बिजली उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अग्रिम धनराशि के रूप में जमा किया है और सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनको कनेक्शन दे दिया जाय नैनीडांडा धाम खल्ड विकास खंड जो कि अल्मोड़ा क्षेत्र से मिला हुआ है आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर खल्ड में तो बिजली पर्याप्त मात्रा में है, अतः खल्ड से नैनीडांडा को पर्याप्त बिजली देकर जोड़ दिया जाय ताकि नैनीडांडा क्षेत्र विकासित हो सके और वहां पूरी तरह से बिजली मिल पायें।

मेरे क्षेत्र में दो विद्युत् घर की परियोजनाएं हैं--चोला विद्युत् गृह, रामगंगा (कालागढ़) जहां कि बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन खेद का विषय है कि चोला में 144 मेगावाट व (रामगंगा में 198 मेगावाट) बिजली का उत्पादन हो जाने पर भी और स्थायीय जनता को वहां पर बिजली नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि इसमें सरलीकरण हो तथा वहां की जनता जो कि इन विद्युत् गृहों से नजदीक पड़ती है उसको उसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं माननीय सुनील शास्त्री के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध व निन्दा करता हूं।

धन्यवाद।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश द्वारा पेश कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। विद्युत् विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका सीधा जनजीवन से सम्बन्ध होता है। लेकिन मान्यवर, शासन और प्रशासन के अकर्मण्यता से जितनी दुर्दशा इस विभाग से है उतनी किसी विभाग से नहीं। शहरी क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र की मान्यवर, दुर्दशा है ही। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन विद्युत् की आंख-मिचौली से लोग प्यासे न मरते हों, लोग लिफ्ट में न फंसते हों और कभी-कभी मान्यवर, आप देखते हैं कि सदन का कार्य भी कुछ देर तक विद्युत् की आंख मिचौली और अकर्मण्यता से न रुकता हो।

मान्यवर, आपके माध्यम से विद्युत् विभाग की दोहरी नीति की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने एक उद्योग बनाम किसान दोहरी नीति बना रखी है जिसमें कि 34 बड़े उद्योगों में इनका 19 करोड़ रुपया बकाया है और यह वसूल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान की ओर देखिये। यदि 500 रुपया किसी किसान को ट्यूबवेल के विद्युत् का देने में बाकी रह जाय तो ये उसका कनेक्शन काट देते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनकी सरकार किसान विरोधी है। मान्यवर, इन्हें चाहिये कि इस आधार पर किसान को ज्यादा वरीयता दी जाय। चूंकि किसान और कृषि इस देश और समाज की रीढ़ है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहूंगा कि इन्होंने एक अपने विभाग में ठेकेदारी प्रथा कायम कर रखी है जिसको मान्यवर, होता क्या है कि जितना रद्दी और खराब किस्म का सामान है, ठेकेदारों द्वारा वह इनके विभाग में सप्लाई होता है जबकि उनका खुद का बयान यह है कि विद्युत् कर्मचारियों की कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें और चूंकि इनके विभाग में कर्मचारियों की इतनी अधिकता है, वह सीधे काम उन्हीं से करवाएं। इस सम्बन्ध में केन्द्र से एक नियम भी जहां तक मेरी जानकारी है, पारित हुआ है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। लेकिन आज भी हमारे प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा चल रही है।

मान्यवर, मैं आगे भी कहूंगा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं भी आग लगने की विद्युत् विभाग के जरिये से होती हैं, कहीं तार टूट जाता है तो लांक जल जाती है, कहीं तार आपस में लड़ जाने से घरों में आग लग जाती है। मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी तहसील में सुन्दर लाल पान्डे के पुरवा में 83 किसानों का गल्ला जल गया बिजली का तार गिर जाने से। मैं उस दिन हाउस में भी इसको लाया था नियम 51 में और राजस्व मन्त्री ने इसको स्वीकार किया कि तार टूट जाने से 83 किसानों का गल्ला जल गया। तो मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा और माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की घटनायें विद्युत् विभाग के द्वारा होती हैं, या विद्युत् विभाग की लापरवाही के कारण होती हैं उनके लिये उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। वहां 83 किसानों का गल्ला जल गया, उनको नुकसान हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी विद्युत् विभाग पर जानी चाहिये और विद्युत् विभाग से उनको मुआवजा दिलवाया जाये।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो हमें बहुत कुछ कहना है। मान्यवर, सिंचाई सुविधाओं की ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि केन, बागैरह नदियों के किनारों का विद्युतीकरण किया जाये। मान्यवर, मैं एक सनसनीखेज घटना आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि विद्युत् विभाग में डाइनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ सप्लाई किये जाते हैं। बांदा में भी वह सप्लाई किये गये। वहां पर पर्चे बांटे गये हैं, विद्युत् कर्मचारियों की ओर से कि जो डाइनामाइट सप्लाई किया गया है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इससे वहां की जनता में रोष व्याप्त है। मान्यवर, चन्द्रावल नदी के पुल को उड़ाते हुये हमीरपुर की पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया। तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाये कि जो डाइनामाइट सप्लाई किया गया है, उसका क्या किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, एक और बहुत जरूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब कभी रेलवे लाइन को बिजली की लाइन से क्रास करना होता है, तो नियम यह है कि रेलवे बोर्ड से उसकी पहले परमीशन ले ली जाये, लेकिन मान्यवर, इस प्रक्रिया में बहुत देर होती है और जिसके कारण विकास का कार्य ठप पड़ा रहता है। मेरा इस सम्बन्ध

में सुझाव यह है कि आप नियमों में संशोधन करें जिससे रेल की लाइन को सुरक्षित रखते हुये अपनी सीधे जुरिस-डिक्शन से रेलवे लाइन के ऊपर से बिजली की लाइन को क्रास कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो विद्युत् का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुये इतना कह सकता हूं कि जिन विषम परिस्थितियों में बिजली का बजट रखा गया है, वह विषम परिस्थितियां हैं- पुरानी मशीनें, अग्नि कांड की घटनायें, विद्युत् की चोरी जो 40-50 प्रतिशत की है। इन सारी विषम परिस्थितियों में, जिस तरह का सुधार कार्य और उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है, इन सब चीजों के लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, बिजली का बजट बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और इसी के द्वारा पूरे प्रदेश और देश का औद्योगीकरण हो सकता है। बिजली के ऊपर प्रदेश का किसान जितना निर्भर रहता है, उतना और किसी चीज पर निर्भर नहीं है तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है और सारा विकास इसी पर निर्भर है। लेकिन इसमें चोरियां हो रही हैं, अग्नि-कांड हो रहे हैं और जो वहां पर यूनियन्स हैं, उनके कारण लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो अनुशासनहीनता है, सूखा पड़ा और इन दशाओं में जिस तरह से बिजली दी गयी, उसके लिये माननीय मन्त्री जी सराहना के योग्य हैं। मान्यवर, कुछ आंकड़े हमारे कटौती के प्रस्तावक ने रखते हुये कहा कि सन् 1980-85 के दरम्यान छठीं पंच-वर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था उसके मुकाबले में हमारी उपलब्धि जरूर कम रही है। लेकिन उसके कुछ कारण हैं। कम अवश्य रही है लेकिन 1985-90 में जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य है और जो अपूर्ति का भी हमारा लक्ष्य है वह बराबर है। मान्यवर, जो सहायक लाइनें हैं वह 4966 कि0 मी0 थीं, उन्हें 5 हजार कि0 मी0 रखा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा लक्ष्य है उसी को पूरा करने की हमने ठानी है।

मान्यवर, यह बात नहीं भूली जा सकती कि जहां पर कुल मिलाकर 1638 मेगावाट की जल विद्युत् और तापीय विद्युत् दोनों प्रकार की परियोजनाओं का वृहत् कार्यक्रम है वहीं हमारी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4084 मेगावाट है जिसमें 2662 मेगावाट तापीय तथा 1422 मेगावाट जल विद्युत् है। इसी तरह से वर्तमान समय में चालू लाइनें 6183 किलोमीटर की हैं, जब कि हमारा लक्ष्य 2674 किलोमीटर लम्बी लाइनों तथा उनसे सम्बद्ध उप विद्युतगृहों के निर्माण का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में होना है। इस तरह से इस दिशा में काफी सुधार हुआ है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इसमें सम्पूर्ण प्रदेश भर में 25 लाख उपभोक्ताओं की सेवा का चार्ज है। पांच लाख निजी व सरकारी नलकूपों का ऊर्जन भी किया जा चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 1 लाख 66 हजार अतिरिक्त नलकूपों के ऊर्जन का लक्ष्य है। मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं कि जितने भी सुधार के कार्य हुये हैं और जो कुछ भी इस दिशा में हुआ है शत-प्रतिशत विद्युती-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करण हरिजन बस्तियों में हुआ है, वह सारी हमारी इस योजना को देन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके बारे में माननीय सदस्य स्वयं चिन्तित थे कि विद्युत् बोर्ड बेलगाम हो रहा था, उसका पुनर्गठन किया गया है और उसको दो भागों में कर दिया है एक उत्पादन और दूसरा वितरण। दोनों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। इससे निश्चित रूप से सुधार आयेगा।

मान्यवर, यही विकेन्द्रीकरण का रास्ता है जिससे इस दिशा में सुधार आयेगा। विद्युत् परिषद् के हर माननीय सदस्य को जिम्मेदारी दी गई और उनको अलग-अलग विभाग बांट दिये गये और यह कहा गया कि वह बिजली की व्यवस्था में सुधार करके दिखावें। मान्यवर, अभी तक न तो वितरण का और न उत्पादन का हिसाब होता था जिससे अपनी जिम्मेदारी से वे वंचित हो जाते थे लेकिन अब निश्चित रूप से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है जिससे वास्तव में विद्युत् बोर्ड में सुधार आयेगा। अन्त में जो क्षमता बढ़ाई गई है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि 40 से 50 प्रतिशत की जो चोरी की बात कही गई है उसमें हम चाहेंगे कि कठोर तरीके से सतर्कता बरती जाये, तभी सुधार आयेगा। हम जानते हैं कि इस वक्त विद्युत् की चोरी काफी हो रही है और उस पर सतर्कता बरतने की जरूरत है।

अन्त में मैं ऊर्जा मन्त्री जी को मुबारकबाद देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आगरा में 40 नये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनाये हैं, 25 सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाई है और 132 के0 वी0 का सब-स्टेशन बनाया है और 30 के0 वी0 एच0 पारेषण लाईनों में आवश्यक सुधार किया है उसी तरह से पूरे प्रदेश में सुधार किया जाय जिससे बिजली के मामले में हमें राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं और विरोधी दल द्वारा लाये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[4.20]

*श्री मूल चन्द—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे विद्युत् विभाग की मांगों पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत् विभाग का इतना ज्यादा प्रचार किया जाता है लेकिन अगर मौके पर देखा जाय तो यह सब झूठ है। मैं आपका ध्यान वाराणसी के भदोही क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर कालीन का बहुत बड़ा उद्योग है। कालीन के उद्योग की प्रगति के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मीटिंग बुलाई, मुझे विश्वस्त-सूत्रों से ज्ञात हुआ है माननीय मन्त्री जी बैठे हैं, कहा गया कि 20 घंटे बिजली भदोही में कालीन उद्योग के लिए दिया जाय। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो कालीन का केन्द्र है और विश्व के मान-चित्र में कालीन उद्योग में प्रसिद्ध हो उसकी उपेक्षा हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस क्षेत्र का अच्छी तरह से विद्युतीकरण हो जाय तो हमारे देश की तरक्की हो सकती है। वहां से सरकार को 150 करोड़ की आमदनी प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में होती है जिस पर सरकार की लागत कुछ भी नहीं लगती है। वहां से प्रदेश को साढ़े सात करोड़ रुपया इक्साइज और इनकम टैक्स के रूप में मिलता है। एक लाख से ज्यादा मजदूर वहां कालीन उद्योग में लगे हुए हैं। मैं विद्युत् मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लिए आपने कौन सी विशेष व्यवस्था की है जिससे कायदे से वहां बिजली दी जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठें।

श्री मूल चन्द—

कालीन उद्योग में लगे मजदूर रात में भी काम करते हैं अगर उनको रात में बिजली ठीक से मिले तो कई गुना ज्यादा उत्पादन हो सकता है जिससे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी।

किसान जो पम्पिंग सेट लगाते हैं जिनके पास 5 बीघा या 6 बीघा जमीन है वह 25 हजार रुपया खर्च कर पम्पसेट लगाता है तब खुदाई और मशीन आदि के उसको इतना खर्च करना पड़ता है लेकिन उसको बिजली ठीक से नहीं मिलती है जिस पर उनको 122.50 पैसे फी हार्स पावर के हिसाब से बिल देना पड़ता है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि 7 घंटे में लाईन देते हैं लेकिन महीने में एक दिन लाईन कट जाती है, तीन रोज बिजली नहीं आती है, तो क्या देते हैं किन्तु लाईन का बिल महीने का पूरा भुगतान करना पड़ता है जबकि बिजली जब देते हैं तो 7 घंटे में 10 बार काटते हैं। यह किसानों के साथ घोर अन्याय है, इस प्रकार यह किसानों की दुश्मन सरकार है। इसलिये प्रस्तुत बजट का मैं विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विद्युत् मन्त्री जी ने जिस अथक परिश्रम से बजट पेश किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 82 प्रतिशत गांवों को बिजली मिलेगी और इस समय विद्युत् कटौती पूर्णरूप से समाप्त हो गयी है ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में जिसके लिये मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मन्त्री जी ने जिस विषम परिस्थिति में धन की कमी होते हुये, सीमित साधनों से विद्युत् बजट पेश किया है यह उनकी योग्यता का द्योतक है।

मान्यवर, इस समय तापीय विद्युत् का 800 से लेकर एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हो गया है, जल विद्युत 225 मे0 वा0 हो गया है। सिंगरौली ताप गृह से 350 मेगावाट विद्युत् प्राप्त हो रही है। छठी पंच वर्षीय योजना में 4,54,30,00,000 यूनिट से विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य था, जिसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 9,35,07,00,000 यूनिट्स का उत्पादन किया जायेगा। मान्यवर, इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3440 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। विद्युत् अधिष्ठापित क्षमता 83–84 में 4084 मेगावाट था जो बढ़कर 4254 मेगावाट हो जायेगी।

मान्यवर, इसी प्रकार मन्त्री जी ने विद्युत् बोर्ड का पुनर्गठन तीन भागों में किया है जैसे उत्पादन, वितरण और वित्त, जिसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार बिलिंग एकूरेसी बढ़ाने के लिये उन्होंने नये जूनियर इंजीनियर्स नियुक्त किये हैं जिसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद देवरिया में अपने क्षेत्र फाजिलनगर के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि मन्त्री जी ने फाजिलनगर में एक विद्युत् उपग्रह खोलने का वचन दिया था, मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी उसको पूरा करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को विद्युत् प्राप्त हो सके। जिस प्रकार कहा जाता है कि लेनिन प्लस इलेक्ट्रिसिटी—रशियन रिवोल्यूशन की बात यहां प्रदर्शित होती है और उम्मीद है कि मन्त्री जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति आयेगी और वह अपने पिता

के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मन्त्री जी के बजट का समर्थन करती हूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो मुझे आज कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय महोदय, मैं विद्युत् मन्त्री जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं जैसा शर्मा बहिन जी ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट रखा है। लेकिन हालत यह है कि कठरी में लागा चोर मुसा-फिर जाग जरा आप चाहे उसको जितना बढ़ाएं, लेकिन चोरी को आपको प्रतिबन्धित करना पड़ेगा, तभी बिजली हमें प्राप्त हो सकेगी। अब मैं मन्त्री जी को सीधे बरेली ले चलना चाहता हूं.. (व्यवधान) अपनी कांस्टीट्यूवेंसी में आज मैं उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब वह बरेली पधारे थे, तब भी आकर्षित किया था। बरेली की मुख्य बाजारों में शाम को 7 बजे से बिजली गुल हो जाती है। उस समय दुकानदारों के दुकान बन्द करने का समय होता है, कैश गिनने का समय होता है और महिला ग्राहकों के घर लौटने का समय होता है, वहां का रोज का नियम है, नित्य जहां झुमका गिरा था, 7 बजे से बिजली गुल हो जाती है। वोल्टेज लो हो जाता है। उसके बारे में शिकायत करने पर विद्युत् इंजीनियर यह कहते हैं कि बरेली में इतने टी0 वी0 बढ़ गये हैं, उसकी वजह से यहां का वोल्टेज लो हो जाता है। यह लाइन इतना लोड उठाने के लायक नहीं रहती है। मैं मन्त्री जी से चाहता हूं कि वह बिजली के समय में समुचित व्यवस्था और वोल्टेज में सुधार लाएं, जैसा उन्होंने वहां पर वायदा भी किया था।

हमारे क्षेत्र में मुख्य शिकायत यह है कि जहां पर चक्कियां आदि लगी हुई हैं, फ्यूज बांधने वाले जो विद्युत् कर्मचारी आते हैं वह बिना नाजायज पैसा लिए हुए उनका फ्यूज नहीं बांधते हैं। खास कर जहां पर चक्की और मुख्य प्रतिष्ठान हैं। यह बहुत कठिन समस्या है, जब फ्यूज हो तो 10 रुपया दीजिए तभी फ्यूज बंधेगा। इसके अलावा यह कार्य रात में 10 बजे से 6 बजे तक नहीं होता है। मुख्य रूप से जबकि रात्रि में ही बिजली जाती है। इस सम्बन्ध में हमें सूचना यह दी जाती है कि रात्रि में कोई लोग फ्यूज आदि बांधने के कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

बरेली नगर महापालिका दो वर्ष से बनी है, वहां पर वह सब साज सामान होना चाहिए जो कानपुर या लखनऊ की बिजली कम्पनी के पास हैं। इन नगरों में इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के पास सीढ़ी लगी हुई मोटर गाड़ी है, जिसकी मदद से वह तुरन्त रोड लाईन ठीक कर देते हैं। वैसी ही व्यवस्था वहां भी की जाए। अब मैं आपका ध्यान अपने जोनल चीफ बी0 आर0 चोपड़ा की ओर दिलाना चाहता हूं, पिछली बार तो उनके बारे में हमने सुना और जाना था कि वह लखपति हैं किन्तु अब हमें मालूम हुआ है कि वह करोड़पति हो गये हैं। उन्होंने इतना रुपया भ्रष्टाचार नहीं तो कहां से खींचा है। उन्होंने क्रेन की तरह धन खींचकर रख दिया है। ऐसे ही अधिकारी दो-चार और हो गये तो यह घाटा आपका और बढ़ेगा घटेगा नहीं।

कर्नल केसरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इतने प्रयास के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ऊर्जा मन्त्री सुनील जी के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे युवा मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने, कई ऐसे साहसिक कदम उठाए हैं जिससे विद्युत् व्यवस्था या विद्युत प्रणाली में सुधार हो जाएगा। जैसे उन्होंने राज्य विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन का काम किया है, उसमें उन्होंने

उत्पादन, वितरण और वित्त तीनों को अलग-अलग करके उनके उत्तरदायित्व को निर्धारित कर दिया है। इससे उसमें सुधार आएगा और व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसी प्रकार से जो हमारी पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाने का लक्ष्य है। जो वर्तमान हमारे विद्युत् गृह हैं, उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का हमारा लक्ष्य है। यह सब बड़े साहसी कदम हैं।

हमारे प्रदेश में लगभग 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमारी आत्मा गांवों में है। अतः गांवों का विद्युतीकरण करना और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना यह बड़ा स्वागत योग्य कदम है। इसमें पिछले वर्ष लक्ष्य से अधिक काम किया गया है यह बड़ी उल्लेखनीय बात है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य से अधिक कार्य करने के लिये हमारा उद्देश्य है। में जो लाइन लासेज और चोरी होती है उसके विषय में सुझाव देना चाहता हूं। भारत वर्ष की बिजली जो हमको मिलती है, उसमें 15 प्रतिशत लाइन लासेज होते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में 25 प्रतिशत लाइन लासेज हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली विभाग में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को अधिक से अधिक रखें तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है क्योंकि भूतपूर्व सैनिक को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आशा कम होती है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अनुशासनहीनता मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस विभाग में खराबियां हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बार बार आपको धमकियां देते हैं और गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास करते हैं।

अतः अनुशासन रखने की बहुत आवश्यकता है। जबसे सुनील जी ने चार्ज लिया है तब से अनुशासनहीनता में कमी आयी है लेकिन इस विषय में बहुत कठोर कदम की आवश्यकता है। जैसा कि सदन के ध्यान में लाया गया है अभी तक विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य की कोई विवरण सूची नहीं तैयार की गयी है। कर्मचारियों का कर्तव्य विवरण की सूची होना बहुत जरूरी है। इसके लिये शीघ्र ही विवरण सूची बनानी चाहिये और उनके कर्तव्य निर्धारित करने चाहिये और कर्तव्यों को कठोरता से पूरा पालन कराना चाहिये तभी अनुशासन में प्रगति आयेगी। इसी प्रकार से जो वितरण प्रणाली है वह इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि उसको एक केन्द्र से कंट्रोल होना कठिन है।

यह मेरा सुझाव है कि हर एक मंडल में एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला क्षेत्रीय मुख्य अभियंता होना चाहिये और हर जिले में एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला अधीक्षण अभियंता होना चाहिये और इसी प्रकार से हर ब्लाक में एक अवर अभियंता होना चाहिये जो वहां पर काम करे तभी वितरण की जो प्रणाली है, उसमें सुधार होगा।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां कहीं विद्युतीकरण हो रहा है वहां प्राथमिकता, हरिजन बस्तियों को और जहां पर कमजोर तबके के लोग रहते हैं उनको देनी चाहिये। जैसा कि सदन में यह बात उठायी गयी है कि एक आध खंभा गाड़ दिया और तार खींच दिये और कह दिया गया कि बिजली मिल गयी तो यह धारणा गलत है। हरिजन बस्तियों को अधिक सुविधा देनी चाहिये। जहां कहीं पर खम्भे गड़े हैं और तार खिंचे हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाय तो अच्छा होगा। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कई महीने हो गये हैं बिजली के खंभे लग गये हैं और तार खिंच गये हैं लेकिन बिजली अभी नहीं दी गयी है तो ऐसी जगहों पर पहले बिजली देनी चाहिये।

हमारे राम नगर क्षेत्र के बारे में मैं अनुरोध करना चाहूंगा। हमारा जो ब्लाक हेडक्वार्टर है वहां पर बिजली में

गड़बड़ रहती है क्योंकि बिजली बहुत दूर से, 15-20 कि0 मीटर से सप्लाई की जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र में सल्टाउआ में एक सब-स्टेशन लगा दिया जाय जिससे दूरी कम हो सके और बिजली की व्यवस्था ठीक हो सके। जो किसानों से इस समय 22 रु0 प्रति हार्स हॉवर बिजली के लिए वसूला जाता है वह अधिक है। अनुरोध है कि किसान को राहत दी जाय। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(ऊर्जा राज्य मंत्री के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता---

क्या माननीय मंत्री जी आप बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

श्रीमन्, मैं आपकी आभारी हूं आपने हमारे विभाग के ऊपर हमको बोलने का अवसर दिया। कुछ बातों का स्पष्टीकरण जरूरी है, सदन की भावनायें ऐसी लग रही हैं और यह स्वाभाविक भी है कि हमारा बिजली का जो उत्पादन है वह बढ़ना चाहिये और विशेष तौर से जो हमारी आजकल की मशीनें चल रही हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए। इस पर सदन में काफी चिन्ता व्यक्त की गयी है, हमारे तीन बड़े तापीय विद्युत गृह हैं, जिनकी क्षमता 2,662 मेगावाट है, परन्तु उतनी विद्युत हम पैदा नहीं करते हैं, उसका कारण यही है कि हमारा जो सबसे बड़ा ओबरा तापीय विद्युत् गृह है, जिसको 1967 में बनना था, उसको हमने कई चरणों में पूरा किया उसे 1981-82 में पूरा किया है। हरदुआगंज, पनकी जो 530 और 284 मेगावाट के हैं, यह सब इकाइयां 1967-68 तक में शुरू हुई थीं और सन् 1981-82 1982-83 तक पूरी हुई। इनका मेंटीनेंस जो होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, मशीनों का मेंटीनेंस सर्वप्रथम 10 हजार घंटे, और फिर 18-20 हजार घंटे और उसके बाद फिर 30 हजार घण्टे चलने के बाद होना चाहिए।

बिजली हमको सब जगह देना चाहिए था, लेकिन वह मशीनें नहीं चल पाईं, क्योंकि उन पर दबाव काफी पड़ा। यह बात सही है कि जब हमारी नई योजनाएं बढ़ेंगी उसमें हमारी मशीनें भी बढ़ेंगी तो उसमें हमारा अधिक से अधिक उत्पादन होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम कुछ मशीनों का रख-रखाव करने जा रहे हैं जोकि 34 हजार से लेकर 38 हजार घंटे तक चल चुकी हैं। इससे मशीनों पर दबाव अधिक पड़ रहा है, इसके लिए हम 147 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं।

इन मशीनों का हम रख रखाव करेंगे जिससे इनकी क्षमता बढ़ेगी इस साल हम लोग पनकी पर 9 करोड़ रूपया खर्च करेंगे यह वृहद् योजना जो हमारी है, इसके लिए 98 करोड़ रुपया योजना आयोग हमको देगा और 49 करोड़ रुपया हमको केन्द्रीय सरकार से मिलेगा। हमें पूर्ण आशा है कि जब हम यह पूरा कर लेंगे, तो हम अपना प्लांट लोड प्लाइट बढ़ा लेंगे। मान्यवर, जैसा कि सदन चिन्ता कर रहा था कि हमारी मशीनें बहुत खराब हैं, वह पूर्ण रूप से ठीक हो जायेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि सदन की चिन्ता जो नजर आयी है वह सही है हमारा विद्युतीकरण है, जो हमें ग्रामीणों में विद्युत पहुंचानी है, उसके संबंध में सदन ने बहुत चिन्ता दिखायी। इसके पहले कि मैं कोई बात बताऊं, हमारे माननीय शतरुद्र प्रकाश जिन्होंने कट मोशन रखा है और उन्होंने कहा कि 24,895 गांव हमारे विद्युतीकरण में आते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह बात तो माननीय मंत्री जी बाद में कह सकते हैं। स्पष्टीकरण जो आप करना चाहें, वह आप कर दें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल प्रदेश में शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण हो चुके हैं। पंजाब में 12188 गांव हैं, तामिलनाडु में 15,735 गांव हैं, केरल प्रदेश में 1268 गांव हैं। इस हिसाब से तो हम 10 हरियाण का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। उक्त चारों प्रदेशों के कुल ग्रामों की संख्या 35,922 है। तो अगर हम इन चारों प्रदेशों के विद्युतीकरण को जोड़ दें तो उससे ज्यादा विद्युतीकरण हमारे यहां हो चुका है।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मैं शतरुद्र प्रकाश जी से कहना चाहूंगी कि हम इतने बड़े प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसमें बहुत काम हो चुका है। दूसरी बात ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कहनी है। हम इस वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार हमारा लक्ष्य प्रदेश के ग्रामीण विद्युतीकरण के स्तर को 56 प्रतिशत से उठाकर लगभग 80 प्रतिशत पर ले जाना है। श्रीमन, हमें उतनी ही चिन्ता है जितने विरोधी दल के लोग चिन्तित हैं हमारे प्रदेश की तब तक उन्नति नहीं हो सकती है, और उद्योगीकरण नहीं हो सकता है, जब तक हम बिजली न पहुंचा दें। हम हर हालत में इस सातवीं पचवर्षीय योजना में गावों में बिजली पहुंचा देंगे। मैं शतरूद्र प्रकाश जी की बात का उत्तर देना चाहती हूं।

श्रीमन्, इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1,66,000 निजी नलकूपों का उर्जन और 25,568 का हम हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने जा रहे हैं। हम उनके सहयोग की आशा करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं जिसके लिए हम बहुत चिन्तित हैं और कुछ सदस्य जो उधर के हैं वह भी चिन्तित हैं। खम्भे सही नहीं लगे हैं तार सही नहीं खिचे हैं, कुछ शिकायतें इस मामले में हमारे पास भी आई हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम इसमें सख्ती से कार्यवाही करेंगे। जैसा विद्युतीकरण ग्रामों का होना चाहिए उसको करेंगे, हमें आपका सहयोग चाहिए।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, भाई शतरुद्र प्रकाश द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के विद्युत मंत्री उस परिवार से जुड़े हैं जिनका अपना एक राष्ट्रीय महत्व रहा है। गरीबों का दर्द जिनकी कथनी करनी में भेद नहीं था। ऐसे आदर्श एवं संवेदनशील परिवार से वह आये हैं। आज उनके द्वारा तमाम आंकड़ों से भरा बजट प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, आज जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया यह अच्छे शब्दजाल एवं अच्छे वाक चातुर्य से प्रस्तुत किया है। प्रदेश का औद्योगीकरण, मान्यवर, विद्युत विभाग ऐसा विभाग है जिससे सारे प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। जब तक ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं होता है, तब तक प्रदेश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमारे बैठे हुए अन्य साथियों ने भी कहा था ग्रामों की लगातार उपेक्षा हो रही है इसी कारण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में पिछड़ गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि लगभग 63 हजार गावों का विद्युतीकरण किया जा चुका है यह पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रदेश की आबादी 12 करोड़ है जो तमाम प्रदेशों से ज्यादा है। जो और प्रदेशों का पूरा बजट होता है वह हमारे यहां केवल विद्युत परिषद् को दिया जाता है, इसके बाद भी उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। जहां हम हरिजन बस्तियों को बिजली देने की बात करते हैं, वह सिर्फ आंकड़ों में एक ही हरिजन बस्ती प्रत्येक गांव में दर्शायी जाती है, जबकि गांव में तीन-तीन चार-चार हरिजन बस्तियां होती हैं। हरिजन

बस्तियों के लिए केवल तीन हजार रुपया देते हैं, उससे तीन खम्भे भी नहीं लगा पाते हैं। यह केवल आपके आकड़ों में उपयोगी हो सकता है इससे उनके घर में उजाला नहीं हो सकता है, न ही उनके आंगन में रोशनी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां चार-चार, पांच-पांच हरिजन बस्तियां हैं उनका ध्यान रखा जाए। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज हमारी अधिष्ठापित क्षमता काफी है, 4 हजार मेगावाट से ज्यादा है, लेकिन उत्पादन केवल एक हजार मेगावाट के करीब हो पा रहा है। मान्यवर, नये संसाधन की आवश्यकता नहीं है, न गरीबों की गाढ़ी कमाई को खर्च करने की आवश्यकता है, अगर हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा लें। प्राईवेट सेक्टर में लगे हुये प्लान्ट में अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है। विद्युत परिषद् हमारी अधिष्ठापित क्षमता का 32-35 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। अगर उत्पादन क्षमता 52 प्रतिशत कर सकें तो आज जो प्रदेश में विद्युत संकट है, उसको खत्म किया जा सकता है। माननीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में विद्युत संकट समाप्त हो जायेगा। आपकी रिपोर्ट के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में विद्युत की कमी 4 अरब 54 करोड़ 30 लाख यूनिट थी और इस योजना के अन्त में 9 अरब 35 करोड़ 60 लाख यूनिट हो जायेगी। जिससे काले बादल विद्युत संकट के छा जायेंगे, तो कैसे कल्पना की जाय कि विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी और प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सकेगा। जहां विकास और सुधार की बात कही जाती है

तत्कालीन मुख्य मंत्री चाहे राजा विश्वनाथ प्रताप रहे हों, चाहे श्री श्रीपति मिश्र रहे हों, सब लोगों ने कहा कि विद्युत परिषद् में सुधार होगा और विद्युत उत्पादन बढ़ेगा लेकिन कथनी और करनी को कहीं नहीं जोड़ा गया है। मैं चाहूंगा बिजली का बजट रखा जा रहा है, मंत्री जी आलोचना की दृष्टि से नहीं सुझाव की दृष्टि से इस प्रदेश के दर्द को समझते हुये, इस प्रदेश के पिछड़ेपन को समझते हुये विद्युत उत्पादन के लिए ठोस कदम उठायें और बिजली की चोरी को रोकने के लिये काम करें मान्यवर, बिजली जो उत्पादित होती है उसका एक बड़ा हिस्सा चोरी हो जाता है। माननीय मंत्री जी इसके लिए कारगर कदम उठावें और इसके लिए अधिकारियों को नियुक्ति करें और सुनिश्चित करें कि बिजली की चोरी होगी तो आपका दायित्व होगा।

इसके साथ ही विजीलेन्स विभाग जो विद्युत परिषद् में बना है, उसकी शाखायें हर जिले में स्थापित की जायं और बिजली की चोरी की जिम्मेदारी उनके ऊपर रखी जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज विद्युत परिषद् निरंकुश हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की अफसरों पर पकड़ नहीं रही, यहां के अभियन्ता और अधिकारी स्वतंत्र और निरंकुश हो गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने वह सफेद हाथी की तरह है न काम कर रहा है। न आदेशों का परिपालन कर रहा है। माननीय मंत्री जी इस नौकर शाही के बे लगाम घोड़े की लगाम को मजबूत करने का प्रयास करें ताकि प्रदेश को विद्युत संकट से मुक्ति मिल सके और प्रदेश भविष्य में प्रगति की ओर बढ़ सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री पूरन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रदेश के युवा विद्युत मंत्री श्री सुनील शास्त्री द्वारा रखे गये विद्युत् बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और अपने योग्य साथी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

मान्यवर, विद्युत विभाग से सम्बन्धित उपलब्धि माननीय मंत्री जी ने बताई । जो उपलब्धि है, उसका जिक्र बहुत से योग्य साथियों ने अपने अपने माध्यम से कर दिया है । मैं समय की कमी को ध्यान में रखते हुये सीधे, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र की उन समस्याओं की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिनके लिए इस देश के युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने आर0 एम0 एन0 पी0 के अन्तर्गत जिसका स्पष्ट अर्थ रिवाईज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत जरूरतमन्द गांवों तक विद्युत पहुंचाने की व्यवस्था की है । मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी व उनके केन्द्र शासन को धन्यवाद देना चाहता हूं । आज पर्वतीय क्षेत्र में लकड़ी के खम्भे लगाये जा रहे हैं । वह खम्भे वहां लम्बे समय तक नहीं रह पाते हैं । वे वहां की आबोहवा के मुताबिक बने भी नहीं होते हैं । और जल्दी से सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का विद्युत आपूर्ति में हमेशा विघ्न पड़ता है और वहां के विद्युत् कर्मचारियों को सदैव खतरा बना रहता है और गांव के निवासियों को खतरा बना रहता है । इसलिए पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोहे के खम्भों की व्यवस्था करें । और आर0 एम0 एन0 पी0, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से वहां काफी पैसे की व्यवस्था की गयी है, के माध्यम से जिन क्षेत्रों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, वहां बिजली पहुंचाएं । जिन जनपदों और ब्लाकों को बिजली की आवश्यकता है और वहां पर बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर बिजली पहुंचावें । वहां के जो स्टोर हैं, वहां जो तार और खम्भे हैं, उन्हें पहले से ही विकसित जनपदों में पहुंचाया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सख्ती से ध्यान दें और कहें कि जो योजनाएं जहां के लिये ली गयी थीं उनको वहीं पर लागू करने के लिये आदेशित करें और साथ ही वहां पर गांव में जो विद्युत पहुंचाई गयी है उनमें कई हेलमेट तो छोड़ दी गयी हैं । उन्हें भी पूरा करा दें । तभी आगे के गावों को लें । लाल बत्ती जल गयी है, आप बोलने नहीं देंगे । सुनील शास्त्री जी कैसे प्रगति करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके मन में इस समय क्या-क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं इनको मैं भाषण के रूप में नहीं कहूंगा, बल्कि दो लाइनों में कहूंगा :

बाद हमारे महफिल में
अफसा ने बयां होंगे,
जमाना हमको ढूंढ़ेगा,
न जाने हम कहां होंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो श्री सुनील शास्त्री जी ने यह ऊर्जा का बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं व कटौती प्रस्ताव की निन्दा करता हूं । जयहिन्द जयभारत ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो 1 अरब 71 करोड़, 71 लाख, 76 हजार रुपये की मांग करते हुए भविष्य का सुन्दर सपना रखा है, योजनाओं के रूप में इसमें मान्यवर, एक ओर तो वह सपना है और दूसरी ओर कठोर वास्तविकता की धरती पर खड़े हुए प्रदेश के 12 करोड़ नागरिक हैं, जनता है, हमारा किसान है, हमारे दुकानदार हैं, छोटे-छोटे उद्योगपति हैं गृहणियां हैं और अगर इन्हीं की निगाह से ऊर्जा मंत्री जी के बजट को देखें और उनके भाषण को पढ़ें तो जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने शेर के रूप में कहा, तो मैं दूसरा शेर दो लाइनों में कहता हूं :

ऊर्जा मंत्री जी ध्यान दें । जैसे मानों वे इस माननीय सदन से व प्रदेश की जनता से कह रहे हैं :

जलती नहीं है, बिजली, तो गमजदा न हो,

बिजली नहीं है, दिल तो है,

उसी को जलाइये ।

चारों ओर लोग बिजली का स्विच जलाते हैं लेकिन बिजली जलती नहीं, बस दिल जलने लगता है । ऊर्जा मंत्री जी युवक हैं मैं उनकी कद्र करता हूं । इन्होंने जो इस कठोर कठिनाइयों वाले विभाग को लेकर जिस साहस के साथ इसका बजट प्रस्तुत किया है परन्तु मैं उनको चेतावनी देता हूं और याद दिलाता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट चर्चा के अन्तिम दिन कहा था । वास्तविकता यह है कि एक ओर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर आबादी बढ़ रही है । इसी प्रकार से जितनी योजनाएं बनती हैं, लोगों की मांगें उतनी ही बढ़ जाती हैं । पिछले 10-15 साल में बिजली का यह सारा संकट पैदा हुआ है । यह संकट बढ़ता जा रहा है । योजनाएं बढ़ती जाती हैं लेकिन संकट कम नहीं होता । और आने वाले सालों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसका 25 प्रतिशत भी आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, यहीं इसी सदन में आप कहेंगे कि जनता की मुसीबतें वहीं की वहीं खड़ी हैं । क्योंकि जितना उत्पादन आप बढ़ा पायेंगे, लोगों की आवश्यकताएं भी उसी मात्रा में बढ़ेगीं और वह बढ़नी ही हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं के साथ उस कठोर वास्तविकता को समझ कर, हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा और बिजली की जो चोरी होती है, विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको रोकथाम करने के लिये हमें व्यापक कदम उठाने होंगे ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का बकाया छोटे-छोटे लोगों या उद्योगपतियों पर न होकर अपितु बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर है । बिजली की जो दरें हैं, यह हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों से यहां सबसे अधिक हैं । 65 पैसा यूनिट आप लोगों से घरेलू बिजली का लेते हैं घरेलू उपयोग के सम्बन्ध में और छोटे-छोटे दुकानदारों से छोटे-छोटे चाय पान की दूकानों से 95 पैसा प्रति यूनिट लेते हैं । इसके बाद भी आपको विभाग घाटे में चलती है । छोटे-छोटे उद्योगपतियों को बिजली का संकट झेलना, पड़ता है । आप उनसे मिनीमम वसूल करते हैं, जब कि बिजली देते नहीं हैं और उन्हें लेबर को पैसा देना होता है । ऐसी हालत में जबकि हमारे प्रदेश में बिजली का संकट है, (लाल बत्ती होने पर) आपने बिजली जला दी है, मैं माननीय मंत्री जी को अपने उस शेर की याद दिलाकर अन्त में कहना चाहूंगा कि लोगों के दिल को न जलाइये । लोगों के दिलों को राहत पहुंचाने के लिये आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे बिजली की व्यवस्था लोगों को मिल सके और जो ब्रेक डाउन है, कटौती है, विद्युत् आपूर्ति में व्यवधान है वह रुक सके । धन्यवाद ।

श्री अफसर यू अहमद--

मान्यवर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया ।

जनाबेआला, दौराने जनता हुकूमत जिन झोपड़ियों के छोटे-छोटे मासूम दीपकों की रोशनी छीन ली गयी थी, उन्हीं झोपड़ियों को विद्युत प्रकाश देने की बात जनाब सुनील शास्त्री जी आपने कही है, वह यकीनन काबिलेए-दाद है । मुबारकबाद के आप मुशतहक हैं ।

हुजूरेआला, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको तो इस सरकार की हिम्मत अफजाई करनी चाहिये । आपकी हुकूमत के दौरान तो छोटे-छोटे उन दियों को मिट्टी का तेल भी नहीं दिया जा सका था जिसे कांग्रेस के लोगों ने अपने प्रयास से गांव के प्रत्येक घरों में जलाया था ।

हुजूरेवाला, आपने जो विद्युत विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, यकीनन प्रदेश

का हर नागरिक चाहे वह गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी भी धर्म जाति का मानने वाला है, उसका हिस्सा प्रकाश के रूप में, प्रदेश के हर नागरिक को मिलेगा। साथ ही जिस खूबसूरती के साथ जनभावना का आदर करते हुए प्रदेश के विद्युत विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिये आपने जो 3 भागों में बांटा है और इन्तिजियामी की जिम्मेदारी दी है कि अपने-अपने विभाग को सही तरीके से चलाने के लिये वे खुद जिम्मेदार होंगे और कमी पाये जाने पर माफ नहीं किया जायेगा--यह कदम भी काबिले तारीफ है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की मदद से रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के तहत जो गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है, उसमें जो शिथिलताएं हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उसमें मजबूती लाने के लिये कठोर कदम उठाये जायं तथा इसमें तेजी लायी जाय।

ऊर्जा के अन्य स्रोतों के लिए जनाबेआला बायो गैस प्लांट, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा की दिशा में जो कार्य हो रहा है, वह भी काबिले तारीफ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा धन घोषित राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों में योजनायें देती हैं और जिसमें वन विभाग के लिये 20 प्रतिशत सुरक्षित कर दिया है, उसी तरह से जिला मुख्यालय में यह आदेश दिये जाय कि विद्युत विभाग को बढ़ावा देने के लिये, बायो गैस लगाने के लिये, लघु जल विद्युत को बढ़ाने के लिये, 20 प्रतिशत ग्रामीण रोजगार योजना का पैसा जिला मुख्यालय पर इसके लिये सुरक्षित कर दिया है। इससे विद्युत की जो कमी है, उसकी पूर्ति में आसानी होगी।

माननीय शतरुद्र प्रकाश जो मेरे दोस्त हैं सामने बैठे हैं, गर्मी के दिन में गर्म टोपी लगाये हुए हैं फरमाया कि लागत ज्यादा लग रही है, उपलब्धि कम हो रही है।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही देश है जहां किसी जमाने में 600 रुपये में 1000 लीटर क्रूडआयल मिलता था और आज केवल 500 लीटर कूड आयल पर 30,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है, हर दिशा में बढ़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों की तुलना में महंगाई हिन्दुस्तान में बहुत कम है। आज दुनिया में महंगाई बढ़ी है। लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं। उसे प्राप्त भी करेंगे। प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने गणित पढ़ी है, लेकिन व्यवहारिक गणित नहीं पढ़ी है। आपने भी जनता के सामने लक्ष्य रखे होंगे यहां बैठने के लिए सत्ता में आने के लिए लेकिन आप मजबूर हैं कि आप इधर नहीं बैठ पाये। यह आपकी अप्रत्याशित सफलता है, जिसकी वजह से आप वहां पर बैठे हैं। पर आपका लक्ष्य नहीं समाप्त हुआ।

हुजूरेआला, यह भी कहा गया कि जापान ने बिजली की पैदावार ज्यादा की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जापान के ऊपर पाकिस्तान जैसा कोई खतरा नहीं है। हम अपने डिफेन्स के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, अगर उसे विद्युत उत्पादन में लगा दें तो जापान जैसे दसियों मुल्कों को हम 24 घंटे वह 12 महीने बिजली दे सकते हैं। मान्यवर, मैं पूर्वांचल से आता हूं बस्ती जिले के मेहदावल निर्वाचन क्षेत्र से। अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अफसर यू अहमद--

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय दे दीजिए। मान्यवर, मैं पूर्वांचल से आता हूं। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेहदावल में हरिजन, गिरिजन व बुनकरों की आबादी ज्यादा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके विकास के लिए विद्युत

सप्लाई का मुकम्मल इन्तजाम किया जाय । तथा मेहदावल से सरियावां व बघौली ब्लाक के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाय । मान्यवर, बस्ती जिले का मेहदावल क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है । उनके पावर लूमों के लिए एक उप केन्द्र खोला जाय । बाघ नगर में जो एक छोटा केन्द्र है, उसे उच्चीकृत कर दिया जाय । माननीय श्री सुनील शास्त्री जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया था, उसे ए0 ग्रेड का बना दिया जाय । अमरडोभा, बखिरा, बघौली तथा करमैनी में एक विद्युत उप केन्द्र खोला जाय । अन्त में मैं, यह कहना चाहता हूं कि श्री सुनील शास्त्री जी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई से लेकर स देश को खुशहाल बनाने में अपनी कुर्बानी दी है । मैं उम्मीद करता हूं कि वह भी उन्हीं कदमों पर चलकर इस देश को तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे तथा प्रदेश में 12 महीने 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेंगे । श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसकी मैं मुखालिफत करता हूं । और हरदिल अजीज वजीर श्री सुनील शास्त्री जी के बजट की ताईद करते हुए श्री शतरुद्र प्रकाश से कहना चाहता हूं, जो सदन छोड़कर चले गये हैं कि जब मेरी बारी आई तो चिलमन गिरा दिया आपने । जयहिन्द ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे सामने माननीय सदस्य बोल रहे थे, और तालियां भी बज रही थीं काफी। उससे ऐसा लग रहा था कि शायद बिजली का संकट, गांवों में जितना देखने को मिलती है, लखनऊ में बैठकर हम गलती पर होते हैं, ऐसा महसूस हमको है । लेकिन मैं समझता हूं कि ताली बजने से बिजली नहीं आयेगी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि गांवों में किसानों को बिजली 7 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है । बड़ी अच्छी बात है । बिजली 4, 2 या 3 घंटे देने का सवाल नहीं है सवाल यह है कि 10 या 5 मिनट के लिए जो बिजली वहां पर गई है तो उन लोगों के सारे बल्ब फूट गए, उनकी मोटरें जल गईं । अब उस मोटर को ठीक करने के लिए 500 या 600 रुपये उसे खर्च करने पड़ेंगे । किसान का कितना लास होता है लेकिन विद्युत् आपूर्ति नहीं होती है । लेकिन जब आपूर्ति होती है तो इस तरह से होती है कि करेन्ट आया और गया, करेन्ट आया और गया और बल्ब फुंक गये । इससे इन्डस्ट्रीज वालों का फायदा होता होगा लेकिन किसान का तो हुआ नहीं । 63 हजार गावों में बिजली लगा दी, एक खम्भा कहीं पहुंच गया तो उस गांव का विद्युतीकरण मान लिया गया । पूरे उत्तर प्रदेश में हरिजनों के 10 हजार मुहल्लों में बिजली नहीं है, उसको भी आपने कह दिया कि बिजली पहुंच गयी । अब हम यह नहीं कहना चाहते कि गवर्नमेन्ट बिल्कुल फेल हो गई है, अगर ऐसा कहेंगे तो हम भी दोषी हो जायेंगे क्योंकि हमारे भूतपूर्व मंत्री भी बैठे हैं लेकिन असलियत कहनी चाहिये, क्योंकि हम यहां असलियत कहने और समझने के लिए बैठे हैं । ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो किसी तरह से नहीं मिल सकता, सब जगह फीस लगी हुई है ।

ट्रांसफार्मर फुंक गया, किसानों की फसल फुंक गई, लेकिन नहीं सुना गया, पैदावार घट गई, नुकसान किसका हुआ, किसानों का । ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता और बिजली मंत्री कहते हैं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है । इन चीजों को कैसे दूर किया जाय, इन खामियों को जो देहात में आती हैं । बिजली ठीक है, इस पर आप खुशी मना लें लेकिन जितनी घोषणायें की हैं अगर वह पूरी हो जायें तो बहुत बड़ी बात होगी । लेकिन हकीकत क्या है, इसके विपरीत है । लाइनमैन है, जो अनुशासनहीनता विद्युत परिषद् में हो गई है, बड़े आदमियों से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मेरा वास्ता नहीं पड़ा क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूं, उसके अध्यक्ष और इंजीनियर को कोई परवाह है नहीं, लेकिन लाइन मैन है, आपकी लाइन का तार टूट गया, एस0 डी0 ओ0 के कहने से वह तार जोड़ने नहीं जाता जब तक कि उसको फीस न दे दी जाय। पेट्रोलमैन, खम्भा गाड़ने वाले उनके बेलदार, उनका कहना नहीं मानते। यह विभाग कैसे चल रहा है, राम राज है, तो राम के नाम पर ही राज्य चल रहा है।

मान्यवर, हालत यह है, क्या गोरख-धन्धा है, मैं नौजवान मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में 202 करोड़ का बकाया है, 202 करोड़ के बकाये में जिस ढंग से दिया है, 68 करोड़ बकाया किसानों पर है, 40 करोड़ उद्योगों पर, 40 करोड़ व्यावसायिक क्षेत्रों पर और 40 करोड़ अन्य है, इतना बकाया पड़ा है विद्युत पर। तो बाकी उद्योग के बारे में मैं नहीं जानता, मंत्री जी जानते होंगे, विभाग जानता होगा, किसानों का जरूर बकाया है और बुलन्दशहर की मिसाल--मालूम है ट्यूबवेल के नाम की कोई चीज वहां नहीं है और कागज पर है और बकाया भी चल रहा है। 4 करोड़ के करीब बकाया था किसानों पर, और जब कभी आपका घाटा होगा, दिवाला पिटेगा, तो यह कहेंगे कि यह बकाया तो कुछ है ही नहीं। 8-8, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये पर।

माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ 26 जिले घोषित हुये। लेकिन 50 रु0, और 500 रु0 और 300 रु0 की वसूलयाबी के लिए किसान जेल भेजे गये। किरन पाल सिंह जी ने छुड़ाने की कोशिश की कि एक-एक लाख वालों को क्यों नहीं पकड़ते। 202 करोड़ का बकाया हो रहा है, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? क्यों नहीं सोचा गया कि गरीब आदमियों को पकड़कर खाना-पूरी कर रहे हैं?

मैं इनकी फिजूलखर्ची की मिसाल देना चाहता हूं। जो हमारे सब-स्टेशन, बिजलीघर विभाग ने बनाए वह हर जगह जंगल में बने हुए हैं। जितने अधिकारी रहने वाले थे और कर्मचारी रहने वाले थे, उनके लिए क्वार्टर बना दिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गया। जंगल में जो मकान बने हुये हैं, वहां पर कोई भला आदमी रह नहीं सकता। बिजली विभाग के अधिकारी शाम को चले जाते हैं। बुलन्दशहर के पास हर सब-स्टेशन के पास बिल्डिंग बनी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं रहता, रात में चोर-डाकू निवास करते हैं। करोड़ों रुपये मकान बनाकर फिजूल खर्च कर दिए। इन सब बातों की तरफ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ध्यान दें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आभारी हूं कि विद्युत् विभाग की मांगों पर चर्चा पर बोलने का मौका दिया।

विद्युत् विभाग में अभी हाल ही में की गयी घोषणाओं के अनुसार व्यापक परिवर्तन किये हैं। सबसे पहली घोषणा जो स्वागत के योग्य है, वह यह है कि उत्पादन, वितरण और लेखा, इन तीन स्थानों में विद्युत् बोर्ड को विभाजित कर दिया गया। यह मांग बहुत दिनों से थी। इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था किन्तु कुछ निहित स्वार्थ आ जाते थे, जिसके कारण शासन नहीं कर पाता था, शासन ने हौसला करके कदम उठाया है, तो जैसा कि शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि विकेन्द्रीकरण नहीं, कार्य का विभाजन है। एक बात और ध्यान देने की है कि यह सिर्फ कार्य का विभाजन नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी विभाजन है। विद्युत् परिषद् में हर आदमी जिम्मेदारी से हट कर लाइन लासेज और चोरी का वजन दूसरों पर डालता रहा। अब पहली बार यह स्थिति आयी है कि हर आदमी अपनी जगह जिम्मेदार होगा।

पिछले वर्ष भर से जहां एक तरफ पहाड़ों में बर्फ न गिरने के कारण या किसी अन्य वजह से विद्युत् के उत्पादन में कमी

आयी थी, पिछले 2-3 वर्षों के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि विद्युत् व्यवस्था में सुधार होता जा रहा है हालांकि उतना नहीं है, जितना अपेक्षित था। तापीय विद्युत् गृहों में इनकी कार्यकुशलता को देखें कि प्रति मिलियन यूनिट कितना फ्यूएल आइल प्रयोग हुआ, तो देखेंगे कि 5 वर्ष में 25 किलोलीटर से घटकर 15 किलोलीटर पर आ गया। तापीय विद्युत् गृहों की कार्यकुशलता बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7 घंटे के बजाय 10 घंटे बिजली देंगे। कटौती में कमी की जो घोषणा है, उसका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही श्रीमन्, अगर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित न करूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकूंगा। एक चिन्ता का विषय है कि हमारे यहां जितनी बिजली का उत्पादन होता है तापीय बिजली का और जलीय बिजली का इन दोनों प्रकार की विद्युत में काफी

[समय--5·20]

फर्क है। तापीय विद्युत् का उत्पादन प्रदेश में 2662 मेगावाट है उसके अनुपात में जलीय विद्युत् का उत्पादन 1422 मेगावाट का है। इस ओर केन्द्रीय ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह स्थिति सही नहीं है और इसीलिये बिजली की कटौती की समस्या आती रहती है। इसीलिये माननीय शतरुद्र प्रकाश यहां पर हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दे रहे थे कि वहां बिजली सस्ती है। इसका कारण यह है कि वहां अधिकांश विद्युत् का उत्पादन जल से ही हो रहा है। जहां तक तापीय विद्युत् का प्रश्न है उसमें हरियाणा और पंजाब के विद्युत् गृहों में हमारे तापीय विद्युत् गृहों से भी 10 प्रतिशत लोड फक्टर की कमी है। हमारे यहां विद्युत् के अधिक रेट होने का कारण भी यही है। तापीय विद्युत् का रेट जलीय विद्युत् से अधिक है।

इसके साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में यह जो डिमबैलेन्स है वह बढ़ता ही चला जायेगा। आपकी जो निर्माणाधीन योजनायें हैं उनमें 2490 मेगावाट तापीय और 1796 मेगावाट जलीय है। और जो प्रस्तावित हैं उनमें 3650 मेगावाट की तापीय और 1604 मेगावाट की जलीय योजना है। आने वाले समय में जो विद्युत् का उत्पादन होगा उसमें लागत भी बढ़ती चली जायेगी। क्योंकि जलीय विद्युत् का प्रतिशत कम होता जायगा।

तापीय विद्युत् योजना की विशेषता यह है कि समय के साथ उसकी उत्पादन लागत बढ़ती चली जायेगी मशीनरी के कारण, ट्रान्सपोर्टेशन के कारण कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और जलीय विद्युत् की लागत समय के साथ कम होती जाती है। डिप्रिसिएशन के कारण लागत कम होती चली जाती है।

माननीय ऊर्जा मंत्री एक युवा मंत्री हैं और हमारे भविष्य के प्रतीक हैं। भविष्य में भी इन समस्याओं से जूझना है। इसलिये उनको जलीय विद्युत् को प्राथमिकता देना जरूरी है। मेरा वितरण व्यवस्था के बारे में भी एक सुझाव है जिसे अलहदा किया गया है कि प्रत्येक फीडर पर चाहे रूरल एरिया हो चाहे वह शहर हो जिनकी संख्या प्रदेश में अधिकतम 2000 के आसपास होगी इनमें प्रत्येक पर किलोवाट आवर मीटर और पीक लोड रिकार्डर लगाये जायं। जिससे कि जो चोरी को आप पकड़ना चाहते हैं उसे पकड़ा जा सके।

उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि चोरी को पकड़ने की बात हो रही है। हमें किसानों को जितने समय के लिये बिजली देनी चाहिये, उनको उतनी बिजली मिल नहीं पाती है। उसके लिये सुझाव यह है कि प्रत्येक रूरल फीडर में आवर मीटर लगाये जाय जिसकी कीमत अधिकतम 500 रुपए होगी और प्रदेश भर में 5 लाख से अधिक खर्च नहीं होगा। इससे कुल

सप्लाई का सुगमता से पता लगाया जा सकेगा और दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जा सकेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री सत्य पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है । मेरे बोलने का मतलब माननीय मन्त्री जी की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन उनके विभाग की जितनी आलोचना की जाय उतनी कम है ।

जो माननीय सदस्य इस समय कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे । मैं निष्पक्षता के आधार पर अपने कुछ सुझाव मंत्री जी के सामने पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन में अनेकानेक विभाग हैं, सबका सम्बन्ध शहर और देहात से है । दूसरे विभाग ऐसे हैं जिसका डाइरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है । लेकिन बिजली विभाग ऐसा विभाग है कि जैसे ही बिजली जाती है अन्धेरा हो जाता है । बिजली दो-चार घण्टे के लिये ही नहीं बल्कि गांवों में तो दो-चार दिन के लिये गायब हो जाती है । तो सबसे ज्यादा प्रभाव बिजली विभाग का पड़ता है । उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा बिजली की समस्या बढ़ी हुई है उसके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि आप कुछ सुधार करने का प्रयास करें ।

मान्यवर, मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहला तो यह है कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उद्योग हैं, सिनेमा-हाल हैं, इनमें जो आपके मीटर रीडिंग की पद्धति है उनमें आप रीडिंग ट्रायवेक्टर मीटर - से कराते हैं । ट्रायवेक्टर मीटर पद्धति के माध्यम से जो रीडिंग होती है यह छोटे कर्मचारी नहीं करते हैं । बल्कि आपके एस0डी0ओ0, इंजीनियर या उच्च अधिकारी करते हैं । 38 सिनेमा हाल तो आपके लखनऊ में हैं और 50 के लगभग कानपुर में हैं । आप सिनेमा हालों को 12 घंटे बिजली देते हैं और उनका बिल 5 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा का नहीं होता है । दूसरी बात मैं कहूंगा कि विद्युत् विभाग का अरबों रुपया का घाटा हो रहा है यह सारा का सारा घाटा विद्युत् की चोरी के कारण हो रहा है । आपके अधिकारी चोरी कराते हैं । इस चोरी से पूंजीपतियों और इंजीनियरों को बड़ा लाभ पहुंच रहा है और आपका विद्युत् परिषद् खाकीन होता जा रहा है ।

दूसरा सुझाव है आपने विद्युत् की चोरी को पकड़ने के लिए कुछ छापामार दल बनाये हैं उसका काम यह है कि फर्जी कनेक्शनों को पकड़ना । फर्जी कनेक्शन जो पकड़े जाते हैं उन पर आप जो जुर्माना करते हैं वह है 10 हार्स पावर के कनेक्शन पर 1,000 रु0, 20 हार्स पावर के कनेक्शन पर 2,000 और 100 हार्स पावर के कनेक्शन पर 10,000 लेकिन अगर कहीं 100 हार्स पावर ऊपर चोरी का मामला होता है तो आप उस पर 100 रुपया जुर्माना करते हैं । यह बात सही है कि जो पूंजीपति है, उद्योगपति है उस पर जुर्माना तो आप 100 रुपया करते हैं और 10, 20, 100 हार्स पावर की चोरी करने वालों पर आप 1,000 2,000 और 10,000 रु0 जुर्माना करते हैं । इसको आप अपने उत्तर में स्पष्ट करें इस कानून को मैं समझ नहीं पाया हूं कि यह कैसा कानून है । अगर है तो इसका औचित्य क्या है ।

आपने उत्पादन और वितरण पद्धति को अलग कर दिया । उत्पादन निगम बनने के बाद भी प्रदेश का कुल उत्पादन अभी तक निगम के पास नहीं है बल्कि नये-नये थर्मल योजनाएं जैसे ऊंचाहार, आनपारा, टांडा व परीक्षा हैं जिनमें अभी क्षमता के हिसाब से उत्पादन होना शुरू तक नहीं हुआ है । उत्पादन के लिए जो मशीनें, जो प्लान्ट्स आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खराब पड़े हैं वह ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस उत्पादन निगम के माध्यम से आपने इस गरीब प्रदेश के लिए बहुत बड़ा घाटा पहुंचाया है वह घाटा यह है कि आपने बोर्ड में लगभग 46 एडीशनल चीफ, जोनल चीफ तथा चीफ इंजीनियर, पांच एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तथा 3 चेयरमैन बना दिये हैं। आपने जो इतनी सारी नियुक्तियां की हैं इससे आपके गरीब मुल्क पर बड़ा भारी असर पड़ रहा है।

जहां तक किसानों की बात है उसको आप 24 घंटे में केवल 5 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते हैं। लेकिन उस पर आप हार्सपावर 15 रुपये लेते हैं और जो बड़े पूंजीपति हैं वह जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको आप 12 घंटे बिजली देते हैं और उनसे 15 रुपये के बजाय 12 रुपया लिया जाता है।

अगर हरिजन कालोनी के अन्दर एक खम्भे को टच कर लिया तो कहते हैं कि हमने हरिजन कालोनी का विद्युतीकरण करा दिया। जो कनेक्शन इन्होंने ट्यूबवेल के लिए दिये हैं 5 सालों के अन्दर उसका रिकार्ड देखा जाय कि कितने कनेक्शन काट चुके हैं। लोग कनेक्शन लेते हैं, अपनी सिंचाई के लिये, लेकिन उसका चार्ज अधिक होने के कारण उसे कटवा देते हैं। मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि उन्नाव में 4 अप्रैल को विद्युत् संकट से मुक्ति हेतु यज्ञ किया गया और उसमें माननीय मंत्री जी शामिल हुये थे। जो बड़े 2 इन्जीनियर हैं वह लाखों रुपये की बेईमानी करते हैं और उनको आप पकड़ पाते हैं तो बिजली का संकट किस प्रकार दूर होगा, इसे आप दूर नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो बजट रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बिजली विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये आपका आभारी हूं और हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, वह कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करने के लिये रखा गया है। इसलिये यह स्वागत योग्य बजट है और इसका मैं स्वागत करता हूं।

मान्यवर, शतरुद्र जी ने जो यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको उन्होंने दिल से रखा है, उसको दिमाग से नहीं रखा है, लेकिन हमारे मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसको उन्होंने दिमाग से रखा है। जो कटौती का प्रस्ताव है, वह उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस देश की प्रगति के लिये यह जरूरी है कि दिमाग से काम लिया जाये और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाये। जितने प्रदेश के संसाधन हैं उन संसाधनों को अधिक से अधिक किस प्रकार से उपयोग किया जाये यही इस बजट की देन है। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है और हमारे संसाधन बहुत कम हैं, उन्ही संसाधनों में यह बजट तैयार किया गया है, यह स्वागत योग्य बजट है।

मान्यवर, बिजली एक ऐसी चीज है जिसका आज के युग में बड़ा महत्व है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो और चाहे आर्थिक विकास का कार्य हो या सामाजिक प्रगति का कोई कार्य हो, सभी जगह पर बिजली का बड़ा महत्व है और इन सब का आधार बिजली ही है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहता हूं कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी इस मद में 3440 करोड़ रुपया का प्राविधान सातवीं योजना में किया गया है। जिसमें से नये साल 85-86 के लिये 595 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राविधान है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 561 गावों का विद्युतीकरण किया जायेगा और अब तक 67,333 गावों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। हमारे कई साथियों ने दूसरे प्रदेश को

तुलना की, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन प्रदेशों के कुल गांव हमारे जिलों की आधी संख्या के बराबर बैठते हैं। मान्यवर, यह कोई औचित्य नहीं है कि हम उनसे अपना मुकाबला करें। अच्छाई का मुकाबला होना चाहियें, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन हम अपने आप को कुंठित कर लें और अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगें तो हमारे मन में हीन भावना आ जायेगी....

श्री सरदार सिंह--

क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि उनके गांव का क्या नाम है ?

श्री सुरेन्द्र कपिल--

जो राम सरन जी ने बताया है वही है....

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सरदार सिंह जी की बुद्धि का मेल नहीं है। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री ने जो टार्गेट रखा है कि हमें उसमें इतना पैसा लगाकर इतनी ऊर्जा पैदा करनी है वह एक वास्तव में सराहनीय कदम है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की चोरी हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम उनको सही तरीके से मीटर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जब हम उन्हें कनेक्शन नहीं दे पाते तो उनके लिये सबसे आसान तरीका यही होता है कि वे कंटिया डालकर बिजली की चोरी कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनको बिजली के कनेक्शन की सुविधा दी जाय। एक ही टेबुल पर जो एस्टीमेट जमा होता है और 25 रुपये की रसीद कटती है उसी जगह से उन्हें मीटर उपलब्ध होना चाहिए। यह व्यवस्था आज नहीं है इसी वजह से उन्हें चोरी करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के मीटर लगे होते हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होती है कि जिनके मीटर नहीं हैं उनको बिजली इस तरह से मिल रही है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत कनेक्शन दिये जांय और उनको मीटर दिये जांय। जिस तरह से ट्यूबवेल के लिये आपने बना रखा है कि एक-मुश्त पैसा रखा जायेगा उसी तरह से इसके लिये एकमुश्त फिक्स कर देना चाहिए। इस तरह से मैं समझता हूं कि मीटर की दिक्कत भी हमारे सामने नहीं आयेगी। इन शब्दों के साथ में दुबारा इन बजट प्रस्तावों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और भाई शतद्रु प्रकाश जी से कहूंगा कि वे अपनी हृदय विशालता का प्रमाण दें, और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। जय हिन्द।

श्री रघुवर दयाल शर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को गम्भीरता से सुनने के बाद में आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में भी कहा कि माननीय शतद्रु प्रकाश जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे वे सहमत नहीं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यदि और राज्यों से उत्तर प्रदेश की इस दिशा में तुलना की जाय कि यहां पर प्रति व्यक्ति बिजली की क्या खपत है तो हम सबसे नीचे चले जाते हैं। हमारे यहां और राज्यों का जो खपत का प्रतिशत है वह सबसे नीचे है। इसके साथ ही जब हम यह देखते हैं कि हमारे यहां प्रति यूनिट वसूली का रेट क्या है तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारा रेट सबसे आगे होता है। प्रति यूनिट रेट निर्धारित करने में हमारा प्रदेश सबसे आगे है।

जहां तक बिजली की छीजन की बात है, तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश सबसे आगे चला जाता है। कई राज्यों में बिजली पैदा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की छीजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब कहें तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दें। छीजन के मामले में जितनी बिजली यहां पैदा होती है, उसको यदि आपका विद्युत् परिषद् देखे तो मालूम हो जायेगा कि कौन-कौन लोग इसके दोषी हैं। कितनी बिजली की चोरी हुई, कितनी बिजली की छीजन हुई और कितना उत्पादन हुआ। चोरी का कितना आपने मा क रखा है इसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा कि कितनी बिजली आपके यहां चोरी होती है।

विद्युत् के बकाये के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 34 ऐसे बड़े उद्योग हैं, जिनके ऊपर 10 लाख की बड़ी-बड़ी रकम बकाया है। आपने बताया कि इतना करोड़ रुपया वसूल होना बाकी है। तो इसमें 10, 10 लाख से ज्यादा तीन बड़े उद्योगों पर बकाया राशि पड़ी है जिसमें मोदी, हिण्डालको और कनोडिया आदि हैं। जब कि बिलों पर स्पष्ट लिखा रहता है कि अमुक तारीख तक भुगतान करने पर 5 परसेंट की छूट मिलेगी, इसके बाद भुगतान न करने पर पूरी रकम जुर्माने के साथ देनी होगी और अगर फिर भी नहीं दिया गया तो कनेक्शन काट दिया जायेगा और बकाया रकम एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू के रूप में वसूल होगी।

मैं जानना चाहता हूं कि जो बिल व एग्रीमेंट के तहत शर्तें रखी गयी हैं उसके अनुसार इनसे बकाया वसूल न करने का क्या कारण है इन बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई। तो यह इस बात को साबित करता है कि आपने इन पूंजी-पतियों से इलेक्शन में चन्दा लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखे में रखा है। अगर किसानों पर 10 रु0 या दो रु0 का बकाया हो जाता है, यहां पर दो किसान मंत्री कृषि एवं खाद्य मंत्री बैठे हैं और माननीय हुकुम सिंह जी हमारे साथी बैठे हैं वह जानते हैं तो किसानों का कनेक्शन काट दिया जाता है और इस दो रुपये और 10 रुपये के लिये उसकी कुर्की हो जाती है। लेकिन इन बड़े उद्योगपतियों पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो यह सरकार कितनी निकम्मी इन उद्योगपतियों के सामने साबित हो रही है।

हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं हमारे फिरोजाबाद में सड़ामई गांव है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण दिखाया गया है लेकिन न वहां कोई बिजली का खंभा है और न बिजली ही है। एक गांव नगलाखना है वहां भी यही स्थिति है। इसी प्रकार बछगांव को 20 सूत्री कार्यक्रम में विद्युतीकृत दिखाया गया है। माननीय रिछारिया जी के सामने कांग्रेस पक्ष के लोगों ने कहा कि विद्युतीकृत नहीं किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो गांवों के विद्युतीकृत होने की सूची है वह भ्रमपूर्ण है और निराशाजनक है (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट अभी बाकी हैं। मैं फिरोजाबाद में जो कारखाने लगे हैं, उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। छोटे-छोटे कारखाने जिनमें दो हार्स पावर और ढाई हार्स पावर के कनेक्शन लगे हैं जिनमें मां, बेटी और बाप काम पर लगे हुए हैं उनको आधा घंटा बिजली मिलती है और फिर आधे घंटे के बाद बिजली चली जाती है।

इस प्रकार सैकड़ों आदमी आधे घंटे काम करता है और फिर आधे घंटे बैठा रहता है, जिससे लाखों की संख्या में आदमी सड़कों में घूम रहा

है और चिल्ला रहा है। कहीं भी आपको बिजली 12 घंटे, 10 घंटे या 8 घंटे नहीं पहुंचती है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं आप इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो विगत 3 महीनों में बिजली की खपत का फिरोजाबाद का सर्वे करे तो आपको पता चल जायेगा कि क्या स्थिति है। बिजली एक दिन में एक घंटा डेढ़ घंटा से ज्यादा नहीं दी जाती है जिसकी वजह से वहां का उद्योग चौपट हो गया है। सदन में बैठकर आप सवालों का जवाब कुछ भी दे दें और बजट में घोषणा कुछ भी कर दें लेकिन उसको पूरा करने की क्षमता आपकी नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी इंजीनियर आज सप्लाई में से उत्पादन में जाने के लिये तैयार नहीं है। आपको उत्पादन, वितरण और अनुरक्षण के लिए कैडर बेस बनाना पड़ेगा। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश की हालत को देखते हुए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और इसमें जो छोजन चल रहा है इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है केवल घोषणा करने से आपूर्ति नहीं हो जायेगी।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इस विद्युत् विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर कंट्रोल करने के लिये आपको विशेष दस्ता बनाना होगा वरना यह प्रदेश जहन्नुम में चला जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, पूर्वांचल के जिलों में जो ऊर्जा की समस्यायें हैं उनको बताना चाहता हूं, इसलिए मुझे बोलने का समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। मंत्री जी सभी माननीय सदस्यों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अब जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये हैं और जिन्होंने इसकी आलोचना की है उनको भी बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा, जिन्होंने प्रश्न उपस्थित किया सदन में, उनके सम्बन्ध में, समय थोड़ा है, इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं कि आंकड़े जो हैं वह शब्दों की अभिव्यक्ति अंकों के जरिये है, उनकी अभिव्यक्ति दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए। यदि हरियाणा, पंजाब, गुजरात के ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़े उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत करना है, तो संख्या को आधार नहीं मानना चाहिए बल्कि प्रतिशत को मानना चाहिए और यदि प्रतिशत को आधार मानेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले हरियाणा, पंजाब और गुजरात में 80 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है।

मान्यवर, एक बात और मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नम्बर हिन्दुस्तान में नंबर एक का आ जाये लेकिन यह अंध समर्थन से नहीं हो सकता है, इसके लिये हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत् का उत्पादन बढ़े, यहां की आर्थिक, औद्योगिक और कृषि की तरक्की हो लेकिन इसके लिए सही नीति आपको

अख्तियार करना होगा भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा और अपने को ही निष्पक्ष बनाना होगा और जब सरकार निष्पक्ष रहेगी, सही नीति पर चलेगी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कदम उठायेगी तब उत्तर प्रदेश तरक्की कर सकता है।

मान्यवर, जो श्री जयदीप सिंह बरार और श्री शफीकुर्रमान बर्क ने सुझाव दिये हैं उन पर शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल विद्युत् परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब यह अवधारणा स्पष्ट हो गई कि अगर तापीय विद्युत् उत्पादन करना है, तो वह महातापीय परियोजनाओं से होगा यानी आपको सुपर थर्मल पावर ही अब बनाने चाहिए। एक बात और भी है, अगर जलीय विद्युत् परियोजनाओं को आप आगे बढ़ायेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सामने दिक्कतें नहीं आयेंगी, जो ओबरा, हरदुआगंज और परीछा आदि में आपको देखने में आ रही हैं और जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि तापीय विद्युत् गृहों में आग लगती है? और क्या कारण है कि हिन्डालको और एन0 टी0 पी0 सी0 के थर्मल पावर विद्युत् गृहों में कभी आग नहीं लगती है। प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर हाउस में नहीं लगती है। सरकारी थर्मल पावर ही क्यों जल जाते हैं। सन् 83 में ओबरा में जो आग लगी थी, उसमें सी0 बी0 आई0 जांच किये जाने की सरकार ने घोषणा की थी? मैं जानना चाहता हूं कि उस सी0 बी0 आई0 की जांच रिपोर्ट में क्या आया है? वह रिपोर्ट सदन के सामने क्यों नहीं पेश की गई और उसमें जो दोषी हैं, जिनको मुअत्तल किया गया था, उनको बहाल करके क्यों उनके पदों पर रखा गया? इतना ही नहीं उनकी तरक्की भी कर दी गयी। वहां दुबारा फिर आग लग गई और इस बार जब मुख्य मंत्री जी वहां गये थे, तो उन्होंने ओबरा के बारे में वहां तीन बातें कहीं थीं—अनुशासनहीनता पराकाष्ठा पर है। मशीनों का रख रखाव ठीक नहीं है और जरूरत से ज्यादा वहां पर कर्मचारियों की संख्या है। तो यह आपकी सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा था। वह खुद कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता है, जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं और मशीनों का रखरखाव ठीक नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा और कौन इसको ठीक करेगा? अनुशासनहीनता कौन रोकेगा, वहां के कर्मचारियों को कौन अनुशासित और सीमित करेगा।

आप 1980 से 84 तक के आंकड़े देख लें, तापीय विद्युत् उत्पादन में जो कोयले और ईंधन यानी फरनेस आयल का इस्तेमाल किया गया है। मेरी निश्चित जानकारी है कि 4 हजार मिलियन यूनिट के हिसाब से 268 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसमें 134 करोड़ रुपया बच सकता था। अब एन0 टी0 पी0 सी0 में जाकर देखिए, 10 किलो लीटर पर मीलियन यूनिट उनका रह गया है। जो आपका मानक आया है तेल का वह 30 किलो लीटर पर मीलियन यूनिट है। इस तरह से आप देखें 134 करोड़ रुपया चार साल के अन्दर बर्बाद हो गया ज्यादा तेल मशीनों को पिलाने के लिए। यह मशीनें ज्यादा तेल क्यों पी रही हैं और आग क्यों लग रही है? अपने बगल में आप एन0 टी0 पी0 सी0 के पावर हाउस और हिन्डालको पावर हाउस को देखिए उसका उत्पादन 70 से 90 सैकड़ा तक जा रहा है। कभी आंकड़ों को जबरदस्ती सामने नहीं पेश करना चाहिए। इस आदत से मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं है।

अगर आप सही-सही अपनी कमजोरी को जनता के सामने रख देंगे तो आपकी आलोचना नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे 10 घंटा और देंगे 4 घंटा, तो अवश्य आलोचना होगी। आपका जो उत्पादन होता है, उसके आंकड़े साफ होने चाहिए और वह सफाई से सामने रखे जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में सब इंजीनियर भ्रष्ट

नहीं हैं। ऐसे अच्छे अभियन्ता भी हैं जो दुनिया में हिन्दुस्तान की नाक ऊंची कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इससे अच्छे और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिर जाएगा, वह उत्पादन नहीं कर पायेंगे।

माननीय राणा साहब बता रहे थे कि मेरठ में एक ऐसे इंजीनियर हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है, वह आगरे में भी थे, उनकी तरक्की कर दी गयी है। तो ऐसे न जाने कितने इंजीनियर हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी बेईमानों की फौज को बढ़ाता है वह कतई किसी माने में ईमानदार नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हैं तो बेईमान अधिकारियों के खिलाफ, बगैर किसी पक्षपात के, सख्ती से उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्य के पालन से विमुख होते हैं।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह 7वीं योजना का प्रारूप है। यह प्रथम संस्करण है, इसमें साफ तौर पर लिखा है, अंग्रेजी में है, श्रीमन् मैं इसको न पढ़ करके इसका अर्थ बताये देता हूं। निजी विद्युत् गृह बनाने की सरकार ने घोषणा की थी। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थे और उसके बाद माननीय श्रीपति मिश्र, मुख्य मंत्री हुये, दोनों मुख्य मंत्री एक ही पार्टी के थे और आज जो सरकार है वह भी उसी पार्टी की है और दिल्ली में जो सरकार है वह भी उसी पार्टी की है, तो 7वीं योजना के प्रारूप में अपने केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया है कि यहां पर चूंकि हमारे पास धनराशि का अभाव हमारे पास और चीजों का अभाव है जितनी विद्युत् की आवश्यकता है उतनी उत्पादन क्षमता हम विकसित नहीं कर सकते हैं इसलिए जरूरी है कि यहां पर निजी क्षेत्र में बिजली घर खोले जायं। तो क्या कारण है कि यह वायदा पूरा नहीं हुआ।

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह केन्द्र में मंत्री हैं, संसद सदस्य, श्रीपति मिश्रा जी हो गये हैं तो आपकी सरकार को उन्हीं के वायदों को पूरा करने के लिये वचनबद्ध होना चाहिये था। क्या कारण है कि दो-दो मुख्य मंत्रियों की घोषणा के बावजूद भी श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली घर नहीं खोल पा रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी नौकरशाही का कोई शिकंजा आ गया है इसमें? मैं वकालत नहीं करता निजी क्षेत्र की लेकिन साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब सारे दरवाजे बन्द हो जायं, जब पब्लिक सेक्टर असफल हो जाय तो प्रयोग के तौर पर निजी क्षेत्र का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। अगर आपकी सरकार पिछले दो-दो मुख्य मन्त्रियों के वायदे का सम्मान नहीं करती है तो आगे आने वाली सरकार आपके वायदों का सम्मान नहीं करेगी, इस बात का ख्याल रखियेगा।

मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह प्रदेश के विकास के हित को ध्यान में रखकर रखा है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अगर सचमुच इस प्रदेश का विकास करना चाहती है तो अपनी ऊर्जा नीति घोषित करें, ऊर्जा नीति को संतुलित करिए और सही दिशा में ले जाइये। हमारी तमन्ना है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नम्बर वन का सूबा बन जाय और इस हसरत तमन्ना को लेकर हमने आपकी आलोचना की है, इससे आपको कुछ मदद मिलेगी, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मेरे काबिल मित्र माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो अपनी भावनायें सदन के सामने रखीं और साथ ही साथ जो हमारे अन्य माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपने सुझाव यहां पर प्रस्तुत किए, उसके लिए मैं सबका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, शतरुद्र जी और

हमारे सामने जो माननीय सदस्य हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि--

"यूं तो वह मेरी हर बात का
एतबार करते हैं,
यूं ही कभी मजबूरन वह एतबारी
का दिखावा करते हैं।"

श्रीमन्, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि कटौती के प्रस्ताव पर जिन सदस्यों ने उसका समर्थन किया, उन्होंने हृदय से सुझाव भी यहां प्रस्तुत किए जिससे कि हम उन सुझावों से लाभ उठा सकें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हर व्यक्ति इस बात को समझता है, इस बात को एहसास करता है इस बात को महसूस करता है कि अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो हमें प्राथमिकता देनी होगी विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और जैसा हमारे शतरुद्र जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अधिक आंकड़ों के बारे में कोई और अधिक जानकारी दूं। क्योंकि उन्होंने उन प्रदेशों का जिक्र किया जहां पर जो टैरिफ है, जो बिल है, वह कम है और हमारे प्रदेश में ज्यादा है। उन्होंने उन प्रदेशों को छोड़ दिया, जहां पर कृषि उद्योगों की बात हो या अन्य उद्योगों की बात हो, वहां की जो टैरिफ है, जो दर है, बहुत अधिक है। जो इन्होंने औसत खपत की बात कही कि हमारा राष्ट्रीय औसत 145 का है, ठीक है, मैं मानता हूं, गुजरात में 252 और हरियाणा में 256 का है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल प्रदेश को देखते हुए जहां क जनसंख्या 12 करोड़ के करीब है, यहां पर 106 की खपत कोई कम खपत नहीं है।

मैं यह नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जैसा मैंने शुरू में कहा है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है। प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाना है। इसी के कारण हमने 147 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सभी पुरानी मशीनों का, जो तीनों पावर हाउसेज ओबरा, पनकी और हरदुआगंज में लगी हैं और जिनकी संख्या 27 है, उनका नवीनीकरण करेंगे। इनका नवीनीकरण इसलिए करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर है, उसको हम बढ़ा सकें और उन मशीनों से अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे कि विद्युत की मांग पूरी कर सकें और अपने उपभोक्ताओं को राहत दे सकें।

जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि 30-32 प्रतिशत हमारा लोड फैक्टर है, 520 मेगावाट की जो मशीनें हमारी जल गई थीं, जो सबको इसकी जानकारी है, उसको शामिल करके उसको भी क्षमता में जोड़कर प्लांट लोड फैक्टर में निकालें तो सही नहीं है। जो मशीनें जल गई हैं उनको अलग करके 42.5 प्रतिशत हमारा प्लांट लोड फैक्टर है। यह लक्ष्य अपना इस 42.5 पर नहीं जोड़ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र का औसत है, हम चाहते हैं कि उस औसत तक हम पहुंचें। जो माननीय सदस्य ने आज ऊर्जा विभाग के बजट के अवसर पर सुझाव दिया है, उसको सामने रखते हुए जो हमने कदम उठाया है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एक दिन हम इस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे।

हमारे माननीय रेवती रमण जी ने कहा कि शायद नवम्बर में फिर कटौती करनी पड़े। मैंने कहा कि हर महीने हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अपना प्लांट लोड फैक्टर बढ़ायें, उत्पादन को बढ़ायें क्योंकि हमारा नवीनीकरण का कार्य पूरा हो जायेगा तो हमारा प्लांट लोड फैक्टर, हमें आशा है कि बढ़ जायेगा और 50 प्रतिशत से अधिक पहुंच जायेंगे। हम गम्भीरता के साथ कह सकते हैं कि मार्च से कटौती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी गर्मी अच्छी तरह से बीतेगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी मशीनों को ठीक करें। इस समय रिहंद का जल स्तर भी 842 फीट के पास तक पहुंच गया है। तो हम लोग

कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के हाथ में तो है नहीं कि कब वह भरे और लेवल में हो। अगर उस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो यह हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम एक जलीय विद्युत् का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं हम तापीय विद्युत् गृहों में भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहां का उत्पादन बढ़े। विद्युत् का उत्पादन प्रदेश में बढ़े।

जहां तक लाइन लासेज का सवाल है, योजना आयोग को जो रिपोर्ट होती है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हम लोगों के यहां भेजी है। इस तरह उन्होंने जो अध्ययन किया, उसके अनुसार ट्रांसमीशन लासेज हमारे यहां 19 प्रतिशत है। कर्नाटक में बल्क कन्ज्यूमर है, उसका जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि बल्क कन्ज्यूमर को बड़ी मात्रा में बिजली की आपूर्ति की जाती है। जो कर्नाटक में बिजली की आपूर्ति की जाती है, उसका 54 परसेन्ट बल्क कन्ज्यूमर को दी जाती है और वहां जो लाइन लासेज है, वह 24 प्रतिशत है। श्रीमन्, राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत का है, हम 19 प्रतिशत पर हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारा ट्रांसमीशन लासेज 15 प्रतिशत तक हो जाये, तो हम कहना चाहते हैं कि हम ट्रांसमीशन लासेज को घटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि 16–17 प्रतिशत के बीच हम आ जाएं।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि विद्युत् की मांगें बढ़ रही हैं और विद्युत् का उत्पादन उस तरह से नहीं हो रहा है, जिस तरह से होना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सात हजार मिलियन यूनिट की कमी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि सिंगरौली थर्मल पावर में एक हजार क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ जो रिहन्द पावर स्टेशन है, उसमें भी एक हजार मेगावाट क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगा विशेष तौर से, हमारे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमने अभियन्ता बढ़ा दिए और मुख्य अभियन्ता बढ़ा दिए और हमारा जो पुनर्गठन हुआ है, उससे लाभ होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, पुनर्गठन एक उद्देश्य से किया गया था कि किस तरह से हम छोटे से छोटे अधिकारी छोटे से छोटे कर्मचारी पर उत्तर-दायित्व सौंपे, जिम्मेदारी सौंपें। जहां तक मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के सवाल हैं, यह जगहें कई वर्षों से खाली चली आ रही थीं और सीनियरिटी के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा था, अब उसमें फैसला हुआ है और इंजीनियरों को पदोन्नत किया गया तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई। इसमें कोई अतिरिक्त पद सृजन नहीं किया गया कि जिसको चाहा उसको कर दिया। जगहें थीं, एडीशनल चीफ इंजीनियर और मुख्य अभियन्ता नियुक्त कर दिये गये।

इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूंगा, हमारे काबिल सदस्य माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा 3 हजार 440 करोड़ रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप प्राप्त करने जा रहे हैं और उसके विपरीत केवल 16 सौ मेगावाट की क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेनरेटिंग स्टेशन है, जनरेशन, ट्रान्समिशन, पारेषण और वितरण पर 4 हजार 938 रुपये के खर्च पर किलोवाट छठीं पंच वर्षीय योजना में था। यह बढ़ कर 7 हजार 800 रुपये पर किलोवाट हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो धनराशि उपलब्ध हो रही है, उसका सही प्रयोग करके अधिक से अधिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ति में सफलता मिले।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आप के सहयोग की आवश्यकता है

की हर तरह से सहयोग की आवश्यकता उर्जा विभाग को है। जैसा माननीय सत्य पाल सिंह ने कहा दो मिनट, दो दिन या 30 सेकेन्ड के लिये भी बिजली बन्द हो जाती है, तो बिजली की आलोचना की जाती है कि बिजली की आपूर्ति सही नहीं है। आज विद्युत् की मांग को पूरी मात्रा में आपूर्ति करनी है, तो हर वर्ग को पूरा-पूरा सहयोग देना होगा। जिससे प्रगति की ओर हम बढ़े और अपने प्रदेश को जैसे शतरुद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश का हम देश में प्रथम स्थान बना सके। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा, जो बातें क्षेत्र के बारे में कही गई हैं, माननीय सदस्य ने फिरोजाबाद के बारे में कहा, प्रश्नों के माध्यम से भी उन्होंने पूछा था जिसके उपरान्त सदस्य वितरण को मैंने निर्देश दिया था कि जानकारी प्राप्त करें। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि फिरोजाबाद में क्या हुआ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मैंने भी प्रश्न किया था और अपने उत्तर में कहा कि जांच के निष्कर्ष के अनुसार श्री पी0 के0 गोयल, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, ए0 एन0 गुप्ता, ए0 सी0 भार्गव, अधिशासी अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी। उसी बेईमान पी0 के0 गोयल को आपने मुख्य अभियन्ता बना दिया।

(शेम-शेम की आवाज)

ए0 एन0 गुप्ता ने 18 साल तक नौकरी की और 18 साल आगरा में बना रहा, वह वहीं का रहने वाला है। जब उसकी सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई तो उसमें लिखा था पोस्ट सेक्शन एक्स व्हेयर। लेकिन यह आगरा में रहा। जब आप जैसा आदमी ऐसे बेईमान आदमी को मुख्य अभियन्ता बना देंगे हम शिकायत करने किसके पास जायेंगे ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुनील शास्त्री—

जो माननीय सदस्य ने कहा मैं दिखवा लूंगा। ऐसी शिकायत नहीं रहेगी, इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा—

उस बेईमान को चीफ इंजीनियर बना दिया।

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, मैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि चूंकि दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के सुझावों का जिक्र किया कि ग्रामीण अंचल में जो विद्युत् आपूर्ति की जाती है, उसमें हम जो घोषणा करते हैं कि 5 घंटे, 7 घंटे या 10 घंटे की, वहां पूरी मात्रा में विद्युत् आपूर्ति नहीं होती है। श्रीमन्, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी मैंने स्पष्ट किया था और फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि एक हजार के लगभग हमारे पास 33/11, के0 वी0 के सब-स्टेशन हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण अंचलों में, बल्कि सभी ग्रामीण आपूर्ति उन्हीं के माध्यम से होती है निरन्तर हमारे ग्रामीण अंचलों में भी कनेक्शन लोड बढ़ रहा है। विद्युत् की मांग बढ़ रही है, राजकीय नलकूपों का निर्माण हो रहा है। कृषक अपने प्राइवेट ट्यूबवेल बना रहे हैं। विद्युत् की मांग बढ़ रही है हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो हमारे सब-स्टेशन ग्रामीण अंचलों में आपूर्ति करते हैं, उनका सर्वेक्षण करके कि कहां-कहां हमारा लोड बढ़ा है और किस तरह से उप केन्द्रों की क्षमता बढ़ाकर विद्युत् की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस कार्य को सदस्य, वितरण ने अपने हाथ में लिया है। हम इसको देख रहे हैं।

मैं बताना चाहूंगा कि जैसा यहां पर हमने कहा कि लगभग 300-400

सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ायी जा रही है, लेकिन एक हजार की संख्या काफी बड़ी है और उसके लिये काफी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिये हमने धनराशि अलग की है और प्रयास कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों को पहले लें जहां विद्युत् आपूर्ति ठीक नहीं हो रही है। इस प्रकार ग्रामीण अंचलों में भी विद्युत आपूर्ति पूरी मात्रा में की जाय, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। सब-स्टेशन बढ़ा रहे हैं और नये सब स्टेशनों का निर्माण भी कर रहे हैं। इन बातों को माननीय सदस्यों के समक्ष इसलिये रखा कि कठिनाई तो है। मैं इस बात को इन्कार नहीं कर रहा हूं। श्रीमन्, यही बात है कि ग्रामीण विद्युत् आपूर्ति की हम घोषणा करते हैं और उसके विपरीत बहुत सी ऐसी जगह जहां पर सब-स्टेशन ओवर लोड होने की वजह से ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं और विद्युत् आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिये। हम उन स्टेशनों को देख रहे हैं और उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। ताकि सभी किसान भाइयों को, अपनी घोषणा के अनुसार हम विद्युत आपूर्ति कर सकें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मेरा विनम्र निवेदन है कि विद्युत् के महत्व को देखते हुए कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। उन्होंने जिन आंकड़ों का जिक्र किया है, मैं नहीं जानता कि वे जनता सरकार में मंत्री थे या नहीं, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी है उसका बहुत ही उपयोग हो सकेगा। मैं कहना चाहूंगा कि कटौती के इस प्रस्ताव को वापस ले लें और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के इस बजट का समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रान्समिशन की चोरी का जो 19 प्रतिशत है उसे घटाकर 17 परसेन्ट ला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 10 परसेंट चोरी है। आप बड़े उपभोक्ताओं की बात कर रहे थे लेकिन अब चोरी गांव में प्रमुख लोग कर रहे हैं, किन्तु कर्मचारियों की साजिश से। मैं निवेदन करूंगा कि जहां विद्युत की चोरी पकड़ी जाय, वहां के अभियन्ता गण को उत्तरदायी बनाया जाय। अभियन्तागण पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें दण्डित किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो विद्युत परिषद् का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, तीन भाग में, पूर्व, मध्य और पश्चिम में कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रस्ताव है कि पूर्व क्षेत्र का मुख्यालय लखनऊ ही होगा। मेरी जानकारी है कि मुख्यालय लखनऊ करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय बनारस और पश्चिम का अलीगढ़ होना चाहिये।

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा कि चोरी पकड़ी जाय तो किसी को भी चोरी पकड़े जाने पर जो भी अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध कोई ढिलाई नहीं की जाती है। कड़ी कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार विद्युत विभाग का जो सतर्कता विभाग है आई० जी० पुलिस के तहत उसके द्वारा समय-समय पर हर जगह 17 स्क्वाड रेड करते हैं और चोरी पकड़ी जाती है। जो आपने मुख्य अभियन्ताओं की बात कही तो उस पर फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपकी बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम लोग अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यह जो 50 रु० फी हार्स पावर

किसानों से जमा कराया जा रहा है यह केवल मेरठ डिवीजन में ही हो रहा है या पूरे प्रदेश में ?

श्री सुनील शास्त्री--

इसकी जानकारी की आवश्यकता होगी ।

श्री गौरी शंकर भइया--

क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में बलिया और देवरिया की सरहद पर बेल्थरा रोड पर कोई ताप विद्युत गृह स्थापित करने का सुझाव दिया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

अभी ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसको हम अवश्य पूर्ति करेंगे । राज्य विद्युत परिषद् की जिम्मेदारी एक कर्मठ व्यक्ति के हाथों में सौंपी है और मुझे विश्वास है कि जो इसका आदर्श है--"तमसो मा ज्योतिर्गमय" हमारे अधिकारी कर्मचारी कृत संकल्प हैं और हम लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,71,71,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दिनांक 2-8-85 को निर्धारित, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को स्थगित करके दूसरे दिन लिए जाने के सम्बन्ध में सदन की सहमति

श्री अधिष्ठाता--

सदन से सहमति लेनी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग विधेयक जो दिनांक 2-8-85 को निर्धारित है, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता जनता पार्टी ने आग्रह किया है कि विशेष परिस्थितियों में वह उस दिन के लिए स्थगित किया जाय । माननीय सदन सहमत हो तो उसे दूसरे दिन के लिए रख दिया जाय ।

(सदन ने अपनी सहमति प्रकट की ।)

प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या-13 को माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने स्थगित कराने के लिए आदरणीय सदन से सहमति मांगी है, अगर आप सब सहमत हों तो इसे अगले दिन के लिए रख दिया जाय ।

(सदन ने सहमति व्यक्त की)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री सुन्दर लाल और श्री राम सरन जी की सूचना जो चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों का आरक्षण की नीति न अपनाने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है, शेष को अस्वीकार किया है।

मेरठ मण्डल में पायरिला के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता---

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

[1--पायरिला कीट गन्ना तथा अन्य फसलों का एक भयंकर हानिकारक कीट है। यह पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। इस कीट के जीवन चक्र के अनुसार एक वर्ष में लगभग चार पीढ़ियां होती हैं।

2--इस कीट का मध्यम/गम्भीर रूप से प्रकोप सितम्बर, 1984 में मेरठ जिले के कुछ स्थानों पर देखा गया। सर्वेक्षणोपरान्त यह पाया कि उस समय मेरठ जिले में लगभग 1,000 एकड़ गन्ना इस कीट से गम्भीर रूप से प्रभावित था। इसमें से 300 एकड़ में बी0 एच0 सी0 10 प्रतिशत धूल का छिड़काव करके नियंत्रित किया गया। शेष 700 एकड़ में पायरिला परजीवी "इकीपाइराप्स" के अंडे, निम्फ व व्योय की अतिक्रमता पायरिला को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी और जहां इसमें कमी देखी गयी वहां आवश्यक मात्रा में परजीवी छोड़े गये। इस प्रकार गन्ना पर हुए प्रारम्भिक आच्छादन पर अक्तूबर 1984 में ही नियंत्रण का पूर्ण प्रयास किया गया। इसके बाद गन्ने की फसल कटकर चीनी मिलों में पेराई के लिए जाने लगी।

3--इस कीट का प्रकोप पुनः मार्च, 1985 में गन्ने की फसल पर दिखायी दिया जब गेहूं की फसल की कटाई आरम्भ हुई। तदोपरान्त प्रभावित क्षेत्र का सर्वे भारत सरकार, राज्य सरकार, गन्ना विकास विभाग एवं कृषि विभाग के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की संयुक्त सर्वे टीमों द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में इस कीट का प्रकोप मेरठ एवं मुरादाबाद मंडल में तथा बरेली व नैनीताल जनपदों में पाया गया। इसके पश्चात् अन्य जिलों में भी इस कीट का प्रकोप पाया जाने लगा। अन्ततः देश के 24 जनपदों में इसका प्रभाव मुख्य रूप से परिलक्षित हुआ। इन जिलों में अनुमानतः 28,41,978 एकड़ गन्ना क्षेत्रफल में से लगभग 11,69,821 एकड़ क्षेत्रफल पायरिला से प्रभावित पाया गया जिसमें से 9,04 507 एकड़ क्षेत्रफल में प्रकोप मध्यम से गम्भीर रूप में था। जहां तक मेरठ मण्डल का प्रश्न है, उसके पांच जिलों में प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 5.89 लाख एकड़ था जिसमें से 4.83 लाख एकड़ में प्रकोप मध्यम/गम्भीर रूप में पाया गया। पायरिला कीट से प्रभावित क्षेत्र का जिलेवार विवरण संलग्न सूची† में उल्लिखित है।

4--पायरिला कीट से अधिक प्रभावित क्षेत्र को "उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, 1954" के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा मेरठ मण्डल के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†(देखिए नत्थी ञ आगे पृष्ठ 200 पर)।

जनपदों को अप्रैल, 1985 में ही महामारी से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मेरठ मण्डल के अतिरिक्त अन्य जनपदों, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं तथा बिजनौर म भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

5—पायरिला का नियंत्रण निम्न विधियों द्वारा किया जा रहा है :

(1) यांत्रिक विधि,

(2) जैविक विधि, तथा

(3) रसायनिक विधि।

यांत्रिक विधि के अन्तर्गत पायरिला कीट से ग्रसित पत्तियों को तोड़कर एकत्रित करके जला दिया जाता है।

जैविक विधि के अन्तर्गत पायरिला कीट का नियंत्रण परजीवी द्वारा होता है। इसका मुख्य परजीवी "इपीपाइराप्स" है। इसकी क्रियाशीलता मुख्यतः अगस्त से अक्तूबर तक रहती है। इस समय मु0 नगर में करीब 60,000 एकड़ से अधिक गन्ना क्षेत्रफल परजीवी से नियंत्रित किया जा चुका है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर इत्यादि में भी इसकी तीव्र संभावनायें हैं। परजीवी की अनुपस्थिति में रसायनिक विधि द्वारा पायरिला नियंत्रण किया जाता है।

रसायनिक विधि के अन्तर्गत विभिन्न कीटनाशकों द्वारा धूलीकरण अथवा छिड़काव कृषि रक्षा यंत्रों द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर एवं भारत सरकार के वैज्ञानिकों के परामर्श से उपयुक्त कीट नाशक दवायें जैसे बी0 एच0 सी0 धूल 10 प्रतिशत, फास्फोमीडान 85 प्रतिशत, डब्लू0 एस0 सी0, इन्डोसल्फान 35 प्रतिशत इ0 सी0 आदि का निर्धारित मात्रा के अनुसार धूलीकरण एवं छिड़काव कराया गया।

6—स्थलीय विधि से रसायनों के धूलीकरण एवं छिड़काव कराने के उद्देश्य से गन्ना विभाग द्वारा टोलियों का गठन किया गया तथा विभिन्न स्रोतों से कृषि रक्षा उपकरण प्राप्त किये गये। संस्तुत रसायनों की आपूर्ति भी समय से विभिन्न स्थानों पर करायी गयी। तद्नुसार अभियान के रूप में नियंत्रण कार्य माह अप्रैल, 1985 में ही प्रारम्भ कर दिया गया था, जो अभी तक जारी है। इस अभियान के आकार का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शीर्ष अवधि में लगभग 1300 टोलियों द्वारा 10,000 के ऊपर मशीनों का प्रयोग करके 22,000 एकड़ से अधिक का दैनिक छिड़काव किया गया। साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का उपयुक्त मात्रा में सही विधि से प्रयोग तथा सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में हैण्डबिल्स, समाचार-पत्रों, रेडियो आदि जैसे प्रचार माध्यमों से विस्तृत प्रचार करके, न केवल किसानों को सही तकनीकी जानकारी दी गई, बल्कि उनका सहयोग भी प्राप्त किया गया।

7—उक्त अभियान के संचालन हेतु सम्बन्धित जिलों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये, जिनका सम्पर्क मुरादाबाद तथा मेरठ में स्थापित क्षेत्रीय कन्ट्रोल रूम से निरन्तर बना रहता है। दोनों क्षेत्रीय कन्ट्रोल रूम के माध्यम से लखनऊ मुख्यालय पर स्थित कन्ट्रोल रूम तथा भारत सरकार के अधिकारियों को प्रगति एवं अन्य समस्याओं की सूचना भेजकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।

8—नियंत्रण कार्यवाही के फलस्वरूप अद्यावधिक सूचना के अनुसार प्रदेश में पायरिला से प्रभावित कुल गन्ना क्षेत्रफल 11,69,821.14 एकड़ में से 11,23,550.59 एकड़ स्थलीय विधि से धूलीकरण/छिड़काव करके नियंत्रित किया जा चुका है। लगभग सभी प्रभावित जनपदों में मध्यम/गम्भीर रूप से ग्रसित क्षेत्रों में नियंत्रण कार्य पूरा कर लिया गया है। जनपदवार नियंत्रित क्षेत्रफल का विवरण संलग्न तालिका† में उल्लिखित है।

†(देखिए नत्थी का आगे पृष्ठ 200 पर)।

9—पायरिला कीट के नियंत्रण कार्य का व्यय गन्ना विभाग की दो योजनाओं के अन्तर्गत वहन किया जा रहा है। प्रारम्भ में "चीनी मिलों के 16 कि0 मी0 परिधि क्षेत्र में समान गन्ना विकास की योजना", जिस पर होने वाले व्यय का 20 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन किया जाता है, के अन्तर्गत पेड़ी गन्ना की फसल पर यूरिया के साथ कीटनाशक दवा के घोल का छिड़काव किया गया। परन्तु यह एक सीमित योजना है। मुख्यतः नियंत्रण कार्य "स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ना कीट के नियंत्रण की योजना" के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसमें होने वाले सम्पूर्ण व्यय पर अनुसूचित जाति/जन जाति व लघु/सीमान्त कृषकों के क्षेत्रों में 33 1/3 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शासन द्वारा सहायक अनुदान दिया जाता है। शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि लाभार्थियों (कृषक परिषद् एवं चीनी मिल) द्वारा वहन किया जाता है। अनुमान है कि इस समय की नियंत्रण कार्यवाही पर लगभग दो करोड़ रुपये व्यय होगा जिसमें लगभग 50 लाख रुपये शासन द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार से एक करोड़ रुपये वित्तीय सहायता मांगी गयी है ताकि कृषकों का व्यय भार और कम हो सके।

10—गन्ना के अतिरिक्त अन्य कृषि फसलों का लगभग 50 हजार एकड़, जिसमें चारे की फसल सम्मिलित है, भी पायरिला से प्रभावित हैं। चारे के सम्बन्ध में विषम स्थिति यह है कि उन पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने से वह पशुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः चारे की फसलों की शीघ्रातिशीघ्र कटाई कराने का परामर्श दिया जा रहा है।

11—पायरिला कीट नियंत्रण की कार्यवाही भारत सरकार के अधिकारियों के पूर्ण सहयोग व सक्रिय मार्गदर्शन द्वारा सम्पादित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नयी दिल्ली में दिनांक 19 व 27 अप्रैल, 1985 13 व 29 मई, 1985 एवं 3 जुलाई, 1985 में बैठकें आयोजित की गयी जिसमें राज्य सरकार, गन्ना विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन मीटिंगों में पायरिला कीट के प्रकोप एवं उसके नियंत्रण की कार्यवाही की स्थिति पर समीक्षा की गयी तथा अभियान के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। दिनांक 6 जुलाई, 1985 को लखनऊ में भी एक समीक्षा बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 के कक्ष में हुई थी जिसमें भारत सरकार के अपर कृषि सचिव ने भाग लिया।

12—हवाई छिड़काव द्वारा पायरिला नियंत्रण की सम्भावनाओं पर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भारत सरकार द्वारा आयोजित उक्त बैठकों में प्राप्त किया जाता रहा। यद्यपि पहले यह निर्णय ले लिया गया था कि कुछ क्षेत्रों में प्रायोगिक हवाई छिड़काव करके उसकी उपयोगिता देखी जाय और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गयी थी, परन्तु उसके बाद सफदरजंग हवाई अड्डे पर कृषि विमानन निदेशालय द्वारा किया गया प्रयोगिक "ड्रापलेट" टेस्ट असफल रहा। इसके अतिरिक्त सभी अन्य परिस्थितियों पर विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकला कि निम्न कारणों से हवाई छिड़काव की सफलता संदिग्ध रहेगी :

(क) गन्ने की फसल की ऊंचाई कम होना।

(ख) निम्फ का पत्तियों की निचली सतह पर होना।

(ग) गन्ने के खेत बिखरे हुये होना।

(घ) हवाओं की तीव्र रफ्तार

(ट) अधिक तापमान के कारण "ड्रापलेट" का जमीन पर न पहुंच पाना ।

13—पायरिला प्रकोप के नियंत्रण के अभियान में प्रयुक्त रसायनिक गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है । गन्ना आयुक्त मुख्यालय पर गठित क्रय समिति द्वारा परीक्षण करके अधिकारियों द्वारा संस्तुत मात्रा की पूर्ति गन्ना समितियों को उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ के माध्यम से करायी गयी । उन्हीं रसायन निर्माताओं को पूर्ति आदेश दिये गये जो आई0 एस0 आई0 मार्कयुक्त व उद्योग निदेशक के रेट कन्ट्रेक्ट पर पंजीकृत थे । यद्यपि दवाओं के भेजे जाने के पूर्व व प्राप्त होने के बाद नमूने लिये जाने की व्यवस्था है, फिर भी गन्ना विकास विभाग द्वारा अभियान चला कर नियंत्रण कार्यवाही के दौरान कीटनाशकों की व्यापक टेस्ट चेकिंग भी की गयी । अभी तक प्रयोगशालाओं से प्राप्त परिणामों के अनुसार तीन निर्माताओं के नमूने अधोमानक पाये गये । इन निर्माताओं के विरुद्ध गन्ना विभाग द्वारा संबंधित करने पर उद्योग निदेशक तथा कृषि निदेशक द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है । अधोमानक रसायनों का प्रयोग तुरन्त बन्द कर दिया गया तथा उनका मूल्य भुगतान भी अगले आदेशों तक के लिए रोक दिया गया है । अधोमानक रसायन निर्माताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु भारतीय मानक संस्थान, नयी दिल्ली को भी लिखा गया है ।

14—जहां तक पायरिला प्रकोप से गन्ने की फसल को अब तक हुई सम्भावित हानि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक गन्ने की फसल वानस्पतिक वृद्धि के काल में प्रारम्भिक अवस्था में थी और इसलिए इस प्रकोप का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । परन्तु इस दिशा में निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में स्थिति के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मालूम हो गया था, सितम्बर, 1984 में कि गन्ने में पायरिला लगा हुआ है । उन्होंने कहा कि उस वक्त उस पर छिड़काव किया गया । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त ऐसी स्थिति में होता है, खासकर पश्चिमी क्षेत्र में नीचे गोला होता है और गन्ना ऊपर होता है, छिड़काव की बात निराधार है । मैं समझता था कि इसके लिए गन्ना विभाग ही दोषी है लेकिन अब मालूम हुआ कि कृषि विभाग भी इसके लिए कम दोषी नहीं है । सितम्बर में जिस समय पायरिला लगा गन्ने पर, उस वक्त रबी की फसल बोई जाती है चना, गेहूं, जौ, इन सब पर पायरिला लग गया था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री भोपाल सिंह—

सितम्बर में जब रबी की फसल बोई गई तो क्या उसे पायरिला से बचाने के लिए छिड़काव का इन्तजाम किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, किसी सम्मानित सदस्य को यदि कोई और प्रश्न पूछना है तो वह पूछ लें । मैं सबका उत्तर एक साथ दे दूंगा ।

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह जो वक्तव्य है यह अपने आप में स्पष्ट है और सारा विवरण इसमें दिया हुआ है । भोपाल सिंह जी ने यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा कि सितम्बर में जानकारी हुई तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई, तो जैसे ही जानकारी हुई उसी समय से कार्यवाही प्रारम्भ की गई और पूरे तौर पर युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई, ऐसा नहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसका पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है।

श्री भोपाल सिंह--

रबी की फसल में, गेहूं में, जिसमें इसकी व्यवस्था की गई, बिल्कुल जिक्र नहीं है और न ही की गई है। रबी की फसल सितम्बर के महीने से बोना शुरू हो जाती है और कहा कि अप्रैल में फिर पता चला, तो इसके बीच में क्या व्यवस्था की गई, यह बतायें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे ही जानकारी मिली इसकी व्यवस्था की गई और वह व्यवस्था पूरे तौर पर की गई, युद्ध स्तर पर की गई, उसका सारा विवरण इसमें दिया हुआ है, कहें तो...

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

जो वक्तव्य है, उसके पैरा 3 में साफ लिखा है कि इस कीट का प्रकोप मार्च, 1985 में गन्ने की फसल पर दिखाई दिया जब गेहूं की फसल की कटाई आरम्भ हुई। आप गन्ना मन्त्री तो हैं नहीं, खेती मिनिस्टर हैं, जब पायरिला पैदा हुआ गेहूं में तो इसका छिड़काव करवाया गया, यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि वही पायरिला जवान होकर गन्ने की फसल में घुस गया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह जो हमारे मित्र राम सरन दास जी हैं, ने मार्च की बात कही और गेहूं में छिड़काव क्यों नहीं कराया गया, तो यह जो कीट है यह मूल रूप से गन्ने का है, गेहूं या दूसरी फसल पर इसका प्रभाव नहीं होता। इसका प्रभाव गन्ने पर होता है और जैसे ही गन्ने पर इसका प्रभाव शुरू हुआ वैसे ही पूरे तौर से कदम उठाया गया। हमारे मित्र भोपाल सिंह जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कृषि विभाग और गन्ना विभाग ने कितना अधिक प्रयास किया है, इसको नियंत्रण करने का और जैसे इसमें स्पष्ट है कि 11,69,821 एकड़ प्रभावित क्षेत्र था इसमें से मान्यवर, इतनी अधिक गति और तेजी से कार्य किया गया है कि 11 लाख 23 हजार 550 एकड़ क्षेत्र को हमने उपचारित किया, तमाम मशीनरी, कृषि विभाग की और गन्ना विभाग की इसमें लगा दी गई और हमने पूरी जानकारी दी है कि जहां से भी जिस चीज की शिकायत मिली है, चाहे वह दवाइयों की मिली हो, उसके बारे में भी कार्यवाही की, तमाम फर्मों के लाइसेन्स कैंसिल किये गये और गन्ना विभाग या कृषि विभाग ने कोई निष्क्रियता नहीं बरती और पूरी सक्रियता से उसने काम किया।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मन्त्री जी ने अपने जवाब में आखिरी पैरा में कहा है कि--"जहां तक पायरिला प्रकोप से गन्ने की फसल को अब तक हुई सम्भावित हानि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक गन्ने की फसल वानस्पतिक वृद्धि के काल में प्रारम्भिक अवस्था में थी और इसलिए इस प्रकोप का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है"। मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रभाव नहीं पड़ा तो यह जो आपने खर्चा किया है कि 1300 टोलियों द्वारा 10,000 से ऊपर मशीनों का प्रयोग करके दैनिक छिड़काव किया गया 22 हजार एकड़ जमीन में...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री चेतराम गंगवार--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय सदस्य जो मेरठ से आये हैं, उनको आप समय दे रहे हैं, दूसरे प्रदेश के अन्य हिस्सों से जो लोग आये हैं, उनको समय नहीं दे रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

सारे प्रदेश के 20 जिलों की सूचना इसमें दी गयी है और पायरिला का प्रकोप प्रदेश भर में हुआ है । नियमावली के नियम 58 में लिखा है कि किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । ऐसी स्थिति में दुबारा इस पर चर्चा होगी नहीं, सारे जिले हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप मेरठ को ही मौका देंगे या सारे प्रदेश के लोगों को देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं जानना चाहता था कि जब हानि नहीं हुई तो क्यों इतना पैसा खर्च किया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सम्मानित मित्र श्री त्रिलोक चन्द्र जी ने जैसा कहा कि गन्ने में कोई हानि नहीं हुई, यह बात सही है । अभी तक गन्ने की फसल पर कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है । उसकी वजह यह है कि अभी गन्ने पर सितम्बर-अक्तूबर में ऐसी स्थिति आ सकती है कि इसका प्रकोप फिर से बढ़े । उसके लिये हम लोग अभी से प्रयत्नशील हैं और केन्द्र सरकार से बात हो रही है । अभी तक लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक पायरिला पर नियंत्रण किया जा चुका है । वह जानना चाहते थे कि जब नुकसान नहीं हुआ तो पैसा क्यों खर्च किया गया ? ये "प्रिवेन्टिव मेजर्स" हैं, अगर ये नहीं लिये जाते तो आगे आने वाले दिनों में गन्ने की फसल को क्षति होती । एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है, इस बात को कहना चाहता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 11,23,550,59 एकड़ में छिड़काव कर दिया गया है ।

श्री सुखपाल पान्डे--

क्या आप आगरा और बरेली को ही पूरा समय देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

आगरा और बरेली का भी अपना ही महत्व है ।

श्री चेतराम गंगवार--

बरेली में 1,12,900 गन्ना क्षेत्रफल पर प्रकोप हुआ जिसमें से 50,000 एकड़ पर आपने छिड़काव कराया और आपने कहा कि 13 टोलियों के द्वारा यह छिड़काव कराया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि बरेली में कितनी टोली से छिड़काव का काम किया गया और और क्या कारण है कि बरेली में 45 प्रतिशत और अन्य स्थानों पर 95 प्रतिशत छिड़काव कराया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मालूम होता है हमारे बरेली के मित्र ने जवाब को ठीक से नहीं पढ़ा है । इसमें कुल क्षेत्र था 1,12,900 एकड़ जिसमें से प्रभावित क्षेत्र 51,719 एकड़ ही था उसमें से उपचार 47,479 एकड़ का किया गया कितनी टोलियों ने वहां छिड़काव किया, इसकी सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है यह जानकारी मैं उनको बाद में दे दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, क्या माननीय कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे के कितने एकड़ में कृषि विभाग ने छिड़काव कराया और कितने एकड़ में गन्ना विभाग ने छिड़काव कराया है ? क्या इसका विवरण अलग-अलग मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कृषि और गन्ना विभाग दोनों ने ही छिड़काव का काम किया था।

श्री सुखपाल पाण्डे--

यह नहीं चलेगा। मान्यवर, ये मुख्य मन्त्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय कृषि मन्त्री जवाब देना नहीं चाहते हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी के विभाग को लेकर अपना विभाग चलाना चाहते हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मुझे आप उत्तर पूरा कर लेने दें। लगभग 23 हजार एकड़ गन्ना के अलावा भी फसल थी उस पर कृषि विभाग ने छिड़काव किया है जो कि कृषि विभाग के क्षेत्र में है, गन्ना विभाग के क्षेत्र में नहीं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया है वह गलत है, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मन्त्री जी, आपने अभी बताया है कि 11,69 821·14 एकड़ में से आपके विभाग ने 11,23,550.59 एकड़ पर छिड़काव का काम कराया है। मैं आपको निश्चित जानकारी देता हूं कि शाहजहांपुर में मक्का और ज्वार पर पायरिला लगा हुआ है लेकिन वहां छिड़काव नहीं कराया गया है। क्या आप पूरे प्रदेश में सक्रियता के साथ छिड़काव करायेंगे कि जहां पर पायरिला लगा हुआ है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने बहुत पहले कहा कि गन्ने पर गन्ना विभाग और कृषि विभाग दोनों ने मिल कर छिड़काव कराया है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सदन को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पाण्डे--

आप उसको छिपाने पर लगे हुए हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं।

(कई सदस्य बोलने के लिए एक साथ खड़े हो गये।)

मान्यवर, एक एक माननीय सदस्य को सवाल करना चाहिए।

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप उत्तर तो सुन लें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं सत्यपाल जी के प्रश्न का जवाब दे रहा था यह जो 23 हजार एकड़ मैंने बताया यह मक्का और मूंग है। यह फसल जायद फसल है। अगर आपके इलाके में नहीं हुआ है और आपने जानकारी हमें करायी है तो मैं उस इलाके में भी व्यवस्था कर दूंगा।

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आपके गन्ना विभाग और कृषि विभाग में इसको करने के विषय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपस में सामंजस्य नहीं था। गन्ना विभाग ने न कार्यवाही की और न कृषि विभाग ने की और मंत्रि परिषद् के दबाव में आकर आपको उन्होंने फर्जी आंकड़े बता दिये कि छिड़काव करा दिया लेकिन छिड़काव नहीं हुआ।

श्री अध्यक्षता—

आप प्रश्न करें।

श्री किरन पाल सिंह—

इस बात को ध्यान में रखते हुये पिछले दौरान किसानों को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा है क्योंकि गन्ना विभाग और कृषि विभाग आपस में लड़ता रहा था। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि वहां लखनऊ में प्लान्ट प्रोटेक्शन का डायरेक्टर अलग से नियुक्त करने की कृपा करेंगे ताकि आपस में इस तरह की लड़ाई न हो ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी हमारे मित्र किरन पाल सिंह ने कहा कि गन्ना विभाग और कृषि विभाग आपस में लड़ते रहे लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ना विभाग और कृषि विभाग दोनों ने मिलकर समान रूप से कार्यवाही की है इसमें कहीं भी एक दूसरे से मतभेद नहीं रहा। दोनों विभागों ने मिलकर कार्यवाही की है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने स्वयं भी इसकी मानीटरिंग की और यहां पर लखनऊ में कन्ट्रोल रूम बनाया गया। मेरठ और मुरादाबाद में भी कन्ट्रोल रूम बनाया गया और इसको पूरी तरह से नियन्त्रित करने का का प्रयास किया गया।

श्री [illegible]—

मान्यवर, पायरिला की जो पोषक फसल है उसमें गन्ना और गेहूं मुख्य रूप से आता है। मान्यवर, गन्ना विभाग ने पूरी तत्परता से गन्ने को पायरिला से छुड़ाने का काम किया लेकिन उसके बाद वह सारा पायरिला का प्रकोप गेहूं और सरसों के ऊपर चला गया। पायरिला का सर्किल 80 दिन में पूरा होता है। मान्यवर, एक मादा एक सीजन में 330 अण्डे देती है और इस तरह से इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक ऐसा पैरासाइट भी आपके पास है जो इस पायरिला को खाने का काम करता है। क्या आप आने वाली गेहूं की फसल के पहले इस सम्बन्ध में कोई जुझारू कदम उठायेंगे।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह मूल रूप से गन्ने का कीड़ा है और गन्ने पर ही अधिक प्रभावी होता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। गेहूं पर इसका खास प्रभाव नहीं होता है। मान्यवर, जहां तक पूरी तौर से इसको नियंत्रण करने का प्रश्न है, अब तो बरसात आ गयी है, लेकिन बरसात के बाद जैसा कि मैंने निवेदन किया है सितम्बर और अक्तूबर में फिर से प्रकट हो सकती है, इसके लिये मैंने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है और मुझे सदन को बताते हुये हर्ष हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये एक करोड़ रुपये की सहायता देना मन्जूर कर लिया है और हमें यकीन है कि कृषि विभाग और गन्ना विभाग अपने सामूहिक प्रयास से इसको नियंत्रित करने में सफल होंगे।

श्री कनक सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जो दवा छिड़की गयी है वह इस रोग के लिये उपयोगी नहीं है, और यदि उपयोगी नहीं है, तो उसका छिड़काव क्यों किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह जो दवा का उपयोग किया जाता है, वह एक्सपर्ट की राय से किया जाता है और जिन दवाओं को वह लोग प्रेसक्राइब करते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उनका छिड़काव किया जाता है।

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह तो दवा है वह फफूंदी के लिये है। पाइरिला के लिये नहीं है। 6 हजार लीटर दवा मेरे क्षेत्र में छिड़की गयी है, जो अनुपयोगी सिद्ध हुई है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं पर दवा का छिड़काव किया ही नहीं गया है, तो एक बात तो मानने लगे कि दवा का छिड़काव किया गया है। अब अगर माननीय सदस्य कोई विशिष्ट जानकारी देंगे कि फलां क्षेत्र में फलां दवा का छिड़काव किया गया है जो प्रभावहीन रही, तो उसकी जांच करायी जायेगी और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 50 लाख रुपया इस पर खर्च किया गया है, श्रीमन्, एक एकड़ में पायरिला की दवा के छिड़काव पर 40 रुपये का खर्च आता है, तो कौन सी दवा का छिड़काव किया गया जो इतने कम खर्च हो गया, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो धन इस पर खर्च किया गया है 50 लाख का, तो इतना तो साधारणतः गन्ने के विकास और उसके रख-रखाव का बजट होता है, तो इसके लिये केवल 50 लाख की ही व्यवस्था थी, तो इस असाधारण स्थिति में शासन ने कितना धन इसके लिये आवंटित किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आवश्यकतानुसार जितने भी धन की आवश्यकता होगी उस पर व्यय किया जायेगा क्योंकि इसमें हर हालत में नियंत्रण करना है ताकि आगे फसल नष्ट न हो सके।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

अब इस पर बहुत सवाल हो गये हैं कृपया बैठें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, एक सवाल पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ...

(व्यवधान)

(स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना शुरु करने पर)

श्री राम सरन--

मान्यवर, एक सवाल को इजाजत दे दीजिये। कृपया मंत्री जी बैठ जायं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मुझे अधिष्ठाता महोदय ने पुकारा है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायं, राम सरन दास जी को सुन लें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गन्ना अब बढ़ गया है और सितम्बर के आखिर में धान भी काफी बड़ा हो जायेगा और तब आप

इस रोग को रोक नहीं पायेंगे। गन्ने से धान की फसल में यह पायरिला घुस रहा है और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। आप कृषि मंत्री हैं, जहां भी छिड़काव करायेंगे गन्ना बड़ा हो जायेगा। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी दशा में क्या आप हवाई छिड़काव करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, राम सरन जी ने कहा कि हवाई छिड़काव करायेंगे या नहीं। हमने पहले भी प्रयास किया था और हमारा प्रयास था कि हवाई छिड़काव हो। लेकिन दिल्ली में जो एक्सपर्ट्स की बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि चूंकि गर्मी का मौसम है, यह प्रभावी नहीं हो सकेगा। हमने एक्सपेरीमेन्ट भी किया लेकिन वह प्रभावी नहीं हुआ। इसलिए हवाई छिड़काव नहीं कराया। इसी 18 जुलाई को हमने दिल्ली में कृषि मंत्री, कृषि सचिव और आई० सी० आर० के एक्सपर्ट्स से निवेदन किया कि सितम्बर में बहुत मुमकिन है कि इसका प्रभाव फिर बढ़े, इसलिए आपको हवाई छिड़काव के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल होंगी और आवश्यक होगा तो हवाई छिड़काव भी कराया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

कृपा करके बैठें। इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगला वक्तव्य ले रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री....

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने पर।)

श्री राम सरन--

मान्यवर, इसके विरोध में हम सदन त्याग कर बहिर्गमन करते हैं...

(श्री राम सरन लोक दल के सभी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में जहरीली दवाओं के बिक्री होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय...

श्री अधिष्ठाता--

यदि सभी सदस्यों की राय हो तो इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

एक आवाज--

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदस्य के आपत्ति न करने पर)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

[भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त, 1984 के गजट में कुछ दवाओं के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की जो सूचना दी गई उसके सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि ऐसे किसी गजट के जारी होने की जानकारी शासन को नहीं है। भारत सरकार के औषधि नियंत्रक के कार्यालय से भी ऐसे किसी गजट के जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।

माननीय सदस्य ने अपने नोटिस में जिन औषधियों का उल्लेख किया है, उसके निर्माण एवं बिक्री के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

अरिस्ट्रोपायरियन, फ्लेमार तथा वेगानीन अब बाजार में नये संशोधित

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फार्मूले में बिक रही है । रेफागान डोलानोरोवियान, सेमीजोल टिकिया, ट्राइएक्सटीन, पेन्टिड सल्फा, सूबा-माइसीन, टेरामाइसीन, नियामाइड इत्यादि औषधियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नही हैं । माइग्रेनिल, वेसोगीन तथा माइग्रिल आदि औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं । इनमें अरगोटेमीन टारटरेट नामक एल्कोलायडल तत्व होता है जिसके नियत मात्रा में संयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है । प्रतिबन्ध केवल अरगट के नियत मात्रा में संयोजन पर है । अतः इन दवाओं के निर्माण एवं बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । एन्टोबेक्स नामक औषधि भी बाजार में उपलब्ध है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसके निर्माण एवं बिक्री पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है । प्रश्नगत नोटिस में उल्लिखित कुछ दवाओं के नाम अस्पष्ट हैं जैसे सिवलेनिन, डोम्स, सन्टाडोप, सैफन, सीओसाइक्लीन, यूरिग्रमीन, डेन्टन, कमीसाइक्लीन, इरेल डीन, ट्राइस्लफोया, जिनके फार्मूले का ज्ञान न होने के कारण टिप्पणी देना सम्भव नहीं है ।

भारत सरकार ने दिनांक 23-7-83 द्वारा 22 औषधियों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दी थी । इनमें से तीन प्रकार की औषधियां जैसे "पीड़ाहर औषधियों के साथ विटामिनों का नियत मात्रा में संयोजन, दमा के उपचार के लिए अन्य औषधियों के साथ स्टेरोइड के संयोजन से भिन्न अभ्यंतर उपयोग के लिए स्टेरोइड का नियत मात्रा में संयोजन एवं क्लोरमफेनीकाल और स्ट्रेप्टोमाइसीन के संयोजन से भिन्न अभ्यंतर के लिए क्लोरमफेनीकाल का नियत मात्रा में संयोजन पर माननीय उच्च न्यायालयों में स्थगन आदेश पारित हुए हैं ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के उन्मूलन हेतु डी0 डी0 टी0 का छिड़काव किया जाता है । जिसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है डी0 डी0 टी0 के फसलों पर छिड़काव एवं अनाज के भंडारण के समय डी0 डी0 टी0 के प्रयोग किए जाने या न किये जाने का स्वास्थ्य विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

औषधियों के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बधित भारत सरकार द्वारा पारित सभी निर्देशों का प्रदेश में कड़ाई से पालन किया जाता है]

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जिन 22 दवाओं की बात कही कि भारत सरकार द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा है और हमारे यहां बिक रही हैं उसके अलावा हमारे यहां भी कुछ दवायें बनती हैं जो सीधे बाजार में जाकर बिकती हैं । क्या उनके कन्ट्रेन्ट्स को जानने के लिए कोई लेबोरेटरी यहां पर हैं जहां उनका परीक्षण होता है । वे लेबोरेटरी कहां हैं और कौन उनकी जांच करता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ कृपया पुनः दोहरा दें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

22 दवायें ऐसी हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा है लेकिन हमारे यहां बिक रही हैं । इनके अलावा हमारे यहां भी दवायें बनती हैं जो सीधे बाजार में जाकर बिकती हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके मिश्रण को जानने के लिए कोई लेबोरेटरी है या नहीं है तो कहां है और कौन अधिकारी जांच करता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आपने पूछा कि जांच लेबोरेटरी हमारे यहां कहां हैं तो हमारे यहां

स्वास्थ्य निदेशालय में है भारत सरकार की लेबोरेटरी गाजियाबाद में है जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर इसको देखते हैं। जो दवायें भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं उनका फारमूला भी स्वीकृत है। जिन दवाओं पर रोक लगी है उनका निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन दवाओं में से कौन-कौन सी लाइफ सेविंग ड्रग हैं और कौन कौन सी हैजा निरोधक है और उनकी अनुमति डायरेक्टर जनरल सप्लाई और डिसपोजल से कराई गयी है या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिसपोजल से इसका क्या सम्बन्ध है। वह तो रेट कंट्रेक्ट में दवायें सप्लाई कराता है, कंपनीज को रेट कंट्रेक्ट पर निर्धारित करता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

कौन-कौन सी दवायें लाइफ सेविंग की हैं।

श्री अधिष्ठाता--

वह पूरी दवाओं के नाम कैसे बतायेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वक्तव्य के पैरा 2 में विवरण दिया है। माननीय सदस्य बलिया न कहा उनको पढ़ा माना जाय।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दवायें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं उनका परीक्षण कराया जाता है अथवा नहीं। यदि परीक्षण नहीं कराया जाता है और बाजार में बिक रही हैं तो क्या उनका परीक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कोई दवा बिना परीक्षण के बाजार में नहीं बिकती है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

22 दवायें ऐसी है जिन पर भारत सरकार द्वारा रोक लगी है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ दवाओं पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है और हमारे यहां बिक रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी दवायें हैं जिन पर स्थगन आदेश प्राप्त है और जिन पर स्थगन आदेश नहीं है उनकी क्या स्थिति है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका यह कहना कि 5, 7 दवाओं का जिनका नाम लिया गया है इनका फारमूला ज्ञात नहीं है और वह बाजार में बिक रही हैं तो यह बड़े असमंजस की बात है...

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कीजिये।

श्री कौशिक रमाशंकर--

इन 22 दवाओं में से कौन-कौन सी ऐसी दवायें हैं जिन पर स्थगन आदेश हैं उनकी स्थिति बाजार में क्या है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सिवलेनिन, डोम्स, सन्टाडोन आदि बिक रही हैं जिनका फारमूला मालूम नहीं है मंत्री जी ने वक्तव्य में कुछ दवाओं का उल्लेख किया है और कहा उनका फारमूला नहीं मालूम है, तो यह इनकी स्थिति है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जो दवायें बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी चर्चा की गई है, वे हैं अरिस्ट्रोपायरिन, फ्लेमार तथा वेगानोन दवायें नये संशोधित फारमूले में बिक रही हैं। रेफागान, डोलानोरोवियान, सेमीजोल टिकिया, ट्राइ एक्टीन, पेन्टिड

सल्फा, सूबामाइसीन, टेरामाइसीन, नियामाइड आदि दवाओं के नाम जो माननीय सदस्य ने दिये हैं वह उत्तर प्रदेश और भारत में फारमोकोपिया में नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास सेम्पिल तो बताये । कुछ दवाओं के नाम अस्पष्ट हैं जैसे सिवलेनिन, डोम्स, सन्टा डोन, सैफोन, यूरियमीन, डेन्टन, कमीसाइक्लोन आदि दवायें फारमोकोपिया में नहीं हैं, यदि माननीय सदस्य के पास उपलब्ध हैं तो उनकी जानकारी करा लेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में दवायें बिक्री केन्द्रों में उन्हीं दवाओं को फर्जी नाम से बेचा जा रहा है, तो क्या मंत्री जी इन दवा केन्द्रों पर छापा मारकर जो दो नम्बर की दवायें बेच रहे हैं, कार्यवाही करेंगे ? यदि जांच कराई है, तो कहां-कहां छापा मारा गया और फर्जी दवायें बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, विगत 4 वर्षों में 29 जगहों पर छापे मारे गये । अधिकांश छापे गाजियाबाद में पड़े जहां इन दवाओं

(व्यवधान)

का निर्माण नहीं हो रहा है । परन्तु मल्टी नेशनलाइज्ड कम्पनी जो हैं वह उसी नाम से फर्जी कारखानों में इन दवाओं का निर्माण होता रहा, वहां छापा पड़ा और कार्यवाही हो रही है और उनका माल जब्त किया गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो इन दवाओं के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और स्थगनादेश फर्म वाले प्राप्त किए हैं तो यह प्रदेश के लिए हानिकारक है, इसलिए क्या मंत्री जी प्रयास करेंगे कि स्थगनादेश जल्द से जल्द रद्द हो और दवायें बिकना बन्द हो ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि शीघ्र तारीख लगा दें ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि मलेरिया के उन्मूलन हेतु डी0 डी0 टी0 का छिड़काव किया जाता है । मेरी जानकारी है कि सब-स्टेन्डर्ड डी0 डी0 टी0 का छिड़काव किया जाता है, इसलिए मेरी जानकारी को क्या सही मानकर डी0 डी0टी0 की क्वालिटी की जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यहां दो-दो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, डी0 डी0 टी0 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की संस्तुति है कि डी0 डी0 टी0 की क्षमता को कम कर दिया जाये, उनका कहना है कि डी0 डी0 टी0 से मां के दूध में असर आता है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है । उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया के समस्त भू-भाग में मच्छर का प्रकोप है उसको संतुलित रखने के लिए डी0 डी0 टी0 का प्रयोग उसकी क्षमता को कम करके किया जाता है ।

श्री देव कुमार यादव—

इस ओर ऐसी डी0 डी0 टी0 को छिड़कने से क्या लाभ है, जिससे मच्छर नहीं मर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मच्छर और मलेरिया दो भिन्न-भिन्न चीजें हैं । मच्छर और उसके आक्रमण को रोकथाम के लिए मैं बता चुका हूं कि भारत सरकार की वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन में और भारत के सरहदी जितने भी राज्य हैं-पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बर्मा, मलाया और बंगलादेश इन सबकी एक समिति बनी हुई है जो इस पर विचार कर रही है कि पुनः एक बार मच्छरों का निस्तारण

किया जाय । उससे डी0 डी0 टी0 का सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने यह कहा है कि कुछ औषधियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, किन्तु उन प्रतिबन्धों के विरुद्ध उन्हें उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है, तो जो स्थगनादेश प्राप्त हो गया है वह तो न्यायिक प्रक्रिया का अंग हो गया, लेकिन जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, किसी न किसी लेबोरेट्री द्वारा उसकी जांच कराई गई होगी, ऐसी प्रतिबन्धित दवाएं अब भी मार्केट में हैं, इस सम्बन्ध में क्या मंत्री जी ने कोई व्यवस्था विचारी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना सही है, मैं भी उसी भावना का हूं, लेकिन यह अभी हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है ।

शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षायें खुलवाने की मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

स्वामी शुकदेवानन्द डिग्री कालेज, शाहजहांपुर में....

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना गया । अब प्रश्न कर लें ।

श्री सिब्ते रजी—

[स्वामी शुकदेवानन्द डिग्री कालेज, शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षायें खोलने के लिए वहां के छात्रों द्वारा मांग की जा रही है और इस कालेज के छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री के0 के0 शुक्ला, जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन कर रहे हैं । इस कालेज को बी0 काम0 की क्लियरेन्स दिये जाने हेतु शासन को प्रार्थना पत्र दिनांक 19 मार्च, 1985 प्राप्त हुआ था किन्तु इस कालेज में प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अनेकों वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है और इस महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 मार्च, 1985 को जारी की गई थी । जिसमें गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं जैसे प्रामूत की सम्पत्ति को बेच देना कालेज की सम्पत्ति का हस्तान्तरण और महाविद्यालय के विकास कोष से अनियमित रूप से धन निकाल कर अध्यक्ष को दिये जाने आदि के आरोप हैं । इस नोटिस का उत्तर कालेज से 16 अप्रैल, 1985 तक मांगा गया था जो 15 जुलाई, 1985 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

2—रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा इस कालेज के अध्यक्ष को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी और यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उक्त कालेज की सम्बद्धता क्यों न समाप्त कर दी जाय क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति को सहयोग न देकर उनके द्वारा जांच रिपोर्ट दिए जाने में बाधा उत्पन्न की है ।

3—बी0 काम0 की क्लियरेन्स हेतु कालेज का प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित प्राप्त नहीं हुआ था अतएव उक्त परिस्थितियों में इस कालेज की क्लियरेन्स नहीं दी जा सकी ।

4—अब इस कालेज का प्रार्थना-पत्र बी0 काम0 की क्लियरेन्स के लिए विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित शासन को 26 जुलाई, 1985 को प्राप्त हो गया है और महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत दी गई नोटिस का उत्तर भी दिनांक 16 जुलाई, 1985 को प्राप्त हो गया है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

5—चूंकि अब आवश्यक सूचनायें प्राप्त हो गई हैं अतः शासन द्वारा इस कालेज की बी0 काम0 की क्लियरेन्स प्रदान करने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

इस प्रकरण पर कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त आदेश निर्गत किये जा सकेंगे।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य है, उसके पैरा 1 से 3 तक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि अमुक-अमुक कारणों के कारण बी0 काम0 कक्षाओं की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। परिस्थितियां नम्बर 4 व 5 पैरा में लिखी हुई हैं। परिस्थितियां बदली हैं, जवाब आया है, विश्वविद्यालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है, इसलिए यह कहा गया है कि—"बी0 काम0 की क्लियरेन्स के लिए विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित शासन को 26 जुलाई, 1985 को प्राप्त हो गया है" तो विश्वविद्यालय से आपकी संस्तुति मिल गई है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं। "अतः शासन द्वारा इस कालेज को बी0 काम0 की क्लियरेन्स प्रदान करने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस प्रकरण पर कुलाधिपति महोदय से अनुमोदनोपरान्त आदेश निर्गत किये जा सकेंगे।" इनका अनुमोदन मिलने के बाद आप क्लियरेन्स कर सकेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक तरफ दो छात्र जो अनशन कर रहे हैं और जिनमें से एक भूतपूर्व अध्यक्ष है, जिनके अनशनों का आज 11वां दिन है और कल लाठी चार्ज भी हुआ जिससे छात्र उत्तेजित हो गये, जो सरकार ने सक्रियता दिखाई है वह किस स्थिति तक पहुंच गई है और क्या आपने क्लियरेन्स की स्वीकृति कुलाधिपति के लिए कर दी है या नहीं?

श्री सिब्ते रजी—

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, क्लियरेन्स के लिए संस्तुति सहित पत्रावली कल कुलाधिपति के पास भेज दी जायेगी और जैसे ही उनसे मिल जायेगी, जो भी प्रक्रिया आवश्यक है, पूरी होने पर उसे कर दिया जायगा।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं समझता हूं कि वह वहां के छात्रों की भावनाओं के अनुकूल रहा है। वहां वर्तमान जो स्थिति है, विद्यार्थी ग्यारहवां दिन आज फेस कर रहा है, वहां पर छात्र उत्तेजित हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुये क्या आप जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को यह सूचित करेंगे कि वह उस अनशनकारी छात्र को उठा दें, इस आधार पर कि शासन ने उनकी मांग का स्वागत करते हुये क्लियरेन्स के लिये कुलाधिपति को भेज दिया है।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जिलाधिकारी को निर्देश करने की क्या आवश्यकता है। माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुये, शासन ने इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। जैसे ही कुलाधिपति महोदय का अनुमोदन मिल जायगा, बकिया कार्यवाही जो है वह कर दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल ग्यारह बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायं काल 7 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
30 जुलाई, 1985 ई0 भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिहार पंचायत सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

दिनांक 22 जून, 1983 व 24 जून, 1983 को गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की सूची :—

1—श्री बहोरीलाल पुत्र सीताराम, उम्र 32 वर्ष ।
2—श्री गंगासहाय पुत्र राम स्वरूप, उम्र 45 वर्ष ।
3—श्री हेत राम पुत्र भोलो, उम्र 23 वर्ष ।
4—श्री भगीरथ पुत्र टीकाराम, उम्र 45 वर्ष ।
5—श्रीमती मिथलेश पत्नी बनवारी, उम्र 42 वर्ष ।
6—श्रीमती हीरादेवी पत्नी आशाराम, उम्र 54 वर्ष ।
7—कुमारी कान्ति पुत्री रन सिंह, उम्र 18 वर्ष ।
8—श्रीमती रेशमी पत्नी गुलफाम, उम्र 32 वर्ष ।
9—श्रीमती भगवती पत्नी पीताम्बर, उम्र 50 वर्ष ।
10—श्रीमती कस्तूरी पत्नी रूपराम, उम्र 48 वर्ष ।
11—श्रीमती अशरफ़ी पत्नी बाबूराम, उम्र 52 वर्ष ।
12—कुमारी राजवती पुत्री गंगाराम, उम्र 10 वर्ष ।
13—श्रीमती जावित्री पत्नी मिश्री, उम्र 52 वर्ष ।
14—श्रीमती सरवती पत्नी बाबूराम, उम्र 25 वर्ष ।
15—श्रीमती तुलसनिया पत्नी कालीचरन, उम्र 22 वर्ष ।
16—श्री काली चरन पुत्र चेतराम, उम्र 23 वर्ष ।
17—श्रीमती प्राणवती पत्नी लीलाधर, उम्र 48 वर्ष ।
18—श्रीमती जयवन्ती पत्नी चुन्नी, उम्र 53 वर्ष ।
19—श्रीमती रूमाली पत्नी गंगाराम, उम्र 24 वर्ष ।
20—श्रीमती हीरादेवी पत्नी रेवाराम, उम्र 50 वर्ष ।
21—श्रीमती शीला पत्नी रगनी, उम्र 34 वर्ष ।
22—कुमारी ममता पुत्री बहोरी, उम्र 3 वर्ष ।
23—श्रीमती भूदेवी पत्नी भगवती, उम्र 55 वर्ष ।
24—श्रीमती हरप्यारी पत्नी चुन्नी, उम्र 51 वर्ष ।
25—श्री सुमेर सिंह पुत्र दयाराम, उम्र 48 वर्ष ।
26—कुमारी कुसमा पुत्री सुजान, उम्र 19 वर्ष ।
27—श्री खुशाल सिंह पुत्र अनोख, उम्र 6 वर्ष ।
28—होडल सिंह पुत्र गिरधारी, उम्र 48 वर्ष ।
29—चेतराम पुत्र छिद्दू, उम्र 50 वर्ष ।
30—श्री चुन्नी पुत्र तेजपाल, उम्र 18 वर्ष ।
31—राम रिछपाल पुत्र तेज सिंह, उम्र 51 वर्ष ।
32—श्री छत्रपाल पुत्र तोताराम, उम्र 38 वर्ष ।

33—श्री पूरन पुत्र चोखे, उम्र 60 वर्ष ।
34—श्री सियाराम पुत्र यादराम, उम्र 50 वर्ष ।
35—श्री चन्द्रपाल पुत्र सावन्ती, उम्र 25 वर्ष ।
36—श्री गोपी सिंह पुत्र सुखराम, उम्र 48 वर्ष ।
37—श्री होती सिंह पुत्र पूरन सिंह, उम्र 22 वर्ष ।
38—श्री सूरज पाल पुत्र रेवाराम, उम्र 20 वर्ष ।
39—श्री रघुवीर सिंह पुत्र हिमामी सिंह, उम्र 32 वर्ष ।
40—श्री हरकेश पुत्र बाबूराम, उम्र 34 वर्ष ।
41—श्री सोहनपाल पुत्र रामदास, उम्र 26 वर्ष ।
42—श्री बनी सिंह पुत्र गेंदालाल, उम्र 22 वर्ष ।
43—श्री रामदास पुत्र कंचन सिंह, उम्र 25 वर्ष ।
44—श्री मोहर सिंह पुत्र सरदार सिंह, उम्र 34 वर्ष ।
45—कुमारी रूपवती उर्फ मुन्नी पुत्री शीशराम, उम्र 3 वर्ष ।
46—श्री प्यारे लाल पुत्र राम प्रसाद, उम्र 45 वर्ष ।
47—श्री गणपति सिंह पुत्र बलदेव सिंह, उम्र 40 वर्ष ।
48—श्री ताराचन्द पुत्र देहवी, उम्र 70 वर्ष ।
49—श्री गंगा राम पुत्र देबीराम, उम्र 65 वर्ष ।
50—श्रीमती नारायनी बेवा हरसुख, उम्र 65 वर्ष ।
51—श्री मुन्शी सिंह पुत्र करन सिंह, उम्र 45 वर्ष ।
52—श्री किशन लाल पुत्र गंगाधर, उम्र 42 वर्ष ।
53—श्री लाखन पुत्र हर प्रसाद, उम्र 32 वर्ष ।
54—श्री राम सिंह पुत्र भीमसेन, उम्र 48 वर्ष ।
55—श्री तेज सिंह पुत्र प्रसादी सिंह, उम्र 65 वर्ष ।
56—श्री हेतराम पुत्र कल्लू, उम्र 60 वर्ष ।
57—श्री मान सिंह पुत्र केवल, उम्र 25 वर्ष ।
58—श्री राम जी लाल पुत्र दलीप, उम्र 15 वर्ष ।
59—श्री रेशम पाल पुत्र सोनपाल, उम्र 15 वर्ष ।
60—श्री भगवान दास पुत्र सोहन लाल, उम्र 18 वर्ष ।
61—श्रीमती नन्हीं देवी बेवा भगीरथ, उम्र 70 वर्ष ।
62—श्रीमती जानकी देवी बेवा सुखराम, उम्र 60 वर्ष ।
63—श्री गुड्डू पुत्र सुखराम, उम्र 3 वर्ष ।
64—नश्रीमती थिया देवी पत्नी तेज सिंह, उम्र 35 वर्ष ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

प्रश्नकर्ता के पत्र में लिखे तीनों मामलों में की गयी कार्यवाही का विवरण

(1) श्रीमती अंजू खण्डेलवाल की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना हरी पर्वत, आगरा पर श्री वीरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1983 को पंजीकृत कराये गये अपराध अन्तर्गत धारा 306 भा0 दं0 वि0 में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गयी विवेचना से यह पाया गया कि श्रीमती अंजू की मृत्यु अचानक आग लग जाने से हुई थी, जो आकस्मिक है। दहेज के कारण दी गयी कथित यातनाओं के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मामले से सम्बन्धित अभियोग में अन्तिम आख्या दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री डी0 के0 खण्डेलवाल (भाई मृतक) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 376/84 पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि पिटीशनर श्री खण्डेलवाल को सम्यक सुनने के बाद ही अतिरिक्त मुख्य दण्डाधिकारी, आगरा द्वारा उक्त अन्तिम आख्या पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाय। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) श्रीमती मंजू जायसवाल को उसके ससुराल वालों द्वारा जला कर मार दिये जाने के सम्बन्ध में मृतका के पिता श्री हरनाम दास जायसवाल की लिखित सूचना पर दिनांक 4 जुलाई, 1984 को थाना पैकोलिया, जिला बस्ती पर पंजीकृत किये गये अभियोग, अन्तर्गत धारा 498-ए/382 भा0 दं0 वि0 की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) श्री बिहारी लाल, निवासी राय बरेली ने थाना सिरसागंज, मैनपुरी पर दिनांक 9 जुलाई, 1984 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी देवी को उसके ससुराल वालों ने दहेज पूरा न देने के कारण आग लगा कर जला दिया है, जिसको प्रार्थी द्वारा सरोजनी नायडू अस्पताल, फिरोजाबाद में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। इस प्रार्थना-पत्र की उप निरीक्षक द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच से यह विदित होने पर कि श्रीमती लक्ष्मी की मृत्यु दिनांक 12 जुलाई, 1984 को हो गयी है, थाना सिरसागंज पर दिनांक 18 जुलाई, 1984 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 306 भा0 दं0 वि0 व 3/4 दहेज अधिनियम का पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह मामला दहेज सम्बन्धी नहीं पाया गया, किन्तु धारा 306 भा0 दं0 वि0 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्तगण राजकुमार, पप्पू, व छोटेलाल को दिनांक 1 मई, 1985 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और इनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मृतका की सास के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

1—अपहरण—

कुल 8 घटनायें घटित हुयी, जिनमें तीन में चालान किया गया, चार लापता रही, एक विवेचनाधीन हैं। यह घटनाये ग्राम खेरिया-रफातपुर, औरानी दलपतपुर कस्बा अतरौली, राजगांव, चकाथल, सलारपुर, गेहतौली, लोहगढ़ में घटित हुयी।

2—हत्यायें—

कुल 12 घटनायें घटित हुई, जिनमें से 7 में चालान किया गया, चार लापता रहीं तथा एक घटना विवेचनाधीन है। ये घटनायें ग्राम बिलेर, कुबेरपुर, खेड़ा, पीपली, कंकेथल, कर्कबा अतरौली, गनियावली, रकेथल, अतरौली, कुंजलपुर, पीपली तथा ग्राम चकेथल में घटित हुई।

3—डकैती—

कुल 3 घटनायें घटित हुई, जिनमें से एक में चालान किया गया तथा दो खुल चुकी हैं विवेचनाधीन है, घटनायें निम्न ग्रामों में हुई हैं—

नहल, हरबंसपुर तथा चढ़ौली।

4—आगजनी—

कुल 7 घटनायें घटित हुई, जिनमें से एक का चालान किया गया तथा 6 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। ये घटनायें ग्राम सफीपुर, कस्बा अतरौली, ग्रामटौछी, कस्बा अतरौली, जंगल चंदऊवा, पनहरा तथा कस्बा अतरौली में घटित हुई।

5—लूट—

कुल 14 घटनायें घटित हुई, जिनमें से चार में आरोप-पत्र तथा 10 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। ये घटनायें निम्नलिखित ग्रामों में घटित हुई—

कस्बा अतरौली-3, बडेला, महमूदपुर बड़ेला, इनातपुर, सिद्धपुर, चण्डौली बुर्ग, असफराबाद, खेड़िया, धोकल, मडौली, कासिमपुर नागड़ी, विधीपुर, खेड़ा—खिजर।

6—चोरी—

कुल 112 घटनायें घटित हुई, जिनमें से 22 अभियोगों में चालान न्यायालय किये गये तथा 89 अभियोग लापता रहे तथा एक अभियोग विवेचनाधीन हैं।

ये घटनायें अतरौली-20, गिजरौली-3, बंजला-4, मऊपुर-4, मरौना-3, नागर-3, चण्डली बुर्ग-3, मुरादपुर-3, लोहगढ़-3, सफीपुर-2, खेड़िया सालारपुर-2, रामपुर-2, हेमतपुर-2, दाउदगढ़ी-2, कर्केथल-2, खेड़ा-2, चाउपुर-2, बहादुरपुर-2, खेड़िया-बहादुरपुर-2, खेड़िया रफातपुर-2, कासिमपुर नागड़ी-2, तरेंची-2 नाथतपुर-2, बिलेर-2, जखेरा-2, चौमुहा-2, गनियावली, मलहपुर, तेव्थू, नौरथा, औरनी, बड़ौली, कुंवरपुर, कमालपुर, कुंवरपुर, ऊदपुर, उत्तमगढ़ी, खानपुर, खंमवीरपुर, चितनगला, कढाईपुर, असराफाबाद, काजिकाबाद, मीरगढ़ी पीपली, बूलापुर, मौसमपुर, ईसनपुर, राजमार्गपुर, बिनामई, मोजपुर, शिवथला, रजातऊ, खेड़िया, धौकल, बंजला, चकाथल, सेखूपुर, सहनौर में घटित हुई।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित कार्यों की सूची

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
		रु0
1	निर्माण मैक्सफाल्ट रोडबाजार पोटरगंज	1,15,666.49
2	निर्माण साइड पटरी तहसील चौकी से जलकल कम्पाउण्ड तक	14,220.30
3	खरन्जा नीश अमीन से एल0 बी0 जे0 पी0 कालेज के कोने तक	7,104.50
4	निर्माण खरन्जा राम लाल से हरीश तक मो0 हिन्दपट्टी	5,124.43
5	निर्माण पुलिया निकट मकान शुजायत खां उमरपुर	1,807.56
6	निर्माण खरन्जा निकट पुलिस चौकी चौहटिया	4,269.69
7	मरम्मत प्राविन्शियल रोड पैच रिपेयर	7,273.07
8	निर्माण सीमेन्ट रोड निकट उमा टाकीज	17,195.41
9	निर्माण खरन्जा रामदत से गुलाम रसूल के मकान तक मो0 हिन्दूपट्टी	5,025.98
10	निर्माण मैक्सफाल्ट रोड निकट पुलिस चौकी बिरियागंज	21,283.88
11	निर्माण खरन्जा निकट मठिया मो0 बातागंज	4,286.45

जलकल विभाग द्वारा सत्यापित कार्य की सूची

क्रम-संख्या	कार्य का विवरण	व्यय की गई धनराशि
1	2	3
		रु0
1	मैक्सफाल्ट रोड मो0 नजरपुर	20,930.49
2	रिटैनिंग वाल व खरन्जा मो0 नजरपुर	6,559.85
3	नि0 खरन्जा व पुलिया मो0 मुस्तफाबाद	8,335.40
4	नि0 खरन्जा मो0 चौहटिया में तिराहा से पं0 श्यामलाल के मकान तक	4,570.16
5	नि0 खरन्जा होरी लाल के मकान से शशि प्रकाश	11,732.22
6	नि0 खरन्जा होरी के स्थान से चौहटिया तिराहा तक	12,422.74
7	नि0 नाला समीप बाइपास रेलवे रोड क्रासिंग	9,728.71
8	नगर के विभिन्न स्थानों पर 150 मी0 लम्बाई के चैनलों का लगना व सड़क की मरम्मत का कार्य	46,437.97
9	पुनर्निर्माण खरन्जा निकट मकान वल्लू शेख मो0 उम्मरपुर	12,495.83
10	पुनर्निर्माण खरन्जा निकट मकान शुजायत जमादार मो0 इमली	5,050.94
11	मरम्मत खरन्जा व निर्माण रेलवे मीरगंज	1,886.70
12	मरम्मत खरन्जा व चैनल मो0 मुस्तफाबाद/नितगंजा	1,440.49
13	निर्माण खरन्जा निकट मकान छिद्दू मो0 उम्मरपुर	4,404.36
14	निर्माण खरन्जा निकट मकान बहादुर लाल लेखपाल हिन्दू पट्टी	1,347.94
15	निर्माण खरन्जा निकट मकान नसीरउल्ला मो0 दिलाजाक	1,793.45
16	निर्माण खरन्जा निकट मकान रफीक मो0 दिलाजाक	5,652.53
17	निर्माण खरन्जा निकट मकान लक्ष्मन बाल्मीकी मो0 जैरवरगढ	2,741.57

1	2	3
		रु0
18	निर्माण खरन्जा निकट मकान फयाज हुसैन मो0 दिलाजाक	5,281.83
19	निर्माण खरन्जा महेश के मकान से स्टेशन रोड तक मो0 ध्रुवरगंज	5,919.23
20	निर्माण खरन्जा निकट मकान राम सिंह मो0 बहादुरगंज	2,868.04
21	निर्माण खरन्जा निकट मकान रमजानी बहादुरगंज	2,263.42
22	खरन्जा निकट मकान समीरउल्ला बहादुरगंज	3,244.92
23	मरम्मत खरन्जा व स्लैव निकट मकान विलियम मो0 बहादुरगंज	2,308.20
24	खरन्जा निकट मकान राम सिंह बहादुरगंज	1,500.34
25	निर्माण खरन्जा निकट मकान महबूब छीपी मो0 उम्मरपुर	1,839.83
26	निर्माण खरन्जा निकट मकान असलम अनसारी मो0 उम्मरपुर	11,412.20
27	निर्माण खरन्जा निकट मकान अफलातन खां उम्मरपुर	942.22
28	निर्माण खरन्जा इमाम बाड़े के पीछे मो0 नजरपुर	3,982.40
29	निर्माण स्लैव व मरम्मत खरन्जा निकट मकान दुकान राजाराम नितगंजा	2,068.92
30	निर्माण खरन्जा व नाली निकट मकान जग्गू मो0 नितगंजा	1,799.18
31	निर्माण खरन्जा व नाली राजाराम की दुकान से तसव्वर के मकान तक	14,923.06
32	निर्माण खरन्जा व नाली निकट खलील मन्जिल मो0 नितगंजा	7,818.73
33	मरम्मत सड़क व निर्माण स्लैव निकट मकान आनन्द सहाय हिन्दी पट्टी	930.02
34	निर्माण खरन्जा निकट मकान अहमद बेग मो0 काकंड़	3,452.07
35	निर्माण खरन्जा डा0 अच्छन के पीछे मो0 माजमपुर	3,747.64

1	2	3
		रु0
36	मरम्मत खरन्जा व निर्माण स्लैब 3 अदद मो0 केलनगंज	4,308.02
37	निर्माण खरन्जा व नाली निकट मकान प्यारे मियां से यासीन के घर तक मो0 चौहटिया	20,481.63
38	मो0 इमली व सुल्तान खां मार्ग पर पंच रिपेयर का कार्य	1,133.86
39	निर्माण खरन्जा चमर गहिटियां निजामगंज	2,073.21
40	मो0 इमली मीरगंज में मेक्सफाल्ट रोड का निर्माण	44,315.39
41	निर्माण खरन्जा व नाली मन्नो महाराज के मकान के निकट हिन्दू पट्टी	23,923.72
42	निर्माण खरन्जा पुलिस चौकी चौहटिया के पीछे बुद्ध खां के मकान तक	15,784.11
43	निर्माण खरन्जा व नाली मो0 मुस्तफाबाद में रामपाल के मकान से रहमतउल्ला के खेत तक	5,983.19
44	निर्माण खरन्जा नारंगी लाल के मकान के पीछे मो0 मीरगंज	5,245.09
45	निर्माण खरन्जा व नाली पी0 बी0 रोड से सोहन लाल के मकान होते हुए कच्चा कटरा रोड तक	13,887.87
46	निर्माण खरन्जा व नाली हाशिम के घर से मुस्तर के घर तक कच्चा कटरा	12,816.91
47	निर्माण खरन्जा व नाली पुलिया मो0 वहिदुल्लागंज निकट मकान रजाक तक	15,060.15
48	निर्माण खरन्जा निकट लालपुरन मो0 उम्मरपुर	6,614.51
49	निर्माण खरन्जा व नाली रामेश्वर दयाल के मकान से गुलजारी के मकान तक मो0 बादराजपुर	25,063.31

1	2	3
		रु0
50	मो0 चौहटिया, कांकड़, इमली निकट मकान नन्हें खां, स्कूल कांकड़, काजी जी के मकान के पास, रामेश्वर दुकानदार के पास, झण्डे-लाल की दुकान के पास निकट मकान नबवी चौहटिया, निकट समाधी, निकट मकान अहमदउल्ला बनवारीपुर निकट मस्जिद वहीदुल्लागंज	16,241.29
51	निर्माण खरन्जा व नाली श्री गंगाधर के मकान से प्राग नारायन के मकान तक कुंवरगंज	11,213.66
52	निर्माण खरन्जा व नाली हबीबुल्ला के मकान से मस्जिद तक मो0 हिन्दू पट्टी	6,834.53
53	निर्माण खरन्जा रजावली के मकान से विष्णु के मकान तक इमली	4,642.04
54	निर्माण खरन्जा निकट मकान लालड़े मो0 इमली	1,819.80
55	चराइयों वाले मन्दिर के पास भुजियों की नई आबादी में खरन्जा व नाली व तीन अदद चैनल का निर्माण मो0 धेरचौवा	16,256.54

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर ।)

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 1983–84 व 1984–85 के प्रत्येक माह में फोटो स्टेट तथा अंग्रेजी का कार्य बाजार में कराये जाने पर किये गये व्यय की धनराशियां निम्नवत् हैं :—

वर्ष 1983–84—

क्रम–सं0	माह	फोटो स्टेट पर व्यय की गयी धनराशि	अंग्रेजी टाइप पर व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
		(रुपयों में)	(रुपयों में)
1	अप्रैल, 1983	..	..
2	मई, 1983	206.00	..
3	जून, 1983	95.00	..
4	जुलाई, 1983	94.00	..
5	अगस्त, 1983	128.50	..
6	सितम्बर, 1983	343.50	..
7	अक्तूबर, 1983	100.50	50.00
8	नवम्बर, 1983	54.00	50.00
9	दिसम्बर, 1983	18.75	50.00
10	जनवरी, 1984	43.25	..
11	फरवरी, 1984	73.50	..
12	मार्च, 1984	65.75	50.00
	योग ..	1,222.75	200.00

विधान सभा

वर्ष 1984–85––

1	2	3	4
		रुपयों में	रुपयों में
1	अप्रैल, 1984	..	..
2	मई, 1984	56.00	..
3	जून, 1984	48.00	..
4	जुलाई, 1984	92.50	60.00
5	अगस्त, 1984	15.00	184.00
6	सितम्बर, 1984	88.00	60.00
7	अक्तूबर, 1984	202.25	60.00
8	नवम्बर, 1984	262.25	60.00
9	दिसम्बर, 1984	206.00	123.00
10	जनवरी, 1985	130.50	60.00
11	फरवरी, 1985	370.75	..
12	मार्च, 1985	68.50	..
	योग ..	1,539.75	607.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 संख्या 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर।)

जांच रिपोर्ट

विषयः—पायल टूरिंग टाकीज, कप्तानगंज, जनपद देवरिया के विरुद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

संदर्भित सिनेमा से लगभग 67 मीटर की दूरी पर सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर, कप्तानगंज, देवरिया स्थित है। उक्त विद्यालय कक्षा पांच तक 26-9-73 से मान्यता प्राप्त है तथा जूनियर वर्ग मान्यता प्राप्त की परिधि में अस्थायी स्तर पर चल रहा है।

जहां तक सिनेमा से 2,000.00 रुपये के बजाय 1,000.00 रुपये प्रति सप्ताह मनोरंजन कर वसूल किय जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह सिनेमा अन्तवर्ती सिनेमा की भांति चल रहा है तथा जिस नगर में यह स्थिति है उस नगर की जनसंख्या 10,000 से (सन् 1981 की जनगणना के आधार पर) कम है। अतः इससे 1,000.00 रुपये प्रति सप्ताह एक मुश्त अग्रिम मनोरंजन कर वसूल किया जा रहा है जो नियमानुकूल है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

राजकीय कोषाध्यक्ष, तहवीलदार, स्टाम्प वेंण्डर, मनीटेस्टर एवं चपरासी को वर्ष 1952 तथा वतमान में अनुमन्य नियत वेतन/वेतनमानों का विवरण :

(क) राजकीय कोषाध्यक्ष

क्रम-संख्या	कोषागार की प्रकृति	जमानत की धनराशि 50,000 रु0 से कम	जमानत की धनराशि 50,000 रु0 और उससे अधिक किन्तु 75,000 रु0 से कम	75,000 रु0 और उससे अधिक किन्तु 1,00,00 रु0 से कम	1,00,000 रु0 और उससे अधिक
1	2	3	4	5	6
		दिनांक 1-5-52 से अनुमन्य नियत वेतन प्रति मास			
		रु0	रु0	रु0	
1	बैंकिंग	300	350	400	..
2	नान-बैंकिंग	350	400	तत्कालीन कोई कोषागार इस श्रेणी में न था	..
		दिनांक 1-7-80 से अनुमन्य नियत वेतन प्रति मास			
		रु0	रु0	रु0	रु0
1	बैंकिंग	600	775	900	1,000
0 2	नान-बैंकिंग	650	..	..	..

(ख) अधीनस्थ कर्मचारी--

क्रम-सं0	पदों के नाम	1952 के नियत वेतन की दरें प्रतिमाह	वर्तमान वेतनमान
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	तहसीलदार	60	354-550
2	स्टाम्प वेंण्डर	50	330-495
3	मनीटेस्टर	50	330-495
4	कैश चपरासी	25	305-390

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर।)

क्रम-संख्या	पुल का नाम	निर्माण लागत (लाख में)	व्यवस्थापन + अनुरक्षण + ब्याज (31-3-85 तक) (लाख रु० में)	कुल लागत (लाख रु० में)	वसूली की धनराशि (31-3-85 तक) (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट राज्यमार्ग नं० 6 के कि० मी० 226.20 पर सरयू नदी पर स्थित सेरा घाट पुल	10.50	9.00	19.50	3.49
2	जनपद पिथौरागढ़ में कर्ण-प्रयाग अस्कोट राज्य मार्ग नं० 6 के कि० मी० 290.00 में रामगंगा नदी पर थल पुल	4.94	6.35	11.29	11.07
3	जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट धार-चूला मोटर मार्ग के कि० मी० 13 पर स्थित गौरी नदी पर जौल जीवी पुल	5.43	9.95	15.38	11.86
4	जनपद पिथौरागढ़ में थल तेजम मुनस्यारी मोटर मार्ग के कि० मी० 12 पर भुजगढ़ नदी पर नाचनी पुल	7.50	12.27	19.77	5.28
5	जनपद अल्मोड़ा में मरचूला मानिला मोटर मार्ग के कि० मी० 1 पर देवता गधेरा पुल	6.09	21.59	27.68	4.14
6	जनपद अल्मोड़ा में टहरी-मुरादाबाद प्रान्तीय मार्ग मोहान शाकर प्रभाग कि० मी० 278 में मरचूला में रामगंगा नदी पर पुल	4.90	11.20	16.10	13.74
7	जनपद अल्मोड़ा में भतरोज खान गनाई मोटर मार्ग के कि० मी० 25 में गंगास नदी पर भिकियासेन पुल (8 जुलाई, 1984 तक)	5.06	10.73	15.79	16.47

नोट—यह पुल जुलाई 1984 में पथकर से मुक्त किया जा चुका है।

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर ।)

अ0 शा0 पत्रांक, एसटी/सी–37/83 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,

फैजाबाद ।

दिनांक 24-11-83

प्रिय महोदय,

आपके पत्र दिनांकित 2–11–83 द्वारा वांछित सूचना की विकास ब्लाक अकबरपुर में गत 10 वर्षों से किन-किन स्थानीय मेलों में संबंधित थानों की पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से जाती रही है और वे मेले किन–किन गांवों में किन–किन तिथियों में तथा किस पर्व पर लगते रहे हैं :

वांछित सूचना निम्नवत् है :––

ब्लाक अकबरपुर में थाना (1) अकबरपुर, (2) बैबाना, (3) मालीपुर आते हैं । थानावार विवरण निम्न है :

1––थाना अकबरपुर 1––श्रावण क्षेत्र (2) गोपाचरावन, कस्बा शहजादपुर (3) शिवबाबा (4) जमदतिया (5) मो0 युनूस मजार मेला (6) मिन्हापुर (7) दशहरा :— अकबरपुर, बरियाबन, अरिआ बाजार व कुर्की बाजार ।

2––थाना बैबाना (1) मंशापुर–चैतरामनवमी व कार्तिक पूर्णिमा ।

(2) दशहरा–बैबाना, महरुबा बाजार, रामपुर सरकरबारी

(3) मुहर्रम–अहैया, रसूलदिया, अटगीमुगरी, बैबाना अहरुया बाजार ।

3––थाना मालीपुर (1) घबरुआ–यमदुतिया कार्तिक में, चैत राम नवमी में मेला लगता है ।

(2) दशहरा–मालीपुर, सरहरपुर, अगरतल्ला, ताराखुर्द आदि ।

(3) मुहर्रम अगरतल, कच्छपरा, दरगाह शाह रमजान ।

(4) सुरहरपुर ताराखुर्द, कोडरा, मालीपुर, घबरुआ हरमालपुरगंज, ओधना, इस्माइलपुर ।

भवदीय,

आर0 एन0 शर्मा

श्री प्रियदर्शी जेटली,
विधायक, अकबरपुर ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 169 पर)

गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे पायरिला नियंत्रण अभियान की अद्यावधिक स्थिति

क्रम-संख्या	जिले का नाम	गन्ना क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्रफल		नियंत्रित क्षेत्रफल
			कुल प्रभावित क्षेत्रफल	गम्भीर/मध्यम	
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	3,75,000	2,46,000	2,46,000	2,46,000
2	गाजियाबाद	1,33,000	80,000	75,000	80,000
3	मुजफ्फरनगर	4,10,000	1,26,000	82,000	1,24,325
4	सहारनपुर	3,47,387	73,777	30,001	73,767
5	बुलन्दशहर	80,000	63,000	50,000	50,346
6	अलीगढ़	40,000	10,000	7,000	10,000
7	मथुरा	35,000	6,000	4,000	5,707
8	मुरादाबाद	2,68,000	1,60,000	1,35,000	1,58,000
9	बिजनौर	3,39,000	2,10,000	1,65,000	2,01,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	रामपुर	59,000	33,000	23,000	28,365
11	हल्द्वानी	1,49,000	36,000	शून्य	31,783
12	बरेली	1,12,900	51,719	47,479	50,000
13	बदायूं	39,000	30,000	22,000	13,739·71
14	पीलीभीत	92,491	17,767·82	15,627	17,767·82
15	फर्रुखाबाद	27,000	2,500	400	2,500
16	शाहजहांपुर	48,700	7,500	2,000	5,796·21
17	एटा	15,500	6,000	शून्य	5,886·53
18	हरदोई	28,000	467·59	..	467·59
19	सीतापुर	उपलब्ध नहीं	629·73	..	629·73
20	फैजाबाद	उपलब्ध नहीं	637	..	637
21	लखीमपुर खीरी	2,97,000	8,040	..	8,040
22	वाराणसी	उपलब्ध नहीं	200	..	200
23	गोंडा	46,000	299	..	299
24	देवरिया	उपलब्ध नहीं	284	..	284
	योग ..	28,41,978	11,69,821·14	9,04,507	11,23,550·59

पी0 एस0 यू0 पी0—29 वि0 सभा—9-9-85—813 (पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा